

राजस्थान सरकार

संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर(I)

जयपुर(I)/2016.2018/08

दिनांक :- 07/08/2019

विकास प्राधिकरण,

CAO (P/A)

31/8/19

31/8/19

AO(A)

31/8/19

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण वर्ष : 2016 . 2018 के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

संस्था के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन आपको सूचनार्थ तथा उसकी अनुपालना की उचित कार्यवाही किये जाने के लिए भेजा जा रहा है ।

2. प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 4, 34 से 46, 48, 49 की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है ।

3. निम्नलिखित रिकॉर्ड अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया था अतः इसका अंकेक्षण आगामी वर्ष किया जावेगा ।

4. कृपया प्रतिवेदन के आक्षेपों के उत्तर, उसी क्रम में जो वह प्रतिवेदन में अंकित हैं, राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम की धारा 10 तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम 28 के अनुसार तीन माह में आवश्यक रूप से भेजें ।

प्रतिवेदन में सम्मिलित आक्षेपों का विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) गबन सम्बन्धित कुल पैरा की संख्या	111	(अनुच्छेद सं.)
(ब) गम्भीर प्रकृति के कुल पैरा की संख्या	41	(अनुच्छेद सं. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 14(2)(i), 14(4)(i), 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 14(2)(ii), 14(2)(iii), 66, 67, 68, 14(2)(iv), 69, 70)
(स) सामान्य पैरा की कुल संख्या	45	(अनुच्छेद सं.)
.....	19	अति. निदेशक
.....	105	

क्रमांक - जयपुर(I)/2016.2018/08

दिनांक :- 07/08/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । कृपया अनुच्छेद संख्या 4, 34 से 46, 48, 49 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

3. निदेशक, (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

31/8/19

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर

स्थानीय निधि अंशेक्षण विभाग, राजस्थान

पत्रांक: 426

प्रति: आति. निदेशक

स्थानीय निधि अंशेक्षण विभाग

क्षेत्रीय कामकाज - जमपुर प्रथम

विषय: ज. 0. 1. 0. 9. जमपुर के लेखों पर वर्ष 2016-18

अंशेक्षण एवं जांच प्रतिवेदन का प्रालय।

प्रमाण: आपका पत्रांक 3277-80

दिनांक: 7/6/18

में उपरोक्त प्रतिवेदन अवलोकित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

- प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4, 34, 46, 48, 49 की ओर विशेष अधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जा रहा है।
- अनुच्छेद सं. X गवर्न/व्यवहार से सम्बन्धित है।
- अनुच्छेद सं. सूची संलग्न है। विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यवाही में सम्मिलित करने योग्य है जिसके लिये पृथक् से डाफ्ट परा तैयार कर भेजा जा रहा है।
- अंशेक्षण शुल्क आप राशि रु. 21,76,000/- जो रुपये वर्ष 2016-18 की जात पर है संलग्न किया जा रहा है।
- उपरोक्त के अधिन/अनुदान/नृण की बकाया एवं अनुदान की बकाया सम्बन्धी अंशेक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा रहा है/रहे हैं।
- आक्षेप विवरण पत्र संख्या. से. तक जिन्हें संख्या. द्वारा लौटाया गया है संलग्न किये जा रहे हैं।
- मुख्य/क्षेत्रीय कार्यालय पत्रावली संख्या. लौटाई जा रही है।
- निर्धारित विवरण प्रथम संलग्न है।
- संलग्न:-

- जांच प्रतिवेदन का प्रालय
- वार्षिक प्रतिवेदन के लिये डाफ्ट परा
- अंशेक्षण शुल्क आप
- अंशेक्षण प्रमाण-पत्र
- आक्षेप विवरण-पत्र
- मुख्य/क्षेत्रीय कार्यालय पत्रावली संख्या
- वार्षिक लेख
- निर्धारित विवरण-प्रपत्र

मीमा पत्रावली

दैनिक जामरी दल 4 (पृष्ठ 31 व 112 तक)

11 दल 7 (पृष्ठ 111 व 216 तक)

क्षेत्रीय कामकाज की डाकुमेंट

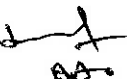
प्रमाण-पत्र

आक्षेप विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार जलित/लेखा विभाग गभार है।

राजस्थान सरकार
स्थानीय निधि अंशेक्षण विभाग
जमपुर-प्रथम
क्षेत्रीय दल संख्या 4

(C)

प्रारूप प्रालेख श्रेणी 'अ'			
क्र. सं.	आक्षेप संख्या	राशि	परिशिष्ट संख्या
1	34	34692601	17
2	35	16800000	18
3	36	8897127	19
4	37	4260772	20
5	38	3244867	21
6	39	3116309	22
7	40	2736378	23
8	41	2721823	24
9	42	2429649	25
10	43	1784811	26
11	44	1742319	27
12	45	1685832	28
13	46	1432860	29
14	48	991381	31
15	49	956250	32




(D)

प्रारूप प्रालेख श्रेणी 'ब'			
1	14 (र) (i)	458229	11
2	14 (य) (i)	410536	10
3	50	404300	33
4	51	368033	34
5	52	337186	35
6	53	299054	36
7	54	293597	37
8	55	287984	38
9	56	277540	39
10	57	240411	40
11	58	229285	41
12	59	216112	42
13	60	200883	43
14	61	195876	44
15	62	193543	45
16	63	156250	46
17	64	148390	47
18	65	147441	48
19	14 (र) (ii)	146130	12
20	14 (र) (iii)	130746	13
21	66	129882	49
22	67	126960	50
23	68	120228	51
24	14 (र) (iv)	113311	14
25	69	106817	52
26	70	101240	53

2-1
000

Ln
000

राजस्थान सरकार
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान
 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-18
I- प्रस्तावना

संस्था का नाम
 लेखा अवधि
 अंकेक्षण के माह
 पिछली जांच का समय
 अंकेक्षण में लिया गया समय
 कार्य दिन संख्या
 आयुक्त

— जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 — 2016-17 से 2017-18
 — जुलाई, दिसम्बर, मार्च
 — 27.07.2016 से 09.03.2017
 — 20.06.2018 से 18.03.2019 तक
 — कार्य दिवस 336, मानव दिवस 821.50

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. श्री शिखर अग्रवाल | 04.02.14 से 02.11.16 |
| 2. श्री वैभव गालरिया | 07.11.16 से 19.12.18 |
| 3. श्री पी.के.गोयल(कार्यभार) | 20.12.18 से 29.12.18 |
| 4. श्री टी. रविकान्त | 29.12.18 से लगातार |

सचिव —

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. श्री पवन अरोड़ा | 07.02.14 से 02.11.16 |
| 2. श्री पुरुषोत्तम बियाणी | 07.11.16 से 05.05.17 |
| 3. श्री एच. गुईटे | 08.05.17 से 02.05.18 |
| 4. श्री दिपक नन्दी | 02.05.18 से 20.07.18 |
| 5. श्रीमति अर्चना सिंह | 30.07.18 से लगातार |

निदेशक(वित्त)---

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. श्री देवराज सिंह | 04.03.14 से 31.08.16 तक |
| 2. श्री बी.के.शर्मा | 01.09.16 से 08.11.17 तक |
| 3. श्री हृदयेश कुमार जुनेजा | 08.11.17 से लगातार |

रोकड़िया

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. श्री के.के.शर्मा (सामान्य) | 01.04.13 से 30.09.16 |
| 2. श्री रजनीश मियाणी | 30.09.16 से कार्यरत |
| 3. श्री प्रहलाद | 01.04.13 से 31.01.16 |
| 4. श्री राजू (निर्माण) | 01.02.16 से कार्यरत |

स्टोर कीपर —

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. श्री सुभाष चन्द सैनी | 01.04.16 से लगातार |
|-------------------------|--------------------|

निरीक्षणार्थ राजपत्रित अधिकारी

— श्री मोहन लाल आचार्य, अतिरिक्त निदेशक

दिनांक 3.7.2018, 3.8.2018, 19.11.2018, 21.12.2018,
14.03.2019

—श्रीमती मंजु कुमारी, संयुक्त निदेशक(सतर्कता)

दिनांक 22.11.2018

अंकेक्षण अधीक्षक/प्रभारी
अंकेक्षक

- श्री मिठठू लाल बुनकर, सहा. लेखाधिकारी—प्रथम
- श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहा. लेखाधिकारी—प्रथम
- श्री राजवीर सिंह गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार
- श्री मधुसूदन शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार
- श्री रामकिशन यादव, कनिष्ठ लेखाकार
- श्री सूरज कुमार सिंगोदिया, सहा. प्रशासनिक अधिकारी

हिसाब किताबों व रजिस्ट्रों की सूची जिनकी जांच की गई है, संलग्न परिशिष्ट में दी गई है ।

परिशिष्ट "अ"

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान

जांच रिपोर्ट संख्या

वर्ष -

(वर्ष :- 2016-18)

जांच के समय जांच किये गये हिसाबी रजिस्ट्रों की सूची

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	2	3

1. रोकड पुस्तिकायें
2. वाउचर पत्रावलियां
3. वार्षिक लेखे
4. अनुबंध, ठेका पत्रावलियां
5. सेवा पुस्तिकायें
6. निर्माण कार्यों की पत्रावलियां मय माप पुस्तिका
7. बैंक स्टेटमेंट,
8. खाता बही
9. रसीद बुक
10. भू-नियमन संबंधी पत्रावलियाँ

Rt. (Rt.) [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

4

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 से 2017-18

भाग- "अ"

(क) प्रस्तावना:- प्रपत्र संलग्न है ।

(ख) गत-विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की स्थिति:-

संस्था के गत-विगत बकाया अंकेक्षण प्रतिवेदनों की बकाया आक्षेपों की स्थिति निम्नानुसार है:-

अंकेक्षण वर्ष	बकाया आक्षेप	योग
1969-70	2(1, 2, 3, 4, 5, 6), 8 (4), 26 (1, 2, 3), 46 (क, ख, ग)	4
1971-72	37	1
1972-73	52 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 57(1, 2, 3, 4), 58	3
1973-74	4(1, 5, 6), 11(1, 2, 3, क, ख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 18,(1, 2,-क, ख, ग, घ, 3, I, क, ख, (II),4-क, ख 5 - क, ख, 6-क, ख, 7-क, ख, 8, 9, 10, 12-क, ख, ग, घ, ड, 13, 16-क, ख, ग, घ, ड, च, छ, 17-क, ख, 18),	3
1974-75	8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 43, 48, 53,	12
1975-76	15 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 16 (1, 2), 25, 35, 37, 58, 64, 72, 122, 124	10
1976-78	5, 18, 31,(1, 2-क, ख, 3, 4) 44 ,(1-क, ग, घ, 2-क, ख, ग, घ, ड 3, 4,- 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क, ख, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21)	4
1979-80	3,5,32,(क)	3
1980-81	10,17(1,4,5,6),83	3
1981-82	17(8, 9, 10), 18(2, 4, 5, 6), 19(4, 5-I, II, 6, 7),20 (3,4), 27 (1, 2), 32(5), 35(1, 2, 3, 4, 5), 42, 45, 48(1,2,3,4,5)	10
1982-84	3(1, 2, 3, 4,), 4, 5(क, ख), 7(अ, ब), 10(क,घ,ड,च,छ) 11, 12, (क,ख,ग,घ), 13, 17 (2), 23, 24, 27, 29 (ख), 33, 37, 39, 41,(1, 2, 3, 4, 5, 6), 43(1,2), 44, 47,48(क,ख,ग,घ), 58 (ग), 60, 66, 67, 68, 74, 75, 76 (III),80,(ख,ग),113 (क,ख,ग,घ,ड)	31
1984-85	6(क,ख,ग), 9 (1,2), 22 (1,2), 23, 25 (क,ख), 29 , 32, 37, 39, 40, 43, 50, 51 (क), 61, 63, 73, 74, 78, 85	19
1985-86	29, 31, 39 (क, ख),	3
	'ब' श्रेणी -10(क,ख)	1
1986-87	35, 43 (1, 2, 3), 55 (क, ख), 59 (क,ख,ग,घ,ड,च,छ), 72, 73, 74, 77	8
	'ब' श्रेणी -14, 26, 27(ग)	3
1987-88	4 (I, II, III, iv, v), 12 (क-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ख, ग), 17, 23, 30 (क, ख-I, II), 35, 43, 47, 49, 53 (क, ख)	10



5

1988-89	15(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), 17(1, 2, 3, 4, 5), 19(1, 2, 3, 4, 5), 22(1,2,3,4,5), 31, 35 (1, 2),	6
1989-90	9 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 19, 20, 22 (1, 2, 3, 4), 28 (ख-1, 2, 3), 31 (1, 2, 3, 4, 5), 40, 41, 42, 43, 50 (ख-I,II,III), 57 (क, ख)	12
	'ब' श्रेणी -4,12,15,16	4
1990-91	4, 12, 15, 24, 34, 35, (क,ख,ग,घ), 36, 38, 40, 43, 44, 51(I,II), 52, 53, 57, 58, 59, 65 (I, II, III, iv, v, vi, vii), 68, 69, 70, 75(I, II), 76, 77, 78, 79, 89, 92, 101, 104	30
	'ब' श्रेणी -41	1
1991-92	26, 36, 55, 64(ग-I, II, III, iv, घ), 65, 70, 75(अ, आ), 76 (अ, आ, ई), 82, 85, 86, 91, 92, 93, 104	15
	'ब' श्रेणी -3, 89	2
1992-93	2(अ,ब), 5, 8 (अ,ब), 17(क,ख), 20,(1,2), 21, 28 (1,2,3,4,5,6), 29(1,2,3,4 ब), 38, 39, 41(अ), 44 (ब,स), 48 (अ,ब,स), 49 (अ,ब), 50(अ,ब,स,द,य,र, ल)	15
	'ब' श्रेणी -28	1
1993-94	8, 11, 12, 16, 27, 29, 31, 36, 38, 44	10
	'ब' श्रेणी -9	1
1994-95	7, 8, 9, 12(I, II, III, iv), 17 (1, 2), 19(I, II, III, v), 21, 22, 28, 29, 31 (6), 33, 35 (2), 44, 56, 59, 60, 61, 63, 64(I,II,III,iv), 65, 66 (1, 2, 3, 4), 67(1,2), 68 (अ, ब), 72, 74, 75, 84, 86, 87	30
1995-96	1, 7, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32(I), 33, 34, 36, 45, 48, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 74, 77, 80, 82, 84, 85	29
	'ब' श्रेणी -14	1
1996-97	4, 7, 12, 14, 17, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 39, 49, 52, 56, 59, 60, 74, 80, 82, 83, 87, 88, 95, 101, 103, 105, 109, 114, 115(I, II, III), 117	34
	'ब' श्रेणी -81	1
11/77 से 97-98 भण्डार का भौतिक सत्यापन	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (क - I, II, III, iv, ख -I, II, III, ग - I, II, III, घ - I, II, III, iv, च - I, II, III, iv, छ - I, II, III, iv, 9, 10 (I, II), 11(क, ख, ग, घ, ङ, च, छ)	11
1997-98	2 (1, 2, 3, 4), 3(अ, ब), 4, 5 (अ, ब), 6, 8, 9, 12, 13 (1, 2, 3, 4), 17, 18, 20, 21, 24, 25 (अ- 1, 2, ब), 35 (I,II), 38, 39, 40 (1-I, II, III, 2, 3), 41, 42, 43 (1, 2), 44, 45(1,2,3), 46, 47, 50, (1,2,3,4), 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 67 (1,2), 71 (अ), 72, 73, 81 (1, 2, 5), 83	41
	'ब' श्रेणी -26, 52, 64	3
1998-99	9, 12 (1, 2, 3, - I), 20, 23 (1, 2, 3), 25, 27, 29, 30 (अ,ब), 31, 32 (अ,ब), 33 (1, 2), 34(1, 2), 40, 41, 43, 44, 45	17
	'ब' श्रेणी -6, 42	2

2
Rk. RSG

6

1999-2000	2 (II), 3 (क, ख- I, II, ग, घ, ङ, - I, II, III, च, छ, ज), 4 (क, ख, ग, घ - I, II, ङ), 7(I, II, III, iv, v, vi), 8, 10 14, 17(I), 19, 22 (II, III, iv), 24(I, II), 25, 27, 28, 31, 33, 36	17
	'अ' श्रेणी -2 (I)	1
2000-01	13, 14, 15, 16, 17, 18(ब, स, द, ध), 19, 20, (अ, ब, स), 28, 30, 31 (I, II, III, iv), 32, 35, 36(I, II, III), 39, 40	16
	'अ' श्रेणी - 4	1
2001-02	9(1,2,3,4- अ, ब, स), 16 (1), 17, 18(1,3,4), 19, 21, 22, 25, 27, 28(1,2,3,4,5), 33, 39 40, 41, 45, 47 (I, II, III, iv), 48, 49, 50(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 52 (1,2,3,4,5), 55, 56 (अ, ब- 1,2,3,4), 57, 59 (1,2,3,4,5,- 1,2,3,4,5), 60(1, 2, 3,), 61, (अ, ब, स, द)	26
	'अ' श्रेणी -37, 46	2
	'ब' श्रेणी -8, 26, 53	3
2002-2004	6 (III, iv, v, vi), 9, 10, 20, 22, 24, 35(I, II, III, iv, v), 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50(I, II, III, iv, v, vi), 51, 54, 55 (1,2), 56 (1,2,3,4,5), 61, 62, 63, 64, 65, 67 (अ, ब), 74, 77 (अ), 78, 79, 80, 81(अ, ब), 82, 83, 85, 86, 87	39
	'अ' श्रेणी -12, 16, 18, 19, 26, 27	6
2004-05	16, 17, 18, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 51, 54, 55, 57,	16
	'अ' श्रेणी -10	1
	'ब' श्रेणी -23, 29, 38, 40, 44, 48, 52	7
2005-06	2 (क, ख, ग), 3, 4 (क, ख), 12, 16, 18, 19 (1,2), 20, 27, 28, 29, 31, 36 (अ, ब), 38, 39, 41(अ), 42, 43, 45, 48, 50 (ब), 52, 53 (अ), 55, 56, 58, 59, 61, 65, 67, 68	31
2001-08 भण्डार का भौतिक सत्यापन	1, 2, 3, 4, 5, 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1,2,3,4,5), 13 (I, II), 14, 15, 16(1, 2, 3, 4, 5, 6), 17, 18, 19, 20	20
2006-07	2, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 49, 52, 60, 61, 64 (क, ख, ग, घ, ङ), 65, 67, 69, 75, 78, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96	29
	'अ' श्रेणी -5, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 41, 42, 46, 62,	20
	'ब' श्रेणी -3, 3(अ), 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 45, 50, 56, 59,	16
2007-09	पार्ट-I 1 (अ, ब, स, द), 3, 4, 7, 9, 10 (ब), 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21 (अ, ब), 22, 23, 26	16
	'अ' श्रेणी -14, 24, 25	3
	पार्ट-II- 8, 10, 11, 17, 23, 33, 35, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 63, 64, 65, 68, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 96, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 114	37
	'अ' श्रेणी -1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 43	29

8 Rk. 3

	पार्ट-III-1, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 55 (1, 2), 57, 64, 68 (1, 2), 69 (1, 2, 3, 4), 71, 74, 77, 79(अ, ब), 80, 81, 82 (5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28)	28
	'अ' श्रेणी- 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 43, 44, 72	13
2009-10	3, 5, 6, 8 (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII), 14, 15, 19, 21, 22, 23(I,II,III), 24, 25 (स,द), 26, 27, 28, 29; 30, 31, 32 (1,2,3,4), 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), 42, 46, 47, 53, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 97, 98, 99, 101 (1,2), 102, 103, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 125, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,141,142, 143, 144, 145, 146, 147, 149	89
	पार्ट-II-2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24	19
	'अ' श्रेणी -4, 11, 21,	3
	'अ' श्रेणी पार्ट II 78	1
2010-13	1(ब-II-I,II,III,IV,v,vi,vii,viii,ix,x), 10, 11, 12, 13, 17, 26, 27, 29, 48, 56, 58, 59, 66, 69, 70, 73, 76, 83, 85, 86 (1,2,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24), 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 102, 103,104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147,148, 149, 150, 151, 152, 159, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 184, 186, 191, 192, 193, 194, 195 ,197, 198, 199, 200, 202, 205,	101
	'अ' श्रेणी -130,134,153,154,155,166,181,183,185,187,188,	11
2013-16	भाग-ब- 1 (अ), 2(ब), 4(अ,ब), 5, 9(अ,ब,स),10 (द-I,II,य,ल-I,II,III,IV,व -I,II), 11, 12, 13 (ब), 14 (य- IV,vii,viii,x,ह- I,vii,xiii,xvi)] 18(स-I),19 (अ), 20, 22(अ,ब), 23(अ,ब,स), 25, 26, 28 (अ, ब),29 (अ,ब), 30 (ब), 33 (य), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (1,2,3,4), 101,102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121(I), 122, 124, 125, 126, 127, 128	94
	साधारण आक्षेप	952
	'अ' श्रेणी प्रारूप प्रालेख	92
	'ब' श्रेणी प्रारूप प्रालेख	46
	महायोग	1090

उपरोक्तानुसार बकाया आक्षेपों की अनुपालना के अभाव में निरन्तर वृद्धि हो रही है । अतः बकाया आक्षेपों की पालना राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम 1954 की धारा 10 एवं नियम 1955 के

4

नियम 28 में दिये गये प्रावधानुसार ठोस पालना किये जाने हेतु नियन्त्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ग) रोकड का भौतिक सत्यापन :-

संस्था का अंकेक्षण प्रारम्भ करने की दिनांक 20.06.2018 को संस्था के रोकडों का भौतिक सत्यापन करने पर स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :-

क्र. स.	रोकड पुस्तिका का नाम	नम्बर/संघारित दिनांक	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	बैंक शेष	नगद शेष
1.	द्रव्यवती रिवर	11/05.06.2018	675405500264 ICICI	1235715.00	0
2.	बीएसयूपी-आ	5/15.06.2018	675401700947 ICICI	652352.68	0
3.	बीएसयूपी-आ	6/15.06.2018	675401700946 ICICI	456788.09	0
4.	आरएवाई (केकडी) (राजीव आवास कीरो की ढाणी)	7/15.06.2018	6754000948 ICICI	180243.56	0
5.	आरएवाई बगराना	9/15.06.2018	675401700944 ICICI	1810852.00	0
6.	हवासडक सोडाला	10/29.05.2018	675405600263 ICICI	534502512.00	0
7.	आरओबी दांतली	12/07.06.2018	675405600265 ICICI	172555417.00	0
8.	आरयूबी आनन्दलोक	13/17.04.2018	675405600266 ICICI	72761701.00	0
9.	आरओबी जाहोता	14/08.06.2018	675405600267 ICICI	319431442.00	0
10.	आरओबी सीतापुरा	15/23.05.2018	675405600268 ICICI	465205902.00	0
11.	आरओबी बरसी	16/05.06.2018	675405600271 ICICI	93537744.00	0
12.	जेएनएनयूआरएम	03/31.03.2018	675401415101 ICICI	40063.09	0
13.	बीआरटीएस	18.06.2018	675401419611 ICICI	329926.54	0
14.	निर्माण (वर्क्स जेडीए)	19.06.2018	675401700518 ICICI	142391068.30	0
15.	पेंशन	12.06.2018	675401700529 ICICI	11351030.00	0
16.	एसी (लैण्ड)	28.05.2018	675401700515 ICICI	4543984.00	0
17.	सामान्य रोकड	19.06.2018	675401700517 ICICI	119690446.04	0
18.	सामान्य एनपीएस	06.06.2018	91401098017781	8498777.40	0

8 Rk.    

(9)

			AXIS		
19	सामान्य आईटी	29.05.2018	61150197758 SBI	1052876.00	0
20	आरसीआर रिफण्ड	18.06.2018	675401700511 ICICI	21250078.90	0
21	आरसीआर पीआरएन	19.06.2018	675401700512 ICICI	29502024.14	0
22	आरसीआर रेवेन्यू	19.06.2018	675401700500 ICICI	678850539.61	0
23	स्कीम अकाउण्ट जेडीए	19.06.2018	675401700610 ICICI	2665346.21	0
24	ई आक्शन	19.06.2018	675401700042 ICICI	16711.00	0
25	ई.एम.डी.	19.06.2018	675401700586 ICICI	7134243.66	0
			योग (अ)	2689647784.22	0
26	पीडी अकाउण्ट जीपीएफ	31.03.2018	3857 सचिवालय, कोषालय	260562425.34	31.03.18 तक मिलान
27	पेंशन अकाउण्ट	31.03.2018	3880 सचिवालय, कोषालय	1080498299.68	31.03.18 तक मिलान
28	8443 मद	30.03.2018	II/90/150 सचिवालय (शहर)	7339832.92	31.03.18 तक मिलान
29	8338 सीपीएफ	30.03.2018	4/195/115 कोषालय (शहर)	300000.00	30.03.18 तक मिलान
			योग (ब)	1348700557.94	0
			महायोग (अ+ब)	4038348342.16	0

(घ) बैंक मिलान/कोषागार से मिलान की स्थिति :-

संस्था द्वारा मात्र बैंक खाता में ही लेनदेन किया जा रहा है। बैंक खाते का मिलान मार्च, 2018 तक किया जाना पाया गया। आक्षेप का विस्तृत विवरण भाग "ब" के आक्षेप संख्या 1 (ब) में अंकन किया गया है।

(ङ) अग्रिम लेन-देन एवं समायोजन की स्थिति व ब्याज की वसूली :-

अग्रिम लेनदेन एवं समायोजन का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के भाग "ब" के आक्षेप संख्या 4 में किया गया है।

(च) संस्था के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण :-

8 Rh 6 2 2 2 2

संस्था द्वारा खाता बही संधारित की जाकर वार्षिक लेखों का संधारण किया गया है। वार्षिक लेखे संकलित रूप से मण्डल के मुख्यालय स्तर द्वारा तैयार किये जाते है। दल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-18 के प्राप्ति एवं भुगतान विवरण का प्रमाणीकरण प्रारूप "ब" में किया गया है।

8/   
Rk.

11

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 से 2017-18

भाग— “ब”

(1) रोकड पुस्तिका संबंधी

(1) (अ) रोकड संधारण में पाई गयी कमियों/ अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संधारित रोकड पुस्तिकाओं की जांच किये जाने पर निम्नांकित कमियों/ अनियमितताएँ पायी गयी है :-

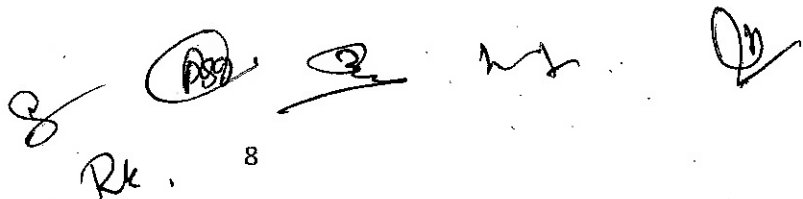
(i) प्राधिकरण कार्यालय में सामान्य (सिविल) कैशियर का कार्य श्री के.के.शर्मा द्वारा दिनांक 01.04.13 से 30.09.2016 एवं श्री रजनीश मियाणी, द्वारा दिनांक 01.10.2016 से लगातार कैशियर के कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। वक्र्स संबंधी कैशियर का कार्य श्री प्रहलाद द्वारा दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 31.01.2016 एवं श्री राजू दिनांक 01.02.2016 से लगातार कैशियर के कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, तथा श्री राजू द्वारा दिनांक 22.02.2018 से 21.02.2019 तक के लिये फिडीलिटी गारन्टी बॉन्ड प्राप्त किया गया है। उक्त अवधि को छोड़कर कार्मिकों द्वारा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से फिडीलिटी गारन्टी बॉन्ड प्राप्त नहीं किया गया है, जिसके अभाव में चोरी अथवा गबन होने की स्थिति में संस्था को नुकसान से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः भविष्य में कैशियर से फिडीलिटी गारन्टी बॉन्ड प्राप्त करके ही कैशियर का कार्य संपादित किया जावे। आलौच्य अवधि में संस्था को किसी प्रकार की हानि अथवा नुकसान नहीं होने का कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर पालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जावे।

(ii) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 51(i) के अनुसार प्रत्येक माह के अन्त में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रोकड-पुस्तिका में नकद शेष को सत्यापित कर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र रोकड-पुस्तिका में अभिलिखित किये जाने का अभाव पाया गया।

(iii) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम नियमों के नियम 51(ii) के अनुसार माह में एक बार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रोकड-पुस्तिका के आकस्मिक जांच/सत्यापन का अभाव पाया गया।

अतः उक्त कमियों/ अनियमितताओं की पूर्ति किये जाने हेतु एवं भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।


Rk . 8

1. (ब) — पी.डी. खातों एवं बैंक खातों के मिलान की स्थिति :-

अंकेक्षण अवधि 2016-17 से 2017-18 के अंकेक्षण समय पी.डी. खातों एवं बैंक खातों के मिलान की स्थिति 31.03.2018 को निम्नानुसार पाई गई :-

पी.डी. खातों के मिलान की स्थिति :-

1. PD A/C NON INTEREST BEARRING (कोषालय जयपुर शहर)

PD A/C II No.- 8443

31 मार्च, 2018 को पी.डी. पास बुक अनुसार शेष = 7339833

अंकेक्षण टिप्पणी —

1. उक्त पी.डी. खाते की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कैश बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे कैश बुक का सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका।
2. उक्त पी.डी. खाते की पास बुक का दिनांक 31.03.2018 तक कोषाधिकारी, जयपुर शहर से प्रमाणित होना पाया गया।

2. PD A/C NON INTEREST BEARRING (कोषालय जयपुर शहर)

PD A/C CPF No.- 8338/3536

31 मार्च, 2018 को पी.डी. पास बुक अनुसार शेष = 300000

अंकेक्षण टिप्पणी —

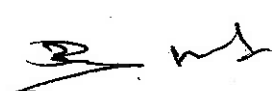
1. उक्त पी.डी. खाते की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कैश बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे कैश बुक का सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका।
2. उक्त पी.डी. खाते की पास बुक का दिनांक 31.03.2018 तक कोषाधिकारी, जयपुर शहर से प्रमाणित होना पाया गया।

3. PD A/C INTEREST BEARRING (कोषालय जयपुर सचिवालय)

PD A/C GPF No.- 3857

31 मार्च, 2018 को पी.डी. पास बुक अनुसार शेष = 260562425

अंकेक्षण टिप्पणी —

Rk. 9    

1. उक्त पी.डी. खाते की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कैश बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे कैश बुक का सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका।
2. उक्त पी.डी. खाते की पास बुक का दिनांक 31.03.2018 तक कोषाधिकारी, जयपुर सचिवालय से प्रमाणित होना पाया गया।

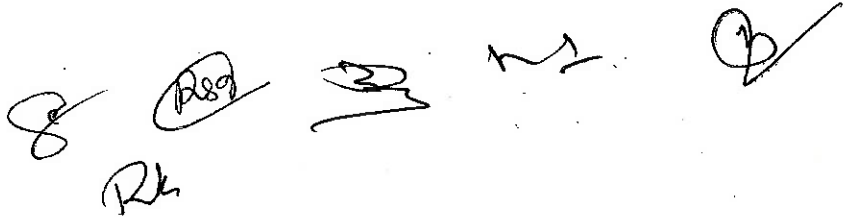
4.PD A/C INTEREST BEARRING (कोषालय जयपुर सचिवालय)

A/C PENSION NO.- 3880

31 मार्च, 2018 को पीडी पास बुक अनुसार शेष = 1080498299

अंकेशन टिप्पणी -

1. उक्त पी.डी. खाते की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कैश बुक उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे कैश बुक का सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका।
2. उक्त पी.डी. खाते की पास बुक का दिनांक 31.03.2018 तक कोषाधिकारी, जयपुर सचिवालय से प्रमाणित होना पाया गया।

 The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'S', a circled signature 'R89', a signature 'Rk', a signature 'R', a signature 'M', and a circled signature 'P'.

बैंक खातों के मिलान की स्थिति :-

1- A.C. Land Cash Book

ICICI Bank खाता संख्या-675401700515

31 मार्च, 2018 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष = 12519207

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 15057607

अन्तर राशि (-) 2538400

जोड़िये :-

चैक जारी किये गये किन्तु भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये :-

चैक नं०	दिनांक	राशि
13813	27.03.2018	2538400

अन्तर राशि शून्य

उक्त कारणों का रोकड में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

2- नवीन पेंशन स्कीम (एनपीएस) रोकड सामान्य

:-

Axis Bank खाता संख्या — 914010018017781

31 मार्च, 2018 को रोकड बुक के अनुसार बैंक शेष = 103309103

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 103309103

अन्तर राशि शून्य

3- आयकर रोकड(सामान्य) :-

31 मार्च, 2018 को रोकड बुक के अनुसार बैंक शेष = 1587019

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 1587019

अन्तर राशि शून्य

4- Aside Scheme रोकड बुक CB No.08

कोटक महिन्द्रा बैंक खाता संख्या — 9811317055

रोकड पुस्तिका दिनांक 24.08.2016 तक संधारित पायी गई तथा उक्त दिनांक को खाते में शेष राशि 170364/- को उक्त खाता से 518 खातों में हस्तान्तरित कर दिया गया।

RK.

Dsp

mt

JD

5- ROB DANTALI CASHBOOK(निर्माण)

खाता संख्या - 675405600265

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 244257062

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 5546987

अन्तर राशि 238710075

घटाईये

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
31.03.2018	FDR 675410015943	237770444.00
31.03.2018	FDR 675410015857	939631.00
योग		238710075.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

6- DRAVYATI RIVER CASH BOOK

खाता संख्या - 675405600264

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 560132180

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 74500769

अन्तर राशि 485631411

घटाईये

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

[Handwritten signatures and initials]

दिनांक	विवरण	राशि
31.03.2018	FDR 675410015869	9966943.00
31.03.2018	FDR 675410015979	240243446.00
31.03.2018	FDR 675410015935	235421022.00
योग		485631411.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

7- ELEVATED ROAD SODALA ROB CASH BOOK

खाता संख्या -675405600263

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 606030670

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 517373899

अन्तर राशि 88656771

घटाईये

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
31.03.2018	FDR 675410015860	576222.00
31.03.2018	FDR 675410015942	88080549.00
योग		88656771.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

8- BRTS CASH BOOK

खाता संख्या -675401419611

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 3353289.54

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 3662100.54

(Handwritten signatures and initials)

(17)

अन्तर राशि 308811.00

जोड़िये- चैक जारी किये गये किन्तु 21 मार्च 2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये
राशि रूपये 308811.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

9- ROB CASH BOOK

खाता संख्या -675405000046

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 182027.00

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 182027.00अन्तर राशि शून्य**10- ROB BASSI CASH BOOK**

खाता संख्या -675405600271

28 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 122393952.00

28 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 5230198अन्तर राशि 117163754.00**घटाईये**

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
28.03.2018	FDR 675410015982	117163754.00
योग		117163754.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

11- JAHOTA ROB CASH BOOK

खाता संख्या -675405600267

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 324467593

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष =5520579

अन्तर राशि 318947014

घटाईये

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
31.03.2018	FDR 675410015858	33181955.00
31.03.2018	FDR 675410015951	285765059.00
योग		318947014.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

8 Rk 11 15 18 20

12- ANNDLK SWAPNALOK ROB CASH BOOK

खाता संख्या -675405600266

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 74228071

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 5909979

अन्तर राशि 68318092

घटाईये

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
31.03.2018	FDR 675410015944	68318092.00
	योग	68318092.00

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

13- SITAPURA ROB CASH BOOK

खाता संख्या -675405600268

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 481702810

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 3830293

अन्तर राशि 477872517

घटाईये

एफडीआर राशि जो बैंक द्वारा डेबिट कर दी गई किन्तु जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं है, का विवरण निम्न है :-

दिनांक	विवरण	राशि
31.03.2018	FDR 675410015945	475216804.00
31.03.2018	FDR 675410015861	2655713.00

8 Rk. → 26 26

20

योग	477872517.00
-----	--------------

अन्तर राशि = शून्य

उक्त कारणों का रोकड़ में वांछित इन्द्राज कर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराएं।

14- JNNURM CASH BOOK

खाता संख्या - 675401415101

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 40063.09

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 40063.09

अन्तर राशि शून्य

15- RAY BAGRANA CASH BOOK

खाता संख्या - 8311552348

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 1792751

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 1792751

अन्तर राशि शून्य

16- BSUP-I CASH BOOK

कोटक महिन्द्रा बैंक खाता संख्या - 67111146627

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = 452419.09

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 452419.09

अन्तर राशि शून्य

17- BSUP-I CASH BOOK

आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या - 675401420259

31 मार्च, 2018 को रोकड़ बुक के अनुसार बैंक शेष = शून्य

8 Rk 11 17 129 16

21

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = शून्य
अन्तर राशि शून्य

अंकेक्षण टिप्पणी -

उक्त कैश बुक दिनांक 11.07.2016 तक संधारित है तथा उक्त दिनांक को कैश बुक में अवशेष बैंक शेष राशि रु 22,33,023.67/- को खाता संख्या 518 में स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसकी जाँच दल द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। अतः उक्त खाते का शेष शून्य है।

18- BSUP-II CASH BOOK

खाता संख्या -027300200000192

31 मार्च, 2018 को रोकड बुक के अनुसार बैंक शेष = 645939.56
31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 645939.56
अन्तर राशि शून्य

19- राजीव आवास योजना CASH BOOK

कोटक महिन्द्रा बैंक खाता संख्या -2411232483

31 मार्च, 2018 को रोकड बुक के अनुसार बैंक शेष = 178593.56
31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष = 178593.56
अन्तर राशि शून्य

8 Rk. 11 13 13

22

20- पेंशन रोकड

आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या — 675401700529

31 मार्च, 2018 को रोकड बुक के अनुसार बैंक शेष = 1777284
31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार शेष = 2621605
अन्तर राशि (—) 844321

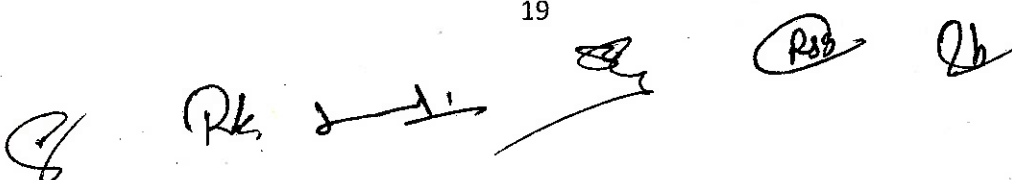
जोडिये

1. चैक जारी किये गये किन्तु बैंक में 31.03.2018 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये :-

चैक नं०	दिनांक	राशि
84331	28.03.2018	758497
84332	28.03.2018	<u>4967283=5725780</u>

2. बैंक स्टेटमेन्ट में क्रेडिट की गई प्रविष्टि जो कैश बुक में दर्ज नहीं है

दिनांक	विवरण	राशि
30.11.2016	स्थानान्तरित	60,00,000
29.06.2016	ब्याज	21784
26.09.2016	ब्याज	54371
30.12.2016	ब्याज	39654



23

31.03.2017	ब्याज	78943
03.10.2017		8142
01.11.2017		10487
01.11.2017		8246
07.11.2017		456
07.11.2017		312
01.12.2017		8246
29.12.2017		8246
01.02.2018		8246 = 6247133 ✓

3. प्रारम्भिक शेष Carried Forward कम किया गया

दिनांक	कैश बुक पृष्ठ संख्या	राशि
31.03.2016	55	9,000 = 9000 ✓

3. कैश बुक में दर्ज चैक की राशि से बैंक द्वारा कम भुगतान किया गया

दिनांक	चैक संख्या	राशि
30.12.2016	84238	(573567-573507) 60
30.08.2017	84297	(756340-725286) 31054
29.09.2017	84303	(756140-725086) 31054
		62168
		योग 11199760

घटाईये

1. कैश बुक में दर्ज चैक की राशि से बैंक में अधिक भुगतान किया गया

दिनांक	चैक नं०	राशि
29.07.2016	99961	(526664-52664) 474000
30.06.2016	99958	(526664-525664) 1000

8 RK. ASG [Signature] [Signature] [Signature]

24

475000

2. बैंक स्टेटमेन्ट में डेबिट किन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं

दिनांक	चैक नं०	राशि	
26.02.2018	स्थानान्तरित	5000000	
21.10.2017		15160	
21.10.2017		15160	
30.11.2017		15894	
30.11.2017		15894	
27.12.2017		24946	
09.01.2018		10488	= 5097542

3. ऑपनिंग शेष अधिक B/F किया गया

दिनांक			
16.05.2017	पेज नं० 74	5327218	
29.06.2017	पेज नं० 76	300000	5627218
	अन्तर राशि	शून्य	

21- निर्माण रोकड

आईसीआईसीआई खाता संख्या 675401700518

31 मार्च, 2018 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष	79261510.30
31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक शेष	82246370.30
अन्तर राशि (-)	2984860

जोडिये

1. चैक जारी किये गये किन्तु 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये (प्ररिशिष्ट-1) 3004439
2. बैंक स्टेटमेन्ट में क्रेडिट की गई प्रविष्टि किन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं (प्ररिशिष्ट-2) 500543

520122

घटाईये

8
RA

21

RA

25

1. बैंक स्टेटमेंट में डेबिट की गई प्रविष्टि
जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं (प्ररिशिष्ट-3)

520122

शून्य

प्ररिशिष्ट-1

1. चैक जारी किये गये किन्तु 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये

क्र.सं.	दिनांक	चैक नं०	राशि
1	19.02.2018	013329	208462.00
2	19.02.2018	013341	179417.00
3	26.02.2018	013374	345710.00
4	08.03.2018	013415	21904.00
5	22.03.2018	013466	181460.00
6	27.03.2018	013478	394073.00
7	27.03.2018	013479	15694.00
8	27.03.2018	013483	15785.00
9	28.03.2018	013485	455180.00
10	28.03.2018	013486	387415.00
11	28.03.2018	013486	100268.00
12	28.03.2018	013487	248625.00
13	28.03.2018	013487	221420.00
14	28.03.2018	013488	8439.00
15	28.03.2018	013488	30629.00
16	28.03.2018	013488	10455.00
17	28.03.2018	013488	8503.00
18	28.03.2018	013488	30629.00
19	28.03.2018	013488	10771.00
20	28.03.2018	013489	50000.00
21	28.03.2018	013490	1021.00
22	28.03.2018	013491	3164.00
23	28.03.2018	013492	24944.00
24	28.03.2018	013493	15473.00
25	28.03.2018	013494	753.00
26	28.03.2018	013495	8079.00
27	28.03.2018	013496	8275.00
28	28.03.2018	013497	7637.00

8 RK [Signature] [Signature] [Signature]

26

29	28.03.2018	013498	10252.00
कुल			3004437.00

परिशिष्ट-2

बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट की गई प्रविष्टिकिन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं

दिनांक	विवरण	राशि
28.04.2017	सांसद कोटा 06.04.2018	5,00,000
05.03.2018	कैश बुक 13.04.2018	543
	योग	500543

परिशिष्ट -3

बैंक स्टेटमेंट में डेबिट की गई प्रविष्टि जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं

दिनांक	विवरण	राशि
		5,00,000
17.11.2016		20122
	योग	520122

22- सामान्य रोकड

आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 675401700517

31 मार्च, 2018 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष	96062630.04
31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार शेष	98616970.04
अन्तर राशि	2554340.00

जोडिये

1. चैक जारी किये गये किन्तु 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये (परिशिष्ट-1)	2554340.00
अन्तर राशि	शून्य

परिशिष्ट-1

चैक जारी किये गये किन्तु 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	चैक नं०	राशि
1	03.01.2018	SD-JDA EMPLOYEE B & SSS SAVING	20798	672370
2	02.02.2018	SD-JDA EMPLOYEE B & SSS SAVING	21127	671180

Rk. [Signature]

3	08.02.2018	SD-C.P.F. (J.V.V.N.L.)	21179	8094
4	16.02.2018	OFFICE MAINT. OTHER OFFICE EXPENDITURE	21244	1206
5	20.02.2018	ELECTRICITY & WATER EXPENSES	21273	1825
6	20.02.2018	ELECTRICITY & WATER EXPENSES	21274	1102
7	23.02.2018	PENSION CONTRIBUTION	21314	45686
8	06.03.2018	SD GPF (UIT BHIWARA)	21390	124700
9	08.03.2018	COMPENSATION OF STRUC. CHEQUES IN HAND	21401	54485
10	13.03.2018	SD- C.P.F. (A.V.V.N.L)	21440	8094
11	13.03.2018	SD CPF (RRBSS)	21444	9181
12	15.03.2018	PATRKAR FUND DEDUCTIONS	21493	46810
13	15.03.2018	55-RIGHT TO INFORMATION	21494	15000
14	15.03.2018	ELECTRICITY & WATER EXPENSES	21509	1103
15	15.03.2018	SD-RTI PENALTY	21510	6250
16	16.03.2018	TELEPHONE EXPENSES	21526	1991
17	23.03.2018	COMPENSATION	21570	31214
18	23.03.2018	ELECTRICITY & WATER EXPENSES	21589	605855
19	26.03.2018	ELECTRICITY & WATER EXPENSES	21610	1830
20	26.03.2018	ELECTRICITY & WATER EXPENSES	21611	301
21	27.03.2018	PENSION CONTRIBUTION	21620	2058
22	28.03.2018	SALARY, WAGES & ALLOWANCES	21634	244005
कुल				2554340.00

23- सामान्य रोकड

आईसीआईसीआई खाता संख्या 1000038 (चालू खाता)

31 मार्च, 2018 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष (-) 80327006.44
 31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक शेष 596.00
 अन्तर राशि (-) 80327602.44

जोडिये

1. चैक जारी किये गये किन्तु 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये (प्ररिशिष्ट-1) 118871677.49
2. बैंक स्टेटमेन्ट में क्रेडिट की गई प्रविष्टि

Rk [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

किन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं (प्ररिशिष्ट-2)

749747.00

3. कैश बुक और बैंक स्टेटमेन्ट में

01.04.2000 को प्रारम्भिक शेष में अन्तर

12135441.46

131756865.95

घटाइये

1. बैंक स्टेटमेन्ट में डेबिट की गई प्रविष्टि

जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं (प्ररिशिष्ट-3)

43212317.66

2. कैश बुक में जमा राशि किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट में दर्ज नहीं है (प्ररिशिष्ट-4)

8488174.00

3. कैश बुक और बैंक स्टेटमेन्ट में अन्तर राशि (प्ररिशिष्ट-5)

(271228.15)

अन्तर राशि शून्य

(-)

1. चैक जारी किये गये किन्तु 31.03.2018 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये			
Date	Cheque	Amount	head as per cash book
4/22/2000	235331	1166.00	
4/22/2000	235333	5829.00	
4/22/2000	CC	1166.00	
4/22/2000	235349	10897.26	
4/22/2000	235350	2759.71	
4/27/2000	236417	987.00	
5/2/2000	236474	13000.00	
5/6/2000	236548	7206.50	
5/6/2000	236549	7182.30	
6/14/2000	236984	5000.00	
7/5/2000	237244	461.00	
7/5/2000	237276	4924.00	
7/24/2000	239519	6560.00	
7/24/2000	239552	6560.00	
7/26/2000	239582	29182.00	
8/11/2000	239895	1370.00	
8/26/2000	239694	25000.00	
9/6/2000	ENTRY DT. 30-08-06 CBC	866439.00	
9/6/2000	240006	232082.00	

Rk. G. 189 24 14 14

29

9/6/2000	240007	232082.00	
9/6/2000	240008	232083.00	
9/11/2000	240066	4941.00	
9/21/2000	240171	500.00	
9/21/2000	240172	1079.00	
9/22/2000	240189	6560.00	
10/19/2000	242402	1048.00	
10/23/2000	242449	400.00	
10/24/2000	PRN.ADV.PAID	12187.50	
11/6/2000	242743	1500.00	
11/13/2000	242849	13800.00	
11/13/2000	242931	6725.00	
11/16/2000	242940	81.00	
11/27/2000	243021	1342.00	
11/29/2000	243033	430.00	
12/4/2000	243107	25000.00	
12/5/2000	243113	4274.00	
12/6/2000	243119	117365.00	
12/6/2000	243132	10000.00	
12/11/2000	243293	3550.00	
12/18/2000	243371	20000.00	
12/20/2000	243385	510.00	
1/4/2001	242598	6560.00	
1/11/2001	242668	470.00	
1/11/2001	242669	330.00	
1/11/2001	242673	2100.00	
2/7/2001	242673	2295000.00	
2/15/2001	245865	1085.00	
2/26/2001	245924	7100.00	
3/1/2001	245962	10764.00	
3/7/2001	246030	9734356.00	
3/21/2001	246249	6553.00	
3/27/2001	T.D	360.00	
5/7/2001	247816	41140.00	
5/18/2001	247967	2520.00	
5/21/2001	248012	16000.00	
6/4/2001	248171	17551.00	
6/12/2001	248256	633.00	
6/12/2001	248267	6950.00	
6/12/2001	248268	14696.00	
6/12/2001	248269	4750.00	
6/12/2001	248271	4750.00	

Rk. 8 089 3 12 14

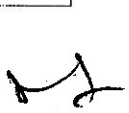
30

6/12/2001	248272	4750.00
6/12/2001	248274	6950.00
6/15/2001	248319	20000.00
6/16/2001	250443	2864.00
7/5/2001	250618	7025.00
7/5/2001	250632	7025.00
7/5/2001	250686	1250.00
7/5/2001	250688	1250.00
7/5/2001	250692	1250.00
7/5/2001	250696	1250.00
7/5/2001	250701	1124.00
7/5/2001	250712	76.00
7/13/2001	250825	5318.00
7/13/2001	250837	218.00
7/23/2001	250902	5044.00
7/23/2001	250904	701.00
8/9/2001	251168	5.00
8/9/2001	251178	9500.00
8/9/2001	251185	4.00
8/9/2001	251186	2.00
8/9/2001	251187	9.00
8/9/2001	251188	363.00
8/9/2001	251190	20.00
8/9/2001	251193	1044.00
8/9/2001	251196	5589.00
8/9/2001	251198	7.00
8/9/2001	251199	418.00
8/20/2001	251291	1259.00
8/20/2001	251298	1648.00
8/20/2001	251299	468.00
8/28/2001	251339	2250.00
8/28/2001	251342	2250.00
8/30/2001	253084	1305.00
9/4/2001	253164	2398.00
9/13/2001	253279	1501.00
9/18/2001	253337	500.00
9/18/2001	253340	2000.00
9/21/2001	253359	630.20
10/9/2001	252619	69.00
10/11/2001	252666	626.00
10/16/2001	252698	2500.00
10/20/2001	252766	1570.00

RK G P89 22 ns 22

(31)

11/12/2001	252944	10910.00	
11/23/2001	254436	1000.00	
12/6/2001	254637	2250.00	
12/6/2001	254643	2250.00	
12/10/2001	254696	1584.00	
12/14/2001	254732	690.00	
1/5/2002	254971	10000.00	
1/7/2002	255004	10211.00	
1/7/2002	255010	4750.00	
1/7/2002	255011	4750.00	
1/7/2002	255013	9797.00	
1/7/2002	255014	9911.00	
1/8/2002	255033	14547.00	
1/10/2002	255051	18551.00	
1/10/2002	255171	4750.00	
3/4/2002	255171	102134.00	
3/13/2002	256686	11000.00	
3/15/2002	256702	39461.00	
3/18/2002	256741	649.00	
3/18/2002	256742	4094.00	
3/18/2002	256760	9924.00	
3/26/2002	256863	1316.00	
3/26/2002	256867	19000.00	
3/26/2002	256868	19000.00	
4/12/2002	257114	1620.00	
5/20/2002	259588	900.00	
5/23/2002	259668	4537.00	
5/31/2002	259711	210.00	
5/31/2002	259737	3650.00	
5/31/2002	259800	11070.00	
6/1/2002	259851	1225.00	
6/1/2002	259865	1346.00	
6/1/2002	259866	1346.00	
6/17/2002	260031	200.00	
6/17/2002	260033	1008.00	
6/17/2002	260051	1100.00	
6/17/2002	260064	857.00	
6/19/2002	260091	608.00	
6/19/2002	PRN	6867.00	
6/21/2002	260120	44530.00	
6/25/2002	260167	967.00	
7/8/2002	262104	7437.00	

Rk    

32

7/11/2002	262148	1750.00	
7/18/2002	262212	1931.00	
7/25/2002	262269	4523.00	
7/26/2002	262303	1972.00	
8/8/2002	261483	519.00	
8/8/2002	261511	195.00	
8/8/2002	261529	3639.00	
8/23/2002	261628	4750.00	
8/23/2002	261629	4750.00	
8/26/2002	261655	1912.00	
8/26/2002	261683	460.00	
8/30/2002	261797	11335.00	
9/4/2002	261857	5000.00	
9/5/2002	261873	1278.00	
9/7/2002	261894	16560.00	
9/7/2002	261918	452.00	
9/7/2002	261910	1143.00	
9/18/2002	262034	469.00	
9/18/2002	262040	2142.00	
9/18/2002	262062	790.00	
9/18/2002	262067	1378.00	
9/25/2002	263451	856.00	
9/25/2002	263454	361.00	
9/27/2002	263478	1520.00	
10/8/2002	263608	3450.00	
10/16/2002	263650	250.00	
10/16/2002	263651	1628.00	
10/18/2002	263729	1383.00	
10/18/2002	263734	482.00	
10/18/2002	263738	3279.00	
10/31/2002	263913	11750.00	
10/31/2002	263917	3372.00	
11/14/2002	264163	1750.00	
11/14/2002	264165	1000.00	
11/18/2002	264192	11000.00	
11/20/2002	264247	1920.00	
12/3/2002	265421	5380.00	
12/5/2002	265471	14051.00	
12/7/2002	265485	1950.00	
12/9/2002	265495	10000.00	
12/12/2002	265543	6730.00	
12/12/2002	265551	23984.00	

Rk. S. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

33

12/19/2002	265600	40000000.00
12/21/2002	265630	959.00
12/21/2002	265638	725.00
12/28/2002	265717	9186.00
1/3/2003	265884	330.00
1/7/2003	265910	450.00
1/7/2003	265917	1600.00
1/20/2003	266277	14127.00
1/21/2003	266316	1108.00
1/21/2003	266318	14127.00
1/27/2003	266385	3500.00
1/28/2003	266400	10000.00
1/28/2003	267407	1280.00
1/29/2003	267425	30.00
1/29/2003	267428	39.00
1/29/2003	267447	10000.00
1/29/2003	267529	10000.00
1/29/2003	267567	10000.00
1/30/2003	267606	600.00
2/5/2003	267690	7083.00
2/5/2003	267694	7083.00
2/5/2003	267696	28330.00
2/5/2003	267697	14165.00
2/5/2003	267698	7083.00
2/5/2003	267812	454.00
2/10/2003	267718	23.00
2/10/2003	267723	23.00
2/10/2003	267724	23.00
2/10/2003	267732	23.00
2/10/2003	267744	23.00
2/10/2003	267746	23.00
2/10/2003	267755	23.00
2/10/2003	267758	23.00
2/10/2003	267760	23.00
2/10/2003	267762	23.00
2/10/2003	267766	53.00
2/10/2003	267772	53.00
2/10/2003	267779	53.00
2/10/2003	267782	53.00
2/10/2003	267784	53.00
2/10/2003	267789	53.00
2/10/2003	267792	53.00

Rh     

34

2/10/2003	267870	150.00	
2/10/2003	267882	113.00	
2/10/2003	267890	1032.00	
2/10/2003	267920	53.00	
2/10/2003	267922	53.00	
2/10/2003	267323	53.00	
2/10/2003	267955	113.00	
2/10/2003	267977	113.00	
2/10/2003	267983	113.00	
2/10/2003	267988	113.00	
2/19/2003	268841	600.00	
2/21/2003	268031	5000.00	
2/21/2003	268054	5000.00	
2/21/2003	268110	5000.00	
2/21/2003	268100	5000.00	
2/21/2003	268185	5000.00	
2/21/2003	268213	5000.00	
2/21/2003	268230	5000.00	
2/21/2003	268233	5000.00	
2/21/2003	268236	5000.00	
2/21/2003	268246	5000.00	
2/21/2003	268247	5000.00	
2/21/2003	268250	5000.00	
2/21/2003	268257	5000.00	
2/21/2003	268270	5000.00	
2/21/2003	268275	5000.00	
2/21/2003	268284	5000.00	
2/21/2003	268291	5000.00	
2/21/2003	268319	5000.00	
2/21/2003	268474	5000.00	
2/21/2003	268477	5000.00	
2/21/2003	268962	5000.00	
2/21/2003	268970	5000.00	
2/21/2003	268980	5000.00	
2/21/2003	269000	5000.00	
2/24/2003	269420	440.00	
2/25/2003	268506	5000.00	
2/25/2003	268541	5000.00	
2/25/2003	268657	5000.00	
2/25/2003	268669	5000.00	
2/25/2003	268677	5000.00	
2/25/2003	268731	5000.00	

8 Rk. 089 32 nd 00

35

2/25/2003	268754	5000.00	
2/25/2003	268775	5000.00	
2/25/2003	268797	5000.00	
2/25/2003	269056	5000.00	
2/25/2003	269057	5000.00	
2/25/2003	269090	5000.00	
2/25/2003	269122	5000.00	
2/25/2003	269152	5000.00	
2/25/2003	269172	5000.00	
2/25/2003	269173	5000.00	
2/25/2003	269177	5000.00	
2/25/2003	269189	5000.00	
2/25/2003	269224	5000.00	
2/25/2003	269228	5000.00	
2/25/2003	269229	5000.00	
2/25/2003	269300	5000.00	
2/25/2003	269301	5000.00	
2/25/2003	269305	5000.00	
2/25/2003	269306	5000.00	
2/25/2003	269318	5000.00	
2/27/2003	269466	10000.00	
3/5/2003	269557	12600.00	
3/6/2003	269578	1032.00	
3/7/2003	269703	1142.00	
3/7/2003	269707	5000.00	
3/12/2003	269739	2100000.00	
3/21/2003	269808	548.00	
3/21/2003	269809	1600.00	
3/26/2003	269903	1932.00	
3/26/2003	269911	300.00	
3/28/2003	269945	250.00	
3/29/2003	269975	1521.00	
3/29/2003	269978	1318.00	
3/29/2003	269982	1041.00	
3/31/2004	270066	14297.00	
3/31/2004	270063	14297.00	
3/31/2004	270067	7144.00	
3/31/2004	270068	14297.00	
3/31/2004	270070	7144.00	
3/31/2004	270071	14297.00	
3/31/2004	270072	14297.00	
3/31/2004	270073	14297.00	

Rt. 8   



36

3/31/2004	270076	1435.00
3/31/2004	270075	14297.00
3/31/2004	270077	14297.00
3/31/2004	270078	14297.00
3/31/2004	270079	28594.00
3/31/2004	270081	1435.00
3/31/2004	270082	14297.00
3/31/2004	270083	1435.00
3/31/2004	270085	14297.00
3/31/2004	270086	14297.00
3/31/2004	270087	14297.00
3/31/2004	270088	7144.00
3/31/2004	270117	5000.00
3/31/2004	270196	2496.00
3/31/2004	270208	5000.00
3/31/2004	270225	5000.00
3/31/2004	270260	21103.00
3/31/2004	270290	15450.00
3/31/2004	271430	18988.00
3/31/2004	271436	100.00
3/31/2004	271462	30191.00
3/31/2004	271493-	1000.00
3/31/2004	271562	1741.00
3/31/2004	271585	59210.00
3/31/2004	271614	4750.00
3/31/2004	271617	2853.00
3/31/2004	271735	1252.00
3/31/2004	271751	1500.00
3/31/2004	271815	25000.00
3/31/2004	271819	2000.00
3/31/2004	271820	2000.00
3/31/2004	271916	5000.00
3/31/2004	272107	1078.00
3/31/2004	272319	5000.00
3/31/2004	272338	450.00
3/31/2004	800355	23690.00
3/31/2004	800482	5000.00
3/31/2004	800483	5000.00
3/31/2004	800488	5000.00
3/31/2004	800489	5000.00
3/31/2004	800524	4250.00
3/31/2004	800549	2019.00

8 R. (R) 37 20

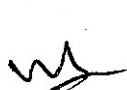
37

3/31/2004	800562	1350.00	
3/31/2004	800624	1433.00	
3/31/2004	800646	120.00	
3/31/2004	800720	104.00	
3/31/2004	800736	307.00	
3/31/2004	800975	6777274.00	
3/31/2004	801018	1470.00	
3/31/2004	801025	1508.00	
3/31/2004	801028	1548.00	
3/31/2004	801029	1604.00	
3/31/2004	801030	1555.00	
3/31/2004	801067	1120.00	
3/31/2004	801127	12530.00	
3/31/2004	801170	225.00	
3/31/2004	801397	12183.00	
3/31/2004	801435	504.00	
3/31/2004	801451	9500.00	
3/31/2004	801522	2400.00	
3/31/2004	801637	5138.00	
3/31/2004	801648	313.00	
3/31/2004	801649	88.00	
3/31/2004	801660	185352.00	
3/31/2004	801735	882.00	
3/31/2004	801922	4400.00	
3/31/2004	801960	5000.00	
3/31/2004	801964	5400.00	
3/31/2004	801974	320597.00	
3/31/2004	801983	700.00	
3/31/2004	801989	928.00	
3/31/2004	802033	150.00	
3/31/2004	802048	1392.00	
3/31/2004	802159	3300.00	
3/31/2004	802160	550.00	
3/31/2004	802162	632.00	
3/31/2004	802176	1825.00	
3/31/2004	802324	10000.00	
3/31/2004	802338	5000.00	
3/31/2004	802390	12464.00	
3/31/2004	802443	3264.00	
3/31/2004	802533	1900.00	
3/31/2004	802579	90.00	
3/31/2004	802686	5587.00	

8 Rk [Signature] 27 [Signature]

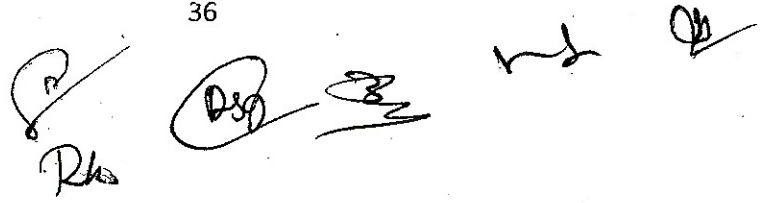
38

3/31/2004	803161	880.00	
3/31/2004	803234	353600.00	
3/31/2004	803236	336336.00	
3/31/2004	803257	1200.00	
3/31/2004	805351	250.00	
3/31/2004	805353	90.00	
3/31/2004	805378	4959.00	
3/31/2004	805381	2250.00	
3/31/2004	805411	1548.00	
3/31/2004	805598	979.00	
3/31/2004	805848	13869.00	
3/31/2004	805869	5000.00	
3/31/2004	805979	1000.00	
3/31/2004	806051	23.00	
3/31/2004	Reg. Ch.	4092.00	
4/19/2004	806350	350.00	
4/19/2004	807356	1574.00	
4/21/2004	807392	1040.00	
5/11/2004	807542	43575.00	
5/11/2004	807596	981.00	
5/11/2004	807773	2500.00	
5/11/2004	807782	185.00	
5/27/2004	807922	2200.00	
6/1/2004	808146	5000.00	
6/4/2004	808148	5000.00	
6/4/2004	808318	925.00	
6/4/2004	808321	282.00	
6/4/2004	809363	10000.00	
6/4/2004	809384	27825.00	
6/4/2004	809397	18550.00	
6/4/2004	809406	18550.00	
6/17/2004	809484	37100.00	
6/17/2004	809595	1650.00	
6/30/2004	809637	308.00	
7/5/2004	809882	410.00	
7/9/2004	809884	125.00	
7/17/2004	809898	1763.00	
7/23/2004	CD 1001675 PRN	100000.00	
7/24/2004	809906	10089.00	
7/28/2004	809946	360.00	
7/31/2004	809998	930.00	
8/7/2004	813774	2500.00	

8 Rk.    

39

8/7/2004	813782	7836.00	
8/7/2004	813842	1500.00	
8/16/2004	810079	33050.00	
8/16/2004	81107	356.00	
8/16/2004	810109	8263.00	
8/16/2004	812669	500.00	
8/16/2004	812670	500.00	
8/16/2004	812671	500.00	
8/16/2004	812672	500.00	
8/16/2004	812673	500.00	
8/16/2004	812674	500.00	
8/16/2004	812675	500.00	
8/16/2004	812676	500.00	
8/16/2004	812677	500.00	
8/16/2004	812678	500.00	
8/16/2004	812679	500.00	
8/16/2004	812680	500.00	
8/16/2004	812680	500.00	
8/16/2004	812681	500.00	
8/16/2004	812682	500.00	
8/16/2004	812683	500.00	
8/16/2004	812684	500.00	
8/16/2004	812685	500.00	
8/16/2004	812686	500.00	
8/16/2004	812687	500.00	
8/16/2004	812688	500.00	
8/16/2004	812689+	500.00	
8/16/2004	812690	500.00	
8/16/2004	812691	500.00	
8/16/2004	812692	500.00	
8/16/2004	812693	500.00	
8/16/2004	812694	500.00	
8/16/2004	812695	500.00	
8/16/2004	812696	500.00	
8/16/2004	812697	500.00	
8/16/2004	812698	500.00	
8/16/2004	812699	500.00	
8/16/2004	812700	500.00	
8/16/2004	812701	500.00	
8/16/2004	812702	500.00	
8/16/2004	812703	500.00	
8/16/2004	812704	500.00	



40

8/16/2004	812705	500.00	
8/16/2004	812706	500.00	
8/16/2004	812707	500.00	
8/16/2004	812708	500.00	
8/16/2004	812709	500.00	
8/16/2004	812710	500.00	
8/16/2004	812711	500.00	
8/16/2004	812712	500.00	
8/16/2004	812713	500.00	
8/16/2004	812714	500.00	
8/16/2004	812715	500.00	
8/16/2004	812716	500.00	
8/16/2004	812717	500.00	
8/16/2004	812718	500.00	
8/16/2004	812719	500.00	
8/16/2004	812720	500.00	
8/16/2004	812721	500.00	
8/16/2004	812722	500.00	
8/16/2004	812723	500.00	
8/16/2004	812724	500.00	
8/16/2004	812725	500.00	
8/16/2004	812726	500.00	
8/16/2004	812727	500.00	
8/16/2004	812729	500.00	
8/16/2004	812730	500.00	
8/16/2004	812731	500.00	
8/16/2004	812732	500.00	
8/16/2004	812733	500.00	
8/16/2004	812734	500.00	
8/16/2004	812735	500.00	
8/16/2004	812736	500.00	
8/16/2004	812737	500.00	
8/16/2004	812738	500.00	
8/16/2004	812739	500.00	
8/16/2004	812740	500.00	
8/16/2004	812741	500.00	
8/16/2004	812742	500.00	
8/16/2004	812743	500.00	
8/16/2004	812744	500.00	
8/16/2004	812745	500.00	
8/16/2004	812746	500.00	
8/16/2004	812747	500.00	

[Handwritten signatures and initials]

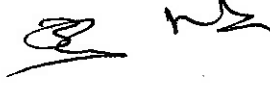
41

8/16/2004	812748	500.00	
8/16/2004	812749	500.00	
8/16/2004	812750	500.00	
8/16/2004	812751	500.00	
8/16/2004	812752	500.00	
8/16/2004	812753	500.00	
8/16/2004	812754	500.00	
8/16/2004	812755	500.00	
8/16/2004	812756	500.00	
8/16/2004	812757	500.00	
8/16/2004	812758	500.00	
8/16/2004	812759	500.00	
8/16/2004	812760	500.00	
8/16/2004	812761	500.00	
8/16/2004	812762	500.00	
8/16/2004	812763	500.00	
8/16/2004	812764	500.00	
8/16/2004	812765	500.00	
8/16/2004	812766	500.00	
8/16/2004	812767	500.00	
8/16/2004	812768	500.00	
8/16/2004	812769	500.00	
8/16/2004	812770	500.00	
8/16/2004	812771	500.00	
8/16/2004	812772	500.00	
8/16/2004	812773	500.00	
8/16/2004	812774	500.00	
8/16/2004	812775	500.00	
8/16/2004	812776	500.00	
8/16/2004	812777	500.00	
8/16/2004	812778	500.00	
8/16/2004	812779	500.00	
8/16/2004	812780	500.00	
8/16/2004	812781	500.00	
8/16/2004	812782	500.00	
8/16/2004	812783	500.00	
8/16/2004	812784	500.00	
8/16/2004	812785	500.00	
8/16/2004	812786	500.00	
8/16/2004	812787	500.00	
8/16/2004	812788	500.00	
8/16/2004	812789	500.00	

8 Dk B89 2 1 2

42

8/16/2004	812790	500.00	
8/16/2004	812791	500.00	
8/16/2004	812792	500.00	
8/16/2004	812793	500.00	
8/16/2004	812794	500.00	
8/16/2004	812795	500.00	
8/16/2004	812796	500.00	
8/16/2004	812797	500.00	
8/16/2004	812798	500.00	
8/16/2004	812799	500.00	
8/16/2004	812800	500.00	
8/16/2004	812801	500.00	
8/16/2004	812813	500.00	
8/16/2004	812814	500.00	
8/16/2004	812815	500.00	
8/16/2004	812816	500.00	
8/16/2004	812817	500.00	
8/16/2004	812818	500.00	
8/16/2004	812819	500.00	
8/16/2004	812820	500.00	
8/16/2004	812821	500.00	
8/16/2004	812822	500.00	
8/16/2004	812823	500.00	
8/16/2004	812824	500.00	
8/16/2004	812825	500.00	
8/16/2004	812826	500.00	
8/16/2004	812827	500.00	
8/16/2004	812828	500.00	
8/16/2004	812829	500.00	
8/16/2004	812830	500.00	
8/16/2004	812831	500.00	
8/16/2004	812832	500.00	
8/16/2004	812833	500.00	
8/16/2004	812834	500.00	
8/16/2004	812835	500.00	
8/16/2004	812836	500.00	
8/16/2004	812837	500.00	
8/16/2004	812838	500.00	
8/16/2004	812839	500.00	
8/16/2004	812840	500.00	
8/16/2004	812841	500.00	
8/16/2004	812842	500.00	

Rk 8   

43

8/16/2004	812843	500.00	
8/16/2004	812844	500.00	
8/16/2004	812845	500.00	
8/16/2004	812846	500.00	
8/16/2004	812847	500.00	
8/16/2004	812848	500.00	
8/16/2004	812849	500.00	
8/16/2004	812850	500.00	
8/16/2004	813844	7000.00	
8/16/2004	813852	635.00	
8/16/2004	813862	4401.00	
8/16/2004	813951	500.00	
8/16/2004	813952	500.00	
8/16/2004	813953	500.00	
8/16/2004	813954	500.00	
8/16/2004	813955	500.00	
8/16/2004	813956	500.00	
8/16/2004	813957	500.00	
8/16/2004	813958	500.00	
8/16/2004	813959	500.00	
8/16/2004	813960	500.00	
8/16/2004	813961	500.00	
8/16/2004	813962	500.00	
8/16/2004	813963	500.00	
8/16/2004	813964	500.00	
8/16/2004	813965	500.00	
8/16/2004	813966	500.00	
8/16/2004	813967	500.00	
8/16/2004	813968	500.00	
8/16/2004	813969	500.00	
8/16/2004	813970	500.00	
8/16/2004	813971	500.00	
8/16/2004	813972	500.00	
8/16/2004	813973	500.00	
8/16/2004	813974	500.00	
8/16/2004	813975	500.00	
8/20/2004	NO DETAIL	1870000.00	
8/28/2004	813976	500.00	
9/4/2004	813977	500.00	
9/4/2004	813978	500.00	
9/10/2004	813979	500.00	
9/10/2004	814017	13860.00	

8 Rk. (B99) E W D

44

9/10/2004	CB PG.143	7556.00	
9/14/2004	276980	5000.00	
9/14/2004	814328	7599.00	
9/14/2004	814337	5000.00	
9/14/2004	814339	5000.00	
9/15/2004	276986	2204.00	
9/24/2004	277093	4172.00	
10/6/2004	277279	9499.50	
10/6/2004	277280	106578.00	
10/8/2004	277336	356720.00	
10/8/2004	277337	996450.00	
11/1/2004	257387	500.00	
11/10/2004	L/S/CFER	890.00	
11/11/2004	277354	30190.00	
11/18/2004	277397	4750.00	
11/18/2004	277396	4750.00	
11/25/2004	269621	541525.00	
11/30/2004	277904	9517.00	
12/2/2004	278011	452.00	
12/7/2004	278070	1105.00	
12/10/2004	278070	17192.00	
12/13/2004	278232	7700.00	
12/20/2004	278232	1258.00	
12/21/2004	278312	4750.00	
12/21/2004	278313	4750.00	
12/21/2004	278314	4750.00	
12/21/2004	278315	4750.00	
12/27/2004	269622	541525.00	
12/30/2004	278373	1432.00	
1/4/2005	313722	200.00	
1/6/2005	313732	4750.00	
1/6/2005	313733	4750.00	
1/6/2005	313734	4750.00	
1/7/2005	313778	54000.00	
1/25/2005	313943	5296.00	
1/27/2005	314043	10200.00	
1/28/2005	GPL	374371.00	
1/29/2005	Lot Ch.	4245.00	
1/29/2005	Reg.Ch.	4245.00	
1/29/2005	Reg.Ch.	7080.00	
1/29/2005	Stamp Lto	270.00	
1/29/2005	Prn Lot 2	7385.00	

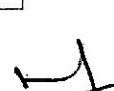
[Handwritten signatures and initials]

45

1/29/2005	Prn Lot297	2590.00
1/29/2005	Prn Lot 22-23	5705.00
2/3/2005	314181	8411.00
2/17/2005	314346	362652.00
2/17/2005	314348	10000.00
2/17/2005	314351	10000.00
2/17/2005	314352	10000.00
2/17/2005	314353	10000.00
2/17/2005	814347	5000.00
2/17/2005	814349	5000.00
2/17/2005	814350	5000.00
2/17/2005	876984	816.00
2/17/2005	193226	450.00
2/17/2005	193305	6600.00
2/17/2005	233251	8140.00
2/17/2005	234744	7850.00
2/17/2005	315337	0.57
2/17/2005	C.B.Pg.23	22500.00
2/17/2005	Prn Reg.	2640.00
2/17/2005	Reg.Fd	8172.00
2/17/2005	Reg.Ch.	1770.00
2/17/2005	Reg.Ch.	18156.00
2/17/2005	Reg.Fd	42036.00
2/17/2005	Prn Reg,	5000.00
2/24/2005	R 10	21500.00
2/24/2005	Reg.Ch.	6300.00
2/24/2005	Reg.Ch.	16932.00
2/24/2005	Prithvi Raj	14062.50
2/24/2005	229601	2000.00
2/24/2005	Reg.Ch.	1977.00
2/24/2005	Postage Prone	4526.00
2/24/2005	231330	1.00
2/24/2005	231744	0.70
2/24/2005	232167	800.00
2/24/2005	Dd Comm.	30100.50
2/24/2005	La Cost.	200.00
2/24/2005	Reg.Ch.	3588.00
2/24/2005	Prn.Ch	2012.50
2/24/2005	Prn Lot 31-32	1943.00
2/24/2005	Prn Lot 33	1820.00
2/24/2005	Prn Lot 2	1313.00
2/24/2005	234786	0.90








46

2/25/2005	314445	581.00	
2/25/2005	314456	2000.00	
2/26/2005	314467	1164.00	
2/28/2005	314554	5188.00	
3/3/2005	317612	3519.00	
3/4/2005	314554	1474.00	
3/5/2005	317671	2354.00	
3/6/2005	P.O COMM	84.00	
3/9/2005	317747	4200.00	
3/10/2005	223188	3275.00	
3/10/2005	235136	300.00	
3/10/2005	314838	0.10	
3/10/2005	Reg. Ch.	4515.00	
3/11/2005	CB PG 152	6372.00	
3/15/2005	317812	3043694.00	
3/15/2005	317813	5102663.00	
3/22/2005	317957	495.00	
3/23/2005	317994	3000.00	
3/24/2005	318018	9500.00	
3/30/2005	318054	32787.00	
4/6/2005	318054	9500.00	
4/11/2005	318249	147.00	
4/16/2005	NO DETAIL	436.00	
4/16/2005	318305	100000.00	
4/16/2005	318307	505000.00	
4/28/2005	318449	9500.00	
5/4/2005	280424	1125.00	
5/7/2005	280466	1152.00	
5/7/2005	280507	10000.00	
5/10/2005	280524	9500.00	
5/10/2005	280545	720.00	
5/19/2005	280584	79040.00	
5/19/2005	280585	3750.00	
5/31/2005	280782	88236.00	
5/31/2005	280777	13566.00	
6/1/2005	280890	5400.00	
6/1/2005	280893	2559.00	
6/6/2005	280987	26169.00	
6/13/2005	281057	59895.00	
6/16/2005	NO DETAIL	5682.00	
6/22/2005	281136	25555.00	
6/25/2005	281190	4226.00	

Rk 8 239 32 11 22

6/30/2005	281328	16273.00	
7/1/2005	281377	7770.00	
7/6/2005	284424	3597.00	
7/6/2005	TOTAL MISTAKE	10.00	
7/15/2005	284510	1390.00	
7/15/2005	284511	1618.00	
7/16/2005	284519	55.00	
7/23/2005	284519	1900.00	
7/23/2005	284565	83432.00	
8/9/2005	284830	3800.00	
8/17/2005	284890	204.00	
8/26/2005	285004	75.00	
8/26/2005	285009	1465.00	
9/5/2005	285258	50000.00	
9/8/2005	285307	477.00	
9/8/2005	285300	37282.00	
9/15/2005	282358	1944.00	
9/15/2005	315369	1871.00	
9/15/2005	318370	4264.00	
9/15/2005	321371	4264.00	
9/15/2005	324372	8527.00	
9/22/2005	319658	500.00	
9/26/2005	319688	525572.00	
9/27/2005	267701	263882.00	
9/27/2005	267702	37697.00	
9/27/2005	267703	37697.00	
9/27/2005	267704	37697.00	
9/27/2005	267705	37697.00	
9/27/2005	267706	37697.00	
9/27/2005	267707	37697.00	
9/27/2005	267708	37697.00	
9/27/2005	267709	844925.00	
9/27/2005	267710	12791.00	
9/27/2005	267711	4264.00	
9/27/2005	267712	3240.00	
9/27/2005	267713	2875.00	
9/27/2005	267714	264.00	
9/27/2005	267715	4320.00	
9/27/2005	267716	60.00	
9/27/2005	GPL	25770.00	
10/14/2005	320005	5000.00	
10/21/2005	320087	4225.00	

Rk. S. [Signature] [Signature] [Signature]

10/21/2005	320105	2250.00
10/21/2005	320107	4004.00
10/26/2005	320214	566.00
10/28/2005	320255	9500.00
11/5/2005	320456	1038.00
11/8/2005	320466	292.00
11/9/2005	320473	1030.00
11/9/2005	320474	250.00
11/9/2005	320482	500.00
11/9/2005	320490	2648.00
11/9/2005	320491	400.00
11/18/2005	320573	29298.00
11/22/2005	322674	7885.00
12/3/2005	323000	1562.00
12/6/2005	323000	149.00
12/6/2005	323067	944684.00
12/7/2005	323076	7020.00
12/19/2005	323222	250.00
12/19/2005	323223	75.00
12/20/2005	323266	18400.00
12/23/2005	323359	16376.00
12/23/2005	323369	1000.00
12/24/2005	323384	6000.00
12/27/2005	323409	3000.00
12/29/2005	323422	137.00
12/31/2005	323500	17738.00
12/31/2005	323578	13959.00
12/31/2005	323592	17213.00
1/3/2006	797399	469800.00
1/3/2006	TOTAL MISTAKE	100.00
1/6/2006	797496	5000.00
1/6/2006	797509	5000.00
1/6/2006	797513	5000.00
1/6/2006	797514	5000.00
1/6/2006	797515	5000.00
1/6/2006	797518	5000.00
1/6/2006	797519	5000.00
1/6/2006	797520	5000.00
1/6/2006	797522	5000.00
1/6/2006	797523	5000.00
1/6/2006	797527	5000.00
1/6/2006	797529	5000.00

Dk. 8

DS9

M 1 2b

49

1/13/2006	797613	2000.00	
1/17/2006	797803	250.00	
1/18/2006	797822	3789.00	
1/20/2006	797877	500000.00	
1/21/2006	797891	150.00	
1/21/2006	797892	910.00	
1/24/2006	797917	11000.00	
1/25/2006	797940	250.00	
1/27/2006	797967	100000.00	
1/27/2006	797966	18767.00	
1/28/2006	797994	1000.00	
1/30/2006	798017	30538.00	
1/31/2006	798017	17213.00	
1/31/2006	798209	250.00	
2/2/2006	798238	480.00	
2/4/2006	798259	100.00	
2/7/2006	798301	975.00	
2/7/2006	798304	75.00	
2/15/2006	770398	4562.00	
2/16/2006	770407	1324473.00	
2/21/2006	770452	4882.00	
2/23/2006	770478	1042.00	
2/25/2006	770527	18298.00	
2/25/2006	770528	363757.00	
2/27/2006	770579	4854985.00	
3/13/2006	770881	10000.00	
3/16/2006	770901	197.00	
3/20/2006	770958	884.00	
3/20/2006	770962	210.00	
3/20/2006	770966	535.00	
3/23/2006	771029	1046.00	
3/24/2006	771036	2077.00	
3/25/2006	771096	218806.00	
3/29/2006	771176	4227957.00	
4/4/2006	774355	8750.00	
4/4/2006	774362	215000.00	
4/4/2006	774363	215000.00	
4/26/2006	774366	1010.00	
4/26/2006	774369	3348.00	
5/1/2006	774913	6025.00	
5/2/2006	774966	4200.00	
5/10/2006	775107	2402.00	

[Handwritten signatures and initials]

50

5/11/2006	775131	1044.00
5/12/2006	775140	11009.00
5/15/2006	775150	322439.50
5/15/2006	775177	3240.00
5/17/2006	775203	194.00
5/22/2006	775267	500.00
5/22/2006	775268	1081.00
5/24/2006	775268	6679.00
5/27/2006	775339	5000.00
5/27/2006	775340	30000.00
5/27/2006	775345	30000.00
5/31/2006	778358	2500.00
6/2/2006	778571	4225.00
6/6/2006	778621	362.00
6/6/2006	778623	115.00
6/7/2006	778656	62535.00
6/7/2006	778749	7524.00
6/16/2006	778770	5177.00
6/17/2006	778788	388511.00
6/17/2006	778789	1087406.00
6/17/2006	778790	1087406.00
6/17/2006	778791	762596.00
6/17/2006	778792	315665.00
6/17/2006	778793	509920.00
6/20/2006	778793	746.00
6/20/2006	778831	2820.00
6/20/2006	778841	600.00
6/21/2006	778868	5610.00
6/21/2006	778871	1118.00
6/27/2006	778968	2500.00
6/30/2006	778997	2500.00
6/30/2006	779177	13196.00
7/4/2006	779177	160.00
7/14/2006	779308	344073.00
7/14/2006	779319	8967.00
7/19/2006	155031	1419.00
7/19/2006	155037	150.00
7/31/2006	155361	18140.00
7/31/2006	155447	14446.00
7/31/2006	155265	2500.00
8/3/2006	155494	20000.00
8/3/2006	155498	2382.00

8/2/2006 779177 160.00 344073.00 8967.00 1419.00 150.00 18140.00 14446.00 2500.00 20000.00 2382.00

51

8/4/2006	155507	22019.00	
8/5/2006	155515	501.00	
8/5/2006	155529	35082.00	
8/10/2006	155578	41344.00	
8/10/2006	155587	3643.00	
8/14/2006	155633	30.00	
8/14/2006	155635	1100.00	
8/14/2006	155636	1100.00	
8/17/2006	155647	2250.00	
8/17/2006	155643	8668.00	
8/25/2006	155803	1517.00	
8/25/2006	155805	9201.00	
8/25/2006	155806	191.00	
8/29/2006	155868	2850.00	
8/29/2006	155916	2500.00	
9/4/2006	814320	380.00	
9/4/2006	814325	1095.00	
9/22/2006	844659	23547.00	
9/27/2006	844741	2006.00	
9/27/2006	844746	4987716.00	
9/29/2006	844940	18246.00	
9/29/2006	844876	21689.00	
10/4/2006	844962	562.00	
10/17/2006	845218	2604493.00	
10/18/2006	845231	645220.00	
10/18/2006	845232	13655.00	
10/31/2006	847000	16097.00	
10/31/2006	847099	75.00	
11/9/2006	905049	263394.00	
11/15/2006	905140	250.00	
11/17/2006	905159	17533.00	
11/17/2006	905163	9500.00	
11/20/2006	905196	812.00	
11/20/2006	905202	610.00	
11/22/2006	905236	398.00	
11/24/2006	905289	27643.00	
11/25/2006	905338	142.00	
11/29/2006	905403	5378.00	
11/29/2006	905422	130237.00	
11/29/2006	905423	14793.00	
11/29/2006	905424	10414.00	
11/29/2006	905425	10414.00	

[Handwritten signatures and initials]

52

11/29/2006	905426	57036.00	
11/29/2006	905427	124214.00	
11/29/2006	905428	14109.00	
11/29/2006	905431	11865.00	
11/30/2006	905548	16142.00	
11/30/2006	905442	2500.00	
12/1/2006	905660	2500.00	
12/12/2006	905815	3500.00	
12/12/2006	905839	4752000.00	
12/15/2006	905886	1100.00	
12/22/2006	909000	5000.00	
12/22/2006	909001	5000.00	
12/22/2006	909011	5000.00	
12/22/2006	909013	5000.00	
12/22/2006	909015	5000.00	
12/22/2006	909016	5000.00	
12/22/2006	909017	5000.00	
12/22/2006	909019	5000.00	
12/22/2006	909022	5000.00	
12/22/2006	909023	5000.00	
12/22/2006	909027	5000.00	
12/22/2006	909032	5000.00	
12/22/2006	909033	5000.00	
12/22/2006	909034	5000.00	
12/23/2006	909059	1300.00	
12/23/2006	909064	2419.00	
12/23/2006	909068	2419.00	
12/23/2006	909075	814.00	
12/23/2006	909079	2546.00	
12/30/2006	909249	16142.00	
12/30/2006	909257	21110.00	
12/30/2006	909334	300000.00	
12/30/2006	909150	2500.00	
1/3/2007	909349	5311.00	
1/10/2007	909442	5179.00	
1/15/2007	909483	2100.00	
1/16/2007	909514	2996.00	
1/18/2007	909701	1000.00	
1/20/2007	909745	19635.00	
1/23/2007	909762	142.00	
1/23/2007	909767	83560.00	
1/23/2007	909765	180.00	

Rik

Bob

11

53

1/24/2007	909779	65715.00	
1/24/2007	909930	16142.00	
1/24/2007	909787	2152.00	
2/5/2007	915068	180.00	
2/8/2007	915125	24016.00	
2/9/2007	915214	2077.00	
2/9/2007	915219	6230.00	
2/15/2007	915298	250.00	
2/17/2007	915324	879.00	
2/21/2007	915412	2419.00	
2/21/2007	915414	2419.00	
2/28/2007	915660	11948.00	
2/28/2007	915557	17377.00	
2/28/2007	915601	23750.00	
3/1/2007	915672	1386.00	
3/1/2007	915675	498.00	
3/2/2007	915681	550.00	
3/14/2007	915808	350.00	
3/17/2007	915903	2776.00	
3/17/2007	915906	1092.00	
3/19/2007	915952	160.00	
3/22/2007	915982	101037.00	
3/28/2007	916167	380.00	
3/29/2007	916186	31541.00	
3/29/2007	916188	1797.00	
3/30/2007	916218	16935.00	
5/14/2007	917470	49555.00	
8/29/2007	922472	709116.00	
8/31/2007	922692	2000.00	
1/31/2008	124571	14516.00	
2/29/2008	126720	1928.00	
6/18/2008	754730	27629.00	
6/30/2008	761152	389513.00	
7/21/2008	761794	29276.00	
10/6/2008	764899	2190.00	
10/6/2008	764919	2873.00	
10/6/2008	764797	2274.00	
10/8/2008	770101	2645.00	
10/15/2008	770106	1040.00	
10/15/2008	770113	1500.00	
3/26/2009	777181	70385.00	
3/12/2010	787828	4054.00	

PK (289) 21 22

54

2/11/2011	796999	1100.00	
4/25/2011	Int.on Fdr	192.00	
3/31/2012	623	230838.25	
	13308 deff	1000.00	
5/10/2013	57725	5333.00	
6/4/2013	4206(DEFF)	200.00	
	4206 diff	200.00	
8/20/2014	92780	92780.00	
	Total (2)	118871677.49	

2. बैंक स्टेटमेन्ट में क्रेडिट की गई प्रविष्टि किन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं			
DATE	CH. NO./PARTICULARS	AMOUNT	
6/12/2004	No detail	1840.00	
6/12/2004	No detail	1840.00	
6/12/2004	No detail	1840.00	
8/3/2004	I.B. CLG. 3522	4798.00	
4/16/2004	No detail	5497.00	
10/22/2003	No detail	6115.00	
2/13/2004	No detail	7811.00	
12/13/2004	I.B. CLG. 28039	11499.00	
11/3/2001	No detail	33446.00	
12/9/2000	CD A/C 2	50000.00	
5/6/2000	EX DR. 23529108	60000.00	
8/25/2001	No detail	96646.00	
6/12/2004	No detail	210000.00	
11/22/2001	No detail	258021.00	
7/7/2006	No detail	34.00	
9/12/2006	ENTRY DT. 30-08-06 CBC	225.00	
9/14/2006	ENTRY DT13/02	56.00	
9/14/2006	ENTRY DT16/02/2006	56.00	
9/14/2006	ENTRY DT06/03/2006 REVERSED	23.00	
	Total (2)	749747.00	

3. बैंक स्टेटमेन्ट में डेबिट की गई प्रविष्टि जिसका कैश बुक में इन्द्राज नहीं			
DATE	CH. NO.	AMOUNT	HEAD

Rk 8    

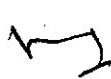
55

4/29/2003	No detail	5,000.00	
4/29/2003	No detail	5,000.00	
4/29/2003	No detail	5,000.00	
7/30/2003	No detail	5,000.00	
2/5/2004	No detail	5,000.00	
3/5/2004	No detail	5,000.00	
5/6/2003	No detail	5,000.00	
10/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	ENTRY DT. 30-08-06 CBC	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
9/8/2003	No detail	5,000.00	
3/10/2003	No detail	5,138.00	
4/24/2000	234316	5,176.00	
6/30/2000	234915	5,258.00	

Rk. 8    

56

5/19/2000	234972	5,472.00	
4/20/2000	234074	5,495.00	
4/4/2000	235036	10116.00	
2/24/2005	No detail	5,524.00	
4/28/2000	234891	5,940.00	
9/8/2003	No detail	6,000.00	
10/1/2002	254776	6,365.00	
5/19/2003	No detail	6,560.00	
4/17/2000	234491	6,585.00	
1/17/2004	No detail	7,025.00	
4/4/2000	233460	7,125.00	
4/20/2002	256472	7,200.00	
4/8/2000	234955	7,267.00	
12/6/2004	315173	7,500.00	
9/4/2001	246332	7,556.00	
5/13/2000	235017	7,680.00	
5/13/2000	235025	8,220.00	
6/13/2000	234328	8,748.00	
5/13/2000	235016	8,784.00	
5/13/2000	235015	8,820.00	
5/6/2000	235040	19,470.00	
2/5/2001	245422	19,997.00	
2/6/2001	245423	19,997.00	
3/8/2001	245425	19,997.00	
3/11/2001	245428	19,997.00	
4/7/2001	245424		

Rk. 8    

57

		19,997.00	
4/9/2001	245426	19,997.00	
5/10/2001	245427	19,997.00	
5/12/2001	245429	19,997.00	
4/1/2002	245430	19,997.00	
4/7/2002	245436	19,997.00	
4/10/2002	245438	19,997.00	
4/12/2002	245441	19,997.00	
5/9/2002	245338	19,997.00	
6/2/2002	245431	19,997.00	
6/3/2002	245432	19,997.00	
6/4/2002	245433	19,997.00	
6/5/2002	245434	19,997.00	
6/6/2002	245435	19,997.00	
6/8/2002	245437	19,997.00	
6/11/2002	245440	19,997.00	
4/1/2003	245442	19,997.00	
5/2/2003	245443	19,997.00	
5/3/2003	245444	19,997.00	
12/22/2000	234371	20,000.00	
5/11/2000	234465	20,400.00	
5/3/2000	234466	20,400.00	
5/8/2000	234467	20,400.00	
5/1/2004	No detail	21,103.00	
5/13/2000	235029	21,912.00	
4/3/2000	235047		

Rk.     

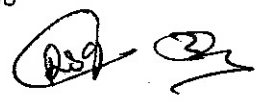
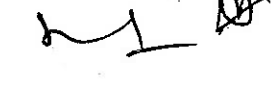
58

		22,501.00	
10/24/2002	No detail	24,000.00	
4/6/2000	234162	25,800.00	
5/8/2000	234468	27,200.00	
6/3/2000	235032	32,972.00	
6/2/2002	255307	35,505.00	
4/7/2000	235033	36,739.00	
4/4/2000	235044	39,942.00	
2/15/2003	No detail	41,535.00	
3/2/2005	314171	45,310.00	
4/13/2000	234476	47,472.00	
4/10/2000	234908	49,500.00	
4/3/2000	234946	50,005.00	
4/6/2000	234963	55,545.00	
6/7/2000	234749	58,768.00	
2/21/2003	No detail	59,210.00	
2/5/2001	243158	80,248.00	
4/30/2006	TR.	4,971,445.00	
4/30/2006	TR.	9,326.00	
5/6/2006	No detail	1,500.00	
5/8/2006	No detail	500.00	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail		

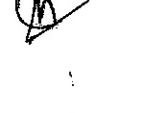
Rk. 8    

59

		16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/16/2006	No detail	16,970.50	
5/26/2006	No detail	200.00	
5/30/2006	No detail	180.00	
5/31/2006	No detail	2,245.00	
5/31/2006		4,883,560.00	
6/1/2006	No detail	2,500.00	
6/13/2006	No detail	23.00	
6/13/2006	No detail	23.00	
6/14/2006	No detail	250.00	
6/15/2006	No detail	57.00	
6/21/2006	No detail	250.00	
6/27/2006	No detail	57.00	
7/7/2006	No detail	2,100.00	

Rh 8  

7/15/2006	No detail	2,245.00	
7/19/2006	No detail	2,245.00	
9/1/2006	No detail	2,500.00	
9/8/2006	No detail	90.00	
9/23/2006	ATT.ORDER UPER DIST. & SESS	407,725.00	
4/7/2006	243217	80,248.00	
5/4/2006	243218	80,248.00	
6/3/2006	243219	80,248.00	
7/5/2006	243220	80,248.00	
8/4/2006	243221	80,248.00	
4/29/2006	245483	19,997.00	
5/30/2006	245484	19,997.00	
9/28/2005	285370	4264.00	
9/28/2005	285371	4264.00	
4/21/2005	318304	436.00	
4/16/2005	318305	100000.00	
4/6/2005	318307	505000.00	
1/27/2006	319701	263882.00	
1/27/2006	319702	37697.00	
1/27/2006	319703	37697.00	
1/27/2006	319704	37697.00	
1/27/2006	319705	37697.00	
1/27/2006	319706	37697.00	
1/27/2006	319707	37697.00	
1/27/2006	319708	37697.00	
11/28/2005	319709	844925.00	
3/10/2005	319710	12791.00	
11/10/2005	319711	4264.00	
7/10/2005	319712	3240.00	
9/11/2005	319713	2875.00	
9/22/2005	319714	264.00	
7/10/2005	319715	4320.00	
9/11/2005	319716	60.00	
6/12/2005	323000	1562.00	

Rk.     

61

2/4/2005	786254	562755.00
1/31/2006	797968	18767.00
12/8/2005	No detail	23.00
12/8/2005	No detail	64.00
3/6/2005	No detail	67.00
7/6/2005	No detail	100.00
12/1/2006	No detail	100.00
7/30/2005	No detail	2500.00
1/7/2005	No detail	7770.00
7/26/2005	No detail	83432.00
6/20/2005	No detail	0.00
3/3/2006	243216	80248.00
3/3/2006	245481	19997.00
3/29/2006	245482	19997.00
3/4/2006	770452	4852.00
3/28/2006	771096	218806.00
3/6/2006	STOP PAYMENT CH.	23.00
2/27/2006	COMM. ON P.O.	34.00
2/13/2006	DUP. STATEMENT	56.00
2/16/2006	DUP. STATEMENT	56.00
3/4/2006	BCTT	3000.00
2/17/2006	TR	7905.00
2/17/2006	TR	32495.00
2/17/2006	TR	47271.00
2/17/2006	TR	1244707.00
4/19/2000	234883	3850.00
2/13/2004	No detail	3975.00
4/15/2000	235037	3988.00
4/26/2000	233967	4000.00
5/13/2000	235026	4008.00
12/7/2002	262143	4349.00
4/4/2000	235046	4708.00
5/11/2000	234758	4750.00
4/21/2000	235042	4750.00
2/28/2005	260012	4750.00
4/6/2000	235011	4750.00
4/15/2000	234735	4817.00
7/1/2003	No detail	5000.00
8/1/2003	No detail	5000.00
9/1/2003	No detail	5000.00
11/10/2003	No detail	5000.00
8/11/2003	No detail	5000.00

Rk. 8

Rsg

WJ

Rb

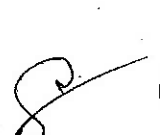
62

11/12/2003	No detail	5000.00	
2/13/2004	No detail	5000.00	
2/17/2005	318241	5000.00	
7/18/2003	No detail	5000.00	
7/18/2003	No detail	5000.00	
7/18/2003	No detail	5000.00	
11/21/2003	No detail	5000.00	
8/21/2003	No detail	5000.00	
8/26/2003	No detail	5000.00	
8/26/2003	No detail	5000.00	
11/27/2003	No detail	5000.00	
5/27/2004	800477	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
4/29/2003	No detail	5000.00	
6/4/2005	243205	80248.00	
3/5/2005	243206	80248.00	
3/6/2005	243207	80248.00	
4/7/2005	243208	80248.00	
3/8/2005	243209	80248.00	
3/9/2005	243210	80248.00	
4/10/2005	243211	80248.00	
5/11/2005	243212	80248.00	
3/12/2005	243213	80248.00	
4/1/2006	243214	80248.00	
3/2/2006	243215	80248.00	
6/4/2005	245469	19997.00	
4/30/2005	245470	19997.00	
5/30/2005	245471	19997.00	
6/29/2005	245472	19997.00	
7/29/2005	245473	19997.00	
8/30/2005	245474	19997.00	
1/10/2005	245475	19997.00	
10/29/2005	245476	19997.00	

Rk 8   

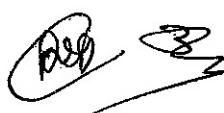
63

11/29/2005	245477	19997.00	
12/29/2005	245478	19997.00	
1/30/2006	245479	19997.00	
7/27/2005	269686	525572.00	
9/27/2005	269688	525572.00	
8/6/2005	280878	13566.00	
6/21/2005	280882	88236.00	
4/6/2005	280897	2559.00	
6/20/2005	281093	5682.00	
8/9/2005	285259	50000.00	
9/22/2005	285358	1944.00	
9/23/2005	285369	1871.00	
3/30/2006	TR	4222649.00	
2/27/2006	TR	4024613.00	
1/29/2005	233286	0.00	
2/17/2005	226092	8.00	
4/30/2003	No detail	40.00	
1/29/2005	314846	50.00	
9/19/2003	No detail	113.00	
1/29/2005	233332	149.00	
2/24/2005	231618	200.00	
2/24/2005	231621	200.00	
4/28/2000	234882	250.00	
2/17/2005	TOTAL DIFF.	360.00	
5/13/2000	234332	412.00	
1/29/2005	233419	500.00	
5/31/2000	234335	550.00	
2/24/2005	230005	618.00	
4/7/2000	234975	655.00	
4/26/2000	234890	707.00	
2/23/2005	313865	720.00	
4/8/2000	234976	740.00	
3/5/2003	No detail	850.00	
2/17/2005	DD CANCELLED	1000.00	
2/17/2005	223888	1000.00	
3/5/2003	No detail	1000.00	
6/24/2000	234236	1044.00	
5/13/2000	235027	1080.00	
4/4/2000	234333	1100.00	
5/9/2000	234334	1100.00	
5/24/2000	234001	1134.00	
7/24/2000	237242	1260.00	

RK.    

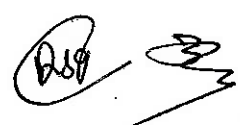
64

1/30/2004	No detail	1548.00	
1/30/2004	No detail	1604.00	
4/24/2000	233875	1650.00	
3/21/2005	314467	1664.00	
4/18/2000	234837	1900.00	
4/19/2000	234075	1905.00	
10/10/2003	No detail	2000.00	
4/4/2000	235035	2000.00	
4/6/2000	234966	2130.00	
12/9/2004	278076	2200.00	
5/19/2000	234973	2520.00	
8/10/2000	234957	2627.00	
5/30/2000	231902	3000.00	
12/20/2000	234293	3550.00	
5/27/2000	234327	3610.00	
5/31/2000	234318	3664.00	
2/13/2004	No detail	3836.00	
	234761	9,735.00	
5/11/2000	234355	9,752.00	
7/9/2003	No detail	9,797.00	
5/13/2000	235028	9,900.00	
4/15/2000	235045	9,928.00	
2/4/2005	317787	10,000.00	
3/4/2005	817785	10,000.00	
3/4/2005	817294	10,000.00	
3/4/2005	817292	10,000.00	
3/4/2005	817300	10,000.00	
12/4/2004	817092	10,000.00	
12/4/2004	817128	10,000.00	
12/4/2004	817139	10,000.00	
12/4/2004	817141	10,000.00	
12/4/2004	817142	10,000.00	

Rk. 8   

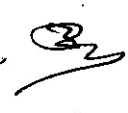
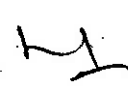
65

12/4/2004	817143	10,000.00	
12/4/2004	818557	10,000.00	
11/6/2004	277684	10,000.00	
3/11/2005	275155	10,000.00	
3/11/2005	275149	10,000.00	
10/13/2004	816725	10,000.00	
10/13/2004	817682	10,000.00	
10/13/2004	276321	10,000.00	
3/17/2005	277101	10,000.00	
4/18/2000	234838	10,000.00	
10/25/2004	275120	10,000.00	
8/26/2003	No detail	10,000.00	
4/4/2000	235048	10,000.00	
8/5/2003	No detail	10,000.00	
9/8/2003	No detail	10,000.00	
9/8/2003	No detail	10,000.00	
3/9/2004	No detail	10,000.00	
4/3/2000	234844	10,097.00	
5/6/2000	235043	10,870.00	
9/8/2003	No detail	11,000.00	
12/13/2004	i.b. clg. 28039	11,499.00	
5/22/2003	No detail	12,600.00	
5/8/2000	234469	13,600.00	
5/19/2000	234942	13,840.00	
3/10/2003	No detail	13,869.00	

Rk    

66

4/27/2000	235973	14,216.00	
4/4/2000	235007	15,099.00	
5/23/2000	234873	16,467.00	
4/4/2000	234978	17,400.00	
5/19/2000	234971	18,816.00	
5/8/2000	234473	19,000.00	
2/6/2001	243159	80,248.00	
3/8/2001	243161	80,248.00	
3/11/2001	243164	80,248.00	
4/7/2001	243160	80,248.00	
4/9/2001	243162	80,248.00	
5/10/2001	243163	80,248.00	
5/12/2001	243165	80,248.00	
4/1/2002	243166	80,248.00	
4/7/2002	243172	80,248.00	
4/10/2002	243175	80,248.00	
4/12/2002	243177	80,248.00	
5/9/2002	243174	80,248.00	
6/2/2002	243167	80,248.00	
6/3/2002	243168	80,248.00	
6/4/2002	243169	80,248.00	
6/5/2002	243170	80,248.00	
6/6/2002	243171	80,248.00	
6/8/2002	243173	80,248.00	
6/11/2002	243176	80,248.00	

Rk. SP    

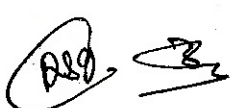
67

4/1/2003	243178	80,248.00	
5/2/2003	243179	80,248.00	
5/3/2003	243181	80,248.00	
4/19/2000	234986	85,313.00	
4/19/2000	234982	97,500.00	
4/4/2000	235041	119,650.00	
4/19/2000	234991	128,250.00	
4/8/2000	234893	177,866.00	
4/19/2000	235002	187,500.00	
4/19/2000	234990	190,000.00	
9/8/2002	261539	224,699.00	
4/19/2000	235001	247,500.00	
4/19/2000	234983	250,000.00	
4/19/2000	234987	262,500.00	
4/19/2000	234980	329,460.00	
8/3/2002	256593	354,604.00	
7/2/2003	No detail	368,311.00	
4/19/2000	234984	375,000.00	
4/19/2000	234988	375,000.00	
4/19/2000	234985	453,750.00	
4/19/2000	234989	453,750.00	
4/19/2000	234981	969,000.00	
4/19/2000	235030	4,214,117.00	
4/3/2006	No detail	5,308.00	
4/3/2006	No detail	1,000.00	

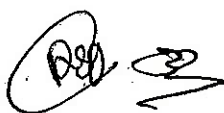
Rk 8 699 2 12 10

68

4/4/2006	No detail	1,500.00	
4/5/2006	No detail	2,204.00	
4/21/2006	No detail	57.00	
6/29/2006	245485	19,997.00	
7/29/2006	245486	19,997.00	
4/4/2007	245491	19,997.00	HDFC BANK
4/4/2007	245493	19,997.00	HDFC BANK
4/4/2007	245480	19,997.00	HDFC BANK
4/4/2007	245492	19,997.00	HDFC BANK
4/4/2007	245490	19,997.00	HDFC BANK
4/4/2007	245489	19,997.00	HDFC BANK
4/4/2007	243224	80,248.00	HDFC BANK
4/4/2007	243225	80,248.00	HDFC BANK
4/4/2007	243226	80,248.00	HDFC BANK
4/4/2007	243227	80,248.00	HDFC BANK
4/4/2007	243228	80,248.00	HDFC BANK
4/4/2007	243229	80,248.00	HDFC BANK
4/9/2007	915900	2,007.00	Misc Payment
7/3/2007	245496	19,997.00	HDFC BANK
7/3/2007	243232	80,248.00	HDFC BANK
8/2/2007	243233	80,248.00	HDFC BANK
8/2/2007	245497	19,997.00	HDFC BANK
5/22/2007	245494	19,997.00	HDFC BANK
5/22/2007	243230	80,248.00	HDFC BANK
6/2/2007	243231	80,248.00	HDFC BANK
6/2/2007	245495		HDFC BANK

RK 8   

		19,997.00	
10/6/2007	245499	19,997.00	HDFC BANK
10/6/2007	245498	19,997.00	HDFC BANK
10/6/2007	243235	80,248.00	HDFC BANK
10/6/2007	243234	80,248.00	HDFC BANK
10/31/2007	245500	19,997.00	HDFC BANK
11/2/2007	243236	80,248.00	HDFC BANK
11/29/2007	245501	19,997.00	HDFC BANK
12/5/2007	243237	80,248.00	HDFC BANK
12/29/2007	245502	19,997.00	HDFC BANK
1/4/2008	243238	80,248.00	HDFC BANK
1/30/2008	245503	19,997.00	HDFC BANK
2/2/2008	243239	80,248.00	HDFC BANK
2/29/2008	245504	19,997.00	HDFC BANK
3/4/2008	243240	80,248.00	HDFC BANK
2/16/2008	125173	49,332.00	MEDICAL INSURANCE- united india insurance
29-Jul-08	micr charg	26000	Misc Payment
18-Mar-09	neft	28250	Misc Payment
20-Mar-09	neft	39279	Misc Payment
31-Mar-09	neft	4730	Misc Payment
2-Apr-09	NEFT	4799	Misc Payment
2-Apr-09	Chitra Gupta Letter	652	Misc Payment
2-Apr-09	Chitra Gupta Letter	652	Misc Payment
9-Apr-09	TR to urmila gupta	2736	Misc Payment
8-Apr-09	Rtgs NEFT	53200	Misc Payment
4/13/2009	Rtgs NEFT	39279	Misc Payment
4/29/2009	Bill no. 6107/20-2-2009 shri hand made paper	15946	Misc Payment
7/3/2009	Neft dharma ram gujar	12253.88	Misc Payment
8/21/2009	NEFT Ramkrishna meena	28658	Misc Payment
9/2/2009	NEFT shri Ramkripa construction	1000000	Misc Payment
7/20/2010	vinod kumar	5,400.00	Misc Payment

Rk 8  H B

76

7/20/2010	VAHID AHEMA	5,400.00	Misc Payment
10/26/2010	Laxmi narayan	400	Misc Payment
11-Mar-11	Neft hanuman gupta	976.66	Misc Payment
23-Apr-2011	INTT ON FDR 0412	192	Misc Payment
2-Aug-2011	NEFT :MAHENDRA KUMAR BAIRWA/SBBJ	44,205.00	Misc Payment
7-Dec-2011	NEFT :HARI NARAYAN KUMAWAT/SBBJ	6,000.00	Misc Payment
2-Mar-2012	RAMKISHAN SHARMA 25026	1,080.00	Misc Payment
3/11/2011	Neft Hanuman lal jat	2,126.80	Misc Payment
5/11/2013	SM 321513851	3300.00	Misc Payment
7/9/2013	Sm322540592	17370.00	Misc Payment
8/5/2013	SM323022997	7500.00	Misc Payment
9/28/2013	Sm324024421	4940.00	Misc Payment
10/9/2013	SM 324245456 NEFT	844.00	Misc Payment
11/1/2016	DD ISSUED	58800.82	compension payment of court
	Total(2)	43,212,317.66	

4. कैश बुक में जमा राशि किन्तु बैंक स्टेटमेन्ट में दर्ज नहीं हैं

Date	particulars	amount	HEAD
3/31/2004	NO DETAIL	20.00	
3/31/2004	NO DETAIL	3,960.00	
3/31/2004	NO DETAIL	5,000.00	
10/14/2005	3482	12,000.00	
3/31/2004	23187	80,248.00	
3/31/2004	26839	5,000.00	
9/25/2002	193408	23,750.00	
9/25/2002	193409	23,750.00	
9/25/2002	193410	23,750.00	
6/14/2001	193585	7,500.00	
4/25/2000	226676	73,472.00	
4/10/2000	227236		

Rk. 8

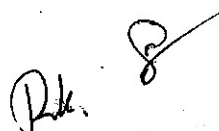
[Signature]

[Signature]

[Signature]

71

		26,000.00	
8/6/2005	227250	10,800.00	
6/24/2002	227768	9,500.00	
6/5/2002	229459	100.00	
6/5/2002	229468	500.00	
2/1/2002	229686	3,000.00	
10/31/2002	229825	11,750.00	
5/27/2000	230194	77,141.00	
6/8/2000	231671	3,960.00	
6/8/2000	231672	14,640.00	
2/5/2002	231715	5,000.00	
1/11/2001	231980	39,076.00	
5/9/2000	231988	47,907.00	
12/14/2001	231992	71,321.00	
1/11/2001	232150	28,471.00	
6/29/2000	232318	4,024.00	
4/26/2000	233379	6,740.00	
5/9/2000	233458	15,233.00	
4/28/2000	233504	13,178.00	
2/18/2002	233581	2,926.00	
5/9/2000	233611	709.00	
1/11/2001	233661	24,644.00	
8/1/2000	233662	3,172.00	
7/3/2000	233751	1,000.00	
7/4/2000	233788	800.00	
4/10/2000	233975	22,951.00	
6/5/2002	234114	350.00	
11/21/2000	234185	5,000.00	
7/3/2000	234216	23,748.00	
1/11/2001	234479	9,500.00	
10/19/2002	234781	10,000.00	
11/27/2000	234867	210,200.00	






72

6/16/2000	235087	5,782.00	
6/14/2000	236531	3,000.00	
6/12/2001	239201	900.00	
9/11/2000	240054	29,182.00	
3/31/2004	243180	80,248.00	
3/31/2004	243182	80,248.00	
3/31/2004	243183	80,248.00	
3/31/2004	243184	80,248.00	
3/31/2004	243185	80,248.00	
3/31/2004	243186	80,248.00	
3/31/2004	243188	80,248.00	
3/31/2004	243189	80,248.00	
3/31/2004	243190	80,248.00	
3/31/2004	243191	80,248.00	
4/7/2004	243192	80,248.00	
3/31/2004	243193	80,248.00	
5/6/2004	243194	80,248.00	
6/4/2004	243195	80,248.00	
7/3/2004	243196	80,248.00	
8/4/2004	243197	80,248.00	
9/4/2004	243198	80,248.00	
10/6/2004	243199	80,248.00	
11/3/2004	243200	80,248.00	
12/3/2004	243201	80,248.00	
1/5/2005	243202	80,248.00	
2/4/2005	243203	80,248.00	

[Handwritten signatures and initials]

73

3/4/2005	243204	80,248.00	
3/31/2004	245445	19,997.00	
3/31/2004	245446	19,997.00	
3/31/2004	245447	19,997.00	
3/31/2004	245448	19,997.00	
3/31/2004	245449	19,997.00	
3/31/2004	245450	19,997.00	
3/31/2004	245451	19,997.00	
3/31/2004	245452	19,997.00	
3/31/2004	245453	19,997.00	
3/31/2004	245454	19,997.00	
3/31/2004	245455	19,997.00	
3/31/2004	245456	19,997.00	
4/7/2004	245457	19,997.00	
5/6/2004	245458	19,997.00	
6/4/2004	245459	19,997.00	
7/3/2004	245460	19,997.00	
8/4/2004	245461	19,997.00	
9/4/2004	245462	19,997.00	
10/6/2004	245463	19,997.00	
11/3/2004	245464	19,997.00	
12/3/2004	245465	19,997.00	
1/5/2005	245466	19,997.00	
2/4/2005	245467	19,997.00	
3/4/2005	245468	19,997.00	

Rk. 8

ASD

11

10

74

6/5/2002	249449	400.00	
7/6/2002	253339	2,000.00	
4/7/2000	255024	886.00	
9/4/2002	261747	11,119.00	
3/31/2004	268216	5,000.00	
3/31/2004	268960	5,000.00	
3/31/2004	269117	5,000.00	
3/28/2005	269682	525,572.00	
3/31/2004	269694	7,083.00	
3/31/2004	269781	5,400.00	
3/31/2004	269826	3,500.00	
3/31/2004	270025	5,000.00	
3/31/2004	271443	1,620.00	
5/10/2005	275085	10,000.00	
5/23/2005	276281	10,000.00	
2/6/2006	276723	10,000.00	
2/6/2006	276724	10,000.00	
9/20/2004	276896	2,204.00	
4/1/2005	276920	10,000.00	
9/22/2004	276984	816.00	
8/25/2005	284991	106,578.00	
8/8/2000	315741	39,056.00	
12/8/2005	323094	7,020.00	
2/24/2006	770017	30,538.00	
8/3/2004	786251	483,627.00	
9/2/2004	786253	488,891.00	
3/31/2004	800324	1,433.00	
3/31/2004	800353	23,690.00	
3/31/2004	800471	5,000.00	
3/31/2004	800487	5,000.00	
3/31/2004	800527	4,250.00	
3/31/2004	800783	5,000.00	
3/31/2004	801124		

Rh. 8 189 2 1 9

75

		12,530.00	
3/31/2004	802357	3,650.00	
5/6/2005	813444	7,000.00	
7/18/2005	813549	10,200.00	
9/1/2004	814142	10,200.00	
6/9/2005	817301	10,000.00	
5/23/2005	818477	10,000.00	
1/1/2004	NO DETAIL	6,218.00	
1/1/2004	NO DETAIL	5,779.00	
1/1/2004	NO DETAIL	2,000.00	
1/1/2004	NO DETAIL	3,386.00	
1/1/2004	NO DETAIL	11,563.00	
8/4/2004	NO DETAIL	4,798.00	
9/4/2004	NO DETAIL	488,891.00	
11/10/2004	NO DETAIL	100,000.00	
5/15/2001	NO DETAIL	705,670.00	
4/17/2004	NO DETAIL	5,497.00	
11/18/2004	NO DETAIL	30,190.00	
9/29/2004	NO DETAIL	19,899.00	
3/31/2004	NO DETAIL	3,105.00	
3/31/2004	NO DETAIL	30,000.00	
3/31/2004	NO DETAIL	500,000.00	
3/31/2004	NO DETAIL	10.00	
3/31/2004	NO DETAIL	3,258.00	
3/31/2004	NO DETAIL	5,220.00	
3/31/2004	NO DETAIL	117,812.00	
2/27/2006	NO DETAIL	100.00	
3/31/2006	NO DETAIL	700.00	
6/27/2000	315650	4,750.00	
1/27/2006	797966	100,000.00	
9/12/2005	285300	11,700.00	
9/14/2006	320550	20.00	

Rh [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

76

10/23/2006	844940	18,246.00	
11/10/2006	844478	10,000.00	
11/23/2006	846752	30.00	
12/1/2006	TOTAL DIFF.	2,000.00	
3/29/2007	25561	3,000.00	
7/30/2008	276725	10,000.00	ch no 276725 dt 20.08.04 cancelled but the same not available in BRS pending list
7/30/2008	276727	10,000.00	ch no 276727 dt 20.08.04 cancelled but the same not available in BRS pending list
8/28/2008	233377	50,561.00	old ch dated 29/05/1997 cancelled
8/28/2008	233278	49,614.00	old ch dated 19/05/1997 cancelled
8/28/2008	233280	48,802.00	old ch dated 19/05/1997 cancelled
8/28/2008	233283	65,059.00	old ch dated 19/05/1997 cancelled
9/1/2008	028227	3,000.00	old ch dated 01/05/1992 cancelled
10/6/2008	846782	25,000.00	old ch cancelled
2/5/2009	751556	1,971.00	ch no 751556 dt 31.03.09 cancelled but the same not available in BRS pending list
2/17/2009	226503	750.00	old ch dated 10/12/1998 cancelled
3/12/2009	775341	5,000.00	
5/20/2009	14583	1421	ch no 14583 dt 23.2.2003 cancelled
14/Jul/2009	tr	500000	NA in cash book
16/Jun/2010	3740	1000	chq cancelled (jda refund)
2/Aug/2010	194599	4750	stop payment
27/Sep/2010	325/9/10	55049	adv adj.
30/9/2010	383/9/10	877	adv adj.
1/Dec/2010	8/12/2010	25000	adv adj.
24/Feb/2011	613324	26334	old ch dated 29.2.1992 cancelled
24/Feb/2011	613328	27594	old ch dated 29.2.1992 cancelled
26/4/2011	shri hanuman prasad	4800	neft return dt 15.4.11 entered in cash wrongly taken in BRS
26/5/2011	payorder no. 1642(A.V production)	97000	wrongly shown in BRS same related to vr no 268 dt 20.8.10 and vr no 350 dt 26.5.11

[Handwritten signatures and marks]

77

2/9/2011	Net Returns 7933	50100	wrong deduction in brs dt 18.8.11
5/31/2012			ch no 776579 dt 10.2.09 cancelled but the same not available in BRS pending list
	776579 dt 10.2.2009	10,000.00	
11/16/2012	transfer as per bank st. 15.11.12	100.00	cash book pg no 90 dt 16.12.12 and bank statement dt 15.11.12
	Total (2)	8,488,174.00	

5.कैश बुक और बैंक स्टेटमेन्ट में अन्तर राशि

Date	Chq no.	Amt(Bank)	Amt(JDA)	Diff	
PAYMENT SIDE					
31-Oct-08	772223	22,753.00	25,753.00	(3,000.00)	rectified in JDA C.B pg no.53 dated 10/7/09
31-Jul-08	762241	21,841.00	-	21,841.00	rectified in JDA, chq no.corrected
5-Aug-08	762306	29,816.00	29,814.00	2.00	to be reversed by bank, 2/-excess debited by bank
30-Jan-09	776409	13,334,154.00	13,361,981.00	(27,827.00)	to be recified by bank
8/31/2009	780984	575.	576	(1.00)	
16/11/2009	783087	140976	144251	(3,275.00)	
22/1/2010	785423	25138	25000	138.00	
15/2/2010	785850	1278	1276	2.00	
8/17/2009	780360	1004421	1004241	180.00	20/8/200/ Rtgs
4/24/2009	777748	20392	20392.06	(0.06)	Rtgs
5/25/2009	791290	88298.64	88299.64	(1.00)	Rtgs
5/29/2009	791479	36489.58	34689.58	1,800.00	Rtgs
6/13/2010	789314	1,280.00	1820	(540.00)	
6/18/2010	789508	5,958.00	5985	(27.00)	cheque issue 5958but entered in cash book 5985
9/14/2010	793245	80,695.00	80695.1	(0.10)	
11/3/2010	795328	381082.2	381082	0.20	
11/4/2010	795387	173586	173856	(270.00)	
4/2/2009	777343	36501.7			Rtgs cheque excess pay by bank



78

			35,601.70	900.00	
13/2/2009	776630	1217502	1,217,501.82	0.18	
10/30/2009	782867	14844509	14844519.25	(10.25)	transfer amounts 30/10/2009 amounts' 10.25 nt to be credied by bank (14826021+18488)
5/21/2009	791244	7395	7393	2.00	this cheque excess debited because before amt. 7393 credit because code wrong & amt 7395 debit so excess pay.
11/8/2011	mahendr a	-22683.00	-22603	(80.00)	
25/8/2011	int 263342	-237008.00	-237000	(8.00)	deposit short written in cash book
29-Aug- 2011	RTGS- INDBH1 1241300 590- RTGS Susp Borr Lendin	-10588577.14	-10580577.14	(8,000.00)	deposit short written in cash book
3/26/2001	CHALL AN 8763	-6600000.00	(6,000,000.00)	(600,000.00)	
2/2/2005	314171	-264662.00	(219,352.00)	(45,310.00)	cheques issued for rs. 264662 but cancelled on 4.2.2004 for rs. 219352 only
12/8/2005	323071	-3232280.00	(3,163,755.00)	(68,525.00)	cheques issued for rs. 3232280 but cancelled on 4.2.2004 for rs. 219352 only
9/9/2011	428636 lallu	(24,408.01)	-24400.01	(8.00)	deposit short written in cash book
Total			(732,017.03)		
Receipt side					
Bank Date	Cash Book Date				
5-Apr-08	Tr to CD2	2,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	rectified in JDA C.B pg no.44 dated 8/7/09
Total			500,000.00		

c

Date	Ch. No.	Cash book Credit side	Cash book Debit side	diff.	
4/28/2009	764858	35,650.00	3650	-32,000.00	
7/5/2010	780232	488808	488807	-1.00	THIS CHEQUE CANCEL
11/19/2010	787736	85573	85575	2.00	THIS CHEQUE CANCEL (9/3/2010)

[Handwritten signatures and marks]

79

12/29/2010	780790	4136	4138	2.00	THIS CHEQUE CANCEL
1/25/2011	761220	852,802.00	852808	6.00	THIS CHEQUE CANCEL
8/12/2009	761493	58,741.00	58471	-270.00	THIS CHEQUE CANCEL
8/12/2009	773841	35,722.00	35772	50.00	THIS CHEQUE CANCEL
12/7/2011	790991	49936	42936	-7,000.00	THIS CHEQUE CANCEL 12/8/2010
		Total		(39,211.00)	
Date	Ch. No.	BANK Credit side	BANK Debit side	diff.	
24/2/2009	776704	27,127.00	27126.88	-0.12	THIS CHEQUE CANCEL
		SUB TOTAL		-0.12	
		Grand Total(271,228.15)			

24- आरसीआर शाखा

RCR ICICI Bank A/C No. 675401700500

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक शेष 137481562

RCR ICICI Bank A/C No. 675401700512

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक शेष 93651382
योग 231132944

अंकेक्षण टिप्पणी

1. आरसीआर खाता संख्या 500 एवं 512 की कैश बुक जॉच दल को उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके कारण खाते में क्रेडिट एवं डेबिट पक्ष का मिलान नहीं किया जा सकता।

25. Bank Account RCR refund-675401700511 (ICICI BANK LTD.)

31 मार्च, 2018 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष 2121623.90

31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक शेष 2732675.90
अन्तर राशि(-) 611052

[Handwritten signatures and marks]

88

जोड़िये

1. चैक जारी किये गये किन्तु बैंक में 31.03.2018 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये :-

Add:- Cheque issued but not presented for payment		
Date	Cheque	Amount
15-09-2014	021495	52.00
18-09-2014	28961	74.00
18-09-2014	29127	526.00
18-09-2014	12	746.00
16-12-2014	021536	1376.00
16-04-2015	021483	3000.00
27-04-2015	021416	4561.00
06-03-2017	001784	4721.00
18-06-2015	Nitesh	6987.00
18-06-2015	1468	7169.00
28-03-2018	021626	7245.00
20-04-2016	29177	7400.00
28-07-2015	78444	7500.00
02-01-2018	021413	7725.00
23-02-2017	001760	8000.00
02-12-2017	21373	8000.00
28-03-2018	021638	8000.00
04-02-2016	1303	9000.00
04-02-2016	29588	10000.00
04-02-2016	002338	10000.00
14-03-2016	1495	10480.00
19-03-2016	1560	10481.00
06-04-2016	29412	12000.00
07-04-2016	29416	12000.00
01-08-2016	29499	12000.00
20-04-2016	29532	12000.00
28-10-2016	1362	12000.00
20-04-2016	1588	12000.00
06-05-2016	001685-1	12000.00
07-05-2016	002117	12000.00
07-05-2016	002315	12000.00
12-05-2016	002354	12000.00
11-07-2016	001972	16000.00
11-07-2016	021504	16000.00
11-07-2016	021530	16000.00
11-07-2016	021545	16000.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

(81)

19-07-2016	001948	18000.00
12-09-2016	29435	24000.00
18-01-2017	1606-1	28000.00
12-09-2016	29211	32000.00
19-07-2016	29453	32000.00
20-06-2017	002060	33665.00
06-10-2016	1435	48000.00
20-10-2016	1452	48000.00
27-10-2016	1459	48000.00
28-10-2016	1606 & 1608	48000.00
15-11-2016	002019	48910.00
23-11-2016	1453	54000.00
23-11-2016	1454	54000.00
23-11-2016	1455	54000.00
23-11-2016	1456	54000.00
23-11-2016	1457	60000.00
23-11-2016	1460	60000.00
24-11-2016	78435	117880.00
24-11-2016	78443	333980.00
28-11-2016	78431	344552.00
06-12-2016	29014	496000.00
	Total	2354030.00

जोडिये :- राशि जो बैंक स्टेटमेन्ट में डेबिट किन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं

Add:- Amount cr. By bank but not entered in cash book

Date	Particulars	Amount
15-09-2014		2.00
09-10-2014		757.00
31-03-2015		1677.00
19-08-2017		6987.00
25-06-2015		7287.00
18-01-2016		8000.00
30-01-2016		8000.00
02-02-2016		8000.00
04-02-2016		9205.00
04-02-2016		9500.00
04-02-2016		9530.00
04-02-2016		10000.00
04-02-2016		10000.00
11-02-2016		10000.00

Dr. 8 (R) 3 1 0

82

12-02-2016		10000.00
22-02-2016		10000.00
22-02-2016		10000.00
02-03-2016		10000.00
04-09-2017		10480.00
19-03-2016		10755.00
07-05-2016		12000.00
12-05-2016		12000.00
27-05-2016		13500.00
02-06-2016		14928.00
12-07-2016		16000.00
25-07-2016		18000.00
12-09-2016		32000.00
21-09-2016		36361.00
06-10-2016		43867.00
23-11-2016		56106.00
05-12-2016		478120.00
06-12-2016		576731.00
06-12-2016		1210000.00
	Total	2679793.00

घटाइये:- राशि जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट किन्तु कैश बुक में इन्द्राज नहीं

Date	Particulars	Amount
06-12-2016		40.00
08-12-2016		4503.00
10-07-2014		7000.00
22-08-2015		9038.00
16-01-2017		9119.00
31-03-2017	Ramkesh Meena	13974.00
31-03-2017	18944	14250.00
31-03-2017	18944	14250.00
31-03-2017		14578.00
11-08-2017		22500.00
11-08-2017		23500.00
16-04-2015		28600.00
04-09-2017		51570.00
25-09-2017		70500.00
18-06-2015		73437.00
30-09-2017		150000.00
12-02-2016		444000.00

[Handwritten signatures and marks]

83

30-10-2017		919250.00
06-11-2017		1194611.00
15-11-2017	28916	1358051.00
	Total	4422771

25- पेंशन रोकड

एसबीआई खाता संख्या 51015755026 (चालू खाता)

06 अप्रैल, 2016 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष (-) 3894.25
 31 मार्च, 2018 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक शेष 3894.25
 अन्तर राशि (शून्य)

26- राज्य शहरीकरण आयोग

आईसीआईसीआई खाता संख्या 675401700528 (चालू खाता)

16 दिसम्बर, 2015 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष शून्य
 16 दिसम्बर, 2015 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक शेष शून्य.....
 अन्तर राशि शून्य

अंकेक्षण टिप्पणी

कैश बुक के अनुसार उक्त खाते में अवशेष राशि रु 252279/- दिनांक 16.12.2015 को खाता संख्या 517 में स्थानान्तरण कर दिया गया जिसका जॉच दल द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। जिसके उपरान्त खाते की अवशेष राशि शून्य है।

27- राज्य शहरीकरण आयोग

आईसीआईसीआई खाता संख्या 675405600065

13 अक्टूबर, 2014 को कैश बुक के अनुसार बैंक शेष शून्य
 13 अक्टूबर, 2014 को बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार बैंक शेष शून्य.....
 अन्तर राशि शून्य

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन 2013-16 में संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार राशि 7512/-रु का अन्तर दर्शाया गया है। जिसको दिनांक 16.12.2015 को खाता संख्या 517 में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अतः उक्त कारणों को कैश बुक में इन्द्राज करवाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

30 आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 675405600042

31.03.2018 को कैश बुक अनुसार बैंक शेष 66711

31.03.2018 को बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार बैंक शेष 66711

अन्तर राशि शून्य

31आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 675405112062 (RCR Refund)

01.04.2016 को कैश बुक अनुसार बैंक शेष शून्य

01.04.2016 को बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार बैंक शेष शून्य

अन्तर राशि शून्य

1 (स)(1) पी.डी खाते के अतिरिक्त विनियोजन

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में पी.डी खाते के अतिरिक्त विनियोजन की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कैश बुक का विवरण	खाता संख्या	बैंक शेष
1.	राजीव आवास योजना (बगराना)	8311552348	1792751.00
2.	राजीव आवास योजना	2411232483	178593.56
3.	बी.एस.यू.पी.-I	67111146627	452419.09
4.	बी.एस.यू.पी.-I	675401420259	0.00
5.	बी.एस.यू.पी.-II	027300200000192	645939.56
6.	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	675401415101	40063.09
7.	बी.आर.टी.एस.	675401419611	3353289.54
8.	जेडीए एम्प्लोई (पेंशन फण्ड)	675401700529	1777284.00
9.	जेडीए एम्प्लोई (पेंशन फण्ड)	51015755026	3894.25
10.	ऐ.सी.लेण्ड	675401700515	12519207.00
11.	निर्माण रोकड (चालू खाता)	675405000046	182027.00
12.	सामान्य रोकड(एक्सिस बैंक)	914010018017781	103309103.00
13.	सामान्य रोकड(एसबीआई)	61160197758	1587019.00
14.	आरसीआर रिफण्ड रोकड	675401700511	2121623.90
15.	निर्माण रोकड दांतली (आरओबी)	675405600265	244257062.00

CB

Rk. L. I.

3

Asg

Lb

16	निर्माण रोकड द्रव्यवती रिवर	675405600264	560132180.00
17	निर्माण रोकड एलिवेटेड रोड सोढाला	675405600263	606030670.00
18	निर्माण रोकड बस्सी (आरओबी)	675405600271	122393952.00
19	निर्माण रोकड जाहोता	675405600267	324467593.00
20	निर्माण रोकड आनन्द लोक स्वप्नलोक	675405600266	74228071.00
21	निर्माण रोकड सीतापुरा (आरओबी)	675405600268	481702810.00
22	निर्माण रोकड	675401700518	79261510.30
23	सामान्य रोकड	675401700517	96062630.00
24	ऑनलाइन आक्सन	675405600042	66711.00
कुल योग			2717177455

प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न बैंको में खातों को संधारण किया जा रहा है , जिसका संस्था के अंकेक्षण के भौतिक सत्यापन दिनांक 20.06.2018 को विभिन्न बैंको राशि रु 2717177455/- अवशेष है ।

8 Rk 11 3 132 26

86

(2) (अ) वार्षिक लेखों का संधारण एवं प्रस्तुतीकरण :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या 1)

जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट 1982 के अध्याय-9 की धारा 64 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को 30 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। आलौच्य अवधि 2016-18 में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार संस्था के आलौच्य अवधि के लेखों के प्रस्तुत किये जाने का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम संस्था	वर्ष	नियत तिथि	कब प्रस्तुत की गई
1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	2016-17	30.09.2017	29.09.2017
2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	2017-18	30.09.2018	29.09.2018

उक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा वार्षिक लेखे निर्धारित समयावधि में तैयार किये गये है।

(2) (ब) वार्षिक लेखे संधारण की स्थिति :-

(i) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-18 के वार्षिक लेखे सनदी लेखाकार (C.A.) से तैयार करवाकर जाँच में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। संस्था के वार्षिक लेखों की समीक्षा करने पर अंकेक्षण टिप्पणी निम्नानुसार है :-

1. संस्था के वित्तीय वर्ष 2017-18 वार्षिक लेखों में Balance sheet के सम्पत्ति पक्ष में Recoverable incometax/TDSराशि निम्नानुसार वसूली/प्राप्त किया जाना बकाया दर्शा रखा है :-

DTS: Old Pending Adj./Refund

TDS Recoverable 2015-16

86430937/-

TDS Recoverable 2016-17

29740514/-

TDS Recoverable 2017-18

40948531/-

योग 157119982

अतः राशि 157119982/-रु आयकर विभाग से वसूली हेतु संस्था द्वारा किये गये प्रयासों से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

2. Claims of Refund TDS of Land/TDSराशि 49303962/-रु विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन 2013-16 से बकाया चला आ रहा है जो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों की समाप्ति तक बकाया है तथा अंकेक्षण अवधि में आप द्वारा किये गये प्रयासों से भी अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि आप द्वारा उक्त राशि की वसूली के संबंध में निरन्तर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। अतः उक्त राशि की तुरन्त वसूली करवाया जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जावें।

24/8 12/9 3 1 10

87

3. वर्ष 2017-18 की बैलेंस शीट के साथ संलग्न "Schedule-C1" में उल्लेखित "Deposit Nalla work (RECL)" का नकारात्मक शेष राशि रु (-) 994317 दर्शाया गया है। जिसका समायोजन 02.04.2018 को कर लिया गया तदुपरान्त उक्त खाते में कोई राशि शेष नहीं है।
4. संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये वार्षिक लेखे (Balance sheet) 2017-18 के साथ संलग्न परिशिष्ट (Schedule-बे) के भाग सी-1 में उल्लेखित शीर्ष "By Direct Transfer/RTGS, Accounted as misc. deposit" वर्ष 2017-18 की कुल राशि रु 45030494/- प्राप्त हुये है। जिनमें से 15794819 का सम्बन्धित मद में हस्तान्तरण कर दिया गया है एवं इस मद में रूपये 29235675 शेष राशियों को चिन्हित करके तथा उचित शीर्षक देकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।
5. वार्षिक लेखे वर्ष 2017-18 की बैलेंस शीट के सम्पत्ति पक्ष में Current Assets Loans and Advances में Recoverable from L&B tax department (old) में राशि रु. 209202000/- विगत कई वर्षों से बकाया चल रही है जिसका विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया है। उक्त राशि की वसूली कर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।
6. ICICI bank a/c no 6000008 :- 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट के शीड्यूल-बी में उक्त खाते का शेष शून्य दर्शाया गया है, जबकि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में उक्त खातों की शेष राशि 100,49,470/- दर्शायी गई है। बैंक स्टेटमेंट व बैलेंस शीट 2017-18 के शीड्यूल-बी में दर्शाये गये बैंक शेष के अन्तर के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।
7. ICICI bank a/c no 6000002 :- 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट के शीड्यूल-बी में उक्त खाते का शेष शून्य दर्शाया गया है, जबकि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेंट में उक्त खातों की शेष राशि 48,77,514/- दर्शायी गई है। बैंक स्टेटमेंट व बैलेंस शीट 2017-18 के शीड्यूल-बी में दर्शाये गये बैंक शेष के अन्तर के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।
8. Suspense a/c 511/500 & others का बैलेंस शीट 2017-18 के शीड्यूल-बी में शेष (-)2785384 दर्शाया गया है। उक्त नकारात्मक शेष के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के संबंध में वस्तुस्थिति के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु जांचदल द्वारा मीमों संख्या 391 दिनांक 11.1.2019 एवं 408 दिनांक 13.2.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रत्युत्तर जांचदल को जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक डी-36 दिनांक 19.02.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके तहत बिन्दु सं. 3 के प्रत्युत्तर से जांचदल सहमत है।

उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 से 2 व 4 से 8 तक के संबंध में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

(ii) वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों के अनुसार Income & Expenditure Statement में रु. 3004475934/- Deficit का दर्शाया गया है, तथा वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों के अनुसार Income & Expenditure Statement में रु. 6463963056/- का Deficit का दर्शाया गया है, जिसमें वर्षवार निरन्तर वृद्धि हो रही है अतः संस्था प्रधान का ध्यान संस्था की आयवृद्धि एवं व्यय पर नियंत्रण हेतु आकर्षित किया जाता है।

Rk.

Asst

88

(3) बजट संबंधी :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या 2)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में बजट संबंधी लेखों की जांच करने पर स्वीकृत बजट से अधिक व्यय स्थिति निम्नानुसार पायी गयी है :-

वर्ष 2016 - 17

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना/ मद का विवरण	व्यय राशि	R.E (2016-17)	अधिक व्यय
1	Other area in J.d.a region	13443.92	12000	1443.92
2	Special projects	33027.80	30000	3027.8
3	JDA Building	1604.60	400	1204.6
4	Salary	6974.64	6700	274.64
5	Medical	199.08	187	12.08
6	Travelling allowance	18.40	13	5.4
7	Printing and stationary	73.12	43	30.12
8	Postage and telephone	102.47	67	35.47
9	Books and periodicals.	5.31	4	1.31
10	Legal	150.50	145	5.5
11	Maintenance of vehicles	641.54	630	11.54
12	Repair and maintenance of office eq.	13.49	6	7.49
13	Conveyance charges	19.48	5	14.48
14	Security guard /police attachment	1206.59	1075	131.59
15	Liveries	10.25	3	7.25
16	Consultancy and computer rent job	717.06	500	217.06
17	Consultancy fees tax and others	22.39	5	17.39
18	interest others	338.44	0	338.44
19	Maintenance of gardens/ nursery	480.54	450	30.54
Total				6816.62

संस्था द्वारा उच्चाधिकार समिति (आथोरिटी)की 62 वी बैठक एजेण्डा सं. 62.4 के तहत दिनांक 28.3.17 को संशोधित आय-व्यय अनुमान वित्तिय वर्ष 2016-17 को अनुमोदन कर दिया गया।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

वर्ष 2017 - 18

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना/मद का विवरण	व्यय राशि	R.E (2017-18)	अधिक व्यय
1	Other area in J.d.a region	15906.12	15000	906.12
2	Special projects	74926.85	58820	16106.85
3	Development of New Sector	2210.18	2000	210.18
4	Development of Prithviraj nagar area	2420.83	2000	420.83
5	Grant to Jaipur nagar nigam	100	0	100
6	Panchyat & others	7136.83	7000	136.83
7	JDA Building	742.36	100	642.36
8	Other Assets	3619.53	500	3119.53
9	Interest loan	222.75	0	222.75
10	Guarantee commission and other(GOR)	671.46	360	311.46
11	Maintenance of gardens/nursery	352.32	300	52.32
12	Maintenance of roads / drains etc	3883.58	3500	383.58
13	Medical	171.86	100	71.86
14	Travelling Allowance	24.24	20	4.24
15	Printing & Stationary	199.16	30	169.16
16	Books & Perodicals	5.12	4	1.12
17	Legal expenses	242.95	200	42.95
18	Maintenance & rent of vehicles	543.48	470	73.48
19	Repair & Maintenance of Furniture & office eq.	11.77	10	1.77
20	Securty Guard/Police Atteachment	1319.08	1150	169.08
21	Entertainment exp.	37.18	20	17.18
22	Liveries	12.80	10	2.8
23	Survey & Consultancy work	247.84	225	22.84
24	Consultancy & Computer rent & job work	554.59	375	179.59
Total				23368.88

Rk

Rk

Rk

Rk

Rk

90

संस्था द्वारा उच्चाधिकार समिति (आथोरिटी)की 63 वी बैठक एजेण्डा सं. 63.23 के तहत दिनांक 14.2.18 को संशोधित आय-व्ययक अनुमान वित्तिय वर्ष 2017-18 को अनुमोदन कर दिया गया।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2016-18 में स्वीकृत बजट से राशि रु. 30185.50(लाख) अधिक व्यय किया गया है। अतः अधिक व्यय के संबंध में संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(4)(अ) अग्रिम व समायोजन का वर्षवार एवं वर्गीकरण :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या -1, 3)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी को अस्थायी अग्रिमकी स्थिति निम्नानुसार पायी गई है:-

क्र. स.	विवरण	निर्माण शाखा अधिकारी/कर्मचारी को अग्रिम	सामान्य शाखा अधिकारी/कर्मचारी को अग्रिम	सामान्य शाखा फर्म/संस्थाओं को अग्रिम	महायोग
1	दिनांक 01.04.2016 को बकाया	1318514	3572899.62	47340964.33	52232377.95
2	आलोच्य अवधि 2016-18 में दिया गया अग्रिम	129000	1498000	38157545	39784545
	योग	1447514	5070899.62	85498509.31	92016922.95
3	आलोच्य अवधि 2016-18 में अग्रिम समायोजन	566173	2363324.05	35451290.15	38380787.2
4	दिनांक 31.03.18 को बकाया	881341	2707575.57	50047219.18	53636135.75

- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 307 (2) (1) के प्रावधानों के अनुसार दुसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पूर्व में दिये गये अग्रिम का समायोजन नहीं करवा दिया गया हो। प्राधिकरण द्वारा बकाया अग्रिम की जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसकी जांच में पाया गया कि पूर्व में दिए गए अग्रिम राशि का समायोजन नहीं होने पर भी अग्रिम दिया गया है जो अनियमित है।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 161 के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी राजकीय कार्य हेतु दिये गये सभी प्रकार के अल्पकालीन अग्रिमों के समायोजन एवं वसूलियों के बारे में सुनिश्चित करेगा। इस नियम के परिपेक्ष्य में समीक्षा करने पर पाया गया कि अग्रिम की वसूलियों हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रभावी प्रयास नहीं किये गये हैं।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 170 के अनुसार अग्रिम राशि में व्यय किये जाने के पश्चात शेष राशि (Unspent) को चार सप्ताह के अन्दर जमा करवाना होगा चार सप्ताह में जमा नहीं करवाने पर नियम 219 के अन्तर्गत 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जायेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कराने एवं बकाया अग्रिम राशि मय ब्याज वसूली हेतु की नियंत्रण अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।



91

(4) (ब) :- संस्था के वार्षिक लेखे एवं संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई अग्रिम की सूचना में अन्तर राशि रु 234458409.25 /-

आलौच्य वर्ष (2016-18) के अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करायी गई सूचना एवं वार्षिक लेखों में इंद्राज अग्रिम राशि में निम्नानुसार अन्तर पाया गया है:-

क्र. स.	विवरण	राशि		
		वार्षिक लेखों के अनुसार	सूचना अनुसार	अन्तर
1	दिनांक 01.04.2016 को बकाया	209844101	52232377.95	157611723.05
2	आलौच्य अवधि 2016-18 में दिया गया अग्रिम	165354441	39784545	125569896
	योग	375198542	92016922.95	283181619.05
3	आलौच्य अवधि 2016-18 में अग्रिम समायोजन	87103997	38380787.2	48723209.8
4	दिनांक 31.03.18 को बकाया	288094545	53636135.75	234458409.25

उपरोक्तानुसार दिनांक 31.03.2018 को संस्था की वार्षिक लेखे व संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना में अन्तर पाया गया है।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

- (i) आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान वार्षिक लेखे व संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी गई अग्रिम की सूचना में राशि रु 234458409.25 /- का अन्तर पाया गया, अन्तर के कारणों से अवगत कराये जाने हेतु जांच दल द्वारा मीमो संख्या 408 दिनांक 13.2.2019 को जारी किया गया, जिसका प्रत्युत्तर अपेक्षित रहा, अन्तर के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जावे तथा दोषी कार्मिक/अधिकारी के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जावे।

88

Rk S. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

92

प्राधिकरण द्वारा दिये गये अग्रिम का समायोजन नियमानुसार किया जाकर तथा संस्था के वार्षिक लेखों व संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचना के अन्तर के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8
Rk.
A
B

93

(5) धरोहर एवं प्रतिभूति राशि संबंधी :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या - 1)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत धरोहर एवं प्रतिभूति राशि से संबंधित वार्षिक लेखों के साथ संलग्न परिशिष्ट c-1 के अनुसार धरोहर एवं प्रतिभूति की स्थिति निम्नानुसार पाई गयी:-

क्र.स.	विवरण	राशि
1	दिनांक 01.04.2016 को बकाया	3158171499
2	आलौच्य अवधि 2016-18 में प्राप्त	865150212
	योग	4023321711
3	आलौच्य अवधि 2016-18 में भुगतान	218780024
4	दिनांक 31.03.18 को बकाया	3804541687

उपरोक्तानुसार दिनांक 31.03.2018 को धरोहर एवं प्रतिभूति पेटे बकाया राशि 3804541687/- रु. जमा है ।

दिनांक 01.04.2016 को संस्था के वार्षिक लेखों के अनुसार धरोहर एवं प्रतिभूति की राशि 3158171499/- शेष बताये गये है। जबकि विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उक्त दिनांक को राशि 1973520747/- बकाया थे। अन्तर के कारणों से जांचदल को अवगत कराने हेतु जांचदल द्वारा मीमों संख्या 408 दिनांक 13.2.2019 को जारी किया गया, जिसका प्रत्युत्तर अपेक्षित रहा। संस्था के वार्षिक लेखों व संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी गई विगत अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करायी गई सूचना में अन्तर के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जावे

उक्त धरोहर एवं प्रतिभूति राशि को संबंधित फर्म, संवेदकों को नियमानुसार भुगतान किया जाकर संस्था का दायित्व कम किये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

[Handwritten signatures and initials]

94

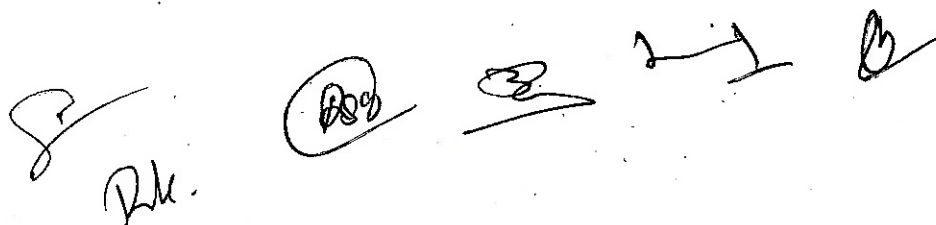
(6) ऋण एवं ऋण लेखों संबंधी :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या- 4)

संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार आलोच्य अवधि 2016-2018 में संस्था द्वारा निम्नानुसार ऋण प्राप्त किया गया है। (राशि लाखों में)

क्र. स.	मद/प्रयोजन	गत वर्ष के अवशेष ऋण की राशि	वित्तीय वर्ष में प्राप्त ऋण राशि	वित्तीय वर्ष में चुकाई राशि	वित्तीय वर्ष में अवशेष राशि
1	Elevated Road Sodala	--	9000	--	9000
2	ROB SITAPURA	--	6400	--	6400
3	ROB DANTLI	--	3600	--	3600
4	ROB JAHOTA	--	3600	--	3600
5	RUB ANANDLOK	--	1300	--	1300
6	DRAVYAVATI NADI	--	64000	--	64000
7	ROB BASSI	--	1750	--	1750
योग			89650		89650

उपरोक्तानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार आलोच्य अवधि वर्ष (2016-18)में रु 89650 (लाख) प्राप्त किया गया है, जिसका नियमानुसार भुगतान कराये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।



95

(7) अंकेक्षण शुल्क :-

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अंकेक्षण शुल्क राशि 1992000/- बकाया थी, जो वाउचर संख्या 361 दिनांक 31.03.17 राशि 1992000/- के द्वारा (आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच-जविप्रा के चैक संख्या 13119 दिनांक 31.03.17) जमा कराई गई। पूर्व का अंकेक्षण शुल्क बकाया नहीं है।

आलौच्य वर्ष 2016-18 का अंकेक्षण शुल्क राशि 425 दिनांक 18-3-19 राशि 2176000 रु. का जारी किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि 2176000 बजट शीर्ष 1170- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 110-सरकारी लेखा परीक्षण शुल्क मद में जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति अंकेक्षण विभाग का भिजवान हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(8) गबन/ चोरी प्रकरणों की स्थिति :-

अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी करने के उपरान्त भी गबन/चोरी प्रकरणों की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से समीक्षा नहीं की जा सकी। आगामी जांच में अभिलेख, सूचनायें प्रस्तुत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(9)(अ) भण्डार पंजिकाओं का संधारण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में भण्डार लेखों की जाँच के सम्बन्ध में जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा स्थाई भण्डार लेखों की जाँच सम्बन्धी स्थायी सामग्री पंजिकाएँ जाँचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है। जिसके कारण भण्डार लेखों की जाँच नहीं की जा सकी।

आगामी जाँच में भण्डार लेखों सम्बन्धी स्थायी भण्डार पंजिकाएँ उपलब्ध करवाए जाकर अंकेक्षण कराए जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

92

92

92

92

92

96

(9)(ब) भण्डार सामग्री की भौतिक सत्यापन की स्थिति:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में भण्डार लेखों की जाँच के सम्बन्ध में जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07. 2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक भी संस्था द्वारा स्थायी सामग्री पंजिका मय सूची उपलब्ध नहीं करवाने के कारण जाँचदल द्वारा स्थायी सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के नियम 12 अनुसार एक वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन कार्यालय के किसी उत्तरदायी अधिकारी से करवाकर विभागाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष 31 मई तक, इसकी सूचना प्रशासनिक विभाग को भेजेगा तथा उसके परिणामों की सूचना, निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान को उसके द्वारा विहित प्रोफार्मा में भेजेगा, परन्तु प्राधिकरण में उपरोक्तानुसार भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन कराकर, सूचना प्रेषित किये जाने का अभाव पाया गया।

अंकेक्षण अवधि में भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं करने के कारणों से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे तथा नियमानुसार प्रतिवर्ष भण्डार सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

(9)(स) अनुपयोगी/ नाकारा/ अवशेष सामान के निस्तारण की स्थिति:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण अवधि में अनुपयोगी/ नाकारा/ अवशेष सामान एवं निस्तारण की सूची जाँचदल को प्रस्तुत करने का अभाव रहा है।

संस्था के अनुपयोगी/ नाकारा/ अवशेष सामान एवं निस्तारण स्थिति की समीक्षा नहीं की जा सकी है।

आगामी जाँच में अनुपयोगी/ नाकारा/ अवशेष सामान एवं निस्तारण संबंधी सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

93

93

93

93

93

97

(10) संस्थापन/ कार्यालय सम्बन्धी:-

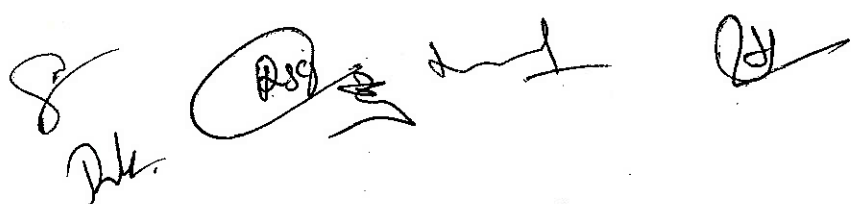
(10) (अ) नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी:-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या -5)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट के अनुसार आलोच्य अवधि 2016-2018 में मृतक आश्रितों को निम्नानुसार नियुक्ति करना पाया गया है:-

क्र. सं.	मृतक आश्रित का नाम जिसे नियुक्ति दी गई है।	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक	पदनाम जिस पर नियुक्ति दी गई है।	नियुक्ति पर कार्यग्रहण दिनांक
1	श्री मोईनुद्दीन पुत्र स्व. श्री ईकरामद्दीन	प.4(1)जविप्रा/संस्था 2016/ दिनांक 04.04.2016	कनिष्ठ सहायक	20.04.2016
2	श्री दौलतराम पुत्र स्व. श्री रमेश चन्द	प.4(4)जविप्रा/संस्था 2015/ दिनांक 12.05.2016	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17.05.2016
3	श्री यश खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री राधा मोहन राजोरिया	प.4(2)जविप्रा/संस्था 2016/ दिनांक 18.10.2016	कनिष्ठ सहायक	19.10.2016
4	श्री सोनू मीणा पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल सैनी	प.3(6)जविप्रा/संस्था 2010/ दिनांक 05.12.2016	कनिष्ठ सहायक	08.12.2016
5	श्री मुस्तकीम पुत्र स्व. श्री रफीक	प.4(2)जविप्रा/संस्था 2015/ दिनांक 07.03.2017	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15.03.2017
6	श्री योगेश मीणा पुत्र स्व. श्री श्योराम	प.4(3)जविप्रा/संस्था 2016/ दिनांक 27.07.2017	कनिष्ठ सहायक	03.08.2017
7	श्री मनमोहन मीणा पुत्र स्व. श्री रामसहाय	प.4(2)जविप्रा/संस्था 2017/ दिनांक 04.10.2017	कनिष्ठ सहायक	09.10.2017
8	श्री चन्द्रप्रकाश मीणा पुत्र स्व. श्री रामावतार मीणा	प.3(8)जविप्रा/संस्था 2011/ दिनांक 27.12.2017	कनिष्ठ सहायक	03.01.2018

आक्षेप शून्य प्रकृति का होने से पालना अपेक्षित नहीं है।



98

(10) (ब) सेवा अभिलेख:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गये अभिलेख/सेवापुस्तिकाओं के नमूना जांच मे सेवा अभिलेख संधारण में निम्नांकित कमियाँ पायी गयी जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय पद	विवरण /कार्मिक
1	श्री अंकुर गुप्ता क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4537	1. कार्मिक की जन्म दिनांक प्रमाणित नहीं है। 2. सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। 3. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 4. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
2	श्री मोहम्मद शोहेब खान क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4094	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) 3. कार्मिक द्वारा दिनांक 3-11-12 को उपस्थिति देने से माह दिसंबर 12 तक $2\frac{1}{2}$ उपार्जित अवकाश ही देय हैं। जबकि 4 दिवस उपार्जित अवकाश सेवा पुस्तिका में जोड़े गये है।
3	श्री मोहन सिंह s/o अमरसिंह क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4914	1. कार्मिक की जन्म दिनांक प्रमाणित नहीं है। 2. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 3. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
4	श्री मोहन कुमार मीना क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4251	1. सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। 2. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 3. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
5	श्री पृथ्वीराज क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4555	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
6	श्री सुमेर सिंह चारण कार्मिक संख्या 4233	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
7	श्री खेमराज मीणा क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4681	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा क. अभियन्ता कार्मिक संख्या 4745	1. उपार्जित अवकाश लेखा दि. 1.7.15 से एवं अर्द्धवेतन अवकाश लेखा दिनांक 30.8.15 से संधारित नहीं है। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं है।
9	श्री संदीप गुप्ता AEN कार्मिक संख्या 4655	1. नियमितीकरण दि. 10.11.12 होने से दिसंबर 12 तक 2.5 PL अवकाश देय है। जबकि अवकाश लेने में 4 दिन उपार्जित अवकाश जोड़ा गया। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।

Rh-8 95

99

10	श्री नितिन गुप्ता सहायक अभियंता कार्मिक संख्या 47	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. वेतन वृद्धि पर कार्मिक के हस्ताक्षर नहीं (S.B. कालम संख्या 8) है।
11	श्री हेमेश कुमार शर्मा AEN कार्मिक संख्या 2415	1. सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है।
12	श्री विनोद कृष्णन AEN कार्मिक संख्या 2398	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है।
13	श्री मुकेश कुमार माथुर क. लेखाकार कार्मिक संख्या 2424	1. सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है। 2. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है।
14	दीपक खंडेलवाल कार्मिक संख्या 650.	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. कार्मिक की जन्म दिनांक प्रमाणित नहीं है। 3. 31.12.17 के बाद उपार्जित अवकाश लेखा संधारित नहीं है।
15	श्री गोपीचन्द्र मीणा कार्मिक संख्या 1686	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है।
16	श्री महेश कुमार सैनी व. सहायक कार्मिक संख्या 197	1. अर्द्धवेतन अवकाश लेखा संधारित नहीं है। 2. सेवा पुस्तिका में कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त कमियों की पूर्ति एवं पुनरावृत्ति रोके जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(10) (स) वेतन/भत्ते :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गये अभिलेख/सेवापुस्तिकाओं के नमूना जांच में वेतन/भत्तों से संबंधित कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। अतः आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

Rk 8 052 3 15 26

(10) (द) (i) यात्रा भत्ता बिलों की जांच में अनियमितताओं पर वसूली योग्य राशि 23711/- :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये व्यय वाउचर्स की नमूना जांच में यात्रा भत्ता बिलों की समीक्षा किये जाने पर पाया गया कि राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	वाउचर/दिनांक / राशि	नाम कार्मिक व पदनाम	अदेय राशि	विवरण
1	269/31.10.2017 / 14339	Shri vivek Sharma (XEN Project-I)	230	यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार उक्त कार्मिक (बी श्रेणी) को दैनिक भत्ता जयपुर से अहमदाबाद जाने का 225/-रु प्रतिदिन के हिसाब से देय है किन्तु उक्त कार्मिक के यात्रा भत्ता बिल में दैनिक भत्ता 340/- रु प्रतिदिन के हिसाब से दिया गया है। अतः $115 \times 2 = 230$ रु अधिक भुगतान किया गया है।
2	42/03.05.2016 / 1833	Shri Madan lal Verma(कार्मिक संख्या 262)DIDBS	202	दिनांक 8.1.16,19.1.16,28.1.16 को 6 ठहराव 12 घण्टे से कम होने से दैनिक भत्ता $135/2 = 67.5 \times 3 = 201.50$ (202 रु. अदेय)
3	55/03.05.2016	N.C. Mathur निदेशक अभि.	23279	दिनांक 4.1.16 को जयपुर से अहमदाबाद वायुयान से यात्रा की गई। जिससे दिनांक 4.1.16 से 9.1.16 तक अरबन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम था। प्रोग्राम कॉडीनेटर सुधाकर executive education अहमदाबाद द्वारा दिनांक 31.12.2015 को मेल द्वारा श्रीमान एन. सी माथुर को उक्त प्रोग्राम स्थगन होने के बाद भी श्री माथुर दिनांक 4.1.16 को अहमदाबाद यात्रा करके राशि 23279 का क्लेम प्राप्त किया जो देय नहीं था।
		योग	23711	

उपरोक्तानुसार संबंधित से राशि रु. 23711/- वसूल कर संस्था कोष में जमा करवाने जाने हेतु संस्था प्रधान का आकर्षित किया जाता है

8 Rk 11 12 13

101

(10) (य) चिकित्सा पुर्नभरण बिलों में अधिक भुगतान राशि 214813/- की वसूली का अभाव:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अंकेक्षण वर्ष 2016-18 में चिकित्सा पुर्नभरण बिलों के जाँच माह में निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों को अदेय औषधियों का निम्न अनुसार भुगतान वसूली योग्य है:-

क्र. सं.	वाउचर/ दिनांक/ राशि	नाम कार्मिक व पदनाम	कर्मचारी संख्या	विवरण	अदेय राशि
1.	230 / 26.04.2016 / 457036	श्री रमेश सोनी, ड्राईवर	040	Infinty Scans C/o Apex Hospital Bill No- 11470/19.09.2015 Bill No- 11474/19.09.2015 Bill No- 11524/20.09.2015 Bill No- 11508/20.09.2015 Bill No- 11714/22.09.2015 Bill No- 11657/22.09.2015 Bill No- 12060/27.09.2015 Bill No- 14494/28.10.2015 Bill No- 14508/28.10.2015 Bill No- 14529/29.10.2015 Bill No- 14670/31.10.2015 अनुमोदित जाँच केन्द्र नहीं OPD	248 338 1125 2625 190 188 188 188 350 188 188 5816
2.	230 / 26.04.2016 / 457036	श्री गोपाल लाल सैनी, च०श्रे.कर्म०	2136	NK Medical Store Bill No- 000302/03.03.2016 NAC नहीं	172
3	238 / 26.04.2016 / 873576	श्री तरुण कुमार शर्मा, च०श्रे० कर्म०	185	Thaper Dental Clinic Bill No- 171/16.01.16 Amount 22300 25 % Discount देय नहीं	5575
4	238 / 26.04.2016 / 873576	श्री शिवकान्ता शर्मा, उपायुक्त (रिकॉर्ड)	369	NK Dental Hospital Bill No- 11417/05.03.2016 Amount 3200-800= 2400 Discount 800 का भी भुगतान किया गया।	800
5	238 / 26.04.2016 / 873576	श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता	662	O.K. Diagnostic Research Center Pvt. Ltd. Bill No- 530/03.04.2014 Amount 6100 20% Discount 1220 का भी भुगतान किया गया। Harsh Medical Bill No- 10261/24.04.2014 NAC नहीं	1220 96 1316

98

102

6	238/26.04.2016/ 873576	श्री सुभाष चन्द्र बोहरा, निजी सचिव	1844	Khandaka Hospital Bill No- 15516/01.02.2016 Amount 800 10% Discount का भी भुगतान किया गया।	80
7	238/26.04.2016/ 873576	श्री भँवर सिंह, सहाय लेखाधिकारी-I	2562	Santokba- The Pharmacy opd Bill No- 69992/23.09.2015 Bill No- 127722/15.03.2016 NAC नहीं Suresh Medical Bill No- 26223/27.02.2016 NAC नहीं Okay Diagnostic center Bill No- 73591/29.02.2016 Amount 5570 20% छूट का भी भुगतान किया गया।	180 119 400 1114 1813
8	238/26.04.2016/ 873576	श्री महेन्द्र सिंह, सहाय लेखाधिकारी-II	3370	Amar Medical Store Bill No- 14469/22.04.2015 NAC नहीं	506
9	238/26.04.2016/ 873576	श्री तेज प्रकाश शर्मा, सहाय अभियन्ता	3593	Shiv medical & Gen. Store Bill No- 90284/19.02.2016 Bill No- 91173/22.02.2016 NAC नहीं	166 726 892
10	238/26.04.2016/ 873576	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, प्रशासक अधिकारी	4434	Govind Sales Bill No- 7566/13.02.2016 NAC नहीं	493
11	101/05.05.2016/ 808221	श्री जनकेश माथुर, वरिष्ठ सहायक	772	Heart & General hospital Bill No- 21509313/27.03.2016 Amount 225000 Discount 10% का भी भुगतान किया गया।	22500
12	101/05.05.2016/ 808221	श्री प्रमोद पारीक	2181	KC memorical Eye Hospital Bill No- 435894/05.04.2016 Amount 25000 Discount 25% का भी भुगतान किया गया।	6250
13	101/05.05.2016/ 808221	श्री रामेश्वर लाल यादव	3064	Rajdhani Hospital Bill No- 128/18.04.2015 Amount 20300 Discount 15% का भी भुगतान किया गया।	3045
14	101/05.05.2016/ 808221	श्री प्रहलाद गुर्जर अमीन	3441	Okay Diagnostic Research Centre Pvt.Ltd. Santokha Durlabhji Memorial Hospital Bill No-6479/25.09.2015	1500

[Handwritten signatures and marks]

103

				अनुमोदित जॉब केन्द्र नहीं Santokba the pharmacy Bill No- 70975/25.09.2015 Bill No- 83350/28.10.2015 NAC नहीं	641 167 2308
15	101/05.05.2016/ 808221	श्री सीताराम जीतरवाल सहा० लेखाधिकारी-II	4349	N.K. Medical Store Bill No- 0367/12.03.2016 Bill No- 105/13.03.2016 Bill No- 0366/12.03.2016 NAC नहीं	526 206 274 1006
16	246/17.05.2016/ 498735	श्री रामप्रताप जाटव, सहा० अभियन्ता	4651	Jai Bhawani pharmacy Bill No- 23284/27.08.2014 Shri Tribhuvan Medical Bill No- 01750/27.08.2014 NAC नहीं RWL health world ltd. Fortis Hospital Ltd. opd Bill No- 6144738/28.08.2015 NAC नहीं jai Bhawani pharmacy Bill No- 23286/27.08.2014 Bill No- 22630/23.08.2014 NAC नहीं Religare wellness Bill No- 61011468/05.04.2015 NAC नहीं Jai Bhawani pharmacy Bill No- 21056/12.08.2014 NAC नहीं Mahaveer medical Bill No- 25917/22.08.2014 Bill No- 28270/02.09.2014 NAC नहीं Religare wellness Bill No- 6100772/03.04.2015 Bill No- 6104564/15.04.2015 Bill No- 6106614/22.04.2015 Bill No- 6110322/06.05.2015 NAC नहीं	289 75 426 294 305 208 676 770 164 710 248 677 634 5476
17	34/01.06.2016/ 468193	श्री रामपाल मीणा, फिटर	3290	Vardhaman Medical center opd- SDMH Bill No- 1849/19.04.2016 CT SCAN	1500

100

24. 8

100

24. 8

24. 8

24. 8

24. 8

104

				अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	
18	131/06.06.2016/ 450080	श्री राजेश कुमार सक्सैना, सिस्टम एनालिस्ट	13	Santokba- The Pharmacy opd Bill No- 9000/27.04.2016 NAC नहीं	144
19	131/06.06.2016/ 450080	श्री. गोपाल मिश्रा, सहा० अभियन्ता	3978	Dr. Wahis Central Diagnostic Clinic Bill No- 516010300012/03.01.2016 Test sonu complet abdomen opd sdmh अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	1000
20	11/01.07.2016/ 359661	श्री गिराज मोहन गुप्ता, अधिसांषी अभियन्ता	186	Vardhman Nulear imaging centre sdmh hospital Bill No- 418/18.06.2016 IPD 18.06.2016 Tagore Hospital अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं Dr. B. lal clinical laboratory pvt. Ltd. gopalpura bye pass Bill No- 966/01.05.2016 Bill No- 967/01.05.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	8500 120 120 8740
21	11/01.07.2016/ 359661	श्री अशोक कुमार पाण्डेय कार्यालय अधिक्षक	664	SantokbaThe Pharmacy-OPD Bill No- 94880/02.12.2015 Bill No- 94846/02.12.2015 Bill No- 40736/19.12.2015 NAC नहीं Balaji Sonogarpthy center Tonk Road Bill No- 3486/30.11.2015 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	132 533 261 700 1626
22	11/01.07.2016/ 359661	श्री मेघराज सिंह रतनू	2990	Medi Health inc. Bill No- 06785/04.05.2016 NAC नहीं	728
23	11/01.07.2016/ 359661	श्री शशांक मित्तल	3355	Nihalani medical Bill No- 70266/01.03.2016 NAC नहीं	325
24	48/06.07.2016/ 752898	श्री रामसहाय, च०श्रे०कर्म०	2084	Malviya Nagar Clinic & sonography center Bill No- 25653/24.05.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	700
25	48/06.07.2016/ 752898	श्री हरीश पुत्र श्री गोपीराम मिस्त्री	2155	Camberwell Diagnostic & medical rearch center Bill No- 52493/28.05.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	400

Plk. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

105

26	121 / 14.07.2016 / 168962	श्री इकरामुद्दीन प्रवर्तन अधिकारी	649	Girdhar Medi centre Bill No- 24655/21.10.2015 Bill No- 25775/29.10.2015 Bill No- 27120/13.11.2015 Bill No- 00000/13.11.2015 NAC नहीं Super medicose Bill No- 61441/09.01.2016 NAC नहीं	1195 339 50 148 4073 5805
27	222 / 20.07.2016 / 363044	श्री रामकुमार, सहाय लेखाधिकारी-II	4590	Shriram Medical & Pravision Store Bill No- 06545/30.10.2015 NAC नहीं Camberwell Diagnost & Medical research center Bill No- 03914/10.03.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं।	296 950 1246
28	222 / 20.07.2016 / 363044	श्री ओमप्रकाश किलानिया, आरपीएस	4804	Jai Bhawani Pharmacy Bill No- 11931/17.06.2016 Bill No- 11900/17.06.2016 वैद्य NAC नहीं	537 40 577
19	276 / 25.07.2016 / 568021	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त	632	Sunita Medical & provision Store Bill No- 2258/06.05.2016 NAC नहीं Bill No- 2314/21.05.2016 NAC नहीं	103 455 558
30	276 / 25.07.2016 / 568021	श्री अरुण कुमार शर्मा, अधिशांषी अभियन्ता	2395	Jaipur Hospital Drug store Bill No- 08331/24.09.2012 NAC नहीं Sudeep medicos Bill No- 03041/24.09.2013 NAC नहीं kuchaman medical hall Bill No- 96015/06.04.2013 NAC नहीं Heena medical Bill No- 18483/23.06.2015 वैद्य NAC नहीं (NAC 24.06.2015) Bharat medical & Gen Store Bill No - 6011/18.02.2016 NAC नहीं Namo medicals Bill No- 15454/18.02.2016	92 184 297 267 3093 427 245

RK 8 102 101 10

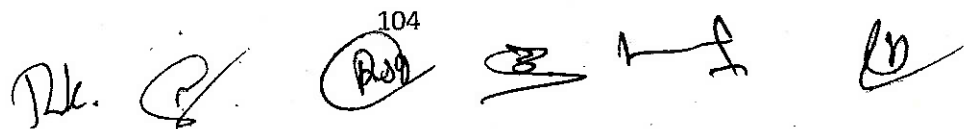
186

				NAC नहीं	4605
31	276 / 25.07.2016 / 568021	श्री सन्त प्रकाश सांखला, सहा० लेखाधिकारी-II	2783	Jai Bhawani Pharmacy Bill No- 6680/17.05.2016 NAC नहीं	622
32	276 / 25.07.2016 / 568021	श्री किशन लाल जाट, सहा० लेखाधिकारी-II	4593	Jai shri medical & gen. store Bill No- 48108/16.10.2015 Bill No- 54192/16.11.2015	114 202 316
33	46 / 03.08.2016 / 275866	श्रीमती प्रणीता जैन, वरि० सहायक	38	Heena medical & diag. centre Tonk road, jaipur Bill No- 4216000306/18.04.2016 Bill No - 421601960/19.07.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं।	1440 450 1890
34	46 / 03.08.2016 / 275866	श्री श्रवण लाल शर्मा, मिस्त्री		vardhman scanner & imagers Bill No - 205/03.05.2016 opd SDMH अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं।	4450
35	232 / 19.08.2016 / 409546	श्री गिरिराज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त	632	KKS Pharmacy Bill No - 7369/27.07.2016 Bill No- 6328/12.07.2016 Bill No- 6063/08.07.2016 Bill No- 5933/05.07.2016 Bill No- 7370/29.07.2016 Bill No- 7317/28.07.2016 Bill No- 6062/08.07.2016 NAC नहीं	789 344 120 120 721 360 540 2994
36	232 / 19.08.2016 / 409546	श्री अरुण कुमार शर्मा, अधिशांषी अभियन्ता	4434	vardhaman Medicose Bill No- 99198/01.02.2014 NAC नहीं	91
37	232 / 19.08.2016 / 409546	श्री बनवारी प्रसाद मिश्रा प्रवर्तन अधिकारी	4774	Mahaveer medical Bill No- 29999/22.06.2015 NAC नहीं Sharma medical Store Bill No- 5702/11.06.2015 Jaina Medical Bill No- 17323/11.07.2015	470 686 255 1411
38	266 / 23.08.2016 / 330832	श्री विनोद शर्मा, वायरमैन	2151	AAkriti labs pvt. ltd. Bill No- 02134/17.07.2012 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	3900
39	266 / 23.08.2016 / 330832	श्री हेमकान्त पाराशर, वरि० सहायक	4652	Health 4 you Diagnostics Bill No- 1352/25.09.2015 Bill No - 0569/25.09.2015 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं।	300 1750 2050

Rb. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

107

40	69 / 07.09.2016 / 388813	श्री कमल चन्द जैन, लेखाकार	847	S.S. pharmacy Bill No- 62046/16.02.2015 NAC नहीं	122
41	122 / 09.09.2016 / 431416	श्री रामावतार तिवाडी, वरि० निजी सचिव	777	Vardhaman Nuclear imaging centre opd sdmh Bill No- 4404/15.07.2016 CVCT Thyroid test अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	3000
42	122 / 09.09.2016 / 431416	श्री गोपाल मिश्रा, सहा०अभि०	3978	Dermaglow medi centre Bill No- 44774/24.06.2016 Bill No- 06915/29.06.2016 वैध NAC नहीं	774 390 1164
43	202 / 21.09.2016 / 629220	श्रीमती तीजा देवी, जमादार	1300	Shri medical & gen store Bill No- 29068/16.08.2016 NAC नहीं	900
44	202 / 21.09.2016 / 629220	श्री रणवीर सिंह, लोडर ऑपरेटर	1742	Mediline Bill No- 5944/07.07.2016 NAC नहीं	654
45	324 / 24.03.2017 / 525277	श्री बाबूलाल बुनकर, कनि० सहायक	304	Okay diagnostic research centre pvt. ltd. sdmh opd Bill No- 4506/28.07.2016 CT Brain अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	1600
46	40 / 03.03.2017	श्री इन्द्रसिंह, सुपरवाईजर	640324	Intraouter lense NAC के अभाव में निजी दवाघर से खरीदी गई	7400
47	324 / 24.03.2017 / 525277	श्री चन्द्रसेन जावरिया, वरि० सहायक	658	Okay diagnostic research centre pvt. ltd. sdmh opd Bill No- 8036/11.11.2016 MRI अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	3000
48	324 / 24.03.2017 / 525277	श्री मोहन लाल, कनि० सहायक	2180	Vardhman scanner & imagers pvt. ltd. opd sdmh test MRI Bill No- 4311/25.04.2016 Rs. 5500/- अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	2800
49	324 / 24.03.2017 / 525277	श्री हरिसिंह, च०श्रे० कर्म०	2186	Vardhman scanner & imagers Bill No- 5290/22.07.2016 Rs. 5000/- opd sdmh test MRI अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	2950
50	324 / 24.03.2017 / 525277	श्री दिनेश कुमार सोनी, कनि० लेखाकार	4481	Jai Shri medical Store & gen. store Bill No- 56351/02.01.2017	614

104


108

				वैद्य NAC नहीं	
51	94/07.12.2016/ 716458	श्री सुभाष चन्द गुप्ता, सहा० लेखाधिकारी-1	1268	Lifcare pharmacy Bill No- 23018/10.08.2016 NAC नहीं	132
52	94/07.12.2016/ 716458	श्री कमलकान्त वर्मा, वरि० निजी सहायक	1843	Sethi medical Bill No- 15117/30.06.2016 NAC नहीं	87
53	94/07.12.2016/ 716458	श्री संजीव सचदेव, अधिका० अभियन्ता-1	4658	Mahatma ghandhi hospital pharmacy Bill No - 75556/12.07.2016 Bill No - 75557/12.07.2016 NAC नहीं	104 124 228
54	94/07.12.2016/ 716458	श्री वीर बहादुर गुर्जर, कनि० लेखाकार		DKM Medical Store Bill No- 26155/25.07.2016 Bill No- 26737/27.07.2016 Bill No - 27251/29.07.2016 Bill No- 27745/31.07.2016 Bill No - 26939/28.07.2016 Bill No - 28198/02.08.2016 Bill No - 28726/04.08.2016 Bill No - 28717/04.08.2016 Bill No - 29284/04.08.2016 Bill No - 30012/08.08.2016 Bill No - 30419/10.08.2016 Bill No - 30955/12.08.2016 Bill No - 31741/15.08.2016 Bill No - 31724/15.08.2016 Bill No - 32488/18.08.2016 Bill No - 33227/21.08.2016 Bill No - 33945/24.08.2016 Bill No - 50407/08.10.2016 Bill No - 51068/10.10.2016 Bill No - 51081/10.10.2016 Bill No - 51845/12.10.2016 NAC नहीं OPD Deep Hospital	100 120 110 110 262 110 80 327 67 110 60 327 90 35 30 30 237 29 44 44 111 2433
55	25/05.04.2017/ 479916	श्री संजीव कुमार जैन, अधिका० अभियन्ता	1411	Jaipur Hospital Drug Store Bill No - 40819/06.01.2017 NAC नहीं (691.50-3.90) काट लिया	688
56	25/05.04.2017/ 479916	श्री मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक	3355	Saket medical Bill No - 38318/30.06.2016 NAC नहीं	66

Rk 8 105 108

110

63	250/26.04.2017/ 388364	श्री राजेश कुमार गुप्ता वरिष्ठ लेखाकाधिकारी	839	Heera Medical & Diag. centre tonk road, jaipur Bill No - 421605000337/21.05.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	4270
64	45/04.05.2017/ 245366	श्री शिवकुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ सहायक	2159	Heena medical & pro. store Bill No - 1792/10.04.2017 NAC नहीं	94
65	83/08.05.2017/ 935964	दामोदर लाल कुमावत	49	Bharat Medical & Gen. Store Bill No - 1108/02.07.2016 NAC नहीं	149
66	83/08.05.2017/ 935964	श्री गिरिराज अग्रवाल संयुक्त आयुक्त	632	Okay Diagnostic research center pvt. ltd. sdmh hospital Bill No - 10564/18.12.2017 CT/MRI (1600+5000=6600-2650) अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	3950
67	83/08.05.2017/ 935964	श्रीमती शिप्रा सोनी तहसीलदार	4513	SRL Diagnostic Bill No - 6148/16/10.11.2016 AAkriti labs pvt. ltd. Bill No - 67476/10.11.2016 Dr. Lal path labs tilk nagar jaipur Bill No - 055568581/25.11.2016 Bill No - 236113529/16.01.2017 Bill No - 237336663/24.02.2017 Uni path labouatoriyy ltd. Bill No - 161154369/26.11.2016 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	456 1369 900 1020 900 240 4885
68	223/25.05.2017/ 497196	श्री रामनिवास सोमानी	4417	Jai Bhawani pharmacy Bill No - 552470/29.01.2017 NAC नहीं	173
69	223/25.05.2017/ 497196	श्री गोविन्द सिंह चौथे कर्मचारी	4599	NK medical store Bill No - 00124/17.04.2017 Bill No - 00220/01.05.2017 NAC नहीं	374 91 465
70	252/29.05.2017/ 405275	श्री महेश चन्द गुप्ता सहायक नगर नियोजक	488	Santokba the pharmacy Bill No - 107657/09.01.2017 NAC नहीं	158
71	252/29.05.2017/ 405275	श्री सुभाष चन्द सैनी अधिशायी अभियन्ता	717	Santokba the pharmacy Bill No - 90646/16.02.2017 NAC नहीं	261
72	14/01.06.2017/ 289062	श्री ईश्वर वासनानी सहायक	4440	Reliable Diagnositc centre Bill No - 4516/15.03.2017 Bill No - 4800/19.03.2017 Bill No - 7159/18.04.2017 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	500 500 250 1250

Rh 8 108 3 1 11

111

73	14 / 01.06.2017 / 289062	श्री राजकुमार सहा० लेखाधिकारी	4590	Gupta medical Bill No – 1842/21.05.2017 NAC नहीं	160
74	157 / 14.06.2017 / 176086	श्रीमती शीला पंवार	293	Okay Diagnostic Research centre pvt. ltd. sdmh hospital Bill No – 1176/12.05.2017 CT Scan opd sdmh अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	1600
75	242 / 27.06.2017 / 687128	श्री इन्द्रकुमार कचोलिया सहायक	292	NK Medical Store Bill No – 0234/03.05.2017 NAC नहीं	268
76	242 / 27.06.2017 / 687128	श्री रमेश सोनी ड्राईवर	2040	Girdhar medi centre Bill No – 39920/07.03.2016 (67.20+14) NAC नहीं	81
77	43 / 05.07.2017 / 281105	श्री दामोदर लाल कुमावत निजी सचिव	49	Okay Diagnostic research center pvt. ltd. sdmh hospital Bill No – 7484/21.10.2016 (6000-3200=2800) MRI opd sdmh अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं Santokba the pharmacy opd Bill No – 134708/30.03.2017 NAC नहीं Mahaveer medical hall Bill No – 22282/22.08.2016 अधिकृत NAC नहीं (NAC 19.08.2016)	2800 30 467 3297
78	179 / 20.07.2017 / 323711	श्री कृष्ण मोहन टांक सहायक	1184	Monilek pharmacy Bill No – 20913/26.09.2016 Bill No – 20914/26.09.2016 Bill No – 20915/26.09.2016 opd monilek hospital	480.98 58.98 36 576
79	179 / 20.07.2017 / 323711	श्री प्रमोद कुमार पारीक सिविल मिस्त्री-आ	2181	Amar jain medical store Bill No – 557/05.04.2017 अधिकृत NAC नहीं (NAC 06.04.2017)	299
80	179 / 20.07.2017 / 323711	श्री शम्भूलाल	3001	Vardhman medical pvt. ltd. Bill No – 030267/03.07.2017 अधिकृत NAC नहीं (NAC 30.06.2017)	354
81	179 / 20.07.2017 / 323711	श्री राकेश कुमार दुबे लेखाकार	4632	Dr. B. Lal clinical laboratory pvt. ltd. bramhapuri road jaipur Bill No – 521700000145/23.04.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	430

Plh [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

112

82	199/21.07.2017/ 569724	श्री रेहमत उल्लाह मिर्जा वरि० सहायक	660	NK Medical Store Bill No – 00324/18.05.2017 वैद्य NAC नहीं	365
83	199/21.07.2017/ 569724	श्री महेन्द्र सिंह वरि० निजी सहायक	1835	Sanjeevani medical Store Bill No – 10656/07.07.2016 NAC नहीं Amar jain medical store Bill No – 12063/28.05.2016 NAC नहीं	98 589 687
84	199/21.07.2017/ 569724	श्री जगदीश नारायण मीणा च०श्रे०कर्म०	3258	Karol Medical Provision Store Bill No – 15775/23.06.2017 अधिकृत NAC नहीं (NAC 19.06.2017)	76
85	199/21.07.2017/ 569724	श्री ज्ञान चन्द रैगर उपायुक्त (प्रशा)	4855	Okay diagnostic research center pvt. ltd. Bill No – 2504/22.06.2017 opd sdmh MRI (5000-2050=2950) अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	2950
86	119/16.08.2017/ 165912	श्री जनकेश माथुर वरि० सहायक	772	Dr. B. Lal clincical laboratory mansarovar centre Bill No – 621707000066/05.07.2017 opd saket hospital अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	2800
87	119/16.08.2017/ 165912	श्री कृष्ण मोहन टांक सहायक	1184	S.S. Pharmacy Bill No – 38162/29.09.2016 NAC नहीं	190
88	119/16.08.2017/ 165912	श्री सन्त प्रकाश सांखला सहा०लेखाधिकारी-II	2783	Kushagra medical store Bill No – 01803/13.04.2015 NAC नहीं	150
89	119/16.08.2017/ 165912	श्री विनोद कुमार जैन सहा० लेखाधिकारी-II	4604	meera medical & surgical agency Bill No – 223/30.04.2017 NAC नहीं	151
90	119/16.08.2017/ 165912	श्री हेमकान्त पाराशर वरि० सहायक	4652	Deepali Medical & depart- mental Store Bill No- 26924/28.01.2017 NAC नहीं	104
91	195/29.08.2017/ 349113	श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता सहायक अभियन्ता	2872	Malhotra smile care & centre Bill No – 1318/09.07.2016 Rs. 4600/- 25% Discount का भी भुगतान किया गया है। Bill No – 1319/09.07.2017 Rs. 1800/-	1150 450

[Handwritten signatures and marks]

113

				25% Discount का भी भुगतान किया गया है। Okay Diagnostic research center pvt. ltd. vaishali nagar, jaipur Bill No – 2787/09.07.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	400 2000
92	195 / 29.08.2017 / 349113	श्री प्यारे लल मीणा अधिशायी अभियन्ता	3534	Suprim Medical Provision Store Bill No – 11563/07.09.2016 Bill No – 11562/07.09.2016 वैद्य NAC नहीं (NAC 03.09.2016) Vardhman medicose Bill No – 33863/08.07.2016 अधिकृत NAC नहीं (NAC 05.07.2016)	372.56 392.80 <u>154.33</u> 920.00
93	195 / 29.08.2017 / 349113	श्री भूपेश कुमार सारस्वत सहायक अभियन्ता	3605	metro Pharmacy Bill No – 50207/11.01.2017 NAC नहीं	220
94	195 / 29.08.2017 / 349113	श्री रामेश्वरलाल माथुर अधिशायी अभियन्ता	3954	R.R. Diagnostic centre hawa mahal bazaar, jaipur Bill No – 18886/25.03.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	550
95	195 / 29.08.2017 / 349113	श्री सुरेन्द्र यादव	4849	Promad Medical Pro.Store Bill No – 81504/21.06.2017 Bhagwati medical & pro. store Bill No – 02285/03.05.2017 NAC नहीं	383.35 <u>531</u> 914.00
96	131 / 14.09.2017 / 642155	श्रीमती ओमकंवर चौश्रेठकर्म	2502	Shri Medical & Gen Store Bill No – 3049/17.04.2017 NAC नहीं	18
97	131 / 14.09.2017 / 642155	श्री भवानी शंकर	3269	S.R. Diagnostic centre Bill No – 120062/13.05.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	800
98	131 / 14.09.2017 / 642155	श्री संजय असवाल सहायक	4426	Laduna Homeopathic clinic, vaishali nagar, jaipur Bill No – 571700001147/28.05.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	440
99	131 / 14.09.2017 / 642155	श्री संजय गुप्ता सहाय लेखाधिकारी-II	4870	Dr. vaibhav avnish bharadwaj Bill No- 441700002450/23.06.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	550
100	132 / 14.09.2017 / 228829	श्रीमती प्रेमलता गुप्ता निजी सचिव	711	S. S. Pharmacy Bill No- 09430/22.05.2017 NAC नहीं Bill No – 06745/08.05.2017 अधिकृत NAC नहीं (NAC 05.05.2017)	14 <u>249</u> <u>263</u>

Rk. 8 (Signature) 110 (Signature) 111 (Signature) 112 (Signature)

114

101	132 / 14.09.2017 / 228829	श्री शिवरत्न पारीक सहायक अभियन्ता	4491	Ganesham imaging & ultrasound centre Bill No- 2760/12.09.2016 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं Dkm medical store Bill No – 38901/11.09.2016 Bill No – 39678/13.09.2016 NAC नहीं	1020 117 244 1381
102	132 / 14.09.2017 / 228829	श्रीमती मीनू मल्होत्रा पीए	4696	Vardhman Medi pvt. ltd Bill No – 036929/22.07.2017 NAC नहीं	213
103	21 / 04.12.2017 / 613091	श्रीमती प्रणीता जैन कार्यालय सहायक	38	Heera Medical & Diagnositc centre tonk road, jaipur Bill No- 421708000001/01.08.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	593
104	21 / 04.12.2017 / 613091	श्री मुकेश कुमार मीना कार्यालय अधीक्षक	1284	Mahaveer imaging centre Bill No – 612/18.07.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	4500
105	21(II) / 04.12.2017 / 613091	श्री हरिराम सिंह मिस्त्री-II	2202	Medicine corner Bill No – 000104/16.03.2017 NAC नहीं	676
106	21(II) / 04.12.2017 / 613091	श्री कैलाश चन्द हैल्पर	3990	Shri Ram ramya medical store Bill No – 45365/02.07.2017 NAC नहीं	60
107	207 / 26.12.2017 / 535538	श्री नवल किशोर बैरवा उपायुक्त	45	Vardhman Scanner & Imagers ltd Bill No – 1310/11.10.2017 (5500-2700=2800) Bill No – 1311/11.10.2017 test MRI opd sdmh (5500-2700=2800) अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	2800 2800 5600
108	207 / 26.12.2017 / 535538	श्री गिर्राज मोहन गुप्ता अधिक्षापी अभियन्ता	186	Dr. B. Lal clinical laboratory pvt. Ltd. gopalpura bye pass, jaipur Bill No – 411700008714/03.12.2017 अधिकृत जॉच केन्द्र नहीं	400
109	207 / 26.12.2017 / 535538	श्री देवेन्द्र गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता	1405	Agarwal Medical & Pro. Store Bill No – 15585/08.02.2017 NAC नहीं DR. K.G. Medi shop Bill No – 004724/11.02.2017 NAC नहीं Santokba- the pharmacy Bill No – 27024/09.06.2017 Bill No – 21591/23.09.2015	193.38 132 359 11

111

115

				NAC नहीं Jai shri medical & gen. Store Bill NO – 42888/24.09.2015 Bill No – 45413/05.10.2015 NAC नहीं Santokba- the pharmacy Bill No – 22650/01.06.2016 NAC नहीं Patient care Bill No – 15660/15.03.2015 NAC नहीं Maa medicaose Bill No – 12709/18.02.2015 NAC नहीं	44 70 30 58 <u>188</u> <u>1085</u>
110	207/26.12.2017/ 535538	श्री सत्यम खण्डेलवाल निजी सहायक	1833	Vardhman Scanners & Imagers pvt.ltd. Bill No – 10084115/17.04.2017 (5500-2300=3200) opd Fortis hospital MRI brain अनुमोदित जॉय केन्द्र नहीं	3200
111	207/26.12.2017/ 535538	श्री नवीन कुमार बडजा वरि० निजी सहायक	1839	R.D. medicose & Gen. store Bill No – 11291/04.09.2017 NAC नहीं	87
112	207/26.12.2017/ 535538	श्री मनोज कुमार सिंह अधिशांषी अभियन्ता		Vinayak medical & gen. store Bill No – 18372/25.09.2017 Jai shri medical & gen. store Bill No – 41834/15.11.2017 NAC नहीं Santokba the pharmacy Bill No – 17002830095286/27.11.2017 NAC नहीं Medicine centre Bill No – 24943/08.08.2017 NAC नहीं	20 91.76 175 <u>42.50</u> <u>329</u>
113	237/29.12.2017/ 349912	श्री गोमाराम	2183	Vardhman scanner & imagers pvt. ltd sdmh Bill No – 3467/06.12.2017 (5000-2050=2950) अधिकृत जॉय केन्द्र नहीं	2950
114	237/29.12.2017/ 349912	श्री पूरण चन्द शर्मा कनि० लेखाकार	2463	Shubhangi medicose Bill No – 38470/07.11.2017 NAC नहीं	192
115	207/23.03.2018/ 431155	श्री ईश्वर वासवानी वरि० सहायक	4440	Reliable Diag. center pvt. ltd malviya nagar, jaipur Bill No – 8741/08.05.2017 अनुमोदित जॉय केन्द्र नहीं	250

Rk. 8 112

116

116	242 / 27.03.2018 / 506697	श्री भगवानदास प्रशा० अधिकारी	651	Girdhar medi centre Bill No – 025400/04.12.2017 Bill No – 6965/11.06.2017 (226-12=214) NAC नहीं	343 <u>214</u> 557
117	242 / 27.03.2018 / 506697	श्री प्यारेलाल भीणा अधिशांषी अभियन्ता	3534	Vardhman Nuclear imaging centre sdmh hospital campus Bill No – 585/15.02.2018 opd sdmh अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	6500
118	242 / 27.03.2018 / 506697	मीनू मल्होत्रा एसजी-11	4656	Mahaveer medical hall Bill No – 034087/22.11.2017 NAC नहीं	599
119	46 / 12.03.2018 / 240851	श्री कमलकान्त वर्मा वरि० निजी सहायक	1843	Sethi Medicals Bill No – 03701/20.04.2017 NAC नहीं	57
120	47 / 12.03.2018 / 338539	श्री सुधीर कुमार जैन वरि० सहायक	39	Shri medical & Gen Store Bill No – 15921/27.06.2017 Bill No – 30996/14.09.2017 NAC नहीं Ganesh medical store Bill No – 009773/29.07.2017 NAC नहीं	270 93 <u>90</u> <u>453</u>
121	47 / 12.03.2018 / 338539	श्री सीताराम सैन	2093	Reliable Diagnostic Centre Bill No – 1368/17.07.2018 अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं Shri medicals Bill No – 57438/17.01.2018 NAC नहीं	450 <u>300</u> <u>750</u>
122	47 / 12.03.2018 / 338539	श्री राजकुमार मामोडिय कनि० लेखाकार	2499	Dr. B. Lal Clinical Lab Pvt. Ltd. shastri nagar, jaipur Bill No – 611700004223/03.01.2018 Bill No – 611700003712/01.12.2017 Bill No – 611700002776/05.10.2017 Bill No – 61170001699/02.08.2017 NAC नहीं	105 105 105 <u>105</u> <u>420</u>
123	47 / 12.03.2018 / 338539	श्री राजेन्द्र भारद्वाज	3288	Okay Diagnostic research centre sdmh campus Bill No – 3026/10.07.2017 opd sdmh अनुमोदित जॉच केन्द्र नहीं	3200
कुल राशि					214813

113
Rk. 8 113 113 113 113

117

उपरोक्तानुसार संबंधित से राशि रु. 214813/- वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(10) (र) ए.सी.पी./चयनित वेतनमान :-

(क) चालू वेतन बैंड के अधिकतम पर पहुँचने पर भी अनियमित रूप से वेतन वृद्धि स्वीकृति करने से राशि 61048/-रु का अधिक भुगतान

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 (1 जनवरी 2006 से प्रभावी) के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी चालू वेतन बैंड के अधिकतम पर पहुँच जाता है तो ऐसे अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात अगले उच्चतर चालू वेतन बैंड में रखा जायेगा। उच्चतर वेतन बैंड में रखने के समय एक वेतनवृद्धि का फायदा दिया जायेगा।

जयपुर विकास प्राधिरण जयपुर द्वारा प्रस्तुत सेवा अभिलेखों की समीक्षा में निम्न कार्मिक को चालू वेतन बैंड के अधिकतम में पहुँचने के बाद भी अनियमित से वेतन वृद्धि स्वीकृत करके भुगतान किया गया है।

श्री रेखाराम सहायक(कार्मिक संख्या 3572) दिनांक 1.7.2009 को वेतनमान 4750-7440 , ग्रेड पे 1650/- में वेतन 8960/- प्राप्त कर रहे थे। जिन्हे दिनांक 1.7.2010 को वेतनमान 4750-7440 को अधिकतम (7440+ग्रेडपे 1650)9090/- रु ही देय होते है। जबकि वेतन वृद्धि स्वीकृत करके 9230/ रु का भुगतान किया गया निम्नानुसार दिनांक 1.7.2010 से 30.6.13 तक राशि 9512/- रु का अधिक भुगतान किया गया ।

						अधिक भुगतान			
अवधि	मंहगाई भत्ता दर यथावत	देय वेतन	दिया गया वेतन	अंतर	माह	मूल	मकान किराया	मंहगाई वेतन	योग
जुलाई 2010 से दिसंबर 2010	45	9090	9230	140	6	840	168	378	1386
जनवरी 11 से जून 11	51	9090	9230	140	6	840	168	428	1436
जुलाई 11 से दिसंबर 11	58	9370	9510	140	6	840	168	487	1495
जनवरी 12 जून 12	65	9370	9510	140	6	840	168	546	1554
जुलाई 12 से दिसंबर 12	72	9660	9800	140	6	840	168	605	1613
जनवरी 13 से जून 13	80	9660	9800	140	6	840	168	672	1680

114
Rk. 8 108 22 22

118

						5040	1008	3116	9164
--	--	--	--	--	--	------	------	------	------

एवं समर्पित अवकाश का निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया।

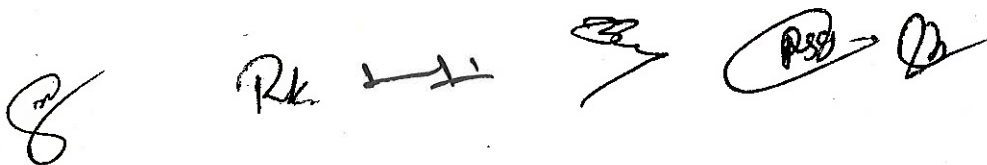
दिनांक	मूल महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान
2011-12/11.5.11	70+36	106
2012-13/10.5.12	70+46	116
2013-14/15.5.13	70+56	126
योग		348

इस प्रकार श्री रेखाराम को 9164+348 कुल 9512/- का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) श्री किशन लाल पुत्र श्री बन्शीलाल सहायक (का. संख्या 2209) ज्वाइन दिनांक 2.3.1994 पद चौकीदार पर ज्वाइन दी। 1.7.2011 को वेतनमान 4750-7440, ग्रेड पे 1400/- में 8700/- वेतन प्राप्त कर रहा था। जिसे दिनांक 1.7.2012 को वेतनमान 4750-7440 के अधिकतम (7440+1400) 8840/- ही देय होते हैं जबकि 1.7.2012 को कार्मिक को 8970/- वेतन दिया गया। उक्त कार्मिक की दिनांक 23.10.2012 को सहायक के पद पर पदोन्नति होने से वेतनमान 5200-20200 में 8840/- एवं ग्रेड पे अंतर (1900-1400) कुल 9340/- ही देय होता है, जबकि 9740/- वेतन दिया गया। जिसे संस्था द्वारा संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक 94 दिनांक 12.3.18 द्वारा वेतन संशोधित करके दिनांक 23.10.2012 को राशि 9340/- वेतन दिया जाकर वेतन वृद्धि स्वीकृत की गई।

दिनांक 01.07.2013 को वेतन 9340 ग्रेड पे अन्तर (2400-1900) 500 वेतनवृद्धि 280/- कुल 10120/- देय है जबकि 10540 रु दिया गया जिससे निम्नानुसार अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई।

						अधिक भुगतान			
अवधि	महंगाई भत्ता प्रतिशत	देय वेतन	दिया गया वेतन	अंतर	माह	मूल	मकान किराया	महंगाई वेतन	योग
01 जुलाई 2012 से 22.10.12	72	8840	8970	130	3 माह 22 दिवस	482	96	347	
23.10.12 से 31.12.12	72	9340	9740	400	2 माह 9 दिवस	916	183	660	
जनवरी 13 से जून 13	80	9340	9740	400	6 माह	2400	480	1920	
जुलाई 13 से दिसम्बर 13	90	10120	10540	420	6	2520	504	2268	



119

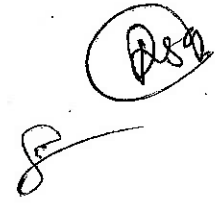
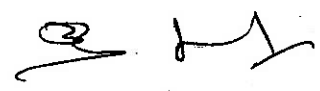
जनवरी 14 से जून 14	100	10120	10540	420	6	2520	504	2520	
जुलाई 14 से दिसम्बर 14	107	10430	10860	430	6	2580	516	2761	
जनवरी 15 से जून 15	113	10430	10860	430	6	2580	516	2915	
जुलाई 15 से दिसम्बर 15	119	10750	11190	440	6	2640	528	3142	
जनवरी 16 से जून 16	125	10750	11190	440	6	2640	528	3300	
जुलाई 16 से दिसम्बर 16	132	11080	11530	450	6	2700	540	3564	
						21978	4395	23397	49770

एवं समर्पित अवकाश का निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया।

वर्ष/भुगतान दिनांक	मूल महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान
2013-14/17.04.13	200+180	380
2014-15/08.05.14	210+210	420
2015-16/30.04.15	215+256	471
2016-17/04.05.16	220+275	495
योग		1766

उपरोक्तानुसार राशि 49770+1766 कुल 51536 का अधिक भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिकों से राशि (9512+51536) कुल 61048 रुपये वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.   

120

(ग) श्री घनश्याम कुमार खण्डेलवाल, कनिष्ठ सहायक को वेतन में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के संबंध में (संलग्न परिशिष्ट संख्या-6)

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आज्ञा क्रमांक प. 14(10)जविप्रा/संस्था/2000 दिनांक 30.11.2000 द्वारा श्री घनश्याम कुमार खण्डेलवाल को कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षणार्थी के पद पर 300/-रु प्रतिमाह स्टाइपेण्ड पर छः माह के लिये अस्थायी तौर पर नियुक्ति प्रदान की गई। श्री खण्डेलवाल ने दिनांक 21.12.1982 को प्रशिक्षण पर कार्यभार ग्रहण किया। प्रशिक्षण अवधि पर नियुक्ति तिथि 01.08.1983 थी।

जयपुर विकास प्राधिकरण के आज्ञा क्रमांक प. 8-ए/जविप्रा/83 दिनांक 17.06.2002 द्वारा श्री खण्डेलवाल तत्कालीन कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति तिथि परीक्षा पर रखे जाने की तिथि के स्थान पर प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 21.12.1982 से माने जाने एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसरण में 18 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर वेतन निर्धारण भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की गई।

क्र.सं.	दिनांक	वेतन	वेतन श्रृंखला	विशेष विवरण
1	21.12.1982	490	490-840	-
2	21.12.1983	500	490-840	वार्षिक वेतन वृद्धि
3	21.12.1984	510	490-840	वार्षिक वेतन वृद्धि
4	21.12.1985	520	490-840	वार्षिक वेतन वृद्धि
5	01.09.1986	880	880-1680	पुनरीक्षित वेतनमान 1987 में वेतन निर्धारण
6	21.12.1986	895	880-1680	वार्षिक वेतन वृद्धि
7	21.12.1987	910	880-1680	वार्षिक वेतन वृद्धि
8	01.09.1988	970	950-1080	पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में वेतन निर्धारण
8	21.12.1988	990	950-1080	वार्षिक वेतन वृद्धि
9	21.12.1989	1010	950-1080	वार्षिक वेतन वृद्धि
10	21.12.1990	1030	950-1080	वार्षिक वेतन वृद्धि
11	21.12.1991	1050	950-1080	वार्षिक वेतन वृद्धि
12	25.01.1992	1200	1200-2050	9 वर्षीय चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण
13	21.12.1992	1230	1200-2050	वार्षिक वेतन वृद्धि
14	21.12.1993	1260	1200-2050	वार्षिक वेतन वृद्धि
15	21.12.1994	1290	1200-2050	वार्षिक वेतन वृद्धि
16	21.12.1995	1320	1200-2050	वार्षिक वेतन वृद्धि
17	01.09.1996	4100	4000-6000	पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में वेतन निर्धारण
18	01.09.1997	4200	4000-6000	वार्षिक वेतन वृद्धि
19	01.09.1998	4300	4000-6000	वार्षिक वेतन वृद्धि
20	01.09.1999	4400	4000-6000	वार्षिक वेतन वृद्धि
21	01.09.2000	4500	4000-6000	वार्षिक वेतन वृद्धि
22	21.12.2000	5000	5000-8000	18 वर्षीय चयनित वेतनमान में वेतन निर्धारण

Rk 8 120 120 120 120 120

23	21.12.2001	5150	5000-8000	वार्षिक वेतन वृद्धि
----	------------	------	-----------	---------------------

121

इनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि 21.12.2002 रहेगी। यह आदेश सचिव जविप्रा से अनुमोदित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के कार्यालय आदेश 83 दिनांक 20.02.2009 के द्वारा प्रसारित समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.06.2002 में संशोधन करके नियुक्ति तिथि 01.08.1983 मानी जाकर निम्नानुसार वेतन निर्धारण किया गया।

क्र.सं.	दिनांक	वेतन	वेतन श्रृंखला	विशेष विवरण
1	01.08.1983	490	490-840	
2	01.08.1984	500	490-840	
3	01.08.1985	510	490-840	
4	01.08.1986	520	490-840	
5	01.09.1986	880	880-1680	
6	01.08.1987	895	880-1680	
7	01.08.1988	910	880-1680	
8	01.09.1988	970	950-1680	
9	01.08.1989	990	950-1680	
10	01.08.1990	1010	950-1680	
11	01.08.1991	1030	950-1680	प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत करने पर(1200-2050)
12	01.08.1992	1200	1200-2050	
13	01.08.1993	1230	1200-2050	
14	01.08.1994	1260	1200-2050	
15	01.08.1995	1290	1200-2050	
16	01.08.1996	1320	1200-2050	
17	01.09.1996	4100	4000-6000	(01.09.1996 से 31.12.1996 तक नोशनल वेतन निर्धारण)
18	01.08.1997	4200	4000-6000	
19	01.08.1998	4300	4000-6000	
20	01.08.1999	4400	4000-6000	
21	01.08.2000	4500	4000-6000	
22	01.08.2001	5000	5000-8000	को द्वितीय चयनीत वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर (5000-150-8000 में वेतन निर्धारण)
23	01.08.2002	5150	5000-8000	
24	01.08.2003	5300	5000-8000	
25	01.08.2004	5450	5000-8000	
26	01.08.2005	5600	5000-8000	
27	01.08.2006	5750	5000-8000	
28	01.08.2007	5900	5000-8000	
29	01.08.2008	6050	5000-8000	

8 Rk 11 12/12/08

122

एवं उक्त आदेश के अनुसार वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि कोई वसूली बनती है तो नियमानुसार की जावेगी।

1. समसंख्यक आदेश 83 दिनांक 17.06.2002 के तहत किये गये भुगतान की वेतन अन्तर तालिका निजी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा आज्ञा दिनांक 20.2.2009 के तहत की गई वसूली की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं पाई गई

निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु मीमां संख्या 421 दिनांक 26.02.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

समसंख्यक आज्ञा 83 दिनांक 20.02.2009 के तहत अधिक भुगतान की वसूली हेतु तैयार की गई वेतन अन्तर तालिका उपलब्ध करावें। एवं वसूली अधिक भुगतान की वसूली कब की गई।

11.

8.    
Rk.

(10) (ल) (i) वाहन संधारण / संविदा वाहन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गयी वाहनों की लॉग बुकों की समीक्षा किये जाने पर निम्नांकित कमियाँ पायी गयी:-

क्र.सं.	वाहन संख्या	राशि	विवरण
1	RJ 14 CN 7782 (Swift Dzire)	60X13.50 = 810	दिनांक 23.06.2016 का अंतिम किमी. 87939 तथा अगली यात्रा दिनांक 12.07.2016 को प्रारंभ 87999 किमी. लिया गया। अन्तर 60 किमी. है। (जिसका प्रयोजन निजी उपयोग माना गया है)
2		60X13.50 = 810	

अतः संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से राशि रु 810/- की वसूली कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

- I. वाहन संख्या RJ 14 AC 5757 (Maruti Suzuki) की लॉग बुक जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

दिनांक 01.04.2016, यात्रा किलोमीटर 24744 से दिनांक 03.01.2016, यात्रा किलोमीटर 34766 की यात्रा में न तो यात्रा प्रयोजन अंकित है तथा प्रयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने का अभाव पाया गया।

अतः उक्त यात्रा अवधि में यात्रा का प्रयोजन स्पष्ट अंकित करवाया जावे एवं प्रयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित करावे अन्यथा यात्रा का प्रयोजन निजी मानते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली कर पालना अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

- II. वाहन संख्या RJ 14 UG 7557 (INNOVA) की लॉग बुक जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

दिनांक 01.04.2016, यात्रा किलोमीटर 16067 से दिनांक 13.12.2016, यात्रा किलोमीटर 25921 की यात्रा में यात्रा का प्रयोजन अंकित नहीं है तथा प्रयोगकर्ता अधिकारी एवं वाहन चालक के हस्ताक्षर से प्रमाणित होने का अभाव पाया गया।

अतः उक्त यात्रा अवधि में यात्रा का प्रयोजन स्पष्ट अंकित करवाया जावे एवं प्रयोगकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित करावे अन्यथा यात्रा का प्रयोजन निजी मानते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली कर पालना अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

- III. वाहन संख्या RJ 14 CT 1167 (INDIGO) की लॉग बुक जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

दिनांक 15.04.2017 को वाहन का पठन 398 किमी. जिसमें वाहन का चलन निम्न प्रकार है :- जविप्रा से गोपालपुरा बाईपास से जविप्रा से शाहपुरा, विराटनगर से रामगढ़ बांध केचमेन्ट एरिया से जविप्रा से गोपालपुरा बाईपास से जविप्रा। जो कि जॉच दल को उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि किमी पठन 398 किमी. है जो कि बहुत अधिक है। अतः उक्त यात्रा किमी. की जॉच करवाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Me. 8    

124

IV. वाहन संख्या RJ 14 BE 8583 (MOTARCYCLE) की लोग बुक जॉच में निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

दिनांक 02.12.2016 को वाहन का पठन 88 किमी. जिसमें वाहन का चलन निम्न प्रकार है :-
जविप्रा से लालकोठी, महेश नगर, गुजर की थडी से जविप्रा। जो कि जॉच दल को उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि किमी पठन 88 किमी. है जो कि बहुत अधिक है। अतः उक्त यात्रा किमी. की जॉच करवाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

V. अन्य अनियमितताएँ :-

लॉगबुक जॉच में निम्न सामान्य अनियमितताएँ पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. लॉगबुक में यात्रा का प्रयोजन स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया जाकर "राजकार्य" हेतु दर्शाया जाता है जो कि राजस्थान मोटर गैराज नियम, 1958 के नियम 8 बी के अनुसार अनियमित है।

2. संस्था द्वारा प्रदान की गई लॉगबुक की जॉच में पाया गया कि नियंत्रण अधिकारी द्वारा निम्न पंजिकाएँ संधारण कराने का अभाव पाया गया :-

औजार पंजिका अनुपयोगी पुर्जों की पंजिका, मरम्मत लेखा व मासिक माईलेज विवरण, वाहन चालको की कार्यभार पंजिका, स्टॉक पंजिका, दैनिक पेट्रोल/डीजल शीट आदि।

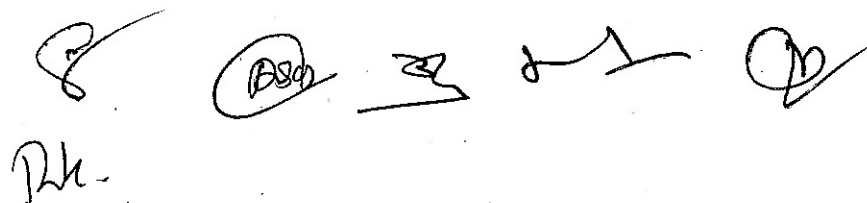
3. वाहनों के लॉगबुक जॉच में पाया गया कि विभिन्न दिनांकों को वाहन चालक, यात्रा के अधिकृत कर्ता के हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया।

4. कार्यालय के लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी द्वारा लॉगबुक जांच/आकस्मिक जांच का अभाव है।

5. वाहनों की लॉगबुक जॉच में पाया गया कि निर्धारित स्थान पर वाहन आने-जाने में अलग-अलग किमी. का पठन दर्शाया गया है जिसमें काफी अन्तर पाया गया। अतः निर्धारित पैमाने अनुसार ही वाहन लॉगबुक में किमी. दर्शाया जावे। जो कि वास्तविक यात्रा किमी. से अधिक नहीं हो।

है।

उक्त कमियों की पूर्ति एवं पुनरावृत्ति रोके जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता

The block contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that looks like 'R', a circled signature 'BSK', a signature 'S', a signature 'M', and a signature 'D'. Below the 'R' signature, there are the initials 'Ph'.

(10) (ल) (ग) संविदा वाहन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में अनुबंधित वाहनों की लॉग बुकों की समीक्षा किये जाने पर निम्नांकित कमियाँ पायी गयी:-

1. वाहन लॉगबुक में आंशिक तौर पर उपयोग कर्त्ता के हस्ताक्षर मय पदनाम/सील का अभाव पाया गया।
2. वाहन लॉगबुक में यात्रा का वास्तविक प्रयोजन अंकित किये जाने का अभाव पाया गया।

उक्त कमियों की पूर्ति एवं पुनरावृत्ति रोके जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(10) (ल) (ग) किराये पर लिये गये वाहनों में अनियमित भुगतान राशि 12000/-रु वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये किराये के वाहनों के वाउचरों की समीक्षा के दौरान निम्न अनियमितताएँ पाई गई :-

क्र. सं.	वाउचर संख्या व दिनांक	वाहन संख्या	वाहन का भुगतान जिसे किया गया	वसूली का विवरण
1	3032 / 19.07.2016	RJ 14 TB 5731	मैसर्स रामप्रकाश जाट	दिनांक 01.06.2016 से 24.06.2016 तक वाहन चला जिसका पूरे माह का भुगतान उठाया गया अतः दिनांक 25.06.2016 से 30.06.2016 तक 6 दिवसों की अधिक भुगतान वसूलनीय राशि (6 दिवस X 1000 रु) कुल राशि 6000 / - रु
2	2999 / 18.07.2016	RJ 41 TA 0367	मैसर्स सुरेश कुमार	दिनांक 01.06.2016 से 24.06.2016 तक वाहन चला जिसका पूरे माह का भुगतान उठाया गया अतः दिनांक 25.06.2016 से 30.06.2016 तक 6 दिवसों की अधिक भुगतान वसूलनीय राशि (6 दिवस X 1000 रु) कुल राशि 6000 / - रु
कुल राशि				12000 / -

उपरोक्तानुसार किराये के वाहनों के उपयोग हेतु संस्था द्वारा अनियमित भुगतान राशि 12000/-रु संबंधित से वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

Rk. 122

(10) (व) (i) दूरभाष/मोबाईल :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाउचर्स की नमूना जांच में दूरभाष/मोबाईल से संबंधित निम्नांकित कमियाँ पायी गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वाउचर संख्या/दिनांक	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	वसूली योग्य राशि	विवरण
1	355/31.03.2017	500.00	NIL	500.00	इन्द्र सिंह परिहार (ड्राईवर, उपायुक्त पुलिस) का मो0 बिल
2	355/31.03.2017	275.00	NIL	275.00	रोमेन्द्र सिंह (ड्राईवर, सामान्य प्रशासन) का मो0 बिल

उपरोक्तानुसार संबंधित से राशि रु. 775/- वसूल कराकर अंकेक्षण को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का आकर्षित किया जाता है।

(10) (व) (ii) दूरभाष/मोबाईल :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये गये वाउचर्स की नमूना जांच में दूरभाष/मोबाईल बिलों को निर्धारित समय पश्चात् पेनल्टी सहित जमा कराए गए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वा.नं./दिनांक	बिल नं./दिनांक	कार्मिक नाम व पदनाम/आईडी	पैनल्टी राशि
1	284/30.11.2017	434735859/01.03.2017	दीपक बालचन्दानी (अधिक्षण अभियन्ता)	11.32
2		440269889/01.04.2017		10.50
3		455008863/01.08.2017		10.98
4		459897147/01.09.2017		14.78
5		462717668/01.10.2017		16.96
		योग		65.00
6		10220509680040/03.03.2017	रिछपाल सिंह (अधिक्षण अभियन्ता)	25.00
7		10220509680044/27.06.2017		21.00
8	224/28.12.2017	467015990/01.11.2017	ओपी शशि (उपायुक्त स्टोर)	18.00
9		471156004/01.12.2017	दीपक बालचन्दानी (अधिक्षण अभियन्ता)	13.00
10	03/01.02.2018	687918543/18.11.2017	संजय नाथावत (आईडी 2394)	100.00
11	03/01.02.2018	692948772/18.11.2017	प्यारे लाल मीणा (आईडी 3534)	100.00

(Handwritten signatures and initials)

125

12	03 / 01.02.2018	729750894 / 03.12.2017	सत्यप्रकाश (आईडी 3596)	100.00
13	136 / 15.03.2018	833540223 / 03.01.2018	निरजन माथुर (आईडी 3184)	100.00
14	136 / 15.03.2018	641030442 / 03.11.2017	मनोज कुमार सिंह (आईडी 4807)	100.00
		योग		642.00

उपरोक्तानुसार टेलिफोन बिलों को देरी से जमा कराने पर प्राधिकरण को राशि रु 642/- का अधिक भुगतान करना पड़ा। सम्बन्धित से अधिक भुगतान की राशि वसूल कर प्राधिकरण कोष में जमा कराई जाने हेतु संस्था प्रधान का आकर्षित किया जाता है।

8 (809) 2 15 10
Dk.

128

(10) (श) संविदा कार्मिक :- संविदा कार्मिकों को मासिक मानदेय पर किये गये अधिक भुगतान की वसूलनीय राशि रुपये 43567/-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के अंकेक्षण वर्ष 2016-18 के सामान्य वाउचरों की जांच में पाया गया है कि संविदा कार्मिकों को मासिक मानदेय में अनियमित/अधिक भुगतान करना पाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वाउचर संख्या/दिनांक राशि	कार्मिक नाम/आई.डी. संख्या	उपस्थिति	भुगतान किया	भुगतान करने योग्य राशि	अधिक भुगतान की वसूली
1.	66/05.04.16 2508846	श्री राधा मोहन सिंह पवार 342	31.03.16 से (1 दिवस)	9000	290	8710
2.	66/05.04.16 2508846	श्री कैलाश चन्द शर्मा, 293	01.03.16 से 30.03.16	7220	6987	233
3.	66/05.04.16 2508846	श्री अम्बिका सिंह, 461	31.03.16 (1 दिवस)	12000	388	11612
4.	66/05.04.16 2508846	श्री महेन्द्र कुमार, 460	21 दिवस	11976	8113	3863
5.	66/05.04.16 2508846	श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, 480	01.03.16 से 21.03.16	12000	8129	3871
6.	59/04.08.16 2206364	श्री अब्दुल करीम खान, 625	11.07.16 तक (डीसी-7)	11575	4107	7468
7.	79/08.03.17	श्री कालूराम जाट, 566	संविदा समापन तिथि 25.02.17 जबकि फरवरी 17 की पूर्ण अवधि का भुगतान	9420	8411	1009
8.	79/08.03.17	श्री नन्दलाल यादव, 283	जोन-11 के पत्रांक 698 दिनांक 01.03.17 द्वारा कार्मिक का सेवा समापन 31.01.17	6800	0	6800
योग अधिक भुगतान						43567

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित संविदा कार्मिक/भुगतानकर्ता से राशि रुपये 43567/- वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को पालना से अवगत करावे।

8 Rk. 1-1

33 128 2h

(10) (घ) कर्मचारियों की कटौतियों की राशि जमा होने की स्थिति-वर्षवार बकाया आदि :-

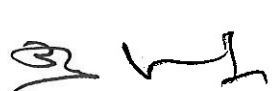
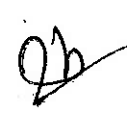
(संलग्न परिशिष्ट संख्या-7)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना अनुसार कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों की राशि जमा होने की स्थिति का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आरपीएमएफ	
1	दिनांक 1.4.2016 को प्रारम्भिक शेष	495567
2	वर्ष 2016 -17 के दौरान कटौति	3772533
3	वर्ष 2017 -18 के दौरान कटौति	3614205
4	कुल राशि (1+2+3)	7882305
5	वर्ष 2016 -17 के दौरान जमा करवायी राशि	3966452
6	वर्ष 2017 -18 के दौरान जमा करवायी राशि	3563640
7	कुल राशि (5+6)	7530092
8	दिनांक 31.3.18 को अंतिम शेष(4-7)	352213

क्र.स.	राज्य बीमा	
1	दिनांक 1.4.2016 को प्रारम्भिक शेष	16500.00
2	वर्ष 2016 -17 के दौरान कटौति	6729308.36
3	वर्ष 2017 -18 के दौरान कटौति	5666366.14
4	कुल राशि (1+2+3)	12412174.5
5	वर्ष 2016 -17 के दौरान जमा करवायी राशि	6510946.00
6	वर्ष 2017 -18 के दौरान जमा करवायी राशि	5621144.50
7	कुल राशि (5+6)	12132090.50
8	दिनांक 31.3.18 को अंतिम शेष(4-7)	280084.00

क्र.स.	सामान्य प्रावधायी निधि	
1	दिनांक 1.4.2016 को प्रारम्भिक शेष	2871718
2	वर्ष 2016 -17 के दौरान कटौति	49493274
3	वर्ष 2017 -18 के दौरान कटौति	45856041
4	कुल राशि (1+2+3)	98221033
5	वर्ष 2016 -17 के दौरान जमा करवायी राशि	48828572 (15364761+33463811)
6	वर्ष 2017 -18 के दौरान जमा करवायी राशि	46686649
7	कुल राशि (5+6)	95515221
8	दिनांक 31.3.18 को अंतिम शेष(4-7)	2705812

Rk.    

130

क्र.स.	सीपीएफ	
1	दिनांक 1.4.2016 को प्रारम्भिक शेष	5402991
2	वर्ष 2016 -17 के दौरान कटौति	37266377
3	वर्ष 2017 -18 के दौरान कटौति	25386952.72
4	कुल राशि (1+2+3)	68056320.72
5	वर्ष 2016 -17 के दौरान जमा करवायी राशि	38256453
6	वर्ष 2017 -18 के दौरान जमा करवायी राशि	25284799
7	कुल राशि (5+6)	63541252
8	दिनांक 31.3.18 को अंतिम शेष(4-7)	4515068.72

क्र.स.	जीवन बीमा	
1	दिनांक 1.4.2016 को प्रारम्भिक शेष	489049.60
2	वर्ष 2016 -17 के दौरान कटौति	6315394.80
3	वर्ष 2017 -18 के दौरान कटौति	6198690
4	कुल राशि (1+2+3)	13003134.4
5	वर्ष 2016 -17 के दौरान जमा करवायी राशि	6309811.60
6	वर्ष 2017 -18 के दौरान जमा करवायी राशि	6218720.20
7	कुल राशि (5+6)	12528531.8
8	दिनांक 31.3.18 को अंतिम शेष(4-7)	474602.60

क्र.स.	अन्य कटौतिया			
		आयकर	भवन निर्माण	वाहन ऋण
1	दिनांक 1.4.2016 को प्रारम्भिक शेष	2327695	494878	73363
2	वर्ष 2016 -17 के दौरान कटौति	34546841	281395	19075
3	वर्ष 2017 -18 के दौरान कटौति	30318417	249259	34352
4	कुल राशि (1+2+3)	67192953	1025532	126790
5	वर्ष 2016 -17 के दौरान जमा करवायी राशि	34150774	101579	1910
6	वर्ष 2017 -18 के दौरान जमा करवायी राशि	29964675	123782	-
7	कुल राशि (5+6)	64115449	225361	1910
8	दिनांक 31.3.18 को अंतिम शेष(4-7)	3077504	800171	124880

उपरोक्तानुसार आरपीएमएफ, राज्य बीमा, सामान्य प्रावधानी निधि, सीपीएफ, जीवन बीमा, आयकर, भवन निर्माण, वाहन ऋण की राशि कमशः 352213, 280084, 2705812, 4515068.72, 474602.60, 3077504, 800171, 124880 कुल 12330335.32 संबंधित मदों में जमा कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

127
Rk. S.  

131

अंकेक्षण टिप्पणी:-

आलोच्य वर्ष अवधि(2016-18) के अंकेक्षण दौरान संस्था द्वारा अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों की राशि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई जिसका 1.4.16 को प्रारम्भिक शेष निम्नानुसार है-

क्र.स.	विवरण	संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना अनुसार प्रारम्भिक शेष (1.4.16)
1	आरपीएमएफ	495567.
2	एसआई	16500
3	जीपीएफ	2871718

विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन(2010-13) आक्षेप सं 10(ष) के अनुसार अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से कटौतियों की राशि का 31.3.16 को उक्त बकाया शेष बताया गया है इस प्रकार संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के प्रारम्भिक शेष एवं गत प्रतिवेदन के अन्तिम शेष में अन्तर पाया गया है। अंतर के कारणों से जांच दल को अवगत कराने हेतु जांच दल द्वारा मीमो संख्या 408 दिनांक 13.02.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 84 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा दिया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त बकाया शेष का भुगतान अप्रैल माह में कर दिया गया। जिससे जांच दल सहमत है।

Re.  

10(ह) अन्य :- वाउचर समीक्षा में पायी गई अधिक भुगतान राशि:-

132

वाउचरों की समीक्षा में पाया गया कि निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया है-

(i) वाउचर सं. निर्माण 692/18.10.16 राशि 172478/- का मैसर्स रोहित एण्ड कम्पनी भुगतान किया गया। फर्म के बिल संख्या 215,218,223 दिनांक 1.8.16,1.9.16,4.10.16 का योग क्रमशः 52261.08 +56171.79+60143.46 कुल 168576.336 /- होता है। जबकि 172478/- का भुगतान किया गया, इस प्रकार 3902/- रु का अधिक भुगतान किया गया।

(ii) वाउचर सं. निर्माण 728/21.8.16 द्वारा मैसर्स एस.एस.एन कन्सट्रक्शन जयपुर को राशि 898585/- का भुगतान किया गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल सं 480,481,482 का योग 898422/- ही होता है। इस प्रकार 163/- रु का अधिक भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार संबंधित से राशि वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

10 (ह) (ii) सूचना के अधिकार के तहत आरोपित शास्ति राशि रु 1994 /-को अनियमित रूप से जयपुर विकास प्राधिकरण कोष से जमा कराया जाना:-

वाउचरों की समीक्षा में पाया गया कि वाउचर सं. 339 दिनांक 28.3.2017 द्वारा सूचना आयोग द्वारा आरोपित शास्ति को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिसके द्वारा सूचना देने में विलम्ब हुआ है, उससे वसूल जमा कराया जाना चाहिए, किन्तु निम्न कार्मिक से राशि वसूल किये बिना ही जयपुर विकास प्राधिकरण कोष से शास्ति राशि जमा करायी गई।

क.सं.	अपील/परिवाद संख्या	निर्णय दिनांक	कार्मिक का नाम	राशि
1	परिवाद सं 552/11	13.9.2013	श्री राजेन्द्र विजय उपायुक्त जोन 14	1994/-

संबंधित कार्मिक से राशि वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8

Re

11

13

139

11

(11) संस्था की अचल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों सम्बन्धी व पंजिका संधारण सम्बन्धी :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में भण्डार लेखों की जाँच के सम्बन्ध में जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/दिनांक 27.07.2018, 283/दिनांक 03.08.2018, 288/दिनांक 10.08.2018, 295/दिनांक 21.08.2018, 297/दिनांक 24.08.2018, 302/दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/दिनांक 01.10.2018, 322/दिनांक 16.10.2018, 325/दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/दिनांक 13.11.2018, 332/दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा अचल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों पंजिका जाँचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है। जिसके कारण अचल सम्पत्ति/परिसम्पत्ति पंजिका की जाँच नहीं की जा सकी।

आगामी जाँच में अचल सम्पत्ति/परिसम्पत्ति पंजिका उपलब्ध करवाए जाकर अंकेक्षण कराए जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(12) न्यायिक प्रकरणों सम्बन्धी :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या-8)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अनुसार प्राधिकरण स्तर पर न्यायिक प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	
1	01.04.2016 को बकाया न्यायिक प्रकरणों की संख्या	सर्वोच्च न्यायालय	24
		उच्च न्यायालय	1658
		ट्रिब्यूनल	916
		अधिनस्थ न्यायालय	1893
		आर0सी0एस0ए0टी0	5
		कुल प्रकरण	4496
2	वर्ष 01.04.2016 से 31.03.2018 तक नये न्यायिक प्रकरणों की संख्या	सर्वोच्च न्यायालय	18
		उच्च न्यायालय	500
		ट्रिब्यूनल	1303
		अधिनस्थ न्यायालय	1116
		कुल प्रकरण	2937
		योग	7433
3	वर्ष 01.04.2016 से 31.03.2018 तक निस्तारित किये गये न्यायिक प्रकरणों की संख्या	सर्वोच्च न्यायालय	07
		उच्च न्यायालय	234
		ट्रिब्यूनल	1227
		अधिनस्थ न्यायालय	245
		कुल प्रकरण	1713

Rk. 8

4	31.03.2018 को बकाया न्यायिक प्रकरणों की संख्या	सर्वोच्च न्यायालय	35
		उच्च न्यायालय	1924
		ट्रिब्यूनल	992
		अधिनस्थ न्यायालय	2764
		आर0सी0एस0ए0टी0	05
		कुल प्रकरण	5720

उपरोक्त न्यायिक प्रकरणों का प्रभावी जवाब दावा प्रस्तुत कराकर प्रकरण निस्तारण की कार्यवाही कराये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(13) सामग्री क्रय व अनुबन्धों सम्बन्धी :-

(13) (अ) वित्तीय हानि :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में वित्तीय हानि की स्थिति शून्य पायी गयी है।

अतः आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(13) (ब) प्रक्रियात्मक :-

(14) निर्माण कार्य सम्बन्धी :-

(14) (अ) वित्तीय हानि :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में वित्तीय हानि की स्थिति शून्य पाई गई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(14) (ब) संवेदकों के पंजीयन संबंधी

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में संवेदकों के पंजीयन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

8
Rk. (1289) 2 1 2

134

(14) (स) स्वीकृतियों संबंधी :-

14(स) (i) निविदा आमन्त्रण नोटिस प्रकाशन निर्धारित अवधि से कम अवधि के प्रकाशन से तुलनात्मक दरें प्राप्ति का अभाव :-

चित्रकुट स्कीम सेक्टर 2 में वर्तमान में स्थित एच टी/एल टी ओवर हेड लाईन को भूमिगत केबल डालकर स्थानान्तरण करना (अधिशायी अभियन्ता विद्युत-1) की पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्य की टेण्डर राशि 6802280/- थी। संस्था द्वारा पूर्णकालीन बिड संख्या 2004-05/2016-17 निविदा जारी की गई। जिसका दिनांक 28.05.2016 को दैनिक भास्कर, दैनिक राष्ट्रदूत के संस्करण में प्रकाशन हुआ उक्त निविदा सूचना एसपीपीपी एवं ई प्रोक राजस्थान में दिनांक 31.05.2016 को अपलोड हुई। जिसमें बोली प्रस्तुत (बीड क्लोजिंग) दिनांक 15.06.2016 तथा बीड खोलने की दिनांक 18.06.2016 थी। दिनांक 18.06.2016 को निविदा खोलने पर मैसर्स के-3 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर द्वारा बीएसआर से 19.56 प्रतिशत नीचे दरें न्यूनतम होने से स्वीकृत करके कार्य आदेश 11 दिनांक 18.07.2016 राशि 5471754/- रु का जारी किया गया। राजस्थान पारदर्शिता लोक उपापन 2013 नियम 43 संकर्मों के उपापन के लिए सारणी के अनुसार दस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के लिए निविदा आमन्त्रण नोटिस प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली प्रस्तुत करने की कालावधि 21 दिवस है। जबकि उक्त निविदा में कालावधि 16 दिवस की होती है। निर्धारित अवधि का नोटिस प्रकाशन किया जाता तो सम्भवतः दरें अधिक ऋणात्मक प्राप्त होती। प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8 PK. (ASG) 2-1 10

(14) (द) एक्स्ट्रा/एक्सेस मद संबंधी :-

135

14(द) (i) कार्य Const. of road from Kareem nagar at Kho- nogoriyan Road to Babuji Asharm at Goner road XEN - 10 में पायी गयी अनियमितता के संबंध में :- (परिशिष्ट संख्या-9)

संवेदक:- राधेश्याम गुप्ता

कार्य आदेश संख्या:- 10/09.02.2015 राशि रु 10533240/- टी.पी.- (-) 18.50%

कार्य अवधि:- 18.02.2015 से 17.07.2015 5 माह

अनुबन्ध संख्या:- 10/2014-15

कार्य पूर्णता दिनांक:- 13.08.2015 (भूमि विवाद के कारण विलम्ब हुआ)

मूल्यांकन राशि:- 8333025/- अनुबन्ध क्लोज 32 के तहत शेष कार्य विज्ञा किया गया

अन्तिम भुगतान:- दिनांक 23.02.2017 राशि 436419/-

अंकेक्षण टिप्पणी:-

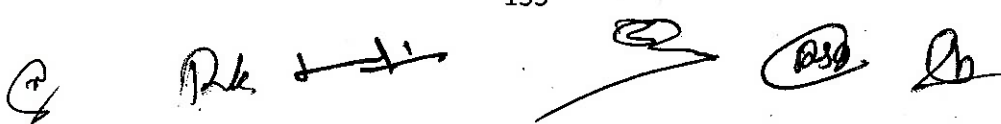
1. अन्तिम विचलन प्रपत्र अधिशासी अभियन्ता खण्ड 10ए द्वारा जी शिड्यूल से राशि 18.47 प्रतिशत बचत का अनुमोदित किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 824 दिनांक 21.10.2009 द्वारा शिड्यूल फोर डेलिगेशन आफ पावर (SOP) जारी की गई।

उक्त sop के आईटम संख्या 22 To sanction excution and payment of additional quantities of items existing in schedule "G" or bill of quantities (B.O.Q.) of a particular work. के अनुसार XEN/Sr.Hort. को up to 5% of "G" Schedule amount or Rs 3.00 Lacs which ever is less Subject to the limit of 15% variation in orginal quantity of individual item of "G" schedule की शक्तियां निहित है।

कार्य की समीक्षा में पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता जोन - 10 द्वारा उक्त शक्तियों के विरुद्ध 'जी' शिड्यूल के निम्न आईटमों की मात्रा में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने के उपरान्त भी डेवियेशन स्टेटमेंट स्वीकृत करके भुगतान किया गया।

क्र. सं.	'जी' शिड्यूल आईटम संख्या	आईटम का विवरण	मात्रा	एम बी के अनुसार मात्रा	दर	अतिरिक्त राशि भुगतान	प्रतिशत
1	3.1	P.c.c grade m- 15	475.17	585.854	2255	249592.42	23.29
2	4	Const. of un-reinforced dowel jointed at expansion & Const. of Joint only.....	761.05	894.049	5364	713406.64 962999.06	17.48
					T.P. (-) 18.50%	178154.83	
					Total	784844.23	

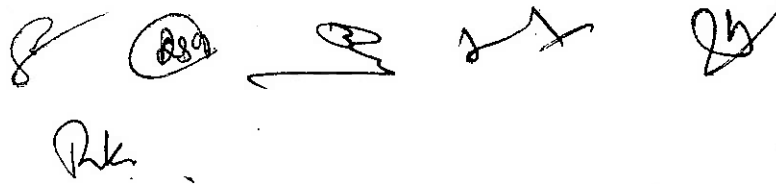
Say 784844



136

उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमों संख्या-349 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संस्था के पत्रांक 62 दिनांक 19.02.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में अधिक्षण अभियन्ता की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 824 दिनांक 21.10.2009 द्वारा शिड्यूल फोर डेलिगेशन आफ पावर (SOP) जारी की गई। जिसके आइटम संख्या 22 नोट संख्या 3 के अनुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति वांछनीय है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु नियन्त्रण अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है।

The block contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature, a circled signature, a long horizontal line, a signature, and another signature. Below the first signature is the initials 'Rk'.

137

(14) (य) शास्ति सहित व शास्ति रहित अन्तरित/अंतिम समयावधि वृद्धि संबंधी :-

14 (य) (i) निर्माण कार्य Const. of remaining service road of 160 feet Nalay Kunj Sector Road XEN- 9 देरी से पूर्ण किए जाने के कारण शास्ती राशि रु. 410536/- वसूली के अभाव संबंधी ।

(परिशिष्ट संख्या-10)

संवेदक: -	राकेश अग्रवाल जयपुर
कार्य आदेश संख्या: -	62/08.02.2013 राशि रु 1,50,87,393/-
कार्य अवधि:-	18.02.2013 से 17.08.2013 6 माह
कार्य पूर्णता दिनांक:-	26.11.2013 6 माह मूल्यांकन राशि 14544090/-
अन्तिम भुगतान दिनांक	26.08.2016 राशि 72526/-
अनुबन्ध संख्या:-	29/2012-13

अंकेक्षण टिप्पणी :-

- i. प्राधिकरण द्वारा अन्तिम समय वृद्धि प्रकरण में दिनांक 12.07.2013 से 15.09.2013 तक बरसात का मौसम होने के कारण 66 दिवस विलम्ब से होना दर्शाया गया है। जो मान्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सामान्यतया बरसात का मौसम माह सितम्बर तक रहता है।
- ii. फर्म द्वारा कार्य पूर्णता दिनांक 17.08.2013 तक राशि 10438732/- का कार्य सम्पादित किया गया तथा कार्यदेश की शेष राशि (14544090-10438732) = 4105358/- रुपये का कार्य MB में रिकॉर्ड प्रविष्टी के अनुसार दिनांक 05.10.2013 से 12.10.2013 तक सम्पादित किया। अनुबन्ध के क्लोज 2 के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति दिवस के बाद सम्पादित कार्य राशि रु 4105358/- का 10 प्रतिशत की दर से राशि रु 410536/- शास्ती के रूप में वसूल करने चाहिए थे जो वसूल नहीं किए गए हैं।

इस संबंध में मीमो संख्या 345 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया जिसके प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा अपने यू.ओ.नोट क्रमांक 73 दिनांक 14.02.2019 द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जिसमें अवगत कराया कि विलम्ब का कारण अतिक्रमण/बरसात रहा है। जो अंकेक्षण को मान्य नहीं है।

संबंधित से राशि मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8
Rk.
(B99)
21

(14) (र) अनुबंध की धारा 2 व 3 के तहत रिक्त व कोस्ट के प्रकरणों संबंधी :-

138

14(र) (i) निर्माण कार्य Renewal & improvement of road & construction of drain from L.C. no.200 to K.U.M.S. Tunga road in bassi XEN-13 B देरी से पूर्ण किए जाने के कारण शास्ती राशि रु. 458229/- वसूली का अभाव (परिशिष्ट संख्या -11)

संवेदक- पारूल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर

कार्य आदेश संख्या - 19/17.03.2015 राशि रु 4,46,92,652/- टी.पी. (-) 16.05 प्रतिशत कार्य

अवधि- 23.03.2015 से 22.09.15

कार्य पूर्णता दिनांक- 04.12.2015 राशि रु 4,70,76,055/-

अनुबन्ध संख्या- 69/2014-15

अन्तिम बिल भुगतान- राशि 23,85,277/- दिनांक 22.09.2016

अंकेक्षण टिप्पणी:-

1. प्राधिकरण द्वारा अन्तिम समय वृद्धि प्रकरण में दिनांक 01.07.2015 से 27.09.2015 तक बरसात का मौसम होने के कारण 77 दिवस कार्य रोका जाना बताया गया है। जो मान्य नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सामान्यतया बरसात का मौसम माह सितम्बर तक रहता है।

2. फर्म द्वारा कार्य पूर्णता दिनांक 22.9.2015 तक राशि 4,01,10,360/- का कार्य सम्पादित किया गया तथा कार्यदेश की शेष राशि (4,46,92,652-4,01,10,360)/= 45,82,292/- रुपये का कार्य दिनांक 22.09.2015 के बाद सम्पादित किया। अनुबन्ध के क्लॉज 2 के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति दिनांक के बाद सम्पादित कार्य राशि रु 45,82,292 का 10 प्रतिशत की दर से राशि रु 4,58,229 शास्ती के रूप में वसूल करने चाहिए थे जो वसूल नहीं किए गए हैं।

उक्त के सम्बन्ध में मीमों संख्या 355 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया। संस्था द्वारा पत्रांक 606 दिनांक 20.2.2019 द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर अंकेक्षण को मान्य नहीं है।

संवेदक से राशि रु 4,58,229/- वसूल कराकर पालना अंकेक्षण विभाग को भिजवाने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।

8 Rk. (Dsg) E M Jb

1539

14(र) (ii) आनन्द विहार योजना में आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य XEN 12 विलम्ब से पूर्ण करने से अनुबन्ध के क्लॉज 2 के तहत राशि 146130/- वसूली का अभाव-(xen 12)

(परिशिष्ट संख्या -12)

संवेदक: - मैसर्स जय भवानी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या: - 176/01.07.2014 राशि रु 11608793/- टी.पी. (-) 36.90 प्रतिशत

कार्य अवधि:- 09.07.2014 से 08.11.2014 4 माह

अनुबन्ध संख्या डी:- 176, दिनांक 01.07.2014

कार्य पूर्णता दिनांक:- 11.01.2015 राशि 10746716/-

बिल पारित दिनांक:- 14.03.2017 एवं भुगतान दिनांक 07.04.2017

कार्य विलम्ब से सम्पादित किया गया कुल 64 दिवस (जिसमें 30 दिवस संवेदक के कारण एवं 34 दिवस विभाग के कारण विलम्ब हुआ)

अधिशायी अभियन्ता 12 के पत्रांक 473 दिनांक 04.03.2015 द्वारा समयवृद्धि दिनांक 30.03.2015 तक की गई।

अंकेक्षण टिप्पणी:-

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अन्तिम समय वृद्धि प्रकरण जिसमें 30 दिवस संवेदक के पक्ष में विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति राशि (3117434.11X30/64X10): 146130/- रुपये वसूल करने हेतु प्रस्तावित किया जिसे पत्रावली के टिप्पणी की टीप संख्या 72 द्वारा निदेशक अभियान्त्रिकी (द्वितीय) द्वारा अनुमोदन किया गया। लेकिन संस्था द्वारा अन्तिम बिल भुगतान से विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति राशि 146130/- की कटौती नहीं की गई।

उक्त के सम्बन्ध में मीमों संख्या 351 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया संस्था द्वारा संवेदक को पत्रांक 15 दिनांक 16.01.2019 द्वारा राशि जमा कराने हेतु अवगत कराया गया।

प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में राशि रु 146130/- मय ब्याज के वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

Rk. [Signatures]

140

14 (र) (iii) निर्माण कार्य जोन- 9 क्षेत्र में सेक्टर 37 में विकास कार्य फेज- II जविप्रा, जयपुर में कार्य विलम्ब से सम्पादित करने से अनुबंध कलाज के तहत शास्ति राशि 130746/- रुपये कम वसूल करना (XEN-9) (परिशिष्ट संख्या-13)

संवेदक- मैसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या - 79 दिनांक 19.02.2014 राशि रु 4,25,23,118/- TP + 9%

कार्य अवधि - दिनांक 1.3.2014 से 31.8.2014 6 माह

कार्य पूर्णता दिनांक - 8/7/2015, मूल्यांकन 4,00,05,292/-, कार्य दिवस 311 दिवस विलम्ब से सम्पदान किया गया।

अनुबंध सं० - 41 वर्ष 2014-15 राशी 5,000/- के स्टाम्प पेपर पर

उक्त कार्य की कार्य पूर्णता दिनांक 31.8.14 संवेदक द्वारा दिनांक 8.7.2015 को 311 दिवस विलंब से कार्य संपादित किया गया। अंतिम समय वृद्धि प्रकरण में 267 दिवस संवेदक के पक्ष में तथा 44 दिवस विभाग के पक्ष में विलंब रहा। अन्तिम समयवृद्धि प्रकरण पत्रावली की टीप संख्या 234 पर जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अनुमोदित किया गया।

पत्रवाली की टीप संख्या 206 पर लेखाकार द्वारा अनुबंध के क्लॉज 2 के अनुसार $19241624 \times 267 / 311 \times 10 / 100 = 16,51,933 / -$ रु. शास्ति आरोपित की गई।

संवेदक द्वारा दिनांक 31.8.2014 तक द्वितीय रनिंग बिल तक कार्य समाप्ति राशी 19240753/- का कार्य संपादित किया गया। उक्त कार्य का मूल्यांकन 40005292/- रु० का किया जाकर अन्तिम फाईनल दिनांक 26.7.17 की राशी 3,50,008/- रु० का पारित किया गया। जिसमें से शास्ति की राशी 301071/- रु० तथा बिल संख्या 0 दिनांक 2/8/17 से 3,00,000/- रु० तथा संवेदक द्वारा डी.डी. संख्या 501157 दिनांक 12/6/17, राशी 1050862/- रु० जमा कराये इस प्रकार शास्ति पेटे राशी 16,51,933/- रु० वसूल किये गये।

अंकेक्षण टिप्पणी :-

संवेदक द्वारा कुल राशी 4,00,05,292/- रु० कार्य संपादित किया गया। जिसमें से राशी (4,00,05,292 - 1,92,40,753) 20764539/- का कार्य कार्यपूर्णता दिनांक 31/8/14 के बाद में संपादित किया गया। अनुबंध के क्लॉज संख्या 2 के अनुसार 31/8/14 के बाद में संपादित किये गये कार्य पर शास्ति $(20764539 \times 10 / 100 \times 267 / 311) = 17,82,679 / -$ रु. वसूल करने चाहिये थे। जबकि जविप्रा द्वारा राशी 1651933/- रु० ही वसूल किये। इस प्रकार शास्ति राशी 130746/- रु० कम वसूल किये गये। वस्तुस्थिति अवगत कराने हेतु जांचदल द्वारा मीनो संख्या 347 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा। संवेदक से राशी 1,30,746/- रु० वसूल कराये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण ध्यान में लाया जाता है।

PK. 8 139 138 137 136 135

141

14(र) (iv) कार्य P&F decorative light in palace of exiting Street Light Ploes at janpath

(विधानसभा से स्टेच्यू सर्किल) जयपुर XEN विद्युत -III में अनुबन्ध कलाज- 2 के अनुसार कम वसूल राशि 113311/-

(परिशिष्ट संख्या-14)

संवेदक: - मैसर्स मरुधरा कॉरपोरेशन जयपुर।

कार्य आदेश संख्या:- 02/22.09.2015 राशि रु 38416941/-

कार्य अवधि:- 01.10.2015 से 31.12.2015

अनुबन्ध संख्या:- 2/2015-16

कार्य पूर्णता दिनांक:- 29.01.2016 राशि 35051579/-

दिनांक 31.12.2015 तक सम्पादित कार्य की राशि 24672168.63 7वां रनिंग बिल

अंतिम 7वां बिल भुगतान दिनांक 21.04.2016 राशि 10379410.37

उक्त बिल से अनुबन्ध कलाज 2 के तहत राशि 65644/- की वसूली की गई।

अंकक्षेप टिप्पणी:-

समय वृद्धि प्रपत्र के अनुसार उक्त कार्य 29 दिवस में पूर्ण हुआ है, जिसमें 24 दिवस संस्था के पक्ष में तथा 5 दिवस संवेदक के पक्ष में विलम्ब हुआ है। अन्तिम बिल भुगतान से राशि 65644/- की वसूली की गई जबकि राशि $(10379410.37 \times 5/29 \times 10/100 = 178955.35)$ 178955/- रुपये की वसूल करने चाहिए थे। वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु जांच दल द्वारा मीमो 357 दिनांक 07.01.2019 जारी किया गया। संस्था द्वारा अपने पत्रांक डी-44 दिनांक 08.02.2019 द्वारा सम्बन्धित फर्म को राशि जमा कराने हेतु अवगत कराया गया।

उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के कलाज 2 के अनुसार राशि $(178955-65644) = 113311/-$ कम वसूली की गई। संवेदक से राशि वसूल करने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।

8
Plk.    

(14) (ल) अन्य प्रक्रियात्मक :-

142

14(ल) (i) निर्माण कार्य Renewal & Strenthenging of Shiva Das Pura main road in Front of Shivdaspura Thane Zone 14A की परफॉर्मेंस गारन्टी (P.G.) राशि कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही लौटाना अनुबंध पत्र राशि 10000/- कम पर सम्पादित करना एवं अन्य अनियमितताएं :-

संवेदक:- मैसर्स कृष्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स

सहमति पत्र:- 4/29.3.16 परफॉर्मेंस गारन्टी राशि 340946/-

कार्य आदेश संख्या:- 4/दिनांक 31.03.2016 राशि रु 14715830/- टी.पी. (-) 18.81 प्रतिशत

कार्य अवधि:- 11.04.2016 से 10.10.2016 6 माह

'जी' शिड्यूल राशि:- 18125176/-

भुगतान राशि - प्रथम रनिंग बिल दिनांक 03.06.2016 राशि- 11830817/-
द्वितीय रनिंग बिल दिनांक 17.08.2016 राशि - 2275517/-

कुल - 14106334/-

अनुबन्ध संख्या- 4/2015-16 राशि रु. 5000/-के स्टाम्प पर सम्पादित

अंकेक्षण टिप्पणी:-

1. उक्त कार्य का करार बन्ध पत्र 5000/- के स्टाम्प पर सम्पादित किया गया, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998, आदेश क्रमांक 2142-2782 दिनांक 09.03.2016 के अनुसार 15000/- मूल्य के स्टाम्प पर पत्र करार बन्ध पत्र सम्पादित किया जाना चाहिए।
2. संवेदक द्वारा सहमति पत्र के अनुसार परफॉर्मेंस गारन्टी राशि 3409346/- एचडीएफसी बैंक जयपुर की गारन्टी नम्बर 054GT02160910001 दिनांक 31/3/16 जमा करायी गई। जिसे दिनांक 23.08.2016 को मूल बैंक गारन्टी संवेदक को लौटाई गई। निविदा की विशेष शर्त (शिड्यूल एच) बिन्दू संख्या 30 के अनुसार निर्माण कार्य सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर P.G. पुनः लौटानी चाहिए थी जबकि संस्था द्वारा (अन्तिम बिल पारित होने से पूर्व) ही अनियमितरूप से लौटाई गई है।

संवेदक से राशि रु 10000 मूल्य के स्टाम्प पेपर लेने, कार्य पूर्ण कराया जाकर विचलन पत्र तैयार करके नियमानुसार शेष राशि भुगतान करने एवं कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही परफॉर्मेंस गारन्टी लौटाने वाले कार्मिक का दायित्व निर्धारण कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।



143

14 (ल) (ii) संवेदकों से करार बन्ध पत्र कम राशि के स्टाम्प पर निष्पादन से राजस्व की हानि राशि रु० 24960/-

राजस्थान स्टाम्प अनिनियम 1998 के अनुसार निर्माण ठेके श्रम या सेवाएँ, सम्पत्ति हस्तान्तरण माल सहित सेवाओं के करार बन्ध पत्र निष्पादन पर (आदेश क्रमांक 2142-2782 दिनांक 09.03.2016 के अनुसार) स्टाम्प ड्यूटी संविदा की राशि पर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 15000/- निर्धारित की गई। संविदा पत्रावलियों की समीक्षा में निम्नानुसार कम राशि के स्टाम्प पेपर प्राप्त किए गए जिससे राज्य सरकार को राजस्व कम प्राप्त हुआ।

क्र. स.	कार्य का नाम	संवेदक/कार्य आदेश संख्या/राशि	स्टाम्प जिस पर करार सम्पादित किया जाना था	करार सम्पादित किया	कम सम्पादित राशि
1	Renuwal of road from Govindpura Ropada Village to Ring road & Bnataisari Phatak in Zone 10A	मै. मथूरीया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर 28/17.03.2016 7959896/-	15000	5000	10000
2	Renewal & strenthening of Shiv das pura main road in front road of Shivdaspura thana Zone 14A	मै. कृष्णा एन्टरप्राइजेज झुन्झनू 4/31.03.2016 14715830/-	15000	5000	10000
3	Annual road maintance work in Zone 14	मै. शिवचरण शर्मा जयपुर 8/20.07.2016 5102518/-	12760	7800	4960
योग					24960

उपरोक्तानुसार संबंधित से 24960/- के स्टाम्प प्राप्त किये जाकर संबंधित पत्रावली में नत्थी कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.    

144

14(ल) (iii) कार्य various development work in jamwa ramgard constituency area (strengthening & widening of road from natata to saiwar road) Zone 13A में प्रयुक्त पूर्ण सामग्री का रायल्टी अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अनियमित रूप से अन्तिम भुगतान करना।

स्वेदक: — मैसर्स गिटाला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या:— 19/04.03.2015 राशि रु 31729020/— टीपी— 20.96 प्रतिशत

कार्य अवधि:— 17.03.2015 से 10.11.2015 8 माह

कार्य पूर्णता दिनांक:— 08.11.2015 राशि 31352329/—

अंतिम बिल भुगतान:— दिनांक 03.06.2016 राशि 813265

पत्रावली की समीक्षा पर उक्त कार्य पर निम्नानुसार सामग्री उपयोग में ली गई।

माप पुस्तिका अनुसार उक्त कार्य पर GSB(Granular Sub Base Material) मात्रा कुल 6424 टन का उपयोग हुआ है।

क.स.	MB 18192 आईटमसंख्या	विवरण	मात्रा	खपत योग्य सामग्री मात्रा टन में
1.	4	GSB	3447.58	4827
2.	13	GSB	1140.81	1597
			4588.39	6424

खनिज विभाग द्वारा पत्रांक 176/13.05.2015 एवं 517 दिनांक 20.01.2016 द्वारा कम 1500, 3100 कुल 4600 टन की ही अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाकर अन्तिम बिल राशि 813265/— का भुगतान किया गया है। जो अनियमितता की श्रेणी में आता है।
प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

[Handwritten signatures and initials]

145

14(ल) (iv) निर्माण कार्य Cont. of road in G.P. Kumhariyawass in XEN 14 में प्रयुक्त सम्पूर्ण सामग्री का अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अन्तिम बिल का भुगतान करना एवं अन्य अनियमितताएँ।

संवेदक- मैसर्स हनुमान प्रसाद शर्मा, जिला टोंक।

कार्य आदेश संख्या - 13/15.10.2015 राशि रु 9346529/- टीपी- 16.81 प्रतिशत (-)

कार्य अवधि- 15.10.2015 से 14.04.2016 6 माह

कार्य पूर्णता दिनांक - 14.04.2016 राशि 9808492/-

अन्तिम बिल भुगतान दिनांक 28.04.2016 राशि 2806173/-

संवेदक द्वारा रॉयल्टी विकल्प सी प्रस्तुत किया।

अंकेक्षण टिप्पणी:-

1. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 217 पर नत्थी सामग्री खपत विवरण के अनुसार उक्त कार्य पर रेती 322 टन एवं ग्रेट/बैलास्ट 7654 टन उपयोग में ली गई है जबकि खनिज विभाग के पत्रांक 8934 दिनांक 23.12.2015 द्वारा ग्रेट/बैलास्ट 1425 टन एवं पत्रांक 3033 दिनांक 21.04.2016 द्वारा अन्तिम रूप से ग्रेट/बैलास्ट 5748 टन, रेती 81 टन का ही अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार बैलास्ट 7654 (-) (1425+5748) कुल 481 टन एवं रेती 322-81 = 241 टन का खनिज विभाग से रायल्टी अधिशुल्क अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अन्तिम बिल का भुगतान किया गया है।
2. अन्तिम बिल भुगतान दिनांक 28.04.2016 राशि 2806173/- में से Price Variation मद पेटे राशि रु. 1,60,000/- विविध जमा (MD) में कटौती करते हुए पारित किया गया है। जबकि अनुबन्ध के क्लॉज 45 के अनुसार price variation प्रपत्र तैयार करके, तदनुसार कटौती करते हुए अन्तिम बिल का भुगतान करना चाहिए था।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।

8 (Bsg) 3 11 22

Me -

146

14(ल) (v) निर्माण कार्य Construction of road in GP Badapadam Pura & Kattru wala in Zone 14A में पूर्ण सामग्री का खनिज विभाग से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अन्तिम बिल का भुगतान करना।

संवेदक-

मैसर्स रामेश्वर बिजारणियां

कार्य आदेश संख्या - 1/30.12.2015 राशि रु 38572658/- टी.पी. (-) 13.01 प्रतिशत

कार्य अवधि - दिनांक 07.01.2016 से 06.10.2016 9 माह

कार्य पूर्णता दिनांक - 30.07.2016 मूल्यांकन राशि रु 38504975/-

रायल्टी हेतु विकल्प - सी

राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प13 (6) खान/ गुप-2/80/पार्ट दिनांक 15.11.2011 के बिन्दु संख्या 6 के अन्तर्गत संवेदक ने रायल्टी हेतु विकल्प सी का चयन किया गया एवं राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 18.10.2012 के अनुसार परिपत्र दिनांक 15.11.2011 के बिन्दु संख्या 6 में आंशिक संशोधन किया गया कि वर्णित रायल्टी पेड खनिज प्राप्त करने वाले ठेकेदारों के अधिशुल्क निर्धारण प्रत्येक रनिंग बिल व अन्तिम बिल की स्टेज पर किए जाने की बजाय प्रथम रनिंग बिल एवं अन्तिम बिल की स्टेज पर ही किये जाये। अन्तिम बिल का भुगतान खनिज विभाग के द्वारा अनाप्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पारित नहीं किया जायेगा।

अंकेक्षण टिप्पणी:-

पत्रावली के पृष्ठ संख्या 553 पर नत्थी, रायल्टी हेतु सामग्री खपत विवरण पत्र में मापपुस्तिका 20061 के निम्न आईटमों में प्रयुक्त सामग्री को सामग्री खपत पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्र.सं.	आईटम संख्या	विवरण Re in foreed	मात्रा	दर	प्रयुक्त होने वाली सामग्री (टन में) रेती गिट पत्थर		
1	64/10	Un reinforced Plan Cement Concerete in M- 35 Grade	3303.40 घनमीटर	5900	2110.87 / 0.639	2682. 36 / 0.0. 812	-
2	65/13	सीमेंट कंक्रीट 1: 11/2: 3	0.72 घनमीटर	3607	0.45	0.90	-
3	66/14	सीमेंट कंक्रीट 1:4:8	4.32 घनमीटर	2287	2.72	5.44	-
4	66/15	पत्थर चिनाई 1:6	34.917 घनमीटर	1967	17.11	-	55.72
5	66/16	सीमेंट प्लास्टर 1:6 20 एमएम	34.20 वर्गमीटर	103	00.07	-	-
					2131.22	2688.70	55.72

उपरोक्तानुसार उक्त आईटमों में प्रयुक्त सामग्री का रायल्टी पेड होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही अन्तिम बिल का भुगतान किया गया है। जो अनियमित है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।

8 Rk. + + + + +

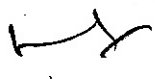
147

14 (ल) (vi) निर्माण कार्यों में संवेदको से बैंक गारन्टी नहीं बढ़ाने से अनियमित मुग्तान:-

जयपुर विकास प्राधिकरण के आलोक्य वर्ष 2016 के अंकेंक्षण दौरान अधिशासी अभियंताओं के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा संवेदको से सड़क निर्माण कार्यों में बैंक गारन्टी बढ़ाने का अभाव पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	अधिशासी अभियन्ता जोन	बैंक गारन्टी not extend name of week	Name of firm	B.G अवधि	अवधि जिसके लिए बी.जी. वृद्धि करनी थी
1.	XEN-6	Miscellaneous repair work in Zone -6 JDA w.o. 2/8.4.15 – Rs. 78,70,215/-(St. Date of communication 11.5.15 Actual dare of completion 18.12.16)	M/S Kritika Associates	13.4.15 to 13-7-15 Rs.925000 ,	14-7-15 to 18-12-16
2.	XEN-7	Improvement of Prince Road (Ajmer road to Queens Road in Zone 7 area JDA Jaipur w.o. – 5/7.5.15 Rs. 1,72,03,342 (St. date of communiction-16.5.15 Actual Date of completion- 15.6.16)	M/S M.D Eng. & contracators	6.5.15 to 5.11.15 Rs. 26,71,129	6.11.15 to 15.6.16
3.	XEN-7	Construction & road and boundary wall in Kubar Complex at Ghandhi Path Vaishali Nagar Zone 7 JDA Jaipurw.o. – 13/ 5.8.15 Rs. 1,73,64,236 (St. date of communication 12.8.15 Actual date of completion18.3.16)	M/S Gokul Nath Constructuon Co.	5.8.15 to 3-2-16 Rs. 35,44,000	4.2.16 to 18.3.16

अतः उपरोक्तानुसार सड़क निर्माण कार्यों में बैंक गारन्टी की अवधि नहीं बढ़ाई गई है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk. 8    

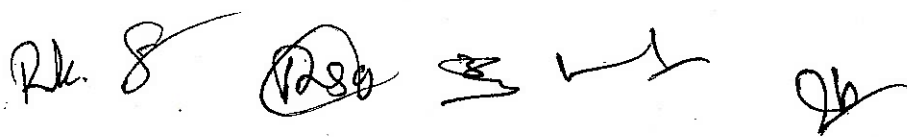
148

14 (ल) (vii) अनुबन्ध के क्लॉज संख्या 45 के अनुसार मूल्य विचलन प्रपत्र तैयार किये बिना ही अन्तिम बिलों का अनियमित भुगतान करना।

अनुबन्ध के क्लॉज 45 शर्त संख्या 4 के अनुसार मूल्य विचलन प्रपत्र तैयार करके तदनुसार वसूली/भुगतान करते हुए अन्तिम बिलों का भुगतान करना चाहिए। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत निर्माण कार्यों की पत्रावलियाँ/अभिलेखों की समीक्षा करने पर पाया गया कि अनुबन्ध के क्लॉज 45 शर्त संख्या 4 का उल्लंघन करके निम्न निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों का भुगतान मूल्य विचलन प्रपत्र तैयार किये बिना ही किया गया है। तथा अन्तिम बिलों से विविध जमा में मूल्य विचलन पेटे राशि की कटौती की गई है।

क्रम सं०	कार्य का नाम.	संवेदक का नाम कार्य आदेश सं./दिनांक/राशि	अन्तिम बिल भुगतान दिनांक/राशि	Price variation के पेटे MD में रोकी गई राशि
1	रिंग रोड परियोजना में जोन-11 के अन्तर्गत PAP में जो व्हाईट कम्पाउण्ड वॉल निर्मित कार्य	मै० लक्ष्मीनारायण अग्रवाल 5/11.3.15 /70045201	18/7/16 3751253	65000/-
2	Const. of link road from Hadi ka Bas (Kukus) to Saiwal Zone-13	मै० लालचन्द तिवाड़ी 8/19.1.16/ 26179899	29/8/16 3412558/-	525000/-
3	Const. of internal roads in Kesav nagar in XEN 8	मै० गोयल बिल्डर्स 25/14.12.15 / 5938173	1.6.16 32754	50000/-
4	Renewal of road from maszid near JNU to Bhandhya Mod at Goner road in zone-10	लाल तिवाड़ी 26/2.2.16 17032571/-	3.6.16 1067821	671500/-
5.	Various Development work in G.P. Newata XEN -11	मैसर्स गुप्ता बिल्डर्स जयपुर 20/08.01.2016 1466363/-	24.06.2016 3268250	100000/-

अनुबन्ध के क्लॉज 45 के अनुसार मूल्य विचलन प्रपत्र तैयार कराकर तदनुसार वसूली/भुगतान कराये जाकर अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।



149

14(ल) (viii) निर्माण कार्य Repair & Renewal of road from Agra road to via ring road Lakheshravillage in Zone 10 में पाई गई अनियमितताएं

संवेदक: — लटाला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर

कार्य आदेश संख्या:— 7 दिनांक 09.02.2015 राशि रु 17841163/- टी.पी. (-) 9.20 प्रतिशत

कार्य अवधि:— 18.02.2015 से 17.08.2015 6 माह

कार्य पूर्णता दिनांक— 15.08.2015 मूल्यांकन राशि रु 1,62,26,341/-

अन्तिम बिल भुगतान: दिनांक 26.04.2016 राशि 231956/-

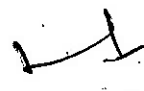
अंकेक्षण टिप्पणी:—

उक्त कार्य की समीक्षा में पाया गया कि भाषपुस्तिका संख्या 17975 पृष्ठ संख्या 38 आईटम संख्या 25/26 Demolishing Stone Rubble masonry manually/by mechanical means including staching of servicable material & disposal of unservicable material within 50 metres as per direction of Engineer in change in cement mortar मात्रा 441.34 घनमीटर दर 445/- से भुगतान किया गया।

उक्त आईटम में 1/3 भाग (441.34 × 1/3) 147.10 घनमीटर पत्थर उपयोग में आने योग्य थे। फर्म द्वारा उपयोग योग्य पत्थरों का चिटा नहीं बनाया जाकर उक्त पत्थरों को खुर्दबुर्द किया गया संवेदक से उपयोग योग्य पत्थर 147.10 घनमीटर का बीएसआर की दर से राशि वसूल किए जाने हेतु प्रकरण नियन्त्रण अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है।

(14) (व) गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोक्य वर्ष 2016-18 में गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

Rk.     

(14) (श) माप पुस्तिकाओं व अन्तिम बिलों की जांच संबंधी :-

150

14(श) (i) निर्माण कार्य Patch repair work on various roads of Zone-9 (XEN-9) में सामग्री प्राप्त किये बिना ही अनियमित भुगतान राशी रु0 35144/-

संवेदक- मैसर्स रीया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

दर संविदा कार्य आदेश संख्या - 15 दिनांक 11.1.17 राशि रु 62,19,924/-TP (-) 27.91%

कार्य अवधि - दिनांक 17.1.17 से 16.10.17

कार्य पूर्णता दिनांक 15.10.17 राशि रु0 67,54,497/-

उक्त कार्य की माप पुस्तिका संख्या 21619 पृष्ठ संख्या 48 आईटम संख्या 12 Prodivtion and Supply of Kandhal ready mix cold Bitumimon की मात्रा 56000 कि०ग्रा० दर 11/-रु0 प्रति राशी 616000/- रु0 तथा आईटम संख्या 13, आईटम संख्या 12 मात्रा 56000kg का labour charges for placing and compaction kandhal readymade cold bituminous patching mix in patholes in adverse weather including cleaning of potholes, placing and compagting the mix.की दर 2 रु0 प्रति किलोग्राम से राशी 112000/- रु0 TP (-) 27.91% की कटौती करते हुये भुगतान किया गया।

माप पुस्तिका संख्या 21616 पृष्ठ सं० 38-41 पर आईटम सं० 12 Production and supply of Kandhal readymade cold Bituminous patching mix in 50kg plastic lined, sturdy bags for repair of potholes in adverse climatic condition including the bituminous mix with a minimum of 5.6% MC-800 cutback bituminous की मात्रा 3750kg वाहन संख्या RJ-14-GC-9833 द्वारा प्राप्त होने की प्रविष्टि की गई है लेकिन पत्रावली में उक्त मात्रा प्राप्त होने की आवक पर्ची संलग्न नहीं है। पत्रावली में उक्त आईटम की कुल मात्रा 52250 कि०ग्रा० की आवक की पर्ची ही संलग्न है। बिना सामग्री आवक पर्ची के $(56000-52250) \times 3750 \times (11+2) = 48750$ (-) TP 27.91% = 13606/- कुल 35144/- रु0 का अधिक अनियमित भुगतान किया गया है।

संवेदक से राशी 35144/- वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

8 Rk H A B B B

(151)

14 (श) (ii) Renwvel & improvement of exiting main & internal link Road of XEN 12 में
बिक्रीकर की राशि 67991/- रुपये कम वसूल करना

संवेदक— मैसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या - 242/7.8.14 राशि रु 41345362/- टीपी- 0.01 प्रतिशत

कार्य अवधि - दिनांक 14.8.14 से 13.2.15 6 माह

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 57513000/-

कार्य पूर्णता दिनांक - 8/5/15 (अधिक राशि का कार्य करने एवं ग्रामवासियों द्वारा डामर सड़क के बजाय सीमेंट सड़क की मांग करते हुये कार्य अवरुद्ध करना)

संवेदक को भुगतान राशि 50190242/-

अंकेक्षण टिप्पणी:-

1. संवेदक द्वारा बिक्रीकर हेतु वाणिज्य कर अधिकारी से छूट Exemption प्रमाण पत्र दर 0.75 प्रतिशत का राशि 41345362/- का दिनांक 22.9.14 को प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार बिक्री कर की राशि 41345362 पर 0.75 प्रतिशत की दर से 310090.22 एवं शेष राशि (50190242-41345362) 8844880 पर 3 प्रतिशत की दर से 265346.40 कुल 575437/- रु वसूल करनी थी। जबकि संस्था द्वारा रनिंग बिलो से राशि 507446/- रु ही वसूल किये गये हैं। इस प्रकार बिक्रीकर की राशि (575437-507446) 67991/- रु कम वसूल किये गये हैं। संवेदक से राशि 67991/- रु वसूल कराकर सम्बन्धित विभाग में जमा कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8- (151) 1-1 1-1 1-1
Rk.

152

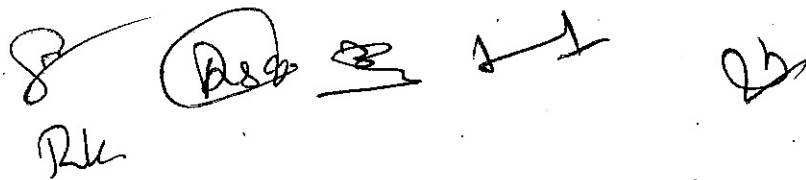
14(श) (iii) निर्माण कार्य जविप्रा जोन-10 क्षेत्र, आगरा रोड से (पालडी मीना) से केशव विद्यापीठ चौराहे तक मुख्य सड़क के नवीनीकरण एवं शुद्धीकरण कार्य में राशी 65117/-रु0 को बिक्री कर विभाग में जमा कराने का अभाव -(XEN 10)

संवेदक- मैसर्स गोयल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।
 कार्य आदेश संख्या - 568-76 दिनांक 27.5.14 राशि रु 2,38,15,852/-TP (-) 6-66%
 कार्य अवधि दिनांक 2.6.14 से 1.12.14
 कार्य पूर्णता दिनांक दिनांक 25.3.15 बिना शास्ति मूल्यांकन राशि 26,49,16,71/- (-) क्लाज 45 के अनुसार मूल्य विचलन राशी (-) 10852 शुद्ध भुगतान 2,64,80,819/- बिक्रीकर छूट पत्र दिनांक 26.8.14 को राशी 2,38,15,852/- पर 0.75% की दर से
 अन्तिम विचलन पत्र निर्देशक अभियांत्रिकी द्वारा 11.34% अधिक अनुमोदित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 317/11.8.13 राशी 3,46,15,588/-

अंकेक्षण टिप्पणी -

उक्त कार्य का अन्तिम बिल भुगतान दिनांक 19.4.17 को 1031026/-रु0 का किया गया। उक्त कार्य का राशी 2,64,80,819/-रु0 का भुगतान किया गया बिक्रीकर की निम्नानुसार राशि 2,38,15,852/-रु0 पर 0.75 की दर से राशी 1,78,619/- (बिक्रीकर छूट पत्र लेने से) शेष राशी (26480819-23815852) 2664967 पर 4% की दर से 106599 कुल 2,85,218/-रु0 कटौती करके बिक्रीकर विभाग में जमा करानी चाहिये थी। संस्था द्वारा फर्म के बिलों से 220101/-रु0 बिक्री कर पेटे कटौती करके संबंधित मद में जमा कराये गये। फर्म के चतुर्थ, पंचम बिल से बिक्रीकर पेटे राशी 36,764/-, 28,353/- कुल 65,117/- विविध जमा में कटौती करके संस्था ने अपने पास ही रख-रखे हैं।

फर्म के बिलों से बिक्रीकर पेटे कटौती की गई 65,117/-रु0 राशी जो विविध जमा में रखे हुये हैं, को बिक्रीकर विभाग में जमा कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।



153

14(श) (iv) निर्माण कार्य Const. of Road (up to GSB Level in PAP area Ring Road Zone- 11 (RRP III) (Package 5) में राशि 61287/- का अधिक भुगतान

संवेदक:- मैसर्स गोकुलनाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या:- 45/29.05.2014 राशि रु 22512090/- टी.पी.(-) 17.51 प्रतिशत

कार्य अवधि:- 04.06.2014 से 03.12.2015 6 माह

कार्य पूर्णता दिनांक:- 30.11.2015 मूल्यांकन राशि 23085906/-

अनुबन्ध संख्या:- 2/2014-15

अंकेक्षण टिप्पणी:-

कार्य की माप पुस्तिका संख्या 17006, आईटम 5 पृष्ठ संख्या 21-22 का योग 16822.41 घनमीटर ही होता है जबकि उक्त आईटम की मात्रा 16960.25 घनमीटर ली जाकर 137.84 घनमीटर दर 539/- (- टीपी 17.51) घनमीटर से (74295.- टीपी 13009.19) 61287/- का अधिक भुगतान किया गया है।

संवेदक से राशि रु 61287/- वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।

Rh. (Dsc) [Signature] [Signature] [Signature]

154

14(श) (v) Constauction of missing link road connecting Devi nagar to Goutam Path via Ayappa tempal Zone -5, JDA, Jaipur संबंधी कार्यो की माप पुस्तिका में मात्रा अधिक दर्शा करें भुगतान किये जाने कारण वसूली योग्य राशि 54,529/-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान अधिशाषी अभियंता -5 के द्वारा उपलब्ध कराई गई पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया है कि आपके कार्यादेश संख्या-डी -2 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा M/S K.D.Sharma को Constauction of missing link road connecting Devi nagar, to Goutam Path via Ayappa tempal Zone -5, JDA, Jaipur संबंधी कार्य आवंटित किया गया था। उक्त कार्य 08.05.2016 को आरम्भ किया जाकर 07.11.2016 को पूर्ण किया जाना था। लेकिन फर्म द्वारा 06.07.2016 को पुन किया जाना था। लेकिन फर्म द्वारा 06.07.2016 तक ही कार्य दिया गया तथा एग्रीमेन्ट क clouse -32 के तहत contract uithdraw किया गया। कार्यादेश पत्र क्रमांक डी 138 दिनांक 22.02.2018 द्वारा निरस्त कर दिया गया। कार्य पूरा नहीं करने पर 10% शास्ति आरोपित की गई। शास्ति आरोपित राशि $15953924 - 2858755 (=1,30,95,169 @ 10\% = 13,09,517/-$ रु. थी जिसमें 2nd R.B. से 9,02,155/- रु. की वसूली की गई। शेष राशि $13,09,517 - 9,02,155 = 4,07,362 /-$ रु. की वसूली अभी भी बकाया है लेकिन फर्म द्वारा इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में White File no.11038/2018 दाखिल की हुई है मामला विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय उपरानत ही वसूली की कार्यवाही की जा सकगी उक्त कार्य की मापपुस्तिकाओं की जांच में अनियमितता :- (1)(अ) कार्य की एम.बी.न. 20580 पृष्ठ संख्या 05 की Record entry date 23.05.2017 को item no. 1/G-19 चैनल 60 to 65 $\leq$ lenth $5' \times 3.20 \times 10 = 1.6'$ जबकि M.B अनुसार $15 \times 3.20 \times 10 = 4.8$ अतः वसूल की जाने वाली राशि रुपये $3.2 \times 3500 = 11,200/-$ रुपये है।

(1)(ब)- कार्य की एम.बी.न. 20580 पृष्ठ संख्या 06 की record entry date 09.06.2017 को item no 01/G-19 चैनल 0 to 0 - $1 \times 15 \times 2.6 \times 10 = 3.9$ cm है अतः वसूल की जाने वाली राशि रुपये $3.9 \text{ cm} @ 3500 = 13650/-$ रुपये है।

(2)कार्य की एम.बी.न. 20580 पृष्ठ संख्या -07 की record entry date 13.06.2017 को चैनल 0 to 0 = $1 \times 15 \times 2.70 = 40.500$ SQM, item no.1/E-1, 100 mmthis m30 grede है अतः वसूली की जाने वाली राशि $40.500 \times 950 = 38,475$ रुपये है।

उपरोक्तानुसार अधिक मात्रा की वसूली निम्नानुसार है:-

1 item no.1 -

अधिक भुगतान की गई मात्रा $= 7.1 \text{ cum} (3.2 + 3.9)$ दर 3500/ cum

बिल अनुसार अधिक भुगतान की गई मात्रा ----- 24850

2 item no. E-1 के अनुसार अधिक भुगतान की गई राशि- 38,475

योग 63,325

(-)TP 13.89%Beloo - 8,796

शुद्ध वसूली राशि - 54,529

संबंधित से राशि 54529/- वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rh. Sr. (Signature) (Signature) (Signature) (Signature) (Signature)

14(श) (vi) कार्य रामनिवास बाग में जोगिंग ट्रेक निर्माण XEN उद्यान -I में अनियमित रूप से मूल्य वृद्धि (Price escalation) का भुगतान करना राशि 53526/-

संवेदक:- मैसर्स आशाका कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या:- 446/04.09.2013 राशि रु 6615236/- टीपी- 08.28 प्रतिशत

कार्य अवधि:- 10.09.2013 से 09.12.2013 3 माह

कार्य पूर्णता दिनांक:- 31.01.2015 मूल्यांकन 6100740/-

अनुबन्ध संख्या:- 19/2013-14

अंकेक्षण टिप्पणी:-

उक्त कार्य हेतु सम्पादित अनुबन्ध के क्लॉज 45 के अनुसार कार्य की लागत 100 करोड एवं कार्य की समय सीमा 18 माह (दोनों होने पर) ही (Price variation) लागू होगा। उक्त की अवहेलना करके संवेदक को दिनांक 05.05.2017 को (Price escalation) को राशि 53526/- का भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

संवेदक से राशि वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 Dec 2017

14(श) (vii) निर्माण कार्य Cont. of Internal 9M wide roads up to GSB level proposed JDA residential scheme Dev Vihar, Village Devkishanpura, Chaksu in XEN 14 में राशि रुपये 46869/- का अधिक भुगतान।

स्वेदक:- मैसर्स मयंक इन्टरप्राइजेज, जिला बांसवाड़ा।
कार्य आदेश संख्या:- 13/दिनांक 21.09.2016 राशि रु 5949103/- टीपी- 31.07 प्रतिशत
कार्य अवधि:- दिनांक 30.09.2016 से 29.03.2017 6 माह
कार्य पूर्णता दिनांक:- 10.01.2017 राशि 6723909/- , Excise 13.02
विचलन प्रपत्र अधिशाषी अभियन्ता-IV द्वारा अनुमोदित

अंकक्षण टिप्पणी:-

निर्माण कार्य की समीक्षा में पाया गया कि निम्नानुसार माप पुस्तिका में आईटम का योग अधिक लिए जाने से निम्नानुसार स्वेदक को अधिक भुगतान किया गया है।

1. आईटम संख्या 1 Const. of empankment with approved materials माप पुस्तिका संख्या 21264

क्र. सं.	एम. बी पृष्ठ संख्या	विवरण रोड संख्या	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	योग	MB में लिया	अधिक घनमीटर
1	27	63	1x2	7.30	(2.5+2.00)/2	(0.2+0.2)/2	6.57	7.30	0.73
2	28	64	1x2	30	(2.5+2.5)/2	0.2+0.2/2	30.00	60.00	30.00
3	28	31	1x2	2	(2.5+2.05)/2	0.2+0.2/2	2.00	30.00	28.00
4	29	33	1x2	9	(2.5+2.05)/2	0.20	9.00	30.00	21.00
5	40	5	1x2	7	(2.5+2.05)/2	0.20	7.00	30.00	23
							54.57	157.30	102.73

उक्त आईटम में 102.73 घनमीटर योग अधिक लेकर दर 31.50=3235 (-) TP 1005.42 कुल 2230.58/- रुपये का अधिक भुगतान किया।

2. आईटम संख्या 2 Excavation in soil using Hadraulic excavator में आईटम संख्या 1 की मात्रा 102.73 घनमीटर दर 26.10 रुपये प्रति घनमीटर से 2681.25 (-) टीपी 833/- कुल 1848.25 रुपये अधिक भुगतान किया गया।
3. आईटम संख्या 3, Granvlar sub-base with well graded material by mix in place method मापपुस्तिका संख्या 21246 पृष्ठ संख्या 19 सड़क नवम्बर 44 में (संख्या x लम्बाई x चौड़ाई x गहराई) $1 \times 10 \times (375 + 20 + 25) \times 0.20$ कुल 32.50 घनमीटर योग ही होता है। जबकि माप पुस्तिका में योग 187.50 घनमीटर लिया जाकर दर 400.50 रुपये प्रति घनमीटर से भुगतान किया गया। इस प्रकार $(187.50 - 32.50)$ 155 घनमीटर दर 400.50 रुपये प्रति घनमीटर से 62077.50 (-) टीपी 19287.48 कुल 42790.02 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार स्वेदक से 2230.58+1848.25+42790.02 कुल 46869/- वसूल कराए जाने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाता

(Handwritten signatures and initials)

157

14(श) (viii) निर्माण कार्य जोन 9 क्षेत्र की सेक्टर 30 की विभिन्न कॉलोनीयों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य (XEN-9) परफोरमेन्स गारन्टी राशी कम प्राप्त करना एवं राशी 25734/- रु० का अधिक भुगतान

संवेदक— मैसर्स अवानी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।
 कार्य आदेश संख्या — 13 दिनांक 6.12.16 राशि रु 73,53,681/-TP (-) 29.96%
 कार्य अवधि — दिनांक 13.12.16 से 12.6.17
 कार्य पूर्णता दिनांक 10.6.17 राशी 71,18,674/- रु०
 अनुबंध संख्या 13/2015-16 राशी 15000/- रु० स्टाम्प पेपर पर
 अंकेक्षण टिप्पणी

i माप पुस्तिका संख्या 21615, पृष्ठ संख्या 19, आईटम संख्या 12, Providing and laying bituminous concrete 100-120 TPH batch type not mix plant producing की मात्रा 1517.55 मैट्रिक टन की दर 2930/- रु० प्रतिमैट्रिक (-) TP 29.96 % से भुगतान किया गया। पत्रावली में 1505.01 मैट्रिक टन सामग्री की ही आवक पर्ची संलग्न है।

माप पुस्तिका संख्या 21614 पृष्ठ 7 पर आईटम संख्या 12 की वाहन संख्या RJ-14-GC 1694 मात्रा 12.54 की रिकॉर्ड प्रविष्टि की गई है। उक्त मात्रा की सामग्री आवक पर्ची पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने पर भी 12.54 मैट्रिक टन दर 2930/- प्रति टन (-) TP 29.96% 25734/- रु० का अनियमित भुगतान किया गया है।

ii उक्त कार्य की "G" शिड्यूल राशी 10499258.81 रु० थी। संवेदक द्वारा "G" शिड्यूल राशी से 29.96 प्रतिशत कम दर दिये जाने से दर स्वीकृत की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के कार्यालय आदेश संख्या 204 दिनांक 16.2.15 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि निविदाओं में BSR दर से कम दर डालने पर कम दर डालने वाले संवेदक से अन्तर राशी (at par की दर से जितनी दर कम है) वर्क परफोरमेन्स की गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा की जायेगी।

उक्त कार्यालय आदेश की अवहेलना करके संवेदक से BSR दर राशी 10499258.81 का TP (-)29-96% राशी 31,45,578/- रु० वर्क परफोरमेन्स की गारन्टी के बजाय letter of acceptance क्रमांक 9 दिनांक 5.12.16 द्वारा राशी 7,35,368/- रु० वर्क परफोरमेन्स गारन्टी हेतु डीडी/बैंक गारंटी जमा कराने पत्र जारी किया गया संवेदक से कार्य परफोरमेन्स की गारन्टी की राशि डीडी/बैंक गारन्टी प्राप्त किये बिना ही कार्य आदेश जारी किया गया। जो उक्त आदेश की अवहेलना है। यद्यपि कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण हो गया था। संवेदक से राशी 25,734/- वसूल कराने एवं वर्क परफोरमेन्स गारन्टी के डीडी/बैंक गारन्टी प्राप्त किये बिना ही कार्य आदेश दिये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हुत प्रकरण संख्या प्रधान के ध्यान में लाया जाता है।

(59)

14(श) (ix) निर्माण कार्य Const. of Roads Work in proposed Residential Scheme Dev Vihar Village Devkishan Pura Chakshu XEN 14 पर राशि 23988 /- रु का अधिक भुगतान -

संवेदक:- मैसर्स गुप्ता के.एन. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।

कार्य आदेश सख्या:- 17 दिनांक 24.10.16 राशि रु 47831551/- टीपी- 21.21 प्रतिशत

कार्य अवधि - दिनांक: - 02.11.16 से 02.11.2017

कार्य पूर्णता दिनांक 3.5.17 मूल्यांकन राशि 51470595.32 'G' सिड्यूल राशि 6,31,35,948 /-

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सख्या 310/5.10.15 राशि 116729333 /-

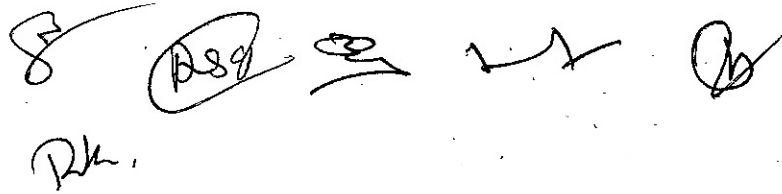
माप पुस्तिका सख्या 21370, 21368, 21371, 21369

अंकक्षण टिप्पणी:-

माप पुस्तिका सख्या 21370, पृष्ठ सख्या 79 आईटम सख्या 5

(11.50+14+15.2+13.20+13.80+13.90) x 2 x 2 x 0.09 का योग 29.376 घनमीटर ही होता है जबकि उक्त आईटम का योग 54.96 घनमीटर लेकर 25.584 घनमीटर दर 1190/- रु0 (-) 21.21 प्रतिशत (30445-6457) 23988 /- रु का अधिक भुगतान किया गया है।

संवेदक से राशि 23988 /- रु. वसूल कराने हेतु सस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।


Rk.

159

14(श) (x) निर्माण कार्य Const. of internal Roads in Residential Scheme Surya Nagar (Tololi)

Phase ii (ARc) in XEN 14 में राशि 25784 /- रु का अधिक भुगतान:-

संवेदक:- श्री मदनलाल, रामेश्वरलाल, जयपुर।

कार्य आदेश संख्या:- 20 दिनांक 3.2.16 राशि रु 3,75,47,423/- टीपी- 0.26 प्रतिशत

कार्य अवधि दिनांक:- 12.2.16 से 11.11.2016

अन्तिम बिल भुगतान:- राशि 1,63,24,177 दिनांक 16.10.17

कार्य मूल्यांकन:- 41548172/- मूल्य विचलन राशि (-) 43,57,590/- शुद्ध भुगतान
3,71,03,389/- माप पुस्तिकाये- 21849, 16050, 16051, 20848

अंकेक्षण टिप्पणी:-

- I. माप पुस्तिका संख्या 21489, पृष्ठ 93, आईटम संख्या 3/3 (2x30x1.5x0.15) का योग 13.50 घनमीटर ही होता है जबकि उक्त आईटम का योग 40.50 घनमीटर लेकर 27 घनमीटर की दर से 310/- प्रति घनमीटर + टीपी 0.26 प्रतिशत अर्थात् 8391.76 रु का अधिक भुगतान किया
- II. माप पुस्तिका संख्या 16051 पृष्ठ 64-71 आईटम संख्या 3/3 का योग 2528.83 घनमीटर ही होता है जबकि उक्त आईटम का योग 2584.79 घनमीटर लेकर 55.96 घनमीटर का दर 310/- प्रति घनमीटर + TP 0.26 प्रतिशत टीपी अर्थात् 10392.70 रु का अधिक भुगतान किया गया है।

उपरोक्तानुसार संवेदक को राशि 8391.76 + 17392.70 कुल 25784/- रु का अधिक भुगतान किया गया है।

संवेदक से राशि 25784 वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

Plc. + + + + +

14(श) (xi) निर्माण कार्य जोन- 9 के सेक्टर 29 में राणा सांगा मार्ग महल स्कीम ए एव बी बलॉक की मुख्य सड़क का नवीनीकरण एवं शुद्धीकरण में अनुबंध के क्लॉज 45 के विरुद्ध मूल्य विचलन में अधिक भुगतान राशी 16649/- (XEN-9)

संवेदक- मैसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या - 21 दिनांक 3.12.15 राशि रु 1,72,19,240/-TP - 9%

कार्य अवधि - दिनांक 12.12.15 से 11.4.16

नेगोशियेशन दिनांक 6.11.15 को संवेदक द्वारा TP दर - 9% दी गई।

कार्य पूर्णता दिनांक 11.4.16 राशी 1,66,42,468/- रु0

अनुबंध के क्लॉज 45 के अनुसार मूल्य विचलन पत्र वाउचर संख्या 0 दिनांक 6-11-17 द्वारा जिसमें मूल्य विचलन श्रम 191.44, स्टील (-) 256.85, मेटेरियल - 20744.15, पेट्रोलियम 13819.56, बिटुमन (-) 1960985.61 राशी (-) 1967976/- रु0 का पारित किया गया एवं राशी 19,67,976/- रु0 वसूल की गई।

मूल्य विचलन प्रपत्र की समीक्षा में पाया गया कि अनुबंध के क्लॉज 45 डी के अनुसार पेट्रोलियम (PoL) हेतु जिस दिनांक को नेगोशियेशन किया गया है, उस दिवस की पेट्रोलियम (PoL) की दर लागू होगी। नेगोशियेशन दिनांक 6.11.15 को पेट्रोलियम (PoL) की दर 181.70 रु0 प्रति लीटर थी। जबकि मूल्य विचलन प्रपत्र में टेण्डर खोलने के प्रमाणिक दर से गणना करके राशी 13819.56 रु0 का भुगतान, ऋणात्मक से कम किया गया है।

नेगोशियेशन दिनांक को PoL की निम्नानुसार राशी वसूल करनी चाहिये थी। अनुबंध क्लॉज 45 डी के अनुसार -

PoL

$$V_1 = 0.75 \times \frac{P_1 \times R}{100} (F_1 - F_0)$$

$$\frac{0.75 \times 4.55 \times 739947.17}{100} \times \frac{(179.97 - 181.70)}{181.70} = (-) 238.79 \text{ Oct. 15 to Dec. 15}$$

$$\frac{0.75 \times 4.55 \times 13489198.15}{100} \times \frac{(177.23 - 181.70)}{181.70} = (-) 11324.80 \text{ Jan. 16 to March 16}$$

$$\frac{0.75 \times 4.55 \times 2418323.17}{100} \times \frac{(200.93 - 181.70)}{181.70} = (+) 8733.96 \text{ April 16 to June 16}$$

$$(-) 2829.63$$

PoL के मूल्य वृद्धि/कमी में राशी 2829.63 रु0 वसूल करनी चाहिये थे जबकि वाउचर संख्या 0 दिनांक 6.11.17 में राशि + 13819.56 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार संवेदक से राशि 2829.63 + 13819.56 कुल 16649/- रु0 वसूल नहीं किये गये।

संवेदक से राशि 16649/- रु0 वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

161

14(श) (xii) निर्माण कार्य Various repair maintenance work from Trasport nagar to NH 8

Zone 10 area JDA (XEN 10) में राशी 14596/-रु0 अधिक भुगतान -

संवेदक- मैसर्स शिव चरण शर्मा
कार्य आदेश संख्या - 11 दिनांक 8.12.16 राशि रु 73,76,856/-TP (-) 23.11%
कार्य अवधि दिनांक 16.12.16 से 15.6.17
मूल्यांकन राशि 8305408
अनुबंध संख्या 11/वर्ष 2016-17
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 280/16.9.15 राशी 1 करोड़

अंकक्षण टिप्पणी -

माप पुस्तिका संख्या 21622 पृष्ठ संख्या 41, आईटम संख्या 23 (नीव में पत्थर चिनाई सीमेन्ट बजरी मसाला 1:4) की मात्रा 9.76 घनमीटर को माप पुस्तिका संख्या 21624 के पृष्ठ संख्या 23 से (Brought forward) लेना अंकित किया गया है, लेकिन माप पुस्तिका संख्या 21624 पृष्ठ संख्या 23 पर उक्त आईटम व मात्रा की कोई रेकार्ड प्रविष्टि का इन्द्राज नहीं है।

इस प्रकार नीव में पत्थर चिनाई 9.76 घनमीटर दर 1945 प्रति घनमीटर (-) TP 23.11% से राशी (18983.20-4387.02) 14596/-रु0 का अधिक भुगतान किया गया है।

संवेदक से राशी 14596/-रु0 वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 RSO 11 12

Rk.

14(श) (xiii) निर्माण कार्य Construction of Roads & Boundry wall in kuber Complex at Gandhi Path, Vaishali Nagar, Zone-7, JDA, Jaipur में राशी 8213/-रु0 अधिक भुगतान -

संवेदक- मैसर्स गोकुल नाथ कन्सल्टेशन कम्पनी
 कार्य आदेश संख्या - 13/05.08.2015 राशि रु 20908171.00/-TP (-) 16.95%
 कार्य अवधि दिनांक 12.08.2015 से 11.02.2016
 कार्य पूर्णता अवधि दिनांक 18.03.2016
 अनुबंध संख्या 14/वर्ष 2015-16

अंकेक्षण टिप्पणी -

1. माप पुस्तिका संख्या 19183 पृष्ठ संख्या 10-11, आईटम संख्या 02 में उक्त आईटम का योग 904.86 घनमीटर दर्शाया गया है जबकि वास्तविक योग 898.64 घनमीटर है। अतः 6.22 घनमीटर अधिक मात्रा का भुगतान संवेदक को कर दिया गया है। जिसकी प्रति इकाई दर 1190/- रु जिसकी वसूली योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार है :-

अन्तर राशि	6.22x1190	=	7402
(-) TP 16.95% Below		=	1255
अधिक भुगतान की गई राशि			6147

2. माप पुस्तिका संख्या 19183 पृष्ठ संख्या 7-8, आईटम संख्या 03 में उक्त आईटम का योग 920.23 घनमीटर दर्शाया गया है जबकि वास्तविक योग 914.01 घनमीटर है। अतः 6.22 घनमीटर अधिक मात्रा का भुगतान संवेदक को कर दिया गया है। जिसकी प्रति इकाई दर 400/- रु जिसकी वसूली योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार है :-

अन्तर राशि	6.22x400	=	2488
(-) TP 16.95% Below		=	422
अधिक भुगतान की गई राशि			2066

संवेदक से राशी 6147+2066 = 8213/-रु0 वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(Handwritten signatures and initials)

163

14(श) (xiv) कार्य development & Improvement of Park at Model Town, Giriraj Nagar, sumer Nagar, Park 1 & Park 2 and Mahaveer Nagar in PRN Zone-19 (Garden Zone) में

बिक्री कर की राशी 4864/-रु0 कम वूल करना

संवेदक- मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बोरखण्डीकला त0 पीपली टोंक।

दर संविदा कार्य आदेश संख्या-1283 दिनांक 9.11.2016 राशि रु 2465891/-TP(-) 23.21%

कार्य अवधि - दिनांक 9.11.16 से 8.2.17

Exemption certificate सं0 EC 201617144606 दिनांक 24.11.16 राशी 2465851 पर 0.75% A & F Rs.30,00,000/-

कार्य पूर्णता दिनांक 2.3.17 मूल्यांकन राशी 26,82,058/- रु0

अंकक्षेपण टिप्पणी

उक्त कार्य हेतु संवेदक ने Exemption certificate दिनांक 24.11.16 राशी 24,65,851/- पर 0.75% की दर से उपलब्ध कराया गया है।

उक्त कार्य पर दर संविदा आदेश से राशी (2682058-2465851) 216167/-रु0 अधिक व्यय किया गया है। अन्तिम बिल भुगतान से राशी 216167 (3-075%) 2.25% की दर 4864/- रु0 बिक्री कर की कम कटौती की गई है।

संवेदक से राशी 4864/-रु0 वसूल कराकर सम्बन्धित मद में जमा कराये जाकर अंकक्षेपण विभाग को अवगत करावें।

8 889 3 1 12

Dk.

14(श) (xv) निर्माण कार्य जविप्रा जोन-10 ए क्षेत्र में हनुमान बगीची से झरडा की ढाणी तक सड़क शुद्धीकरण (XEN 10) में राशि 2667/-रु0 अधिक भुगतान -

संवेदक- मैसर्स भगत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्य आदेश संख्या - 6 दिनांक 2.2.15 राशि रु 69,53,346/-TP (-) 27.11%

कार्य पूर्णता दिनांक अनुबंध के क्लोज 32 के तहत जमीनी विवाद होने से दिनांक 16.6.16 को बिना शास्ति कार्य प्रत्याहारित (withdraw) किया गया।

मूल्यांकन 7028382

माप पुस्तिका संख्या 18013, 18014

टिप्पणी

उक्त कार्य की माप पुस्तिकाओं की समीक्षा पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 18013 पृष्ठ सं0 44, आईटम सं0 17, const. of unreinforced dowel jointed at expansions plain cement concrete मात्रा $(2.95+4.45/2) \times (0.15+0.13/2)$ 7.40 घनमीटर होती है।

जबकि उक्त आईटम की मात्रा 4.517 घनमीटर ली जाकर दर 5350/-रु0 प्रति घनमीटर (-) TP 27.11% से भुगतान किया गया है। इस प्रकार $(4.517-3.833)$ 0.684 घनमीटर का (दर 5350/- प्रतिघन मीटर - TP 27.11%) राशि 2667/-रु0 का अधिक भुगतान किया गया है।

संवेदक से राशि 2667/-रु0 वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 Rk 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

165

14(श) (xvi) कार्य Cont. of compound wal in ABHINAV VIHAR vistar scheme in XEN 14 में

राशि रु. 3868/- का अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएँ।

संवेदक:- मैसर्स पारूल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर।

कार्यआदेश संख्या:- 05/15.06.2015 राशि रु 42059113/- टीपी- 1.44 प्रतिशत (+)

कार्य अवधि - 25.06.2015 से 24.12.2015

कार्य पूर्णता दिनांक-27.04.2016 अतिक्रमण हटाने में विलम्ब होने से मूल्यांकन राशि रु. 46386719/-, रॉयल्टी हेतु विकल्प 'सी'

अंकेक्षण टिप्पणी:-

1. माप पुस्तिका संख्या 18931, पृष्ठ संख्या 94, आईटम संख्या 1, नींव खुदाई का योग 11.082 घनमीटर ही होता है जबकि उक्त आईटम का योग 41.83 घनमीटर लिया जाकर (11.082(-)41.83) 30.748 घनमीटर दर 124+टीपी 1.44 प्रतिशत कुल (3812.75+54.90) 3868/- रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।
2. पत्रावली के पृष्ठ संख्या 233 पर उक्त कार्य पर प्रयुक्त सामग्री का खपत विवरण पत्र निकाला गया है एवं उसके अनुरूप खनिज विभाग से रॉयल्टी पेड है। उक्त खपत पत्र विवरण में माप पुस्तिका 18932, पृष्ठ 39, आईटम संख्या 4, providing and laying in position ready mix concrete manufactured in fully batching plant m20 grade nominal mix/ design mix by using min 400 kg of cement per cum of concrete, मात्रा 625.81 घनमीटर में प्रयुक्त सामग्री को सामग्री खपत पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। अर्थात् उक्त आईटम में प्रयुक्त सामग्री का रॉयल्टी पेड होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही संवेदक को भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

प्रकरण राशि वसूल एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 Pk. 1-1 199 16

166

14(श) (xvii) निर्माण कार्य Primary School Building Near PAP Area, Ring Road (Outer Side)

Zone 14-A, JDA, Jaipur (XEN Ring Road II) में राशी 2389 / -रु0 अधिक भुगतान -

संवेदक- मैसर्स पुरी एण्ड कम्पनी जयपुर
कार्य आदेश संख्या - जे.डी.ए./ई.ई.आर.आर.पी-iv/WO/2015-16 फरवरी/03 दिनांक 05.02.16
कार्य आदेश राशि - राशि रु 1851362 / -TP (-) 20.11%
कार्य अवधि दिनांक 13.02.2016 से 12.08.2016
कार्य पूर्णता दिनांक 10.08.2016 मूल्यांकन राशी 1865892
अनुबंध संख्या 03 / वर्ष 2015-16

अंकेक्षण टिप्पणी -

माप पुस्तिका संख्या 20357 पृष्ठ संख्या 05, में उक्त आईटम का योग 31.01 घनमीटर दर्शाया गया है जबकि वास्तविक योग 29.49 घनमीटर है। अतः 1.52 घनमीटर अधिक मात्रा का भुगतान संवेदक को कर दिया गया है। जिसकी प्रति इकाई दर 1967 / - रु जिसकी वसूली योग्य राशि की गणना निम्न प्रकार है :-

अन्तर राशि $1.52 \times 1967 = 2990$

(-) TP 20.11% Below = 601

अधिक भुगतान की गई राशि 2389

संवेदक से राशी 2389 / -रु0 वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 089 1 02

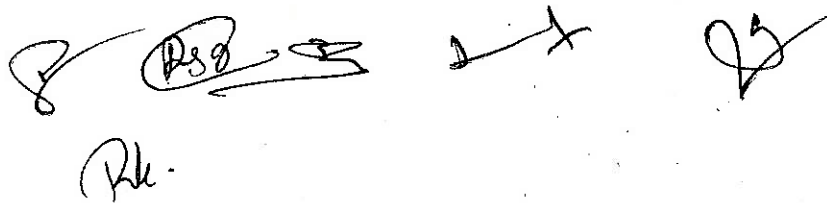
167

(14) (स) रॉयल्टी की कटौती संबंधी :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में रॉयल्टी की कटौती संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(14) (ष) डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड संबंधी :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Rk.' with a dot. To its right, there is a signature that looks like 'R38' with a horizontal line through it. Further right, there is a signature that looks like 'X' with a horizontal line through it. On the far right, there is a signature that looks like 'J' with a horizontal line through it.

15 भूमि निस्तारण संबंधी :-

168

(15) (अ) भूमि नीलामी संबंधी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में भूमि नीलामी संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (अ) (i) पैनल्टी राशि वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में पैनल्टी राशि वसूली संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (अ) (ii) ब्याज वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में ब्याज वसूली संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (ब) आरक्षित दर के पुर्ननिर्धारण की स्थिति :-

(संलग्न परिशिष्ट संख्या- 15)

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ (200) जविप्रा/ ओ.एस.डी./आर.एम./2017-18/डी-799 दिनांक 14.09.2017 के द्वारा उच्चाधिकारी समिति की बासठवीं बैठक के एजेण्डा संख्या 62.39 के द्वारा योजनाओं/कॉलोनियों की आरक्षित दर निर्धारित की गई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (स) अपात्र संस्था/व्यक्ति को बेचान अथवा आवंटन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में अपात्र संस्था/व्यक्ति को बेचान अथवा आवंटन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (द) भूमि नीलामी के बजाय नियमन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में भूमि नीलामी के बजाय नियमन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (य) आवंटी को अधिक क्षेत्रफल का कब्जा/ आवंटन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में आवंटी को अधिक क्षेत्रफल का कब्जा/ आवंटन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (र) कम दर पर भूमि बेचान/ आवंटन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में कम दर पर भूमि बेचान/ आवंटन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

Rk 8 BSB 2 1

169

(15) (ल) निशुल्क/रियायती दर पर संस्थाओं, ट्रस्टों को आवंटन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में निशुल्क/रियायती दर पर संस्थाओं, ट्रस्टों को आवंटन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (व) पट्टों के जारी करने में अनियमितताएं :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में पट्टों के जारी करने में अनियमितताएं संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(15) (श) भू-पट्टी निस्तारण सम्बन्धी :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में भू-पट्टी निस्तारण सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(16) भूखण्डों के परिवर्तन/ एक्सचेंज से हानि अथवा भूमि के बदले भूमि प्रकरण में अधिक/ अनियमित आवंटन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में भूखण्डों के परिवर्तन/ एक्सचेंज से हानि अथवा भूमि के बदले भूमि प्रकरण में अधिक/ अनियमित आवंटन संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(17) भूमि आवंटन/ बेचान की मूल व ब्याज राशि की वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में भूमि आवंटन/ बेचान की मूल व ब्याज राशि की वसूली का अभाव संबंधी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

8
Rk.
32
✓
✓

170

(18) भूमि नियमन सम्बन्धी :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में भूमि नियमन सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (अ) राज्यादेशों के विपरीत नियमन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में राज्यादेशों के विपरीत नियमन सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (ब) अधिक क्षेत्रफल का नियमन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में अधिक क्षेत्रफल का नियमन सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (स) निर्धारित दर से कम दर या सक्षम स्वीकृति के बिना नियमन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में निर्धारित दर से कम दर या सक्षम स्वीकृति के बिना नियमन सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (द) व्यावसायिक क्षेत्र का आवासीय नियमन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में व्यावसायिक क्षेत्र का आवासीय नियमन सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (य) अवाप्तशुदा/ अन्य भूमि के निलामी के स्थान पर नियमन :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में अवाप्तशुदा/ अन्य भूमि के निलामी के स्थान पर नियमन सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (र) शहरी सीमा में स्थित भूमि का गैरकृषि कार्य में उपयोग होने पर नियमन आवासीय दर के बजाय कृषि दर पर करने सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में शहरी सीमा में स्थित भूमि का गैरकृषि कार्य में उपयोग होने पर नियमन आवासीय दर के बजाय कृषि दर पर करने सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

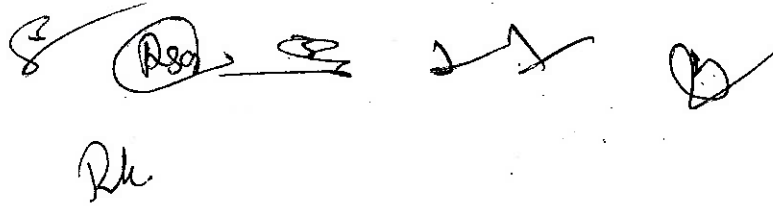
Rk. 8 168 R39 11 24

(18) (ल) राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित भूमि का व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय नियमन सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित भूमि का व्यावसायिक के स्थान पर आवासीय नियमन सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई । आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(18) (व) आवासीय भूमि/ भवन के व्यावसायिक उपयोग के नियमन सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में आवासीय भूमि/ भवन के व्यावसायिक उपयोग के नियमन सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई । आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

 The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Rk'. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'Rsg' inside a circle, and others that are less legible. The signatures are written in black ink.

172

(19) भू-उपयोग रूपान्तरण/उपान्तरण सम्बन्धी प्रकरण :-

(19) (अ) वाणिज्यिक :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में वाणिज्यिक सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई । आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(19) (ब) अन्य भू-उपयोग :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में अन्य भू-उपयोग सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई । आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(19) (स) निर्मित भूखण्डों के सम्बन्ध में :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में निर्मित भूखण्डों के सम्बन्ध में अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई । आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(20) नियमन की राज्य सरकार की हिस्सा राशि का राजकोष में जमा का अभाव :-

संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्रावलियों की समीक्षा में पाया गया कि भूमि नियमन के समय राज्य सरकार की हिस्सा राशि को ग्रीन चालान के माध्यम से सम्बन्धित मद 0029 में जमा कराया जा रहा है। एक प्रकरण में राज्य सरकार की हिस्सा राशि, मद संख्या 0029 में जमा नहीं कराई गई है जिसका पृथक से आक्षेप संख्या-60 घटित किया गया है। उक्त आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(21) अतिक्रमण के अनियमित नियमन/आवंटन से हानि :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में अतिक्रमण से संबंधित अभिलेखों की जाँच के सम्बन्ध में जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा स्थाई भण्डार लेखों की जाँच सम्बन्धी स्थायी सामग्री पंजिकाएँ जाँचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है।

आगामी जाँच में अतिक्रमण से संबंधित अभिलेख/पंजिकाएँ उपलब्ध करवाए जाकर अंकेक्षण कराए जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rh (289) 170 6

1543

(22) अनाधिकृत निर्माण/उपयोग सर्वे व नियमन राशि सम्बन्धी :-

(22) (अ) सर्वे के अभाव/अपर्याप्त सर्वे :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में अनाधिकृत निर्माण/उपयोग सर्वे व नियमन संबंधी अभिलेखों की जाँच के सम्बन्ध में जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा स्थाई भण्डार लेखों की जाँच सम्बन्धी स्थायी सामग्री पंजिकाएँ जाँचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है।

आगामी जाँच में अनाधिकृत निर्माण/उपयोग सर्वे व नियमन संबंधी अभिलेखों/पंजिकाएँ उपलब्ध करवाए जाकर अंकेक्षण कराए जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(22) (ब) सर्वे अनुरूप वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 में सर्वे अनुरूप वसूली का अभाव संबंधी अभिलेखों की जाँच के सम्बन्ध में जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा स्थाई भण्डार लेखों की जाँच सम्बन्धी स्थायी सामग्री पंजिकाएँ जाँचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है।

आगामी जाँच में सर्वे अनुरूप वसूली का अभाव संबंधी अभिलेखों/पंजिकाएँ उपलब्ध करवाए जाकर अंकेक्षण कराए जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.   

6

(23) शहरी जमाबन्दी राशि सम्बन्धी :-

(23) (अ) राशि का निर्धारण :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में शहरी जमा बन्दी राशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों के तहत किया जा रहा है। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(23) (ब) अभिलेख संधारण :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में शहरी जमा बन्दी से संबंधित कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया है एवं न ही जांच दल को उपलब्ध कराया गया है।

शहरी जमा बन्दी से संबंधित अभिलेख संधारित कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जावे।

(23) (स) वसूली की स्थिति :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में वसूली की स्थिति संबंधी अभिलेखों की जांच के सम्बन्ध में जांचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा शहरी जमा बन्दी वसूली संबंधी पंजिकाएँ जांचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है। जिससे शहरी जमा बन्दी की मांग, वसूली एवं बकाया की समीक्षा नहीं की जा सकी।

उक्त अभिलेख आगामी जांच में प्रस्तुत कराकर, शहरी जमा बन्दी की मांग, वसूली एवं बकाया की स्थिति से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

(23) (द) लीज नवीनीकरण :-

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में शहरी जमा बन्दी राशि का नवीनीकरण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों के तहत किया जा रहा है। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

Pl. (289) 2 1 2

175

(24) शहरी जमाबन्दी में राज्य सरकार की हिस्सा राशि (मूल एवं ब्याज) जमा कराये जाने का अभाव:-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम 1982 की धारा 6 के अनुसार शहरी जमाबन्दी से प्राप्त राशि प्राधिकरण कोष में ही जमा रखने का प्रावधान है। अतः इस मद में प्राप्त राशि में से कोई भी राशि राज्य सरकार को देय नहीं है। अतः सम्पूर्ण शहरी जमाबन्दी की राशि प्राधिकरण कोष में जमा है। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(25) अवाप्तशुदा भूमि हेतु अधिक/दुबारा मुआवजे के भुगतान से हानि/ अवाप्ति से मुक्त करने सम्बन्धी पत्रावली :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में अवाप्तशुदा भूमि हेतु अधिक/दुबारा मुआवजे के भुगतान से हानि/ अवाप्ति से मुक्त करने सम्बन्धी पत्रावलियों में कोई अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(26) अतिक्रमणों पर कार्यवाही एवं जब्त सम्पत्तियों का निस्तारण :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 में अतिक्रमण पर कार्यवाही एवं जब्त सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी अभिलेखों/पत्रावलियों उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जॉचदल द्वारा भीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा अतिक्रमण पर कार्यवाही एवं जब्त सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी अभिलेखों/पत्रावलियों पंजिकाएँ जॉचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है। जिससे अतिक्रमण पर कार्यवाही एवं जब्त सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी अभिलेखों/पत्रावलियों पंजिकाएँ समीक्षा नहीं की जा सकी।

उक्त अभिलेख आगामी जांच में प्रस्तुत कराकर, अतिक्रमण पर कार्यवाही एवं जब्त सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी अभिलेखों/पत्रावलियों का अंकेक्षण कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

(27) कच्ची बस्ती नियमन के प्रकरणों सम्बन्धी प्राधिकरण/ निधियों के सम्पत्तियों के किराये सम्बन्धी अनियमितताएँ/ वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में कच्ची बस्ती नियमन के प्रकरणों सम्बन्धी प्राधिकरण/ निधियों के सम्पत्तियों के किराये सम्बन्धी अनियमितताएँ/ वसूली का अभाव सम्बन्धी पत्रावलियों में कोई अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

Rk [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

[Signature]

174

(28) स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत निर्माण / अधिक एफएआर सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत निर्माण / अधिक एफएआर सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई । आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(29) (अ) सलाहकार सेवाएँ / विज्ञापन सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा विगत अंकेक्षण वर्ष 2013-16 के दौरान संस्था द्वारा पीडीकोर प्राईवेट लिमिटेड जयपुर को सलाहकार नियुक्त किये जाने संबंधी अनुबंध की पत्रावली मय इनके द्वारा कन्सलटेन्सी के रूप में प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति एवं इनको किये गये भुगतान का विवरण जांचदल को उपलब्ध नहीं कराया गया था। उक्त अभिलेख / पत्रावलियों को उपलब्ध कराने हेतु जांचदल द्वारा मीमो संख्या 319 दिनांक 15.10.2018 एवं 341 दिनांक 02.01.2019 को जारी किया गया, किन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक जविप्रा द्वारा पीडीकोर प्राईवेट लिमिटेड जयपुर को सलाहकार नियुक्त किये जाने संबंधी पत्रावली जांचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा, जिसके कारण उक्त पत्रावली की समीक्षा नहीं की जा सकी।

आगामी जांच में उक्त पत्रावलियाँ उपलब्ध कराकर समीक्षा कराये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(Signature) [Signature] [Signature] [Signature]
[Signature] [Signature]

(29) (ब) जनसम्पर्क अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा प्रचार एवं प्रसार मद में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जा रहे विज्ञापनों का भुगतान डी.ए.वी.पी. दरों के बजाय संस्था द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक दरों पर करने के संबंध में :- (परिशिष्ट संख्या-16)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अंकेक्षण अवधि 2016-18 में वार्षिक लेखों के अनुसार प्रचार एवं प्रसार मद में निम्नानुसार व्यय किया गया है :-

वार्षिक लेखा शिड्यूल-ई के अनुसार		
क्र.स.	वर्ष	राशि
1	2016-17	
2	2017-18	
	योग	

उक्त व्यय दैनिक समाचार पत्रों में विभिन्न एजेंसियों/राजस्थान संवाद के द्वारा विज्ञापनों का भुगतान जविप्रा के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 06.02.2009, 130 दिनांक 24.06.2009 एवं 242 दिनांक 07.09.2009 के द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक दरों के अनुसार किया गया है।

शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)गृह/सम्पर्क/सचिव/2002, जयपुर दिनांक 12.02.2015 द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.9.2014 में निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन किया जाकर बिन्दु संख्या 2(i) के अनुसार "राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन नीति-2001 के बिन्दु संख्या 4.5 के प्रावधानों के तहत विज्ञापन की वाणिज्य. दरों का निर्धारण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा प्रेषित कार्यादेश के आधार पर राजस्थान संवाद के द्वारा समाचार पत्र/पत्रिका को रिलिज आर्डर जारी किया जायेगा।"

बिन्दु संख्या 2(ii) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक दरों का निर्धारण होने तक संबंधित संस्था की अनुमोदित दर पर विज्ञापन जारी किये जावेंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा वर्ष 2016-17 से 2017-18 की कुछ समाचार पत्रों की (जिले के अनुसार) डी.ए.वी.पी. दरें उपलब्ध करवाई गयी। प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये गये समाचार पत्रों (जयपुर संस्करण) की डी.ए.वी.पी. दर प्रतिवर्ग सेमी. व अनुमोदित वाणिज्यिक दर निम्नानुसार हैं:-

क्र. स.	प्रकाशन का नाम	जविप्रा द्वारा अनुमोदित दर प्रति वर्ग से.मी. (वर्ष 2016-17)	डी.ए.वी.पी. दर प्रति वर्ग से.मी. (वर्ष 2016-17)	जविप्रा द्वारा अनुमोदित दर प्रति वर्ग से.मी. (वर्ष 2017-18)	डी.ए.वी.पी. दर प्रति वर्ग से.मी. (वर्ष 2017-18)
1	दैनिक भास्कर	503	184.63	503	184.63
2	राजस्थान पत्रिका	489	153.44	489	154.5
3	डेली न्यूज	397	24.64	397	24.64
4	दैनिक नवज्योति	409	68.65	409	68.65
5	समाचार जगत(प्रातः)	345	83.41	345	83.41
	योग	2143	514.77	2143	515.83

उक्त विवरणानुसार उदाहरणों के बतौर चुने गये कुछ दैनिक समाचार पत्रों की जयपुर संस्करण की जविप्रा द्वारा अनुमोदित विज्ञापन की दरों एवं डी.ए.वी.पी. की दरों का प्रतिशत अनुपात

वर्ष 2016-17 में (514.77/2143X100) 24.02 प्रतिशत, तथा वर्ष 2017-18 में (515.83/2143X100) 24.07 प्रतिशत, अनुपात 515:2143 रहा है।

संस्था ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी वाणिज्यिक दरों की प्रति उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। जिसके कारण वर्ष 2016-18 के उदाहरणों के बतौर चुने गये कुछ दैनिक समाचार पत्रों की डी.ए. वी.पी./डी.पी.आर.द्वारा अनुमोदित दरों एवं विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार अन्तर राशि अनुपात में निकाली गयी है।

संस्था से राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु दरों के प्राप्ति के वस्तुस्थिति के संबंध में जांचदल द्वारा भीमों संख्या 406 दिनांक 13.02.2019 को जारी किया गया, जिसका प्रत्युत्तर अपेक्षित रहा। प्राप्त दरों एवं विभागीय दरों में अन्तर हो तों उसकी वसूली की जावे, भविष्य में राजस्थान सरकार की विज्ञापन नीति 2001 के बिन्दु संख्या 4.5 के प्रावधानानुसार वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु दरे निर्धारण करवाकर, उक्त दरों पर ही करने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(30) उद्यान सम्बन्धी प्रकरण-वृक्षारोपण, उद्यानों/ पार्कों का रख-रखाव सम्बन्धी अनियमितताएँ :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में उद्यान सम्बन्धी प्रकरण-वृक्षारोपण, उद्यानों/ पार्कों का रख-रखाव सम्बन्धी अनियमितताएँ परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(31) कम पिरिफेरियल शुल्क वसूल करने सम्बन्धी अनियमितता एवं हानि :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में कम पिरिफेरियल शुल्क वसूल करने सम्बन्धी अनियमितता एवं हानि परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(32) पुनः गृहण शुल्क की वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में पुनः गृहण शुल्क सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

8 Rk. 1-1-1 139 14

(33) ठेके :-

(33) (अ) सफाई ठेका :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में सफाई ठेका सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(33) (ब) बिजली ठेका/ मेन्टीनेंस :-

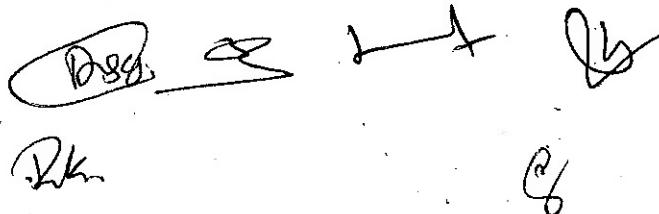
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में बिजली ठेका/ मेन्टीनेंस सम्बन्धी कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(33) (स) कचरा परिवहन ठेका (एन.एन.जे.) :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में कचरा परिवहन सम्बन्धी ठेका नहीं किया गया है। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

(33) (द) सुरक्षाकर्मी सम्बन्धी ठेका :-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आलोच्य वर्ष 2016-18 में प्रस्तुत की गई पत्रावलियों की समीक्षा में सुरक्षाकर्मी सम्बन्धी ठेके में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई। आक्षेप शून्य प्रकृति का है।

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'D.S.' inside a circle, followed by another signature. Below these, the initials 'R.K.' are written. To the right, there is a signature that looks like 'J.S.' and below it, the initials 'C'.

(33) (य) करार बन्ध पत्र कम राशि के स्टाम्प पर निष्पादन से राजस्व की हानि राशि रु 67310/-

राजस्थान स्टाम्प अनियम 1998 के अनुसार निर्माण ठेके श्रम या सेवाएँ, सम्पत्ति हस्तान्तरण माल सहित सेवाओं के करार बन्ध पत्र निष्पादन पर (आदेश क्रमांक 2142-2782 दिनांक 09.03.2016 के अनुसार) स्टाम्प ड्यूटी संविदा की राशि पर 0.25 प्रतिशत एवं अधिकतम 15000/- निर्धारित की गई। ठेके/संविदा पत्रावलियों की समीक्षा में निम्नानुसार कम राशि के स्टाम्प पेपर प्राप्त किए गए जिससे राज्य सरकार को राजस्व कम प्राप्त हुआ।

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यदेश संख्या / दिनांक	फर्म का नाम	स्टाम्प जिस पर करार सम्पादित किया जाना था	अनुमानित कार्य लागत	करार सम्पादित किया	कम सम्पादित राशी
1	सफाई कार्य का अनुबंध 2017-18	02/ 2.1. 2017	M/S ब्रजमोहन सारवान	15000/रु	75,29,116	5000/रु	10000/रु
2	स्टेशनरी 2017-18	370/ 15.12.17	M/S आर. एस. एन्टरप्राइजेज	10410/रु	41,62,120	5000/रु	5410/रु
3	टैन्ट व्यवस्था 2016-17, 2017-18	109/ 4. 5.17	M/S अग्रवाल टैन्ट हाउस	15000/रु	2,00,00,000/रु	5000/रु	10000/रु
4	फोटो स्टेट 2016-17, 2017-18	147/ 31. 5.17	M/S लोक मित्र इन्टरनेशनल	15000/रु	1,25,00,000/रु	5000/रु	10000/रु
5	प्रिंटिंग एवं मुद्रण	23.5.2017	M/S हरिहर प्रिन्टर्स	10000/रु	40,00,000/रु	1000/रु	9000/रु
6	म्यूजिक इन द पार्क लाइट एण्ड सिस्टम व्यवस्था	23.5.2017	M/S साउण्ड पावर	2400/रु	9,60,000/रु	500/रु	1900/रु
7	माईक व्यवस्था	115/ 5. 5.17	M/S साउण्ड पावर	6000/रु	24,00,000/रु	1000/रु	5000/रु
8	डिजिटल प्लान प्रिन्टर मानचित्र	214/ 11.7.17	मैसर्स हन्सु एन्टरप्राइजेज	15000/रु	60,00,000/रु	5000/रु	10000/रु
9	भोजन , नास्ता 2017-18	292/ 5. 10.17	मैसर्स रॉयल हॉस्पिटलिटी	7000/रु	28,00,000/रु	1000/रु	6000/रु
10	योग						67310

उपरोक्तानुसार संबंधित से 67310/- के स्टाम्प प्राप्त किये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

181

(34) मैसर्स PACL Ltd. (पूर्व में PACL INDIA Ltd.) से एयरपोर्ट एन्कलेव योजना में व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या A-1 की शहरी जमाबन्दी राशि 34692601 /- रु. वसूली का अभाव :- (परिशिष्ट संख्या-17)

एयरपोर्ट एन्कलेव योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर उपायुक्त जोन-4 व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या A-1 क्षेत्रफल 7290.04 वर्गमीटर की नीलामी दिनांक 20.10.2010 को की गई। नीलामी मैसर्स PACL Ltd. की प्रतिवर्गमीटर दर 89100/- उच्चतम होने से स्वीकृत की गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा एयरपोर्ट एन्कलेव योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या A-1 क्षेत्रफल 7290.04 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक 2765 दिनांक 29.10.2010 को जारी किया गया। संस्था द्वारा पत्रांक 3042 दिनांक 30.11.2010 के द्वारा 4 समान किस्ती में ब्याज सहित नीलामी राशि का संशोधित मांग पत्र जारी किया जिसके अनुसार मैसर्स PACL Ltd. द्वारा मांग पत्र की नीलामी राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 1913 दिनांक 28.06.2011 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 1000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 500/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी इस पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये। राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी।

संस्था द्वारा आवंटन एवं विक्रय पत्र संख्या 1414 दिनांक 11.04.2012 क्षेत्रफल 7290.04 वर्गमीटर का जारी किया गया।

पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि मैसर्स PACL Ltd. (पूर्व में PACL INDIA Ltd.) से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 34692601 /- रु. वसूल नहीं किये गये।

क्र.सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	वसूल की गई	बकाया
1	28.06.11 से 27.06.12	7290.04x500 = 3645020	3645020	-
2	28.06.12 से 27.06.13	7290.04x500 = 3645020	-	3645020
3	28.06.13 से 27.06.14	7290.04x500 = 3645020	-	3645020
4	28.06.14 से 27.06.15	7290.04x500 = 3645020	-	3645020
5	28.06.15 से 27.06.16	7290.04x500 = 3645020	-	3645020
6	28.06.16 से 31.03.17	7290.04x1000x277/365=5532441	-	5532441
7	01.04.17 से 31.03.18	7290.04x1000 = 7290040	-	7290040
8	01.04.18 से 31.03.19	7290.04x1000 = 7290040	-	7290040
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी			34692601

उपरोक्तानुसार मैसर्स PACL Ltd. से शहरी जमाबन्दी की राशि 34692601 /- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 429 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

मैसर्स PACL Ltd. से शहरी जमाबन्दी राशि 34692601 /- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

182

(35) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 400 के.वी. जीएसएस हीरापुरा स्थापित करने हेतु ग्राम वाटिका में भूमि आवंटन में एक मुश्त शहरी जमाबन्दी राशि 16800000/-रु. कम वसूल करना:-
(परिशिष्ट संख्या-18)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-14 द्वारा प्रस्तुत उक्त पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि (पत्रावली की टीप संख्या 15/एन) प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 74वीं बैठक दिनांक 28.02.11 में निर्णय लिया गया कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 400 के.वी. जीएसएस हीरापुरा स्थापित करने हेतु ग्राम वाटिका में भूमि आवंटन के प्रस्ताव अनुसार ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 919 में से 3 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1282 में से 3 हैक्टेयर कुल 6 हैक्टेयर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प-3(208) नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 06.08.2009 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर की 50% पर आवंटन का निर्णय लिया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 7923 दिनांक 10.03.11 द्वारा निम्नानुसार आवंटन एवं मांग पत्र जारी किया गया।

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नजराना राशि 60,000 वर्गमीटर दर 1400/-रु. प्र.व.मी.	
2	एक मुश्त शहरी जमाबन्दी 280/-रु. प्र.व.मी.	8,40,00,000
3	साईट प्लान शुल्क	1,68,00,000
4		100
	योग रूपये	10,08,00,100

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 400 जीएसएस हीरापुरा जयपुर द्वारा चालान संख्या 133434 दिनांक 18.03.2011 द्वारा उक्त मांग राशि जमा करायी गई। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थागत प्रयोजनार्थ रियायती दर पर भूमि के उपयोग हेतु पट्टा विक्रय पत्र संख्या 391 दिनांक 21.07.2011 क्षेत्रफल 60000 वर्गमीटर जारी किया गया।

जबकि राजस्थान नगर निकास न्यास (भूमि एवं निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7 के अनुसार आवासीय, शैक्षणिक, सामाजिक, धर्मार्थ संख्या हेतु शहरी जमाबन्दी, आरक्षित दर का 2.50 प्रतिशत लेय है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय-आदेश क्रमांक 2687 दिनांक 10.12.2009 के अनुसार जोन-14 हेतु आवासीय आरक्षित दर 2800/- रु. प्रति वर्गमीटर है। जिसके अनुसार निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी की राशि कम वसूल किये गये।

क्र. सं.	लेय राशि	विवरण	राशि
1	नजराना		
2	शहरी जमाबन्दी एक मुश्त	60000x2800x50%	84000000
3	साईट प्लान शुल्क	60000x2800x2.50/100x8	33600000
4			100
	योग लेय राशि		117600100
5	नजराना राशि जो ली गई	60000x2800x50%	84000000
6	शहरी जमाबन्दी एक मुश्त	60000x280	16800000
7	साईट प्लान शुल्क		100
8		कुल वसूल की गई राशि	100800100
9		अन्तर (कम वसूल)	16800000

Rk.

180

P89

6

183

उपरोक्तानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 16800000/- रु. कम वसूल किये गये है। वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 441 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड 400 जीएसएस हीरापुरा जयपुर से शहरी जमाबन्दी राशि 16800000/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk. (B89) 15 16
C6

(184)

(36) आवासीय ग्रुप हाऊसिंग योजना अनुमोदन हेतु आवेदक श्रीमति रेणु अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल, राजस्व ग्राम-चन्दलाई तहसील सांगानेर के योजना अनुमोदन में बाह्य विकास शुल्क राशि 8897127 /- रु. कम वसूल करना (DC-14)

(परिशिष्ट संख्या-19)

श्री अशोक अग्रवाल ने ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू में स्थित भूमि पर योजना अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जेडएलसी बैठक दिनांक 13.09.13 (टीप संख्या-44) द्वारा ग्राम चन्दलाई तहसील सांगानेर खसरा संख्या 2813, 2817, 2818, 2821, 2834, 2840, 2843, 2893, 2894, 2820, 2828, 2926, 2927/2, 2919/1, 2928, 2895, 2819, 2854, 2852, 2826, 2829, 2830, 2921, 2922, 2831/6413, 2931, 2932, 2981, 2984, 3073, 2989, 2986/2, 3074 कुल कीता 33, रकबा 5.01 हैक्टेयर भूमि पर ग्रुप हाऊसिंग आवासीय योजना मानचित्र अनुमोदन की अभिवंशा की गई। योजना का अनुमोदन दिनांक 14.06.13 को हुआ।

प्रकरण में भूराजस्व अधिनियम की धारा 90बी के अन्तर्गत रूपान्तरण की कार्यवाही दिनांक 16.06.08 प्रकरण संख्या 70/08, दिनांक 06.10.05 प्रकरण संख्या 73/05, दिनांक 13.10.08 प्रकरण संख्या 87/08, दिनांक 10.11.09 प्रकरण संख्या 72/09 एवं दिनांक 11.02.05 प्रकरण संख्या 49/05 को पूर्ण की जा चुकी है।

पत्रावली की टीप संख्या 52 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का तकनीकी विश्लेषण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	भू उपयोग	क्षेत्रफल वर्गगज में		
1	आवासीय ग्रुप हाऊसिंग	A	6010.68	25494.55
		B	6511.72	
		C	6500.03	
		D	6472.12	
2	आवासीय प्लैट	F1	5492.82	23706.73
		F2	2505.13	
		F3	3283.75	
		F4	1140.52	
		F5	985.68	
		F6	2053.84	
		F7(M)	3797.81	
		F8	4447.18	49201.28
	योग			
3	P U 5%			2592.77
4	रोड़ एरिया			7326.20
	कुल योजना क्षेत्रफल			59120.25
5	FU. Ext.			800.83
				59921.08
				(5.01 हैक्टेयर)



पत्रावली की टीप संख्या 78 के अनुसार निम्नानुसार लेय राशि की गणना की गई।

क्र. सं.	विवरण	राशि	
1	नियमन	49201.26x50	2460063
2	शहरी जमाबंदी एक मुश्त	49201.26x50 x 4x20%	1968060
3	बाह्य विकास शुल्क	59120.23 or 49430x150	7414570
4	BSUP	49201.26 or 41138x25	1028450
5	साईट प्लान	12x100	1200
	योग		12872343

आवेदक द्वारा निम्नानुसार राशि जमा करायी गई --

क्र. सं.	चालान सत्यापन दिनांक	BSUP	बाह्य विकास शुल्क	साईट प्लान	शहरी जमाबन्दी	नियमन	कुल
1	289010 02.12.13	812000	2472000	1200	714800	—	4000000
2	285156 14.10.13	—	—	—	—	950000	950000
3	285154 14.10.13	—	—	—	—	1000000	1000000
4	285289 15.10.13	—	289500	—	—	510500	800000
5	290807 19.12.13	52600	3170500	—	934400	—	4157500
6	410922 25.06.15	170000	—	—	330000	—	500000
		1034600	5932000	1200	1979200	2460500	11407500

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77) नविवि/3/2010 दिनांक 11.05.2011 के अनुसार बाह्य विकास शुल्क की राशि एक मुश्त जमा कराने पर 20 प्रतिशत छूट दी जायेगी आवेदक को बाह्य विकास शुल्क राशि में 20 प्रतिशत छूट दी गई।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ भूमि का पट्टा विलेख श्रीमति रेणु अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल के नाम जारी किये गये।

क्र. सं.	पट्टा विलेख क्रमांक दिनांक	क्षेत्रफल वर्गगज	भूखण्ड संख्या	विशेष विवरण
1	5444 / 24.12.13	6010.68	GH-A	
2	5445 / 24.12.13	6511.72	GH-B	
3	5446 / 24.12.13	5492.82	F 1	
4	5447 / 24.12.13	2503.88	F 2	
5	5448 / 24.12.13	3283.75	F 3	
6	5449 / 24.12.13	6472.12	GH-D	
7	5450 / 24.12.13	6500.03	GH-C	

8	5459 / 27.12.13	4444.88	F 8	
9	988 / 07.08.15	1140.52	F 4	
10	989 / 07.08.15	985.68	F 5	
		43346.08		

186

अंकेक्षण टिप्पणी -

राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 (10 हेक्टेयर तक) दिनांक 28.6.2010 के बिन्दु सं0 10(iv) (c) के अनुसार बाह्य विकास शुल्क 200 रु0 प्रति मीटर लेय है एवं बिन्दु संख्या 10(iv) (a) नोट सं0 1 In case of development areas of any town (where infrastructure like 18mt. vide road and power lines are available within a radius of 500meters), EDC of not more than Rs. 100/- per square meter would be charged.

तथा बिन्दु सं0 10(vi) के अनुसार ग्रप हाऊसिंग स्कीम में बाह्य विकास शुल्क आवासीय का 1½ गुणा वसूलनीय है पत्रावली की टीप संख्या 77 योजना क्षेत्र को 500 mtr radies में पावर लाइन एवं MDP की 100 फुट Wide Proposed road उपलब्ध है। जिसके अनुसार निम्नानुसार बाह्य विकास शुल्क लेय है।

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	बाह्य विकास शुल्क लेय (59120.23x0.8361x200x1.5)	14829127
2	बाह्य विकास शुल्क लेय वसूल किया गया	5932000
	कम वसूल (1-2)	8897127

उपरोक्तानुसार श्रीमति रेणु अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल से बाह्य विकास शुल्क की राशि 8897127/- रु. कम वसूल किये गये है। वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 443 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्रीमति रेणु अग्रवाल पत्नी श्री अशोक अग्रवाल से राशि 8897127/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Handwritten signatures and initials: *Rk*, *1-1*, *Sh*, *Asa*, *Ob*

187

(37) तरुछाया कॉलोनाईजर्स एल एल पी जरिये पार्टनर विजय ताम्बी जयपुर के वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल योजना) जयपुर के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी-20 क्षेत्रफल 9296.23 वर्गमीटर की शहरी जमाबन्दी राशि 4260772/-रु0 वसूली का अभाव-जोन(8)

(परिशिष्ट संख्या-20)

वेस्ट वे हाईट्स (ट्रक टर्मिनल योजना) भूखण्ड सं0 जी-20 की दिनांक 28.7.2015 को सम्पादित नीलामी में तरुछाया कॉलोनाईजर्स एल.एल.पी. जयपुर द्वारा पुष्टि एवं राशि जमा कराने हेतु विशेषाधिकारी (संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर के पत्रांक 1204 दिनांक 7.8.15 द्वारा राशि 216633013/-रु0 का मांग पत्र जारी किया। नीलामी की पुष्टि मांग पत्र के नोट "कुल नजराना राशि की 25% राशि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में प्राधिकरण कोष में जारी होने पर ही शर्तों के अन्तर्गत किशतों की सुविधा दी जा सकेगी।"

मांग पत्र की बिन्दु सं0 4 के अनुसार शहरी जमाबन्दी की राशि योजना का आरक्षित दर 22000/- रु0 प्रति वर्गमीटर की आवासीय भूखण्ड पर 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक भूखण्ड पर 5 प्रतिशत की दर से लेय, जो प्रथम 5 वर्ष तक आधी दर से एवं 5 वर्ष पश्चात् पूर्ण दर से वसूल की जायेगी। मांग पत्र में शहरी जमाबन्दी हेतु $(9296.23 \times 22000 \times 2.5\% \times 0.50)$ 2556463/-रु0 प्रथम वर्ष की मांग सम्मिलित है।

तरुछाया कॉलोनाईजर्स द्वारा 25% नजराना राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने से विशेषाधिकार (संसाधन विकास) जविप्रा, जयपुर द्वारा चार किशतों में राशि जमा कराने हेतु संशोधित मांग पत्र क्रमांक 1293 दिनांक 27.08.2015 को जारी किया गया।

मांग राशि जमा होने से जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 662 दिनांक 02.08.2016 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया एवं पट्टा विलेख संख्या 1 दिनांक 08.08.2016 क्षेत्रफल 9296.23 वर्गमीटर का जारी किया गया। पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि तरुछाया कॉलोनाईजर्स से शहरी जमाबन्दी शुल्क राशि 4260772/-रु0 वसूल नहीं किये गये हैं।

बकाया माह अगस्त, 2017 से मार्च, 2018 तक	8 माह	2556463X8/12	1704309
---	-------	--------------	---------

2018-19	12 माह	2556463
		4260772

वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 365 दिनांक 09.01.2019 द्वारा जारी किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा अपने पत्रांक 550 दिनांक 14.02.2019 द्वारा बकाया लीज जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया।

उपरोक्तानुसार शहरी जमाबन्दी शुल्क मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

185

Rk. 11

188

(38) श्री मैसर्स कैमस बिल्डर्स प्रा.लि. निदेशक श्री महादेव पूनिया पुत्र स्व. श्री रामलाल पूनिया स्वेजफार्म व्यवसायिक योजना में भू-खण्ड संख्या 06 की शहरी जमाबन्दी राशि 3244867/- रु. वसूली का अभाव:- (परिशिष्ट संख्या-21)

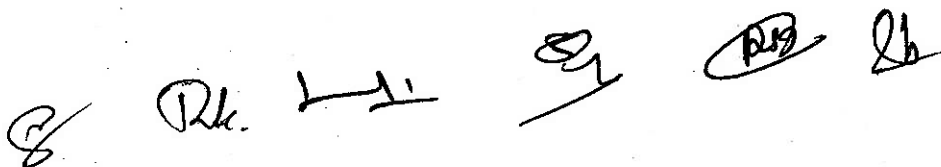
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-5 द्वारा स्वेजफार्म व्यवसायिक योजना उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री सनराइज बिल्डटेक प्रा. लि. को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री सनराइज बिल्डटेक प्रा. लि. स्वेजफार्म व्यवसायिक योजना के भूखण्ड संख्या 06 क्षेत्रफल 1471.00 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक डी-826 दिनांक 08.04.06 जारी किया गया। श्री सनराइज बिल्डटेक प्रा. लि. द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 1464 दिनांक 11.08.08 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 247.50 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 123.75/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी इस पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये। उक्त भूखण्ड का विक्रय दिनांक 03.08.11 को माया देवी चन्दानानी के पक्ष में किया गया तथा 07.06.12 को उक्त भूखण्ड का विक्रय मैसर्स कैमस बिल्डर्स प्रा.लि. निदेशक श्री महादेव पूनिया पुत्र स्व. श्री रामलाल पूनिया के पक्ष में किया गया जो कि 1392.75 वर्गमीटर क्षेत्रफल का किया गया है।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

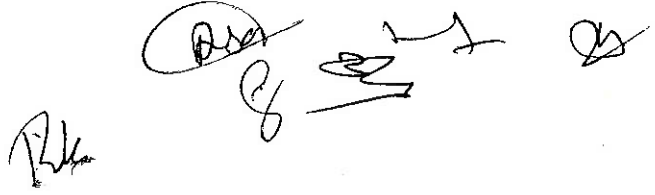
क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	11.08.08 से 10.08.09	1392.75x123.75=172353 (अग्रिम जमा)
2	11.08.09 से 31.03.10	1392.75x123.75x233/365=110022
3	01.04.10 से 31.03.11	1392.75x123.75=172353
4	01.04.11 से 02.08.11	1392.75x123.75x124/365=58553
5	03.08.11 से 31.03.12	1392.75x154.69x241/365=142252
6	01.04.12 से 06.06.12	1392.75x154.69x67/365=39547
7	07.06.12 से 31.03.13	1392.75x193.36x298/365=219869
8	01.04.13 से 10.08.13	1392.75x193.36x132/365=97391
9	11.08.13 से 31.03.14	1392.75x386.72x233/365=343821
10	01.04.14 से 31.03.19	538604x5 = 2693020
	कुल शहरी जमाबन्दी	3876828
	घटाइये :- 31.03.18 तक जमा	631961
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	3244867

श्री मैसर्स कैमस बिल्डर्स प्रा.लि. निदेशक श्री महादेव पूनिया पुत्र स्व. श्री रामलाल पूनिया से शहरी जमाबन्दी राशि 3244867/- रु. कम वसूल किये गये हैं। वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 433 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर जविप्रा, के पत्रांक 628 दिनांक 13.03.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति को मांग पत्र जारी कर दिया गया है।



189

संबंधित से शहरी जमाबंदी राशि 3244867/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled signature, a large '8', and several other stylized marks.

190

(39) आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक एल.आई.सी.एच.एफ.एल. केयर होम प्रा. लि. के जरिये निदेशक अधिकृत अधिकारी श्री जे.बी. सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह ग्राम छबर का बास तहसील आमेर, जयपुर के खसरा नम्बर 68/1, 69/1, 85 रकबा 2.10 हैक्टेयर केनियमन में नियमन शुल्क, बाह्य विकास शुल्क एवं लीज राशिकी वसूली योग्य राशि 3116309/- रु (परिशिष्ट संख्या-22)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-13के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक एल.आई.सी.एच.एफ.एल. केयर होम प्रा. लि. जरिये निदेशक अधिकृत अधिकारी श्री जे.बी. सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह ग्राम छबर का बास तहसील आमेर, जयपुर के खसरा नम्बर 68/1, 69/1, 85 रकबा 2.10 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 165 दिनांक 21.12.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 08.03.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 17.03.2017 को हुआ है। मांग पत्र दिनांक 01.06.2017 को जारी किया जाकर प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3585 दिनांक 09.06.2017 क्षेत्रफल 18167.94 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा तथा यू-1 क्षेत्र को छोड़कर शेष जयपुर रीजन हेतु ग्रुप हाउसिंग/प्लैट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 60/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु0 63/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 67/- तथा 01.04.2016 से 71/- रु0 तथा दिनांक 01.04.2017 से 75/-रु प्रतिवर्गगज मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों होने पर निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। पत्रावली के टीप संख्या 104 योजना क्षेत्र की 500 मीटर रेडियस में पॉवर लाइन उपलब्ध है, 60 फीट चौड़ी बनी हुई सड़क उपलब्ध नहीं है, अंकित है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु संख्या 10 (iv) नोट संख्या (i)(ii)(iv)के अनुसार स्कीम में सम्पूर्ण क्षेत्र पर बाह्य विकास शुल्क 300/-रु (200X1.50) प्रतिमीटर लेय है। अतः योजना के नियमन, बाह्य विकास शुल्क एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशी जो ली जानी चाहिये 18167.94x1.196x83प्र.व.ग.	1803495
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी है चाहिये 18167.94x1.196x83x4x2.5%x8	1442796
3	EDC 18167.94X300	5450382
	कुल ले राशि योग	8696673
4	नियमन राशि जो ली गयी 18167.94x1.196x73प्र.व.ग.	1586207
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 18167.94x1.196x73x4x2.5%x8	1268966
6	EDC 18167.94X150	2725191
	कुल ली गयी राशि	5580364
	अन्तर राशि (3-6)	3116309

Rk. (Rsa) 1-1

191

उपरोक्तानुसार ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क, ईडीसी एवं लीज राशि 3116309/- रू0 कम लिया गया है। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 381 दिनांक 09.01.2019 जारी किया गया। जिसके सम्बन्ध में संस्था द्वारा अपने पत्रांक 137 दिनांक 29.01.2019 द्वारा अवगत कराया कि सम्बन्धित को राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।

संबन्धित से नियमन शुल्क, ईडीसी एवं लीज राशि 3116309/- रू0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.

26

(Rk.) [Signature] [Signature]

192

(40) मैसर्स सी.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी जरिये निदेशक श्री रोहित बुच्छर पुत्र श्री अशोक बुच्छर द्वारा लाल कोठी सहकार मार्ग योजना में व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या 01 की शहरी जमाबन्दी राशि 2721901/- रु. वसूली का अभाव :- (परिशिष्ट संख्या-23)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-3 द्वारा लाल कोठी सहकार मार्ग योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से मैसर्स सी.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी जरिये निदेशक श्री रोहित बुच्छर पुत्र श्री अशोक बुच्छर को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा मैसर्स सी.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी जरिये निदेशक श्री रोहित बुच्छर पुत्र श्री अशोक बुच्छर लाल कोठी सहकार मार्ग योजना में व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 936.90 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक डी-1143 दिनांक 20.06.08 को जारी किया गया एवं उक्त भू-खण्ड के लिए संशोधित मांग पत्र क्रमांक डी-1484 दिनांक 18.08.08 को जारी किया गया। श्री रोहित बुच्छर द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक डी-1031 दिनांक 19.06.09 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 495 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 247.50/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

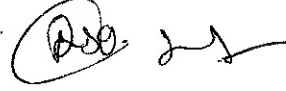
क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	19.06.09 से 18.06.11	936.90x247.5 = 463766 (अग्रिम जमा) दो वर्ष के लिए
2	19.06.11 से 31.03.12	936.9 x247.5x287/366 = 181832
3	01.04.12 से 31.03.14	936.9x247.5x2 = 463766
4	01.04.14 से 18.06.14	936.9x247.5x79/365 = 50188
5	19.06.14 से 31.03.15	936.9x495x286/365 = 363389
6	01.04.15 से 31.03.19	936.9x495x4 = 185506
7	कुल शहरी जमाबन्दी	2914237
8	घटाइये. जविप्रा. के चालान नं. 102222/17.08.10 द्वारा जमा	192336
9	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	2721901

मैसर्स सी.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी जरिये निदेशक श्री रोहित बुच्छर पुत्र श्री अशोक बुच्छर से शहरी जमाबन्दी की राशि 2721901/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 463 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

193

मैसर्स सी.एस. कन्सट्रक्शन कम्पनी जरिये निदेशक श्री रोहित बुच्छर पुत्र श्री अशोक बुच्छर से शहरी जमाबन्दी की राशि 2721823/-रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।


Rk


Cb



(41) Divinity Build estate Pvt. Ltd. जयपुर से वेस्ट वे हाईट्स/ट्रक टर्मिनल स्कीम भांकरोटा योजना में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या जी 18 क्षेत्रफल 8880 वर्गमीटर शहरी जमाबन्दी राशि 2736378/- रु की वसूली का अभाव (जोन-8)

(परिशिष्ट संख्या-24)

उक्त भूखण्ड की दिनांक 10.12.2015 को नीलामी में Divinity Build estate Pvt. Ltd. की दर 26550/-रु प्रति वर्गमीटर अधिकतम होने से आयुक्त महोदय की आज्ञा दिनांक 14.12.2015 द्वारा स्वीकृत की गई। विशेषाधिकारी (संसाधन विकास) जविप्रा के पत्रांक 8 दिनांक 05.01.2016 को नीलामी की पुष्टि एवं मांग पत्र राशि 214694900/-रु का जारी किया गया। मांग पत्र के नोट के अनुसार नजराना राशि की 25 प्रतिशत राशि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में प्राधिकरण के कोष में जमा होने पर ही शर्तों के अन्तर्गत किश्तों की सुविधा दी जा सकेगी। मांग पत्र की बिन्दु संख्या 3 के अनुसार शहरी जमाबन्दी की राशि योजना की आवासीय दर 22000/-रु प्रति वर्गमीटर की आवासीय भूखण्ड पर 2.50 प्रतिशत एवं व्यावसायिक भूखण्ड पर 5 प्रतिशत की दर से लेय, जो प्रथम पांच वर्ष तक आधी दर से एवं 5 वर्ष पश्चात् पूर्व दर से वसूल की जायेगी। मांग पत्र में शहरी जमाबन्दी हेतु $8800 \times 22000 \times 2.5\% \times 1/2$ 24,20,000/- रु प्रथम पांच वर्ष हेतु मांग की गई।

Divinity Build estate Pvt. Ltd. द्वारा निम्नानुसार 25 प्रतिशत नजराना राशि जमा करायी गई।

क्र.सं.	डी.डी./आरटीजीएस एवं दिनांक	राशि
1	454238 / 14.12.2015	35,00,000
2	454241 / 14.12.2015	15,00,000
3	आरटीजीएस / 14.12.2015	1,86,00,000
4	आरटीजीएस / 22.01.2016	3,53,70,000
योग		5,89,70,000

25 प्रतिशत नजराना राशि जमा कराने के बाद विशेषाधिकारी (संसाधन विकास) जेडीए द्वारा चार किश्तों में राशि जमा कराने हेतु संशोधित मांग पत्र क्रमांक 96 दिनांक 02.02.2016 को जारी किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 10.01.2016 से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किश्ते क्रमशः दिनांक 09.04.2016, 09.07.2016, 09.10.2016 व 09.01.2017 तक निम्नानुसार जमा करानी होगी।

क्र. सं.	किश्त विवरण	नजराना	मांग राशि शहरी जमाबन्दी (एक वर्ष अग्रिम)	BSUP	मान-चित्र शुल्क	ब्याज	कुल राशि	राशि जमा दिनांक	जमा राशि का विवरण	विशेष विवरण
1	प्रथम	4,41,98,500	24,42,000	88,800	100	66,29,775	5,33,59,175	11.04.16	53359175	
2	द्वितीय	4,41,98,500				49,72,331	4,91,70,831	26.07.16	49170831	ब्याज 435930 वसूल
3	तृतीय	4,41,98,500				33,14,888	4,75,13,388	01.12.16	88606289 4763043	मूल राशि ब्याज राशि
4	चतुर्थ	4,41,98,500				16,57,444	4,58,55,944	09.02.17	749255	मूल राशि तृतीय किश्त के साथ जमा
योग		176794000	2442000	88800	100	16574438	195899338		196648593	

195

संस्था द्वारा पत्रांक 140 दिनांक 16.02.2017 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। जिसके अनुसार वार्षिक शहरी जमा बन्दी रुपये 550/- प्रतिवर्ग मीटर है। जो प्रथम पांच वर्षों में 275/- प्रतिवर्ग मीटर है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र की जारी दिनांक से देय होती है। जो प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व जमा करा दी जानी चाहिए। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार ब्याज देय है। उक्त से निम्नानुसार लीज राशि वसूल नहीं की गई।

क्र.सं.	अवधि	विवरण	राशि	विशेष विवरण
1.	16.02.17 से 15.02.18	8880x275	2442000	2442000/- जमा
2.	06.02.18 से मार्च 18	8880x275x44/365	294378	
3.	अप्रैल 18 से मार्च 19	8880x275	2442000	

Divinity Build estate Pvt. Ltd. द्वारा प्रथम किश्त पर ब्याज राशि के अतिरिक्त सम्पूर्ण राशि जमा कराये जाने से उपायुक्त जोन 8 द्वारा विलेख संख्या 5 दिनांक 28.03.2017 जारी किया गया। पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि Divinity Build estate Pvt. Ltd. से शहरी जमाबन्दी वर्ष 2018-19 तक राशि (294378+2442000) 2736378/- वसूल नहीं किये गये हैं। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 367 दिनांक 09.01.2019 को जारी किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा पत्रांक 551 दिनांक 14.02.2019 द्वारा संबंधित संस्था को मांग पत्र जारी किया गया।

संबंधित से राशि 2736378/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.   
 

196

(42) श्रीमति माया देवी जैन पत्नी श्री पदमचन्द जैन से जयपुर मैटल व इलेक्ट्रीकल्स योजना में भूखण्ड संख्या ए-4 एव ए-13 की शहरी जमाबंदी राशि 2429649/- रु. वसूली का अभाव:- (परिशिष्ट संख्या-25)

जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-2 के विगत अंकेक्षण प्रतिवदेन के अप्रस्तुत रिकॉर्ड की समीक्षा दौरान पाया गया कि जयपुर मैटल व इलेक्ट्रीकल्स योजना में श्रीमति माया देवी जैन पत्नी श्री पदमचन्द जैन के भूखण्ड संख्या ए-4 एव ए-13 जिसका पुनर्गठन जोन उपायुक्त के पत्रांक 1484/24.5.11 के द्वारा किया कुल क्षेत्रफल 1016.84 वर्गगज होता है जिसकी पर्यटन इकाई तथा होटल निर्माण हेतु जे.एल.सी. दिनांक 25.11.10 को गई है। पट्टा विलेख क्रमांक 3471 दिनांक 30.5.11 जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में पुनर्गठन/भूउपयोग परिवर्तन पत्र 1436 दिनांक 18.5.11 के द्वारा मांग राशि 281667/- का जारी किया गया। उक्त राशि जिसे चालान संख्या 145217 दिनांक 18.5.11 द्वारा जमा कराई गई।

उक्त प्रकरण में लीज राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं	अवधि	लेय राशि	जमा राशि	बकाया राशि
1	25.11.10 से 24.11.11 (1016.84x.8361x9000x2.5%)	191290	191290	-
2	25.11.11 से 24.11.12	191290	-	191290
3	25.11.12 से 24.11.13	191290	-	191290
4	25.11.13 से 24.11.14	191290	-	191290
5	25.11.14 से 24.11.14	191290	-	191290
6	25.11.14 से 31.03.15 (1016.84x.8361x9000x5%x128/365)	134165	-	134165
7	01.04.15 से 31.03.16 (1016.84x.8361x9000x5%)	382581	-	382581
8	01.04.16 से 31.03.17 (1016.84x.8361x9000x5%)	382581	-	382581
9	01.04.17 से 31.03.18 (1016.84x.8361x9000x5%)	382581	-	382581
10	01.04.18 से 31.03.19 (1016.84x.8361x9000x5%)	382581	-	382581
	योग	2620939	191290	2429649

उपरोक्तानुसार व्यावसायिक भूखण्ड के प्रति शहरी जमाबंदी राशि 2429649/- रु. वसूल नहीं किये गये हैं वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 427 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से राशि 2429649/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk

18/03/19

18/03/19

18/03/19

18/03/19

18/03/19

194

(43) मैसर्स मृत्युंजय बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जरिये निदेशक संत कुमार खण्डाका से गोविन्दपुरा करधनी, ब्लॉक बी, जयपुर में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-खण्ड संख्या-10 की शहरी जमाबन्दी राशि 1784811/-रु. की वसूली का अभाव:-

(परिशिष्ट संख्या-26)

गोविन्दपुरा करधनी (कालवाड़ रोड़) योजना के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के उपायुक्त जोन-7 द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 2886.00 वर्गमीटर की नीलामी दिनांक 26.02.2007 को की गई। जिसमें मैसर्स संत कुमार खण्डाका, अशोक कुमार मुंदडा की दर 19350/- प्रति वर्गमीटर अधिकतम होने से स्वीकृत की गई। संस्था द्वारा पत्रांक 484 दिनांक 06.03.2007 द्वारा नीलामी की पुष्टि एवं मांग पत्र जारी किया गया जिसके पश्चात् मैसर्स संत कुमार खण्डाका अशोक कुमार मुंदडा द्वारा नाम परिवर्तित कराये जाने के फलस्वरूप संशोधित मांग पत्र मैसर्स मृत्युंजय बिल्डकॉन प्राई. लिमिटेड जौहरी बाजार, जयपुर के लिए क्रमांक D 962 दिनांक 09.05.2007 को जारी किया गया। जिसके अनुसार मैसर्स मृत्युंजय बिल्डकॉन प्रा. लि. द्वारा नीलामी राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक D 1072 दिनांक 24.05.2007 को कब्जा पत्र जारी किया गया, तथा संस्था द्वारा आवंटन एवं विक्रय पत्र संख्या D 1822 दिनांक 31.12.2012 क्षेत्रफल 2886 वर्गमीटर का जारी किया गया। उक्त भूखण्ड की वार्षिक शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 103.12 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्षों में 51.56/-रु. प्रति वर्गमीटर है, इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में परिवर्तनीय है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि मैसर्स मृत्युंजय बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 1784811/- रु. वसूल नहीं किये गये।

क्र.सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया
1	24.05.07 से 23.05.08	148802 (अग्रिम जमा)	-
2	24.05.08 से 31.03.09	312/365x148802 = 127195	127195
3	01.04.09 से 31.03.12	148802x3 = 446406	446406
4	01.04.12 से 23.05.12	148802x53/365 = 21607	21607
5	24.05.12 से 31.03.13	312/365x103.12x2886=254391	254391
6	01.04.13 से 31.03.19	103.12x2886x6=1785626	1785626
7	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी		2635225
8	जमा राशि (चालान संख्या 215877/25.06.12)		850414
	वसूली योग्य शहरी जमाबन्दी राशि (7-8)		1784811

उपरोक्तानुसार मैसर्स मृत्युंजय बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड से शहरी जमाबन्दी की राशि 1784811/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 437 दिनांक 08.03.19 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

सम्बन्धित से शहरी जमाबन्दी राशि 1784811/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.

195

B89

Handwritten signatures and initials.

198

(44) मैसर्स VETO SWITCH GEARS AND CABLES Ltd. से एयरपोर्ट एन्कलेव योजना में व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या 10 की शहरी जमाबन्दी राशि 1685832/- रु. वसूली का अभाव:-
(परिशिष्ट संख्या-27)

एयरपोर्ट एन्कलेव योजना के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर उपायुक्त जोन-4, व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या 10 क्षेत्रफल 985.60 वर्गमीटर की नीलामी दिनांक 29.12.2010 को की गई। जिसमें SPICE MOBILITY Ltd. की दर 87100/- रु. प्रतिवर्गमीटर अधिकतम होने से स्वीकृत की गई।

संस्था द्वारा पत्रांक 3278 दिनांक 31.12.2010 द्वारा नीलामी पुष्टि एवं मांग पत्र जारी किया गया। नीलामी शर्त संख्या 6 अनुसार 25% राशि बोली मांग पत्र जारी होने के 15 दिवस में तथा बकाया 75% राशि 4 समान तिमाही किस्तों द्वारा 15 प्रतिशत ब्याज सहित जमा कराये जा सकते हैं। जयपुरा जयपुर द्वारा संशोधित मांग पत्रांक 114 दिनांक 15.01.2011 का 4 समान किस्तों का जारी किया गया। जिसके अनुसार SPICE MOBILITY Ltd. द्वारा मांग पत्र की नीलामी राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 1356 दिनांक 08.04.2011 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 550 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 275/- रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी इस पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा पट्टा विलेख, लीज डीड संख्या 1251 दिनांक 20.05.2011 क्षेत्रफल 985.60 वर्गमीटर का जारी किया गया।

S MOBILITY (पूर्व में SPICE MOBILITY Ltd.) द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय दिनांक 13.03.2014 को VETO SWITCH GEARS AND CABLES Ltd. को कर दिया।

पट्टा विलेख के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार यदि भूमि का हस्तान्तरण, गिफ्ट आदि किसी भांति से होने पर शहरी जमाबन्दी की राशि ऐसे प्रत्येक संसोधन या हस्तान्तरण के साथ 25% बढ़ जायेगी। तथा राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि VETO SWITCH GEARS AND CABLES Ltd. से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 1685832/- रु. वसूल नहीं किये गये।

क्र.सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	वसूल की गई	बकाया
1	08.04.11 से 07.04.12	985.60x275 = 271040	271040	-
2	08.04.12 से 07.04.13	985.60x275 = 271040	271040	-
3	08.04.13 से 12.03.14 13.03.14 से 07.04.14	985.60x275x339/365=251733 985.60x275x1.25x26/365=24134 (251733 + 24134 = 275867)	271040	4827
4	08.04.14 से 07.04.15	985.60x275x1.25 = 338800	338800	-
5	08.04.15 से 07.04.16	985.60x275x1.25 = 338800	338800	-

Rk

DSGL

HL

Ch

8

10

199

6	08.04.16 से 31.03.17	985.60x550x1.25x358/365=664605	338800	325805
7	01.04.17 से 31.03.18	985.60x550x1.25 = 677600	-	677600
8	01.04.18 से 31.03.19	985.60x550x1.25 = 677600	-	677600
9	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी			1685832

उपरोक्तानुसार VETO SWITCH GEARS AND CABLES से शहरी जमाबन्दी की राशि 1685832/- रु. वसूल नहीं किये गये । वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 431 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया । जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा ।

सम्बन्धित से शहरी जमाबन्दी राशि 1685832/- रु. मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Rk (Rk) 11 26

250

(45) शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. निदेशक श्रीमति सुनीता जगतानी पत्नी श्री हरिश जगतानी प्लॉट संख्या B/C 10 सेन्ट्रल स्पाइन जगतपुरा से शहरी जमाबन्दी राशि 17,12,369/- रु. वसूली का अभाव एवं शहरी जमाबन्दी, स्थल मानचित्र शुल्क, BSUP सेल्टर शुल्क राशि का गलत मद में जमा करना एवं नजराना राशि पर ब्याज राशि 29,940/- रु., कुल 1742309/- रु. कम वसूल करना। (DC-9) (परिशिष्ट संख्या-28)

सेन्ट्रल स्पाइन योजना, बी ब्लॉक भूखण्ड संख्या B/C 10 क्षेत्रफल 8491.06 वर्गमीटर की नीलामी दिनांक 16.05.2012 को मैसर्स शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. द्वारा दर 30,050/- रु. प्रतिवर्ग मीटर बोली लगाने से बोली स्वीकृत की।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को पत्रांक 698 दिनांक 16.05.2012 द्वारा नीलामी की पुष्टि मांग पत्र निम्नानुसार जारी किया।

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये)
1.	नजराना राशि (8491.06x30050)	25,51,56,353 / -
2.	शहरी जमाबन्दी (एक वर्ष के लिये अग्रिम 275/-रु. प्रति वर्गमीटर)	23,35,042 / -
3.	स्थल मानचित्र अनुमोदन	100 / -
4.	BSUP सेल्टर शुल्क 25/- रु. प्रति वर्गमीटर	2,12,277
	योग रूपये	25,77,03,772
	घटाइये पूर्व में जमा चालान 210346 / 16.05.2012	50,00,000
	शेष जमा कराने योग्य	25,27,03,772

बोली दाता द्वारा राशि 25,27,03,772/- रु. विभिन्न दिनांक में तथा ब्याज राशि 28,00,000/- रु. दिनांक 21.08.2012 को जमा करायी गई। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त मांग राशि 25,77,03,772/- रु. को नजराना मद में जमा लिये गये जबकि उक्त राशि में से शहरी जमाबन्दी मद में 23,35,042/-रु. स्थल मानचित्र में 100/- तथा BSUP सेल्टर शुल्क मद में 212277/-रु. जमा लिये जाने चाहिये थे। राशि का आवश्यक मद संशोधन किया जावे।

बोली दाता द्वारा मांग राशि जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 1421 दिनांक 11.09.2012 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। जिसकी बिन्दु संख्या 2 के अनुसार इसकी वार्षिक शहरी जमाबन्दी 550/-रु. प्रतिमीटर है जो प्रथम पांच वर्षों में 275/-रु. प्रतिवर्ष होगी। बिन्दु संख्या 3 के अनुसार-शहरी जमाबन्दी इस पत्र की जारी तिथि से देय है, जो प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिए जमा करायी जानी चाहिये, इसके उल्लंघन पर प्राधिकरण के नियमानुसार ब्याज देय है।

टीप संख्या 118 दिनांक 04.07.2013 को उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 63.80 वर्गमीटर बढ़ने से मांग लेय राशि नजराना 1917190/-रु., नजराना पर ब्याज दिनांक 16.05.2012 से 15.07.2013 तक 335508/-रु. शहरी जमा बन्दी (63.80x275) 17545/-रु. BSUP शुल्क (63.80x25) 1595/-रु. कुल 2271838/-रु. लेय थे जो चालान संख्या 277728 दिनांक 23.08.2016 द्वारा जमा कराये गये जबकि टीप संख्या 115 के अनुसार नजराना राशि जमा दिनांक 23.08.2013 तक

198

Rk 21

By [Signature] 26

201

(16.07.2013 से 22.08.2013 तक 38 दिवस का) $(\frac{38}{365} \times \frac{15}{100} \times 1917190)$ 29940/-रु. कम ब्याज वसूल किया गया है।

बोली दाता द्वारा शहरी जमाबन्दी राशि पेटे निम्नानुसार राशि जमा करायी गई।

शहरी जमाबन्दी लेय

क्र.सं.	अवधि	विवरण राशि	क्षेत्रफल 8491.06	क्षेत्रफल 63.80
1.	11/09/2012 से 10/08/13	अग्रिम जमा	(2252542)	17545
2.	11/09/2013 से 03/14	$8491.06 \times 275 \times \frac{202}{365}$	12,92,270	9710
3.	04/14 से 03/15	$8491.06 \times 275 \times 0$	2335042	17545
4.	04/15 से 03/16	$8491.06 \times 275 \times 0$	2335042	17545
5.	04/16 से 03/17	$8491.06 \times 275 \times 0$	2335042	17545
6.	04/17 से 10/09/17	$8491.06 \times 275 \times \frac{163}{365}$	1042772	7835
7.	11/09/17 से 03/18	$8491.06 \times 550 \times \frac{202}{365}$	2584539	19420
8.	04/18 से 03/19	8491.06×550	4670083	35090
			16594790	124690

कुल शहरी जमाबन्दी लेय (16594790+124690) 16719480

मैसर्स शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. द्वारा निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी जमा करायी गई।

क्र.सं.	चालान संख्या	दिनांक	राशि	विशेष विवरण
1.	279662	12.09.2013	13,62,108	
2.	388514	30.03.2015	23,52,587	
3.	388516	30.03.2015	23,52,587	
4.	477676	29.03.2016	21,17,328	
5.	531795	30.03.2017	21,17,328	
6.	582305	30.03.2018	47,05,173	
	योग		1,50,07,111	

उपरोक्तानुसार मैसर्स शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. से शहरी जमाबन्दी पेटे राशि 17,12,369/-रु. (16719480-15007111) कम वसूल किये गये। वस्तु स्थिति ज्ञात करने हेतु मीमो संख्या 423 दिनांक 26.02.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

मैसर्स शिव शीतल बिल्डर्स प्रा.लि. से शहरी जमाबन्दी राशि 17,12,369/-रु. मय ब्याज एवं 63.80 वर्गमीटर भूमि की नजराना राशि विलम्ब से वसूली करने पर कम ब्याज वसूल करने से राशि 29940/-रु. , कुल रु. 1742309/- वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

199

202

(46) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि० भारत सरकार के कार्यालय हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आवासीय भूमि के आवंटन में ब्याज राशि 964110/-रु एवं शहरी जमाबन्दी राशि 468750/-रु का जमा का अभाव कुल राशि 1432860/-रु वसूली योग्य :-
(परिशिष्ट संख्या-29)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-1 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान निम्न अनियमितताएँ पायी गई:-

1. नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 13.12.2016 के द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड भारत सरकार को कार्यालय भवन हेतु झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर एवं 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण के पत्रांक 5642-44 दिनांक 20.12.2016 के द्वारा आवंटन पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार राशि जमा कराने हेतु लिखा गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नजराना राशि (15 प्रतिशत शहरी निकाय को देय राशि संहित)	6,90,00,000
2	शहरी जमाबन्दी प्रथम वर्ष की अग्रिम	3,75,000
3	बी.एस.यू.पी. शुल्क	50,000
4	स्थान मानचित्र	100
योग		6,94,25,100

आवंटन पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार मांग की गई राशि इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज देय होगा।

संस्था द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से प्राधिकरण के आरसीआर प्रकोष्ठ में उक्त राशि चालान संख्या 523306 दिनांक 23.01.2017 को जमा कराया गया। उक्त राशि 4 दिवस देरी से जमा हुई है। प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार ब्याज वसूल किया जाना चाहिए था। अतः 30 दिवस से अधिक विलम्ब पर कुल 34 दिवस का ब्याज राशि 964110 (69000000X15%X34/365) रुपये संस्था से वसूली योग्य है।

2. आवंटन पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार वार्षिक शहरी जमाबन्दी प्रथम तीन वर्ष के लिए (प्रथम वर्ष की अग्रिम) सुरक्षित दर 15000/- प्रति वर्गमीटर पर 1.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा चौथे वर्ष से लीज अवधि तक 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगा। शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक प्राधिकरण कोष में जमा कराना आवश्यक है अन्यथा इसके उल्लंघन प्राधिकरण को नियमानुसार ब्याज वसूल करने का अधिकार होगा। उक्त प्रकरण में शहरी जमाबन्दी प्रथम वर्ष की अग्रिम राशि 3,75,000/-रु संस्था द्वारा जमा कराये गये है। इसके पश्चात् वर्ष 2017-18 में तीन माह का 93,750/-रु एवं 2018-19 में 12 माह का 3,75,000/-रु जमा नहीं कराये गये है। कुल राशि 4,68,750/-रु संबंधित संस्था से मय ब्याज के वसूल किये जाने चाहिये।

Rk. 1-1-200 200

200

203

उपरोक्तानुसार आवासीय भूमि के आवंटन में ब्याज राशि 964110/- एवं शहरी जमाबन्दी राशि 468750 कुल 1432860 कम वसूल किये गये हैं। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 411 दिनांक 26.02.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से शहरी जमा बन्दी राशि 468750 मय ब्याज एवं आवंटन में ब्याज राशि 964110 वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

RK (203) 1 2

204

(47) श्री विधाधर पूनिया पुत्र श्री रिछपाल सिंह पूनिया को शिव राज निकेतन योजना (नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति) में भू-खण्ड संख्या 79 व 81 का आवासीय से व्यावसायिक मिश्रित भू-उपयोग रूपान्तरण की शहरी जमाबन्दी राशि 1277714/- रु. वसूली का अभाव:- (परिशिष्ट संख्या-30)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-7 द्वारा शिव राज निकेतन योजना (नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति) में भू-खण्ड संख्या 79 व 81 का आवासीय से व्यावसायिक मिश्रित भू-उपयोग रूपान्तरण का आदेश क्रमांक डी-866 दिनांक 06.03.17 को जारी किया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 1070.50 वर्ग गज अर्थात् 895.06 वर्ग मीटर है।

भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन का रूपान्तरण शुल्क राशि 5012336/-रु. (895.06x14000x40%) को चालान संख्या 522749/17.01.17, 522761/17.01.17 के द्वारा जमा करा दिया गया जिसका जांचदल द्वारा सत्यापन कर लिया गया। पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि उक्त भूखण्ड की लीज राशि जमा नहीं करवाई गई है जिसकी गणना निम्न प्रकार है :-

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	06.03.17 से 31.03.17	$895.06 \times 14000 \times 5\% \times 26 / 365 = 44630$
2	01.04.17 से 31.03.19	$895.06 \times 14000 \times 5\% \times 2 = 1253084$
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	1277714

श्री विधाधर पूनिया पुत्र श्री रिछपाल सिंह पूनिया से शहरी जमाबन्दी की राशि 1277714/- रु. से वसूल नहीं किये गये हैं। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 439 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया। संस्था द्वारा पत्रांक 3579 दिनांक 15.03.2019 द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया जिसके अनुसार राशि पूर्व में ही वसूल की जा चुकी है। राशि वसूली का सत्यापन किया आक्षेप शून्य प्रकृति का होने से पालना अपेक्षित नहीं है।

Rk.   
C6

205

उपरोक्तानुसार आवासीय एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि एवं लीज राशि रु. 991381/- कम लिया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति ज्ञात करने हेतु मीमो संख्या 383 दिनांक 09.01.2019 को जारी किया गया। जिसके सम्बन्ध में संस्था द्वारा अपने पत्रांक 89 दिनांक 23.01.2019 द्वारा अवगत कराया कि सम्बन्धित को राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।

संबन्धित से नियमन शुल्क, 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि एवं लीज राशि रु.991381/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk. 8 1-1 12
89 8

206

(49) आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक श्रीमति शांति देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द शर्मा राजस्व ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, पटवार हलका कल्याणपुरा त0 सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 16/1 रकबा 0.6750 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 956250/- रु0 (परिशिष्ट संख्या-32)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-8 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक श्रीमति शांति देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द शर्मा राजस्व ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, पटवार हलका कल्याणपुरा त0 सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 16/1 रकबा 0.6750 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 3116 दिनांक 25.11.14 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 02.03.15 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 11.3.15 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक 194 दिनांक 13.6.16 क्षेत्रफल 6375.00 वर्गमीटर का जारी किया गया।

राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 (2 हैक्टेयर तक) दिनांक 28.6.2010 के बिन्दु सं0 10(iv) (c) के अनुसार बाह्य विकास शुल्क 200 रु0 प्रति मीटर लेय है एवं 10(iv) (a) नोट सं0 1 In case of development areas of any town (where infrastructure like 18mt. vide road and power lines are available within a radius of 500meters), EDC of not more than Rs. 100/- per square meter would be charged.

तथा बिन्दु सं0 10(vi) के अनुसार ग्रुप हाउसिंग स्कीम में बाह्य विकास शुल्क आवासीय का 1½ गुणा वसूलनीय है प्रश्नगत भूमि 10 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है तथा सड़क सेक्टर प्लान में 30 फीट प्रस्तावित होने से निम्नानुसार बाह्य विकास शुल्क लेय है:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	बाह्य विकास शुल्क लेय 6375x200x1.5	1912500
2	बाह्य विकास शुल्क लिया गया 6375x100x1.5	956250
	अन्तर राशि (1-2)	956250

उपरोक्तानुसार आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा के नियमन में बाह्य विकास शुल्क राशि 956250/-रु कमलिया गया है। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 369 दिनांक 09.01.2019 जारी किया गया, संस्था द्वारा अपने पत्रांक 552 दिनांक 14.02.2019 द्वारा सम्बन्धित को राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया।

संबन्धित से बाह्य विकास शुल्क राशि 956250/-रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी का दायित्व निर्धारण कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rh.  
 

207

(50) आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक प्रदीप मित्तल पुत्र आनन्द शंकर मित्तल, पीपला भरतसिंह भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर खसरा संख्या 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227, 228 रकबा 2.41 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 404300/-रु0

(परिशिष्ट संख्या-33)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन- 11के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक प्रदीप मित्तल पुत्र आनन्द शंकर मित्तल, पीपला भरतसिंह भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर खसरा संख्या 222/1, 223/1, 224, 225, 226, 227, 228 रकबा 2.41 हैक्टेयर अमेर, जयपुर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 1308 दिनांक 11.6.2014 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 15.05.2014 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 13.6.14 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक 547 दिनांक 07.06.17 क्षेत्रफल 21956 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा को छोड़कर मास्टर प्लान में वर्णित यू-1 क्षेत्र के हाउसिंग/फ्लेट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु 80 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 184 प्रतिवर्गगज मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में जेडएलसी के अनुसार आवेदित भूमि को रिंग रोड 20 मीटर सर्विस रोड उपलब्ध है। अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 21956X1.196X 93 प्र.व.ग.	2442122
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 21956X1.196X 93X4X2.5%X8	1953698
3	कुल लेय राशि योग	4395820
4	नियमन राशि जो ली गयी 26260X84 प्र.व.ग.	2205840
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 26260 X68	1785680
	कुल ली गयी राशि	3991520
	अन्तर राशि (3-6)	404300

उपरोक्तानुसार आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि 404300/- रु.कम लिया गया है। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो सं0 375 दिनांक 09.01.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु.404300/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल एवं संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

8 Rk. → 207

(51) श्रीमति शान्ति देवी पत्नी श्री रामलाल अग्रवाल निवासी 2TA3 जवाहर नगर जयपुर, द्वारा चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 3/48 की शहरी जमाबन्दी राशि 368033/- रु. वसूली का अभाव :- (परिशिष्ट संख्या-34)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकुट योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्रीमति शान्ति देवी पत्नी श्री रामलाल अग्रवाल को आवंटित किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्रीमति शान्ति देवी पत्नी श्री रामलाल अग्रवाल चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 3/48 क्षेत्रफल 327.37 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक 1192 दिनांक 23.07.2010 को जारी किया गया। श्रीमति शान्ति देवी द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक डी-1586 दिनांक 01.09.2010 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 170 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 85/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा आवंटित एवं विक्रय पत्र संख्या 310 दिनांक 29.03.2011 को जारी किया गया उक्त भूखण्ड 17 जनवरी 2012 को श्रीमती शान्ति देवी द्वारा श्री महेन्द्र गोयल पुत्र श्री रामगोपाल गोयल को विक्रय किया गया।

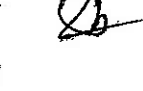
राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री श्रीमति शान्ति देवी से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 368033/- रु. वसूल नहीं की गई-

क्र. सं.	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	लेय	जमा	बकाया
1	01.09.10 से 31.08.11	27826 (अग्रिम जमा)			-
2	01.09.11 से 17.01.12	327.37x85x139/365	10597	10597	-
3	18.01.12 से 31.03.12	327.37 x85 x1.25x74/365	7052	7052	-
4	01.04.12 से 31.03.15	327.37x85 x1.25x3	104349	-	104349
5	01.04.15 से 31.08.15	327.37 x85 x1.25 x 153/365	14580	-	14580
6	01.09.15 से 31.03.16	327.37x170x1.25x212/365	40406	-	40406
7	01.04.16 से 31.03.19	327.37x170x1.25x3	208698	-	208698
		कुल शहरी जमाबन्दी	385682	17649	368033

श्रीमति शान्ति देवी से शहरी जमाबन्दी की राशि 368033/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 457 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्रीमति शान्ति देवी से शहरी जमाबन्दी की राशि 368033/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.    
207 

209

(52) श्री विश्वनारायण लाखलान पुत्र श्री मनीराम लाखलान निवासी 66 लाइन्सलेन सिरसी रोड खातीपुरा जयपुर द्वारा चित्रकूट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 1/54 की शहरी जमाबन्दी राशि 337186/- रु. वसूली का अभाव :-

(परिशिष्ट संख्या-35)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकूट योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री विश्वनारायण लाखलान पुत्र श्री मनीराम लाखलान को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री विश्वनारायण लाखलान पुत्र श्री मनीराम लाखलान चित्रकूट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 1/54 क्षेत्रफल 405.90 वर्गमीटर का नीलामी एवं पुष्टि मांग पत्र क्रमांक 2693 दिनांक 11.12.2009 को जारी किया गया। श्री विश्वनारायण लाखलान द्वारा नीलामी एवं पुष्टि मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 165 दिनांक 04.02.2010 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 135/-रु. प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 67.50 /-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा आवंटित एवं विक्रय पत्र संख्या 951 दिनांक 16.03.2010 को जारी किया गया।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री विश्वनारायण लाखलान से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 337186/- रु. वसूल नहीं की गई-

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया
1	04.02.10 से 03.02.11	405.90x67.5 = 27398 (अग्रिम जमा)	-
2	04.02.11 से 03.02.15	405.90x67.5x4 = 109592	109592
3	04.02.15 से 31.03.15	405.90x135x56/365 = 8407	8407
4	01.04.15 से 31.03.19	405.90x135x4 = 219186	219186
		कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	337186

श्री विश्वनारायण लाखलान से शहरी जमाबन्दी की राशि 337186/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 453 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री विश्वनारायण लाखलान से शहरी जमाबन्दी की राशि 337186/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.

208

3

✓

26

6

(53) पेट्रोल पम्प एकल पट्टा आवेदक श्री शंकर लाल चौधरी पुत्र श्री भेंवर लाल चौधरी एवं श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री रामसहाय चौधरी ग्राम सिराणी पो. गणपतपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नं. 899/3 रकबा 0.27 हैक्टेयर नियमन में बाह्य विकास शुल्क की वसूली योग्य राशि 299054/-रु (परिशिष्ट संख्या-36)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान उपायुक्त जोन-11 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प एकल पट्टा आवेदक श्री शंकर लाल चौधरी पुत्र श्री भेंवर लाल चौधरी एवं श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री रामसहाय चौधरी ग्राम सिराणी पो. गणपतपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नं. 899/3 रकबा 0.27 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 503 दिनांक 29.02.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। पेट्रोल पम्प एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 07.04.2016 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 13.04.2016 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा एकल पट्टा विलेख क्रमांक 427 दिनांक 06.05.2016 क्षेत्रफल 1495.27 वर्गमीटर का जारी किया गया।

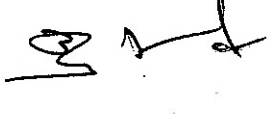
राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 नेगोशियेशन दिनांक 28.6.2010 के बिन्दु सं० 10(iv) के अनुसार बाह्य विकास शुल्क 200 रु० प्रति मीटर लेय है एवं नोट 10(iv) (a) नोट सं० 1 In case of development areas of any town (where basic infrastructure like 18mt. wide road and power lines are available within a radius of 500mtrs), EDC of not more than Rs. 100/- per square meter would be charged.

तथा बिन्दु सं० 10(vi) viii के अनुसार वाणिज्यिक क्षेत्र बाह्य विकास शुल्क आवासीय का दुगुणा लेय है उक्त पेट्रोल पम्प ZLC की कार्यवाही टीप संख्या 28/3 के अनुसार 12 मीटर बी.टी. रोड से पहुंच मार्ग होने से राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी बिन्दु संख्या 10 (iv) नोट सं० 1 viii के अनुसार (200 x दुगुणा) 400/- रु० प्रति वर्गमीटर से बाह्य विकास शुल्क लेय है जिससे निम्नानुसार बाह्य विकास शुल्क वसूल किया गया है:-

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	बाह्य विकास शुल्क लेय 1495.27x200x2	598108
2	बाह्य विकास शुल्क वसूल 1495.27x100x2	299054
	अन्तर राशि (1-2)	299054

उपरोक्तानुसार पेट्रोल पम्पके नियमन में बाह्य विकास शुल्क राशि 299054/- रु० कम लिया गया है। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 377 दिनांक 09.1.2019 जारी किया गया, जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से बाह्य विकास शुल्क राशि 299054/-रु० नियमानुसार मय ब्याज वसूल एवं संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

Rk.   


211

(54) श्री राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र श्री शिशुपाल सिंह डांगी निवासी 108 नीलकंठ बिल्डिंग गांधी पथ जयपुर, द्वारा चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 1/61 की शहरी जमाबन्दी राशि 293597/- रु. वसूली का अमाव :- (परिशिष्ट संख्या-37)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकुट योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र श्री शिशुपाल सिंह डांगी को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह डांगी पुत्र श्री शिशुपाल सिंह डांगी चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 1/61 क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक डी-908 दिनांक 05.06.2009 को जारी किया गया। श्री राजेन्द्र सिंह डांगी द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक डी-1134 दिनांक 15.07.2009 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 135 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 67.50 /-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा आवंटित एवं विक्रय पत्र संख्या 215 दिनांक 20.08.2009 को जारी किया गया।

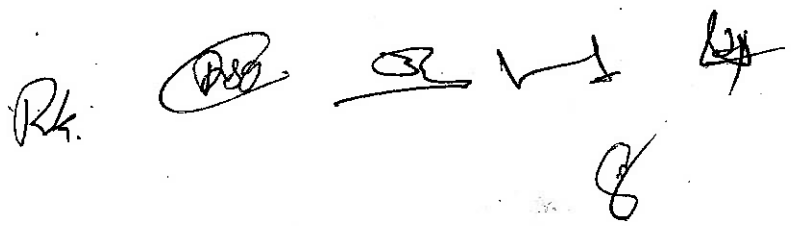
राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह डांगी से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 293597/- रु. वसूल नहीं की गई-

क्र. सं.	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया
1	15.07.09 से 14.07.10	21870 (अग्रिम जमा)	-
2	15.07.10 से 14.07.14	324x67.50x4	87480
3	15.07.14 से 31.03.15	324x135x260/365	31157
4	01.04.15 से 31.03.19	324x135x4	174960
		कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	293597

श्री राजेन्द्र सिंह डांगी से शहरी जमाबन्दी की राशि 293597/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 455 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री राजेन्द्र सिंह डांगी से शहरी जमाबन्दी की राशि 293597/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk. 

212

(55) श्रीमति मन्जू कालरा पत्नी श्री संजीव कालरा निवासी 12,13 श्री राम अपार्टमेंट गांधीनगर वैशाली नगर, जयपुर, द्वारा चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 1/238 की शहरी जमाबन्दी राशि 287984/- रु. वसूली का अभाव :-

(परिशिष्ट संख्या-38)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकुट योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्रीमति मन्जू कालरा पत्नी श्री संजीव कालरा को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्रीमति मन्जू कालरा पत्नी श्री संजीव कालरा चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 1/238 क्षेत्रफल 276.90 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक 64 दिनांक 15.01.2010 को जारी किया गया। श्रीमति मन्जू कालरा द्वारा नीलामी एवं पुष्टि मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 258 दिनांक 17.02.2010 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 170/-रु. प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 85/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा आवंटित एवं विक्रय पत्र संख्या 939 दिनांक 12.03.2010 को जारी किया गया।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्रीमति मन्जू कालरा से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 287984/- रु. वसूल नहीं की गई-

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया
1	17.02.10 से 16.02.11	276.90x85 = 23537 (अग्रिम जमा)	-
2	17.02.11 से 16.02.15	276.90x85x4 = 94146	94146
3	17.02.15 से 31.03.15	276.90x170x43/365 = 5546	5546
4	01.04.15 से 31.03.19	276.90x170x4 = 188292	188292
		कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	287984

श्रीमति मन्जू कालरा से शहरी जमाबन्दी की राशि 287984/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 451 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्रीमति मन्जू कालरा से शहरी जमाबन्दी की राशि 287984/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk

213

(56) महिन्द्रा कॉलोनाइजर्स जरिये निदेशक श्री महेन्द्र गोयल द्वारा चित्रकुट सेक्टर-3 (गांधी पथ) योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 16 की शहरी जमाबन्दी राशि 277540/- रु. वसूली का अभाव :- (परिशिष्ट संख्या-39)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकुट सेक्टर-3 (गांधी पथ) योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से महिन्द्रा कॉलोनाइजर्स जरिये निदेशक श्री महेन्द्र गोयल को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा महिन्द्रा कॉलोनाइजर्स जरिये निदेशक श्री महेन्द्र गोयल चित्रकुट सेक्टर-3 (गांधी पथ) योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 16 क्षेत्रफल 324 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक 1934 दिनांक 16.10.09 को जारी किया गया। श्री महेन्द्र गोयल द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 2578 दिनांक 26.11.09 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 135 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 67.50/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

क्र. सं.	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	26.11.09 से 25.11.10	$324 \times 67.5 = 21870$ (अग्रिम जमा)
2	26.11.10 से 31.03.11	$324 \times 67.5 \times 126 / 365 = 7550$
3	01.04.11 से 31.03.14	$324 \times 67.5 \times 3 = 65610$
4	01.04.14 से 25.11.14	$324 \times 67.5 \times 239 / 365 = 14320$
5	26.11.14 से 31.03.15	$324 \times 135 \times 126 / 365 = 15100$
6	01.04.15 से 31.03.19	$324 \times 135 \times 4 = 174960$
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	277540

महिन्द्रा कॉलोनाइजर्स जरिये निदेशक श्री महेन्द्र गोयल से शहरी जमाबन्दी की राशि 277540/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 465 दिनांक 12.03.19 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

महिन्द्रा कॉलोनाइजर्स जरिये निदेशक श्री महेन्द्र गोयल से शहरी जमाबन्दी की राशि 277540/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 Rk 212 212

(57) श्री निशांत दिक्षित पुत्र श्री डा. आर.के. दीक्षित निवासी 53 गोपाल नगर—A, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर, द्वारा चित्रकुट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 3/35 की शहरी जमाबन्दी राशि 240411 /— रु. वसूली का अभाव :-

(परिशिष्ट संख्या-40)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकुट योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री निशांत दिक्षित पुत्र श्री डा. आर.के. दीक्षित को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री निशांत दिक्षित पुत्र श्री डा. आर.के. दीक्षित को चित्रकुट योजना, जयपुर में आवासीय भू-खण्ड संख्या 3/35 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक डी-3057 दिनांक 30.11.2010 को जारी किया गया। श्री निशांत दीक्षित द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक डी-36 दिनांक 05.01.2011 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 170/-रु. प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 85/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा आवंटित एवं विक्रय पत्र संख्या डी- 919 दिनांक 20.09.2011 को जारी किया गया।

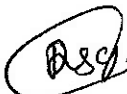
राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री निशांत दिक्षित से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 240411 /— रु. वसूल नहीं की गई—

क्र. सं.	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया
1	05.01.11 से 04.1.12	270x85 = 22950 (अग्रिम जमा)	-
2	05.01.12 से 04.01.16	270x85x4 = 91800	91800
3	05.01.16 से 31.03.16	270x170x87/366 = 10911	10911
4	01.04.16 से 31.03.19	270x170x3 = 137700	137700
		कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	240411

श्री निशांत दिक्षित से शहरी जमाबन्दी की राशि 240411 /— रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 459 दिनांक 12.03.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री निशांत दिक्षित से शहरी जमाबन्दी की राशि 240411 /— रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk    

(58) श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री इन्द्रसिंह यादव निवासी 3/45 चित्रकूट योजना जयपुर द्वारा चित्रकूट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 3/23 की शहरी जमाबन्दी राशि 229285 /- रु. वसूली का अभाव :- (परिशिष्ट संख्या-41)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-7 द्वारा चित्रकूट योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री इन्द्रसिंह यादव को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री इन्द्रसिंह यादव चित्रकूट योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या 3/23 क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर का नीलामी एवं पुष्टि मांग पत्र क्रमांक 2072 दिनांक 03.11.2009 को जारी किया गया। श्री अशोक कुमार यादव द्वारा नीलामी एवं पुष्टि मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 2712 दिनांक 15.12.2009 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 135/-रु. प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 67.50 /-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तिय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

संस्था द्वारा आवंटित एवं विक्रय पत्र संख्या 698 दिनांक 07.01.2010 को जारी किया गया।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दू संख्या-3 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि श्री अशोक कुमार यादव से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 229285 /- रु. वसूल नहीं की गई-

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया
1	15.12.09 से 14.12.10	270x67.50 = 18225 (अग्रिम जमा)	-
2	15.12.10 से 14.12.14	270x67.50x4 = 72900	72900
3	15.12.14 से 31.03.15	270x135x106/365 = 10585	10585
4	01.04.15 से 31.03.19	270x135x4 = 145800	145800
		कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	229285

श्री अशोक कुमार यादव से शहरी जमाबन्दी की राशि 229285 /- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 449 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री अशोक कुमार यादव से शहरी जमाबन्दी की राशि 229285 /- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.   
66

(59) श्री धीरज माथुर पुत्र श्री रमेश बिहारी माथुर एवं गिरधर अभय सिंह पुत्र श्री श्याम लाल जी से सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या B-5 की शहरी जमाबंदी राशि 216112/- रु. वसूली का अभाव:- (परिशिष्ट संख्या-42)

जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-2 के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अप्रस्तुत रिकॉर्ड की समीक्षा दौरान पाया गया कि सुभाष नगर शॉपिंग सेन्टर योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या B-5 की नीलामी दिनांक 04.10.10 को उच्चतर बोलीदाता श्री धीरज माथुर पुत्र श्री रमेश बिहारी माथुर एवं गिरधर अभय सिंह पुत्र श्री श्याम लाल जी को भूखण्ड क्षेत्रफल 74.32 वर्गमीटर को उच्चतर दर 67250/- प्रति वर्गमीटर पर स्वीकृत किया गया उक्त व्यावसायिक भूखण्ड की नीलामी की पुष्टि मांग पत्र क्रमांक 2848 दिनांक 03.11.10 द्वारा निम्नानुसार राशि का जारी किया गया -

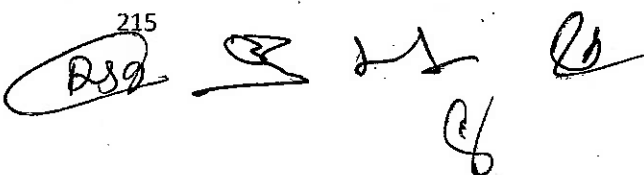
क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नजराना राशि (74.32 व.मी., दर रु.67250/- से)	4998020
2	शहरी जमाबन्दी (एक वर्ष के लिए अग्रिम) रु. 225/-प्र.व.मी. की दर से	16722
3	स्थल मानचित्र शुल्क	100
4	योग रुपये	5014842
5	घटाइये पूर्व में जमा राशि चालान नं. 108397/5.10.10 250000 चालान नं. 108221/5.10.10 500000	750000
6	शेष जमा कराने योग्य राशि (4-5)	4264842

उक्त शेष राशि विभिन्न चालानों से जमा कराये गये -

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	चालान नं. 113538/ 3.11.10	2000000
2	चालान नं. 113636/ 4.11.10	1033000
3	चालान नं. 113637/ 4.11.10	1231842
		4264842

शेष राशि जमा होने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र क्रमांक 2922 दिनांक 15.11.10 द्वारा दिया गया तथा पट्टा विलेख क्रमांक 3506 दिनांक 9.12.10 जारी किया गया है। उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के कब्जा पत्र क्रमांक 2922 दिनांक 15.11.10 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार वार्षिक शहरी जमाबन्दी 450/-रु. प्रति वर्गमीटर है जो प्रथम पांच वर्षों में 225/-रु. प्रति वर्गमीटर है इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्ष में परिवर्तनीय है। पट्टा विलेख क्रमांक 3506 दिनांक 9.12.10 के बिन्दु संख्या-2 एवं Raj Improvement trust (Disposal of urban land) Rules 1974 के नियम -7(2) के अनुसार भूमि का हस्तान्तरण, गिफ्ट आदि किसी भांति से होने पर शहरी जमाबन्दी की राशि ऐसे प्रत्येक संशोधन या हस्तान्तरण के साथ 25 प्रतिशत बढ़ जायेगी।

उक्त व्यावसायिक भूखण्ड को श्री धीरज माथुर पुत्र श्री रमेश बिहारी माथुर एवं गिरधर अभय सिंह पुत्र श्री श्याम लाल जी द्वारा दिनांक 16.11.11 को श्री रामकिशोर पुत्र श्री सांवलिया को विक्रय कर दिया गया जिसका प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण पत्र 762 दिनांक 22.02.12 जारी किया गया।

215
Rk. 

216

उक्त व्यावसायिक भूखण्ड की लेय लीज राशि का विवरण निम्न प्रकार है -

क्र.सं	अवधि	लेय राशि	जमा राशि	बकाया लीज राशि
1	15.11.10 से 14.11.11	16722	16722	-
	15.11.11	(16722/365x1) 46	-	46
2	16.11.11 से 15.11.12	(74.32x225x1.25) = 20903	8709	12194
3	16.11.12 से 15.11.13	(74.32x225x1.25) = 20903	-	20903
4	16.11.13 से 15.11.14	(74.32x225x1.25) = 20903	-	20903
5	16.11.14 से 14.11.15	(74.32x225x1.25x364/365)= 20845	-	20845
6	15.11.15 से 31.3.16	(74.32x450x1.25x138/365)= 15806	-	15806
7	1.4.16 से 31.3.17	(74.32x450x1.25)= 41805	-	41805
8	1.4.17 से 31.3.18	(74.32x450x1.25)= 41805	-	41805
9	1.4.18 से 31.3.19	(74.32x450x1.25)= 41805	-	41805
	योग	241543	25431	216112

उपरोक्तानुसार व्यावसायिक भूखण्ड के प्रति लीज राशि 216112/- रु. कम वसूल किये गये हैं वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 425 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से राशि 216112/- रु. नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk (Bjg) [Signature] [Signature] [Signature]

(60) आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग एकल पट्टा आवेदक श्रीमती पुष्पा जोशी पत्नी श्री रमेश आर.जोशी ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 674/2, 693/2, 713 रकबा 1.25 हैक्टेयर के नियमन में राज्य सरकार की हिस्सा राशि 200883/- रु. राजकोष में जमा कराये जाने का अभाव:- (परिशिष्ट संख्या-43)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-14 के द्वारा उपलब्ध करावाई पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग एकल पट्टा आवेदक श्रीमती पुष्पा जोशी पत्नी श्री रमेश आर.जोशी ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 674/2, 693/2, 713 रकबा 1.25 हैक्टेयर के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90-ख के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन हेतु प्रकरण संख्या 94/2008 दिनांक 14.10.08 को निर्णय हुआ। आवासीय ग्रुप हाऊसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 14.08.08 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 22.10.08 को हुआ। प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा विलेख क्रमांक 660 दिनांक 07.10.11 क्षेत्रफल 1850.84 वर्गगज एवं ग्रुप हाऊसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक 661 दिनांक 07.10.11 क्षेत्रफल 7280.18 वर्गगज का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.5(8) नवि/03/99 जयपुर, दिनांक 27.01.2009 के बिन्दू संख्या-2 के अनुसार नियमन शुल्क राज्य सरकार के हिस्से की राशि (40%) सीधे चालान के जरिये राज्य कोष के लेखाशीर्ष 0029-भू-राजस्व-800- अन्य प्राप्तियाँ 107 में जमा करायी जानी चाहिए।

पत्रावली की टीप संख्या 68/एन, 73/एन, 84/एन, 87/एन, 89/एन, 94/एन, 103/एन के अनुसार निम्नानुसार नियमन राशि लेय थी।

(1) ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ

(i) नियमन 7280.18x60 = 436811

(2) आवासीय प्रयोजनार्थ

(i) नियमन 1850.84x60 = 111050

कुल 547861

जो आवेदन कर्ता द्वारा विभिन्न चालानों के द्वारा जविप्रा कोष में जमा करवाये गये। जिसमें नियमन राशि, ग्रुप हाऊसिंग (7280.18x60) 436811 तथा आवासीय प्रयोजनार्थ (1850.84x60) 111050 कुल 547861 रु. का 40 प्रतिशत राज्य सरकार हिस्सा राशि रु. 219144/- मद संख्या 0029 में जमा कराये जाने चाहिए थे जबकि चालान दिनांक 16.09.11 द्वारा राशि 18261/- रुपये ही राज्य सरकार कोष मद संख्या 0029 में जमा करायी गई है इस प्रकार राज्य सरकार की हिस्सा राशि (219144-18261) 200883/- रु. मद संख्या 0029 में कम जमा कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार आवासीय, ग्रुप हाऊसिंग पट्टे के नियमन में राज्य सरकार की हिस्सा राशि रु. 200883/- राजकोष में जमा नहीं कराये जाने के संबंध में जांच दल द्वारा मीमो संख्या 447 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक अप्राप्त रहा।

राज्य सरकार की हिस्सा राशि 200883/- राजकोष में हस्तान्तरण कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

Rf. 217 [Signature] [Signature] [Signature]

(61) संस्थानिक एकल पट्टा आवेदक मैसर्स करोल ऐजुकेशन वेलफेयर एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जरिये रामनाथ करोल पुत्र स्व.श्री गंगा बक्श करोल ग्राम जयपुर तहसील सांगानेर आराजी खसरा संख्या 266 पार्ट, 267, 268, 272 के नियमन में एक मुश्त शहरी जमाबन्दी राशि 195876/-रु० कम वसूल करना :- (परिशिष्ट संख्या-44)

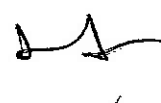
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर उपायुक्त जोन 9 द्वारा विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अप्रस्तुत अभिलेखों में से उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा संस्थानिक एकल पट्टा आवेदक मैसर्स करोल ऐजुकेशन वेलफेयर एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जरिये रामनाथ करोल पुत्र स्व.श्री गंगा बक्श करोल ग्राम जयपुर तहसील सांगानेर आराजी खसरा संख्या 266 पार्ट, 267, 268, 272 की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(बी)(3) के अधीन दिनांक 29.07.09 को निर्णय हुआ। प्राधिकरण द्वारा संस्थानिक एकल पट्टा विलेख संख्या 1022 दिनांक 10.02.2010 क्षेत्रफल 1316.52 वर्गगज का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक - प3(28) नविवि 3/96 दिनांक 13 सितंबर 2000 (कृषि/आवासीय भूमि से गैर-कृषि/गैर आवासीय प्रयोजनार्थ- कुछ श्रेणियों की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में) के बिन्दू संख्या (2) संस्थानिक प्रयोजनार्थ के नियमन हेतु प्रथम 5000 वर्गगज तक आवासीय की नियमन दर की आधी दर लेय है। जिसके अनुसार योजना के नियमन में शहरी जमाबन्दी की राशि निम्नानुसार वसूल करनी चाहिये थी।

क्र. सं.	विवरण राशि	राशि
1.	नियमन राशि लेय 5000x60	300000
2.	नियमन राशि लेय (13161.52 - 5000) 8161.52x60x0.50	244846
	कुल	544846
3.	शहरी जमाबन्दी लेय (एक मुश्त) 13161.52x60x4x2.50%x8	631753
	कुल लेय राशि	1176599
4.	नियमन राशि जो ली गई	544846
5.	शहरी जमाबन्दी	435877
6.	योग राशि ली गई	980723
7.	अन्तर/कुल राशि वसूल की गई	195876

उपरोक्तानुसार संस्थानिक एकल पट्टे के नियमन में एक मुश्त शहरी जमाबन्दी राशि 195876/- रु. कम वसूल की गई। शहरी जमाबन्दी कम वसूली के कारणों से अवगत कराने हेतु जांच दल द्वारा मीमो संख्या 445 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

सम्बन्धित से शहरी जमाबन्दी राशि 195876/- रु. मय ब्याज वसूल किये जाने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है

RK    



219

(62) आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक श्री धासीराम पुत्र बालूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा संख्या 619/13 रकबा 0.92 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 193543/-रु0 (परिशिष्ट संख्या-45)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-08के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक श्री धासीराम पुत्र बालूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा संख्या 619/13 रकबा 0.92 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 2315दिनांक 30.09.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 17.10.2016 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 10.11.2016 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक डी-220 दिनांक 17.11.2017 क्षेत्रफल 8990.29 वर्गमीटर का आवेदक श्री धासीराम पुत्र बालूरामकी मृत्यु होने से उनके वारिस श्री लादूराम शर्मा पुत्र स्व. श्री धासीराम के नाम जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के भीतर 5000 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर 150/-रु प्रतिगज निर्धारित की गई है जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 158 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से 166 रु तथा दिनांक 01.04.2016 से रु 175 रु मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रश्नगत भूमि चूंकि 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 8990.29X1.196X193	2075211
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 8990.29X1.196X193X4X2.5%X8	1660169
	कुल लेय राशि योग	3735380
4	नियमन राशि जो ली गयी 8990.29X1.196 X183	1967687
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गई 8990.29X1.196X183X4X2.5%X8	1574150
	कुल ली गयी राशि	3541837
	अन्तर राशि (3-5)	193543

उपरोक्तानुसार आवासीय एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु 193543/- कम वसूल की गई है। इस संबंध में मीमो संख्या 371 दिनांक 09.01.2019 को जारी किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संस्था द्वारा सम्बन्धित फर्म को बकाया नियमन शुल्क एवं लीज राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु नोटिस संख्या 553 दिनांक 14.02.2019 जारी किया गया।

सम्बन्धित से राशि 193543/- मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk 219

(63) रेस्टोरेन्ट पट्टा आवेदक श्री इस्लाम खान पुत्र श्री छुट्टन खान राजस्व ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाब का नाला तहसील आमेर, जयपुर खसरा संख्या 73 रकबा 0.25 हेक्टेयर के नियमन में 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि 156250/—रु० कम वसूल करना— (परिशिष्ट संख्या-46)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा रेस्टोरेन्ट एकल पट्टा आवेदक श्री इस्लाम खान पुत्र श्री छुट्टन खान राजस्व ग्राम चिमनपुरा उर्फ ढाब का नाला तहसील आमेर, जयपुर खसरा संख्या 73 रकबा 0.25 हेक्टेयर नियमन की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक डी 05 दिनांक 17.05.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। रेस्टोरेन्ट पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 22.09.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 17.02.17 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा रेस्टोरेन्ट पट्टा विलेख क्रमांक 3528 दिनांक 16.05.17 क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर का जारी किया गया। जविप्रा द्वारा मांग पत्र सं० 12081 दिनांक 10.05.17 द्वारा जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग आदेश क्रमांक प.18(1)नविवि/प ई मी/2015 जयपुर, दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार पर्यटन ईकाई हेतु संपरिवर्तित एवं आवंटित भूमि की लीज राशि संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर ली जायेगी। नगरीय विकास विभाग आदेश क्रमांक प.2(9)नविवि/भरतपुर/2016 जयपुर, दिनांक 13.10.2017 के अनुसार होटल व अन्य पर्यटन ईकाई के प्रकरणों में एकल पट्टों की भूमि में से सिटी लेवल फेसिलिटी हेतु समर्पित कराये जाने वाले 5 प्रतिशत क्षेत्रफल की एवज में ली जाने वाली राशि सांस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर ली जावे। जविप्रा के आदेश क्रमांक 1375 दिनांक 17.09.15 के अनुसार संस्थागत आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर से 25% अधिक होगी। प्रकरण में भूमि U-3 Ecological area में होने से आवासीय आरक्षित 5000/— प्रतिवर्ग मीटर है जिसकी संस्थागत आरक्षित दर 5000x1.25=6250/—रु० प्रतिवर्ग मीटर होती है। उक्त आदेश की अवहेलना करके 5% भूमि की समतुल्य राशि निम्नानुसार मात्र आवासीय आरक्षित दर पर ही ली गई है। जिससे निम्नानुसार राशि कम वसूल की गई —

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	5% भूमि के समतुल्य राशि लेय 2500 वर्गमीटर x 5% x 6250	781250
2	5% भूमि के समतुल्य राशि ली गई 2500 वर्गमीटर x 5% x 5000	625000
	कम वसूल	156250

उपरोक्तानुसार 5% भूमि के समतुल्य राशि 146250/—रु० कम वसूल की गई है। इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 385 दिनांक 09.01.2019 जारी किया गया। जिसके सम्बन्ध में संस्था द्वारा अपने पत्रांक 90 दिनांक 23.01.2019 द्वारा अवगत कराया कि नविवि आदेश दिनांक 13.10.2017 उक्त प्रकरण में लागू नहीं होता है। जो अंकेक्षण को मान्य नहीं है क्योंकि नविवि के आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार उक्त प्रकरण पर संस्थानिक आरक्षित दर से नियमन में समतुल्य राशि लेय है।

प्रकरण राशि मय ब्याज वसूली हेतु संस्था प्रधान के ध्यान में लाया जाना है।

220

221

(64) व्यावसायिक एकल पट्टा आवेदक श्री मदन सिंह पुत्र चन्द्रसिंहग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा संख्या 4170/4171/2 रकबा 0.45 हैक्टेयर नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 148390/-रु0

(परिशिष्ट संख्या-47)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान उपायुक्त जोन-14 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक एकल पट्टा आवेदक श्री मदन सिंह पुत्र चन्द्रसिंह ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा संख्या 4170/4171/2 रकबा 0.45 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 254 दिनांक 28.7.15 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 4376 दिनांक 8.9.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय एवं व्यावसायिक एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 27.1.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 21.9.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक एकल पट्टा विलेख क्रमांक 2998, 2999 दिनांक 21.9.16 को आवासीय एकल पट्टा क्षेत्रफल 1483.43 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक पट्टा क्षेत्रफल 1856.87 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा को छोड़कर मास्टर प्लान में वर्णित U-1 क्षेत्र के एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर क्रमशः 120/-, 400/-रु0 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 126/-, 420/- प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 133/-, 441/- एवं 01.04.2016 से 133/-, 441/- मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः उक्त एकल पट्टा के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

(क) पट्टा विलेख संख्या 2998 क्षेत्रफल 1483.43 वर्गमीटर की लेय राशि -

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन 1483.43X1.196X 147 प्र.व.ग.	260805
2	एक मुश्त लीज 1483.43X1.196X 147X4X20%	208644
3	BSUP 1483.43X25	37086
4	भूमि की समतुल्य राशि 1483.43 X5% $\times$ 2800 प्र.व.ग.	207680
5	साईट प्लान 1X100	100
	योग	714315

221

(ख) पट्टा विलेख संख्या 2999 क्षेत्रफल 1856.87 वर्गमीटर व्यावसायिक की लेय राशि

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन 1856.87X1.196X 486.	1079317
2	एक मुश्त लीज 1856.87X1.196X 147X4X40%	522336
3	BSUP 1856-87X25	46422
4	भूमि की समतुल्य राशि 1856.87 X5% $\times$ 2800 $\times$ 2	519924
5	साईट प्लान 1X100	100
	योग	2168099

(ग) बाह्य विकास शुल्क सम्पूर्ण योजना का एक मुश्त जमा कराने से

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	4500 $\times$ 200 $\times$ 80%	720000
	योग (क+ख+ग)	3602414

नियमन राशि (260805+1079317) 1340122/- रू० का 40% राशि 536049/-रू० राज्य सरकार के मद 0029-00-800-07-03 में जमा करानी थी तथा शेष राशि 3066369/-रू० जयपुर विकास प्राधिकरण कोष में जमा करानी थी।

उपायुक्त जोन-14 के पत्रांक 1276 दिनांक 20.8.15 द्वारा मांग पत्र का नोटिस जारी किया। जिसके क्रम में पट्टा आवेदक द्वारा राज्य सरकार के मद 0029-00-800-07-03 मद में राशि 704732/-रू० जमा कराई गई तथा निम्ननुसार राशि जयपुर विकास प्राधिकरण कोष में जमा करायी:-

क्र.सं.	चालान/GNR संख्या/दिनांक	राशि
1	409156/18.6.15	170000
2	427767/28.8.15	3004415
	Total	3174415

इस प्रकार पट्टा आवेदक द्वारा अधिक जमा राशि (3174415-3066369) 108046/-रू० ही लौटाये जाने योग्य थी। जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक-जविप्रा/जोन14/2017/डी-2453 दिनांक 27.04.2017 द्वारा राशि 256436/-रू० भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी किये गये। तथा दिनांक 08.06.2017 को राशि 256436/-रू० पट्टा आवेदक को लौटाये गये।

इस प्रकार श्री मदन सिंह पुत्र श्री चन्द्रसिंह को राशि (256436-108046) 148390/-रू० अधिक लौटाये गये।

इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 415 दिनांक 26.02.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री मदन सिंह पुत्र श्री चन्द्रसिंह से राशि 148390/-रू० मथ ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

222

(65) आवासीय योजना नियमन आवेदक श्री गोविन्दराज कन्ट्रक्शन प्रा.लि. जरिये निदेशक शिव प्रताप हरपाणा, कुल किता 26 रकबा 7.95 हैक्टेयर ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 147441/-रु :-

(परिशिष्ट संख्या-48)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-14के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना नियमन आवेदक श्री गोविन्दराज कन्ट्रक्शन प्रा.लि. जरिये निदेशक शिव प्रताप हरपाणा, कुल किता 26 रकबा 7.95 हैक्टेयर ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 214 दिनांक 10.02.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय योजना अन्तर्गत एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 27.10.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 07.07.2017 को हुआ है। मांग पत्र 09.08.2017 को जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय योजना हेतु नगर निगम सीमा के बाहर यू-2 क्षेत्र के लिए 200 वर्गगज तक, 200 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल हेतु प्रीमियम दर क्रमशः 60/-, 90/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गई। जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी। तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रूपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 63/-, 95/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 67/-, 100/- तथा 01.04.2016 से 71/-, 105/- रु तथा दिनांक 01.04.2017 से 75/-, 111/- रु प्रति वर्गगज मानी जायेगी।

उक्त अधिसूचना की तालिका 1 के अनुसार नगर सीमा के बाहर (यू-2 क्षेत्र) वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु 200 वर्गगज तक, एवं 200 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल की प्रीमियम दरें दिनांक 31.03.2014 तक 400/-रु अधिक 01.04.2014 से 420/- दिनांक 01.04.2015 से 441/-रु दिनांक 01.04.2016 से 464/-रु, दिनांक 01.04.2017 से 488/-रु प्रतिवर्गगज मानी जायेगी।

भूखण्ड यदि किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर या 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है तो कोई भी स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके गणना की जायेगी।

उपरोक्तानुसार योजना के नियमन में नियमन एवं लीज राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी। नियमन (90 ए) :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	200 वर्गगज तक के भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है। 30272.04X75	2270403
2	200 वर्गगज तक के भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट या इससे अधिक या कॉर्नर पर स्थित है। 1923.25X83	159630
3	200 वर्गगज से अधिक भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है। 4605.46X111	511206
4	200 वर्गगज से अधिक भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़क या कॉर्नर पर स्थित है। 5553.80X123	683117
5	इन्फॉर्मल कॉमर्शियल 775X488	378200
	कुल नियमन लेय राशि	4002556
	कुल नियमन राशि वसूल की गई (-)	3921678
	कम वसूल (अन्तर)	80878

शहरी जमाबन्दी (लीज) लेय राशि :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	200 वर्गगज तक के भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थिति है। $30272.04 \times 75 \times 4 \times 2.5\% \times 8$	1816322
2	200 वर्गगज तक के भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट या इससे अधिक या कॉर्नर पर स्थित है। $1923.25 \times 83 \times 4 \times 2.5\% \times 8$	127704
3	200 वर्गगज से अधिक भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित है। $4605.46 \times 111 \times 4 \times 2.5\% \times 8$	408965
4	200 वर्गगज से अधिक भूखण्डों का क्षेत्रफल जो 60 फीट से अधिक चौड़ी सड़क या कॉर्नर पर स्थित है। $5553.80 \times 123 \times 4 \times 2.5\% \times 8$	546494
5	इन्फॉर्मल कॉमर्शियल $775 \times 75 \times 4 \times 2.5\% \times 8 \times 2$	93000
	कुल नियमन लेय राशि	2992485
	कुल नियमन राशि वसूल की गई (-)	2925922
	कम वसूल (अन्तर)	66563

उपरोक्तानुसार आवासीय योजना के नियमन में नियमन शुल्क राशि 80878/- रु शहरी जमाबन्दी (लीज) 66563/- रु कुल 147441/- रु कम वसूल किये गये हैं। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु भीमो संख्या 417 दिनांक 26.02.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से नियमन शुल्क एवं शहरी जमाबन्दी राशि 147441/- रु0 मय ब्याज वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

8 Hc

→

224

By P.S. 10

224

(66) एकल पट्टा आवेदक श्री हरि प्रसाद तापडिया पुत्र श्री शोभाचन्द तापडिया से आवासीय योजना पार्थनगर भूखण्ड संख्या सी 608 की शहरी जमाबन्दी राशि 129882/- रु वसूली का अभाव :-
(परिशिष्ट संख्या-49)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-14 के द्वारा वर्ष 2010-13 के अंकेक्षण के दौरान अप्रस्तुत अभिलेखों में से उक्त भूखण्ड की पत्रावली प्रस्तुत करने से पत्रावली की समीक्षा में निम्न स्थिति पाई गई।

श्री हरि प्रसाद तापडिया द्वारा उक्त भूखण्ड के आवंटन पर संस्था द्वारा आवंटन मांग पत्र संख्या 11015 दिनांक 13.11.2006 राशि रु 766065/- का जरी किया गया। श्री हरिप्रसाद तापडिया द्वारा मांग राशि निर्धारित समय पर जमा कराने से, संस्था द्वारा कब्जा पत्र क्रमांक 5810 दिनांक 12.08.2008 जारी किया गया। संस्था द्वारा पट्टा संख्या 2001 दिनांक 24.09.2010 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर जारी किया गया।

कब्जा पत्र अनुसार इसकी वार्षिक शहरी जमाबन्दी 67.50 प्रति वर्गमीटर है, जो प्रथम 5 वर्षों में 33.75 प्रति वर्गमीटर है। शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करानी है।

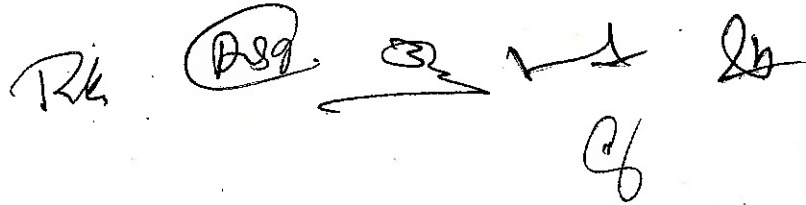
श्री हरि प्रसाद तापडिया द्वारा शहरी जमाबन्दी मांग पेटे निम्नानुसार राशि जमा करायी गई।

क्र.सं.	पट्टा संख्या	शहरी जमाबन्दी की मांग	राशि	
1	2001 दिनांक 24.09.2010	दिनांक 12.08.2008 से 11.08.2013 तक प्रथम 5 वर्ष	252X33.75X5	42525
2		दिनांक 12.08.2013 से 31.03.2014 तक	252X67.50X232/ 365	10812
3		दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 तक 5 वर्ष	252X67.50X5	85050
			कुल योग	138387

श्री हरि प्रसाद तापडिया द्वारा शहरी जमाबन्दी पेटे राशि 8505/- रु ही जमा कराये गये। संस्था द्वारा श्री तापडिया से राशि वसूली हेतु पत्रांक 6367 दिनांक 30.11.2016 जारी किया गया। इस प्रकार श्री हरि प्रसाद तापडिया से शहरी जमाबन्दी की पेटे राशि (138387-8505) 129882/- रु मय ब्याज के वसूल किये जाने बकाया है।

इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 419 दिनांक 26.02.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री हरि प्रसाद तापडिया से शहरी जमाबन्दी राशि 129882/- रु मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।



223

(67) श्री पूरण मल बैरवा पुत्र श्री भंवर लाल बैरवा पिक एनक्लेव योजना महेश नगर में आवासीय योजना भू-खण्ड संख्या 8 की शहरी जमाबन्दी राशि 126960/- रु. वसूली का अभाव :- (परिशिष्ट संख्या-50)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-5 द्वारा पिक एनक्लेव योजना महेश नगर में आवासीय योजना उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री पूरण मल बैरवा को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री पूरण मल बैरवा को पिक एनक्लेव योजना महेश नगर की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 8 क्षेत्रफल 200.61 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक 3229 दिनांक 23.12.10 जारी किया गया। श्री पूरण मल बैरवा पुत्र श्री भंवर लाल बैरवा द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 352 दिनांक 07.02.11 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 125 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 62.50/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी इस पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रीम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	बकाया शहरी जमाबन्दी राशि
1	07.02.11 से 06.02.12	12538 (अग्रिम जमा)	-
2	07.02.12 से 31.03.12	200.61x62.5x23/365	790
3	01.04.12 से 31.03.15	12538x3	37614
4	01.04.15 से 06.02.16	12538x342/365	11748
5	07.02.16 से 31.03.16	200.61x125x23/365	1580
6	01.04.16 से 31.03.19	25076x3	75228
7	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी		126960

उपरोक्तानुसार श्री पूरण मल बैरवा पुत्र श्री भंवर लाल बैरवा से शहरी जमाबन्दी की राशि 126960/- रु. कम वसूल किये गये हैं। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु दल द्वारा मीमो संख्या 435 दिनांक 08.03.19 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर जविप्रा, के पत्रांक 629 दिनांक 13.03.2019 के द्वारा प्राप्त हुआ जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्ति को मांग पत्र जारी कर दिया गया है।

श्री पूरण मल बैरवा पुत्र श्री भंवर लाल बैरवा से शहरी जमाबन्दी की राशि 126960/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.    

228

(68) श्री हितेश कुमार सुराना पुत्र श्री एस.एम. सुराना द्वारा राजभवन योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या A-1(C) की शहरी जमाबन्दी राशि 120228/- रु. वसूली का अभाव:- (परिशिष्ट संख्या -51)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-13 द्वारा राजभवन आवासीय योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री हितेश कुमार सुराना पुत्र श्री एस.एम. सुराना को आवंटित किया गया।

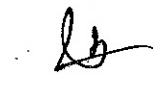
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री हितेश कुमार सुराना पुत्र श्री एस.एम. सुराना राजभवन योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या A-1(C) क्षेत्रफल 395.50 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक डी-84 दिनांक 20.01.10 को जारी किया गया। श्री हितेश कुमार सुराना द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक डी-349 दिनांक 03.03.10 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 50 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 25/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	03.03.10 से 02.03.11	$395.50 \times 25 = 9888$ (अग्रिम जमा)
2	03.03.11 से 31.03.11	$395.50 \times 25 \times 29 / 365 = 786$
3	01.04.11 से 31.03.14	$395.50 \times 25 \times 3 = 29664$
4	01.04.14 से 02.03.15	$395.50 \times 25 \times 336 / 365 = 9102$
5	03.03.15 से 31.03.15	$395.50 \times 50 \times 29 / 365 = 1572$
6	01.04.15 से 31.03.19	$395.50 \times 50 \times 4 = 79104$
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	120228

श्री हितेश कुमार सुराना पुत्र श्री एस.एम. सुराना से शहरी जमाबन्दी की राशि 120228/- रु. वसूल नहीं किये गये। वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए अंकेक्षण दल द्वारा मीमो संख्या 461 दिनांक 12.03.2019 जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

श्री हितेश कुमार सुराना पुत्र श्री एस.एम. सुराना से शहरी जमाबन्दी की राशि 120228/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.    


(69) मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा आवेदक मैसर्स उन्नति गृह निर्माण कम्पनी जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार मोदी ग्राम माचडा के खसरा नं. 550/1, 550/3 के कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर के नियमन में लीज राशि की वसूली योग्य राशि 106817/—रु (परिशिष्ट संख्या-52)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-6 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा आवेदक मैसर्स उन्नति गृह निर्माण कम्पनी जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र कुमार मोदी ग्राम माचडा के खसरा नं. 550/1, 550/3 के कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर के नियमन की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 4646 दिनांक 10.10.2012 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 07.07.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन 17.07.2017 को हुआ। प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3ए के तहत एकल पट्टा विलेख क्रमांक 11529 दिनांक 27.09.2017 क्षेत्रफल 8938.86 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के भीतर ग्रुप हाउसिंग/फ्लैट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु 150 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गई है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से 158/—रु प्रति वर्गगज, दिनांक 01.04.2015 से 166/—रु, दिनांक 01.04.2016 से 175/—रु तथा दिनांक 01.04.2017 से 184/—रु मानी जायेगी।

योजना के लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये	शत प्रतिशत छूट
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये (8938-86X1-196X184X4X2.5%X8)	15,73,697
3	कुल लेय राशि	15,73,697
4	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये	शत प्रतिशत छूट
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गई	14,66,880
	कुल ली गई राशि	14,66,880
	अन्तर राशि(3-6)	1,06,817

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3ए के नियमन में लीज राशि 1,06,817/—रु कम लिया गया है। इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 413 दिनांक 26.02.2019 को जारी किया गया। जिसका प्रतिउत्तर अपेक्षित रहा।

संबंधित से लीज राशि 1,06,817/—रु नियमानुसार मय ब्याज वसूल एवं संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

228
Rk 228 228 228 228

(70) औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदक श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री जानकी वल्लभ अग्रवाल, ग्राम घटवाडा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 108, 111, 112 क्षेत्रफल 0.8121 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 101240/- रु (परिशिष्ट संख्या-53)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदक श्री सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री जानकी वल्लभ अग्रवाल, ग्राम घटवाडा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 108, 111, 112 क्षेत्रफल 0.8121 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 166 दिनांक 23.12.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 15.09.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 23.11.2017 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा विलेख क्रमांक 4057 दिनांक 02.02.2018 क्षेत्रफल 6765.08 वर्गमीटर (8091.04) का जारी किया गया। जिला उद्योग केन्द्र जयपुर ग्रामीण द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.06.2016 एवं 18.05.2016 के अनुसार नियमन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देय है।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 (6) के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ नगर निगम सीमा के बाहर यू-3 क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ 5000 वर्गगज तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान एवं इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत दर लेय है। एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 60/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु0 63/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 67/- तथा 01.04.2016 से 71/- रु0 तथा दिनांक 01.04.2017 से 75/-रु प्रति वर्गगज मानी जायेगी। योजना के नियमन एवं लीज राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी।

योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

1. नियमन राशि लेय

क्र.सं.		नियमन	लेय राशि
1	अ	5000 वर्गगज तक 5000X75	375000
	ब	(8091-5000) 3091.04X75X50 प्रतिशत	115914
		योग	490914
		(-) जिला उद्योग केन्द्र जयपुर ग्रामीण के पत्रांक अनुसार 50 प्रतिशत छूट	245457
		नियमन लेय राशि	245457
2		लीज (लेय) राशि 6765-08X1-196X75X4X2-5%X8	485462
3		कुल लेय राशि	730919
4	अ	नियमन राशि जो ली गई 5000X74	370000
	ब	(8091-5000) 3091.04X74X50 प्रतिशत	114369
		योग	484369
		जिला उद्योग केन्द्र पत्रांक अनुसार 50 प्रतिशत छूट	242185
		नियमन राशि ली गई	242184
5		लीज 6765.08X1.196X75X4X20 प्रतिशत (गणना भूल)	387495
6		योग (राशि जो ली गई)	629679
		अन्तर (3-6)	101240

Rk. (Psb) [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

उपरोक्तानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि 101240/- रू0 कम वसूल किये गए। वस्तुस्थिति से अवगत कराने हेतु मीमो संख्या 387 दिनांक 09.01.2019 जारी किया गया। जिसके सम्बन्ध में संस्था द्वारा अपने पत्रांक 87 दिनांक 23.01.2019 द्वारा अवगत कराया कि सम्बन्धित को राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।

संबन्धित से नियमन शुल्क एवं लीज राशि 101240/- रू0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk.    


(71) श्री अजय कोचर पुत्र श्री के.एल. कोचर से आवासीय फ्लैट संख्या IAG-4 योजना विधाधर नगर निलियम फ्लैट सैक्टर-2 की शहरी जमाबंदी राशि 93215/- एवं हस्तान्तरण राशि 1000/- कुल 94215/-रु. की वसूली का अभाव:-

230

जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-2 के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अप्रस्तुत रिकॉर्ड की समीक्षा दौरान पाया गया कि. आवासीय फ्लैट संख्या IAG-4 योजना विधाधर नगर निलियम फ्लैट सैक्टर-2 की नीलामी दिनांक 04.10.10 को उच्चतर बोलीदाता श्री अजय कोचर पुत्र श्री के.एल. कोचर को फ्लैट का क्षेत्रफल 1448.00 वर्ग फीट को उच्चतर दर 2700/- प्रति वर्ग फीट पर स्वीकृत किया गया उक्त फ्लैट की नीलामी की पुष्टि मांग पत्र क्रमांक 2023 दिनांक 7.10.10 द्वारा जारी किया गया जिसकी कुल लेय राशि 3916520/-रु. है :-

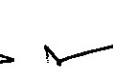
क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नजराना राशि (1448.00 व.फी., दर रु. 2700/- से)	3909600
2	शहरी जमाबंदी (एक वर्ष के लिए अग्रिम) रु. 4.71/- प्र.व.फी. की दर से	6820
3	स्थल मानचित्र शुल्क	100
4	योग रुपये	3916520
5	घटाइये पूर्व में जमा राशि चालान नं. 108426/6.10.10 195480 चालान नं. 108256/6.10.10 390960	586440
6	शेष जमा कराने योग्य राशि (4-5)	3330080

उक्त शेष राशि विभिन्न चालानों से जमा कराये गये --

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	चालान नं. 113524/ 3.11.10	1190080
2	चालान नं. 113530/ 3.11.10	640000
3	चालान नं. 113526/ 3.11.10	1500000
		3330080

उक्त फ्लैट के कब्जा पत्र क्रमांक 2962 दिनांक 18.10.10 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार वार्षिक शहरी जमाबंदी 9.42/-रु. प्रति वर्गफीट है जो प्रथम पांच वर्षों में 4.71/-रु. प्रति वर्गफीट है इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्ष में परिवर्तनीय है। पट्टा विलेख क्रमांक 3518 दिनांक 15.12.10 के बिन्दु संख्या-3 एवं Raj Improvement trust (Disposal of urban land) Rules 1974 के नियम -7(2) के अनुसार शहरी जमाबंदी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी 15 वर्ष की अवधि कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी। तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र क्रमांक 2962 दिनांक 18.11.10 द्वारा दिया गया। पट्टा विलेख क्रमांक 3518 दिनांक 15.12.10 द्वारा जारी किया गया है।

उक्त फ्लैट को श्री अजय कोचर द्वारा दिनांक 28.11.14 को श्री मति तुलसी खेमावाला पत्नी श्री सुरेश कुमार अग्रवाल को विक्रय कर दिया गया।

Rk.     
231

उक्त प्लैट की लीज एवं हस्तान्तरण शुल्क राशि का विवरण निम्न प्रकार है -

231

क्र.सं	अवधि	लेय राशि	जमा राशि	बकाया लीज राशि
1	18.10.10 से 17.11.11 (1448x4.71)	6820	6820	-
2	18.11.11 से 17.11.12 (1448x4.71)	6820	-	6820
3	18.11.12 से 17.11.13 (1448x4.71)	6820	-	6820
4	18.11.13 से 17.11.13 (1448x4.71)	6820	-	6820
5	18.11.13 से 17.11.14 (1448x4.71)	6820	-	6820
6	18.11.14 से 27.11.14 (6820x10/365)	187	-	187
7	28.11.14 से 17.11.15 (1448x4.71x1.25x355/365)	8292	-	8292
8	18.11.15 से 31.03.16 (1448x4.71x2x1.25x135/365)	6306	-	6306
9	01.04.16 से 31.03.17 (1448x4.71x2x1.25)	17050	-	17050
10	01.04.17 से 31.03.18 (1448x4.71x2x1.25)	17050	-	17050
11	01.04.18 से 31.03.19 (1448x4.71x2x1.25)	17050	-	17050
12	हस्तान्तरण शुल्क (विक्रय पर)	1000	-	1000
	योग	101035	6820	94215

अतः उपरोक्तानुसार व्यावसायिक भूखण्ड के प्रति शहरी जमाबंदी 93215/- एवं हस्तान्तरण शुल्क 1000/- कुल राशि 94215/- रु. वसूल नहीं किये गये हैं।

संबंधित से राशि 94215/- रु. नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk

23

26

932

(72) आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्री घासीराम पुत्र बालूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा संख्या 64, 65 रकबा 0.46 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 93558/-रु0

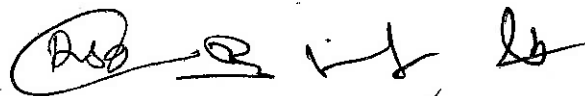
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-08के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्री घासीराम पुत्र बालूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा संख्या 64, 65 रकबा 0.46 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 2316 दिनांक 30.09.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 17.10.2016 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 09.11.2016 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा विलेख क्रमांक डी-219 दिनांक 17.11.2016 क्षेत्रफल 4345.89 वर्गमीटर का श्री घासीराम पुत्र बालूराम की मृत्यु होने से उनके वारिस श्री लादूराम पुत्र स्व. श्री घासीराम के जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के भीतर 5000 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर 150/-रु प्रतिगज निर्धारित की गई है जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 158 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से 166 रु तथा दिनांक 01.04.2016 से रु 175 रु मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रश्नगत भूमि चूंकि 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 4345.89X1.196X193	1003153
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 4345.89X1.196X193X4X2.5%X8	802522
3	कुल लेय राशि	1805675
4	नियमन राशि जो ली गयी 4345.89X1.196 X183	951176
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गई 4345.89X1.196X183X4X2.5%X8	760941
6	कुल ली गयी राशि	1712117
7	अन्तर राशि (3-6)	93558

उपरोक्तानुसार आवासीय एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु 93558/- कम लिया गया है।

संबंधित से नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु 93558/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk. 
233

(73) रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदक मेक्सन इण्डिया हॉस्पिटलिटी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर राजन झिरिवाल पुत्र श्री कमल झिरिवाल ग्राम अचरोल, जयपुर के खसरा नम्बर 53/6831, 54, 56/6832, 58, 63, 75, 76, 77, 78,79,81/6838,70,71,73/1 क्षेत्रफल 4.945 हैक्टेयर के नियमन में लीज राशिकी वसूली योग्य राशि 80437/- रु

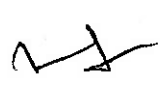
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदक मेक्सन इण्डिया हॉस्पिटलिटी प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर राजन झिरिवाल पुत्र श्री कमल झिरिवाल ग्राम अचरोल, जयपुर के खसरा नम्बर 53/6831, 54, 56/6832, 58, 63, 75, 76, 77, 78,79,81/6838,70,71,73/1 क्षेत्रफल 4.945 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 164 दिनांक 02.12.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 26.12.2016 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 03.01.2017 को हुआ है। मांग पत्र क्रमांक 669 दिनांक 27.07.2017 को जारी किया गया। प्राधिकरण द्वारा आवासीय रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3853 दिनांक 06.09.2017 क्षेत्रफल 42034.01 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ नगर निगम सीमा तथा यू-1 क्षेत्र को छोड़कर जयपुर शीजन में रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 60/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रूपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु0 63/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 67/- तथा 01.04.2016 से 71/- रु0 तथा दिनांक 01.04.2017 से 75/-रु प्रतिवर्गगज मानी जायेगी।

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये (रिसोर्ट पर छूट)	
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी है चाहिये $42034.01 \times 1.196 \times 75 \times 4 \times 2.5\% \times 8$	30,16,361
3	कुल लेय राशि योग	30,16,361
4	नियमन राशि जो ली गयी (रिसोर्ट पर छूट)	
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी $42034.01 \times 1.196 \times 73 \times 4 \times 2.5\% \times 8$	2935924
6	कुल ली गयी राशि	2935924
7	अन्तर राशि (3-6)	80437

उपरोक्तानुसार रिसोर्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि 80437/- रु0 कम लिया गया है।

संबंधित से लीज राशि 80437/- रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk.   


(74) व्यवसायिक एकल पट्टा आवेदक निर्मल कुमार अग्रवाल के नियमन, लीज राशि की वसूली योग्य राशि 75,335/- रु :-

234

जयपुर विकास प्राधिकरण के आलौच वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-4 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवेदक श्री रामकेश मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा के राजस्व ग्राम सुरजपुरा घाटी, तहसील सांगानेर के खसरा नं० 148/2 रकबा 3300 वर्गमीटर में से 3276.75 वर्गमीटर का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के अधीन कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन (व्यावसायिक) हेतु आदेश पत्रांक डी 2567 निर्णय दिनांक 09.09.2016 अनुज्ञा प्रदान की गई। व्यावसायिक एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 23.09.2016 को हुई तथा अनुमोदन दिनांक 28.09.2016 को हुआ है। उक्त भूमि का विक्रय श्री निर्मल कुमार अग्रवाल को कर दिया गया। प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक एकल पट्टा विलेख क्रमांक 287 दिनांक 30.09.2016 को क्षेत्रफल 3276.75 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविचि/03/2012 जयपुर दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के भीतर व्यावसायिक के लिए 200 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु 800 प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई है जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रूपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचालित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से 840/- रु प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से 882 प्रति वर्गगज तथा दिनांक 01.04.2016 से 927 प्रति वर्गगज मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थिति कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों हो तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः निम्नानुसार राशि ली जानी चाहिये थी :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 3276.75X1.196X1020	39,97,373
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 3276.75X1.196X257X5%4X8	16,11,490
3	योग	56,08,863
4	नियमन राशि जो ली गई 3930.62X1019 प्र.व.ग.	40,05,302
5	एक मुश्त लीज	15,28,226
6	योग	55,33,528
7	अन्तर राशि (3-6)	75,335

उपरोक्तानुसार व्यावसायिक एकल पट्टा नियमन शुल्क, लीज राशि में राशि रु 75,335/-रु कम लिया गया है।

संबंधित से राशि 75,335/-रु नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने हेतु नियंत्रण अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

235

(75) मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोडेबल हाउसिंग, प्लेट्स (एकल पट्टा)/विलेख आवेदक भैवरलाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, तीर्थ नारायण छीपा पुत्र श्री बालूराम एवं प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री छगनलाल ग्राम बिलवा खसरा नम्बर 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1, 78/2111 रकबा 2.21 हैक्टेयर के नियमन में लीज राशि की वसूली योग्य राशि 70617/-रु0

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान उपायुक्त जोन- 14 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोडेबल हाउसिंग (एकल पट्टा)/विलेख आवेदक भैवरलाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा, तीर्थ नारायण छीपा पुत्र श्री बालूराम एवं प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री छगनलाल ग्राम बिलवा खसरा नम्बर 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1, 78/2111 रकबा 2.21 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 224दिनांक 9.6.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोडेबल हाउसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 14.6.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 17.6.16 को हुआ है एवं जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी योजना श्रृषभ देव रेजीडेन्सी क्षेत्रफल 19400 वर्ग मीटर ग्राम बिलवा कला तहसील सांगानेर को पुनर्गठित कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा विलेख क्रमांक 462 दिनांक 25.5.17 क्षेत्रफल 11768.20 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा को छोड़कर U-1 क्षेत्र में ग्रुप हाउसिंग/फ्लेट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु 80 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 84 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 89/- एवं 01.04.2016 से रु 94/- मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है।

योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 36948.48X1.196X104x4x2.5%X8	3676640
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 44191.46x102x4x20%	3606023
	अन्तर राशि (1-2)	70617

उपरोक्तानुसार आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि रुपये 70617/- कम वसूल किया गया है।

संबंधित से लीज राशि 70617/- रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(76) एकल पट्टा आवेदक श्रीमती बीना सौखिया पत्नी श्री गोरधन सौखिया से आवासीय भूखण्ड संख्या ए-108 (कॉर्नर), पार्थनगर की शहरी जमाबन्दी राशि 69186/- रु वसूली का अभाव :-

6
3
N

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर उपायुक्त जोन-14 के द्वारा वर्ष 2010-13 के अंकेक्षण के दौरान अप्रस्तुत अभिलेखों में से अप्रस्तुत अभिलेखों में से उक्त भूखण्ड की पत्रावली प्रस्तुत करने से पत्रावली की समीक्षा में निम्न स्थिति पाई गई।

श्रीमती बीना सौखिया द्वारा उक्त भूखण्ड की नीलामी की पुष्टि मांग पत्र की राशि 901099/- रु निर्धारित समय सीमा में जमा कराये गये। नीलामी की पुष्टि मांग पत्र के नोट संख्या 2 के अनुसार शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से देय होगी। संस्था द्वारा कब्जा पत्र संख्या डी 1479 दिनांक 14.08.2008 को जारी किया गया। जिसके अनुसार उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 140.70 वर्गमीटर है। इसकी वार्षिक शहरी जमाबन्दी 67.50 प्रति वर्गमीटर है जो प्रथम पांच वर्षों में 33.75 प्रति वर्गमीटर है। जो प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च, से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करानी है।

श्रीमती बीना सौखिया द्वारा निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी मांग पेटे राशि जमा करायी गई।

क्र.सं.	पट्टा संख्या	शहरी जमाबन्दी की मांग	राशि	
1	2057 दिनांक 20.10.2010	दिनांक 14.08.2008 से 13.08.2013 तक प्रथम 5 वर्ष	140.70X33.75X5	23743
2		दिनांक 14.08.2013 से 31.03.2014 तक	140.70X67.5075X230/365	5985
3		दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 तक 5 वर्ष	140.70X67.5075X5	47492
			कुल योग	77220

श्रीमती बीना सौखिया द्वारा शहरी जमाबन्दी पेटे 4749+3285 कुल 8034/- रु ही जमा कराये गये। श्रीमती सौखिया से शहरी जमाबन्दी की बकाया राशि (77220-8034) 69186/- रु मय ब्याज के वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

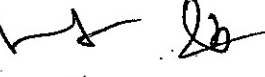
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

(77) औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदक श्री सम्पत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह ग्राम धानक्या तहसील जयपुर के खसरा नं० 425/2 कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा (4675.25 वर्गमीटर) के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 59969/-रु

234

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-12 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा आवेदक श्री सम्पत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह ग्राम धानक्या तहसील जयपुर के खसरा नं० 425/2 कुल किता 1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा (4675.25 वर्गमीटर) की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 284 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 31.03.2016 को हुई। प्राधिकरण द्वारा आद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा विलेख क्रमांक 1260 दिनांक 13.10.2016 क्षेत्रफल 4675.25 वर्गमीटर (5591.60 वर्गगज) का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 की बिन्दु संख्या 6 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन हेतु 5000 वर्गगज तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान एवं इसके अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय दर की 50 प्रतिशत प्रीमियम लेय है। नगर निगम सीमा के बाहर यू-1 क्षेत्र हेतु प्रीमियम दर 60 प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से 63/- रु प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से 67/-रु तथा 01.04.2016 से 71/-रु मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। जिला उद्योग केन्द्र जयपुर ग्रामीण के पत्रांक एफ-17(76) DLSC/RIPS-2014/ Tax/2016 के द्वारा नियमन में 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

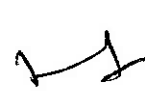
Rt.   

औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टे के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 5000X79X50% = 197500 591.60X79X50%X50% = 11684	2,09,184
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 4675.25X1.196X79X4X2.5X8	3,53,389
3	कुल लेय राशि	5,62,573
4	नियमन राशि जो ली गई 5000X71X50% = 177500 591.60X71X50%X50% = 10501	188001
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गई 5591.60X56.80	3,17,603
6	कुल ली गई राशि	5,05,604
7	अन्तर राशि	56969

उपरोक्तानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि 56969/-रु कम लिया गया है।

संबंधित नियमन शुल्क एवं लीज राशि 56969/-रु नियमानुसार मय ब्याज वसूल एवं संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

RK    
06

(78) एकल पट्टा आवेदक श्री मनीष बियानी पुत्र श्री प्रहलाद बियानी से आवासीय योजना पार्थनगर भूखण्ड संख्या सी 750 की शहरी जमाबन्दी राशि 54244/- रु वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-14 के द्वारा वर्ष 2010-13 के अंकेक्षण के दौरान अप्रस्तुत अभिलेखों में से उक्त भूखण्ड की पत्रावली प्रस्तुत करने से पत्रावली की समीक्षा में निम्न स्थिति पाई गई।

श्री मनीष बियानी पुत्र श्री प्रहलाद बियानी द्वारा उक्त भूखण्ड के आवंटन पर संस्था द्वारा आवंटन मय मांग पत्र संख्या 11147 दिनांक 14.11.2006 राशि 313150/- रु जारी किया गया। श्री मनीष बियानी द्वारा मांग राशि निर्धारित समय पर जमा कराने से संस्था द्वारा कब्जा पत्र क्रमांक 7535 दिनांक 26.12.2008 को जारी किया गया एवं पट्टा संख्या 2079 दिनांक 26.10.2010 को जारी किया गया। कब्जा पत्र अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 120 वर्गमीटर है। इसकी वार्षिक शहरी जमाबन्दी 67.50 रु प्रति वर्गमीटर है जो प्रथम-पाँच वर्षों में 33.75 रु प्रतिवर्गमीटर है। शहरी जमाबन्दी प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करानी है।

श्री मनीष बियानी द्वारा शहरी जमाबन्दी राशि जमा करायी गई।

क्र.सं.	पट्टा संख्या	शहरी जमाबन्दी की मांग	राशि	
1	2079 दिनांक 26.10.2010	दिनांक 26.10.2008 से 25.10.2013 तक प्रथम 5 वर्ष	120X33.75X5	20250
2		दिनांक 26.10.2013 से 31.03.2014 तक	120X67.50X157/365	3484
3		दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 तक	120X67.5075X5	4050
4	कुल योग			64234

श्री मनीष बियानी द्वारा शहरी जमाबन्दी पेटे राशि 4050+5940 कुल 9990/- रु ही जमा कराये गये। इस प्रकार श्री मनीष बियानी से शहरी जमाबन्दी की पेटे राशि (64234-9990) 54244/- रु मय ब्याज के वसूल किये जाने बकाया है।

श्री मनीष बियानी से शहरी जमाबन्दी राशि 54244/- रु मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk, [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

(79) श्री धीरज अग्रवाल पुत्र श्री श्याम गोपाल अग्रवाल से रामनगरिया आवासीय योजना में भू-खण्ड संख्या A-89 की शहरी जमाबन्दी राशि 52892/- रु. वसूली का अभाव:-

रामनगरिया आवासीय योजना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्डों के पंजीकरण हेतु श्री धीरज अग्रवाल पुत्र श्री श्याम गोपाल अग्रवाल द्वारा आवेदन पत्र संख्या 15937 द्वारा आवेदन किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 708 दिनांक 21.06.2000 द्वारा श्री धीरज अग्रवाल के नाम रामनगरिया आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या A-89 क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर का आवेदन पत्र जारी किया। श्री धीरज अग्रवाल द्वारा आवेदन पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 3196 दिनांक 22.09.2000 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 17.50 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम तीन वर्ष या भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि (जो भी पहले) के लिये रु. 8.75 प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी इस पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रीम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि श्री धीरज अग्रवाल से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 52892/- रु. वसूल नहीं किये गये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी।

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय	वसूल की गई	बकाया
1	22.09.2000 से 21.09.2001	162x8.75=1418		-
2	22.09.2001 से 21.09.2002	-		1418
3	22.09.2002 से 21.09.2003	-		1418
4	22.09.2003 से 31.03.2004	$162 \times 17.50 \times \frac{192}{365}$		1491
5	01.04.2014 से 31.03.2014	162x17.50x11		31185
6	01.04.2014 से 21.09.2014	$162 \times \frac{174}{365} \times 17.50$		1351
7	22.09.2014 से 31.03.2015	$162 \times \frac{191}{365} \times 17.50 \times 1.25$		1854
8	01.04.2015 से 31.03.2019	162x4x17.50x1.25		14175
				52892

श्री धीरज अग्रवाल से शहरी जमाबन्दी की राशि 52892/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान में लाया गया है।

(80) मुख्यमंत्री जनआवास योजना (प्रोविजन 3 ए) एकल पट्टा आवेदक ए.के.जी हाउसिंग प्रा. लि. जरिये निदेशक अनुज कुच्छल पुत्र श्री अनिल कुच्छल, खसरा संख्या 312, 313, 324, 368, 369 रकबा 1.01 हेक्टेयर के नियमन में BSUP सैल्टर फन्ड की राशि 51313 रुपये वसूली का अभाव।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आलोच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-9 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री जनआवास योजना (प्रोविजन 3 ए) एकल पट्टा आवेदक ए.के.जी हाउसिंग प्रा. लि. जरिये निदेशक अनुज कुच्छल पुत्र श्री अनिल कुच्छल, खसरा संख्या 312, 313, 324, 368, 369 रकबा 1.01 हेक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि से गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 1646 दिनांक 21.03.2017 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जनआवास योजना (प्रोविजन 3 ए) एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 05.04.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 07.04.2017 को हुआ। प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना (प्रोविजन 3 ए) अन्तर्गत एकल पट्टा विलेख क्रमांक 998 दिनांक 22.08.2017 क्षेत्रफल 8210.09 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-18(36) यू.डी.एच./NAHP/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.04.2017 प्रोविजन 3 ए के अन्तर्गत Land distribution for EWS/LIG category को minimum 75% of total Land area, remaining area may be used for residential development of other category.

उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 11 P(अ) - BSUP shelter fund shall not be levied on EWS/LIG component of the Scheme. अर्थात् 25% अन्य श्रेणी की भूमि पर BSUP शुल्क (8210.09x25%x25) 51313/- रुपये लेय है जबकि आवेदक से BSUP सैल्टर शुल्क वसूल नहीं किया गया है।

सम्बन्धित से BSUP सैल्टर शुल्क की राशि 51313/- रुपये वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk    


(81) श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मालीराम शर्मा पिक एनक्लेव योजना महेश नगर में आवासीय योजना भू-खण्ड संख्या 13 की शहरी जमाबन्दी राशि 35852 /- रु. वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-5 द्वारा पिक एनक्लेव योजना महेश नगर में आवासीय योजना उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री प्रकाश शर्मा को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री प्रकाश शर्मा को पिक एनक्लेव योजना महेश नगर की आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 13 क्षेत्रफल 55.74 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक 14 दिनांक 04.01.11 जारी किया गया। श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मालीराम शर्मा द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 366 दिनांक 08.02.11 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 125 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 62.50/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी इस पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

क्र. सं	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	08.02.11 से 07.02.12	3484 (अग्रिम जमा)
2	08.02.12 से 31.03.12	$55.74 \times 62.5 \times 53 / 365 = 506$
3	01.04.12 से 31.03.15	$3484 \times 3 = 10452$
4	01.04.15 से 07.02.16	$55.74 \times 62.5 \times 312 / 365 = 2978$
5	08.02.16 से 31.03.16	$55.74 \times 125 \times 53 / 365 = 1012$
6	01.04.16 से 31.03.19	$6968 \times 3 = 20904$
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	35852

श्री प्रकाश शर्मा पुत्र श्री मालीराम शर्मा से शहरी जमाबन्दी की राशि 35852 /- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

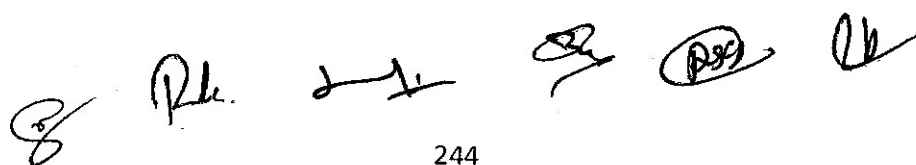
(82) आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्रीमती सुनीता गंगवाल पत्नी श्री राहुल गंगवाल ग्राम मुकन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं० 35/3, 31/5 कुल किता 219 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 2292.56 वर्गमीटर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 29613/-रु

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-12 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्रीमती सुनीता गंगवाल पत्नी श्री राहुल गंगवाल ग्राम मुकन्दपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं० 35/3, 31/5 कुल किता 219 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 2292.56 वर्गमीटर के नियमन की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 244 दिनांक 17.10.2014 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 24.12.2014 को हुई। प्राधिकरण द्वारा मांग पत्र क्रमांक 932 दिनांक 27.02.2015 को जारी किया गया है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा विलेख क्रमांक 1299 दिनांक 28.10.2016 क्षेत्रफल 2292.56 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर यू-1 क्षेत्र में 200 वर्गगज से अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु 120 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गई है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए (रूपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से 126/-रु प्रति वर्गगज मानी जायेगी। अतः योजना के नियमन एवं लीज राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी :-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये (2292.56X1.196X126)	3,45,480
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये (2292.56X1.196X126X4X2.5%X8)	2,76,384
3	कुल लेय राशि	6,21,864
4	नियमन राशि जो ली गई (2292.56X1.196X120 प्र.व.ग.)	3,29,028
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गई (2292.56X1.196X96 प्र.व.ग.)	2,63,223
6	कुल ली गई राशि	5,92,251
7	अन्तर राशि	29,613

उपरोक्तानुसार आवासीय एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि 29,613/-रु कम लिया गया है। संबंधित से नियमन शुल्क एवं लीज राशि 29,613/-रु नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।



(83) श्री संजय कुमार लाटा पुत्र श्री नाथूलाल नाहटा रामनगरिया योजना में भूखण्ड संख्या B-119 की शहरी जमाबन्दी राशि 27096/— रु. वसूली का अभाव :-

244

जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 583 दिनांक 21.06.2000 द्वारा रामनगरिया योजना में आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 90 मीटर रियायती दर पर लॉटरी में आवंटन किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 4081 दिनांक 20.11.2000 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया तथा उक्त भूखण्ड का विक्रय पत्र 348/दिनांक 1.03.2001 क्षेत्रफल 90 मीटर का जारी किया गया। कब्जा पत्र के अनुसार शहरी जमाबन्दी, प्रथम तीन वर्षों तक 8.75 रु. तथा 3 वर्ष के बाद 17.50 रु. प्रति वर्गमीटर देय है एवं 15 वर्ष के बाद 25% अतिरिक्त शहरी जमाबन्दी लेय है।

पत्रावली की समीक्षा करने पर पाया गया कि आवंटनी द्वारा मांग पत्र के साथ ही मात्र एक वर्षीय अग्रिम शहरी जमाबन्दी राशि 788/— रु. जमा करायी गई। श्री संजय कुमार लाटा से निम्नानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 27096/— रु. वसूलनीय है।

क्र. सं.	अवधि	विवरण	राशि
1	20.11.2000 से 19.11.2003 दो वर्ष	90x8.75x2	1575
2	20.11.2003 से 31.03.2014	90x17.50x133/365	574
3	अप्रैल 2004 से मार्च 14 11 वर्ष	90x17.50x11	17325
4	अप्रैल 2014 से 19.11.2014	90x17.50x232/365	1001
5	20.11.2014 से मार्च 2015	90x17.50x1.25x133/365	717
6	अप्रैल 15 से मार्च 2019 3 वर्ष	90x17.50x1.25x3	5906
			27098

सम्बन्धित से शहरी जमाबन्दी राशि 27098/— रु. मय ब्याज के वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

289 244 244 244
Rk 244 244

(84) श्रीमति सरोज गुप्ता पत्नी श्री पूरणमल गुप्ता से रामनगरिया योजना प्लॉट संख्या B-20 की शहरी जमाबन्दी राशि 24686/- रु. वसूली का अभाव :-

245

जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्रांक 552/ दिनांक 21.06.2000 द्वारा रामनगरिया योजना में 90 वर्गमीटर का आवासीय भूखण्ड लॉटरी में रियायती दरो पर आवंटन किया गया। जविप्रा के पत्रांक 89 दिनांक 08.01.2001 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार शहरी जमाबन्दी प्रथम तीन वर्षों तक 8.75 रु तथा 3 वर्ष के बाद 17.50 रु. प्रतिवर्गमीटर देय है तथा प्रत्येक 15 वर्ष के बाद 25% अतिरिक्त शहरी जमाबन्दी देय है। पत्रावली की समीक्षा में पाया गया कि शहरी जमाबन्दी एक वर्ष की अग्रिम राशि 788/-रु. तथा मार्च 2002 तक राशि 197/- रु. जमा है। 3 मार्च 2002 के बाद आवंटनी द्वारा शहरी जमाबन्दी जमा नहीं करायी गई। जो निम्नानुसार वसूलनीय है :-

क्र. सं.	अवधि	विवरण	राशि
1	अप्रैल 2002 से मार्च 2003	90x8.75	788
2	अप्रैल 2003 से 07.01.2004	90x8.75x282/365	608
3	08.01.2004 से मार्च 2004	90x17.50x84/365	362
4	अप्रैल 2004 से 2015 11 वर्ष	90x17.50x11	17325
5	अप्रैल 2016 से 07.01.2017	90x17.50x282/365	1217
6	08.01.2017 से मार्च 2017	90x17.50x83/365x1.25	448
7	अप्रैल 2017 से मार्च 19 2 वर्ष	90x17.50x1.25x2	3938
			24686

सम्बन्धित से उपरोक्तानुसार शहरी जमाबन्दी राशि 24686/- रु. मय ब्याज के वसूल कराकर अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk. 289 28 1-1 28

(85) फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मै0 सैण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम रामपुरा खाण्णा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 116 रकबा 0.31 हैक्टेयर केनियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 22516/- रु0 -

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स सैण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम रामपुरा खाण्णा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 116 रकबा 0.31 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 152 दिनांक 12.2.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। फार्म हाऊस एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 17.3.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 29.3.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3378 दिनांक 24.08.2016 क्षेत्रफल 2988.30 वर्गमीटर का जारी किया गया। जविप्रा द्वारा मांग पत्र 7992 दिनांक 11.04.16 जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1(5) के अनुसार 300/- प्रतिवर्ग मीटर गज निर्मित क्षेत्रफल पर फार्म हाऊस एकल पट्टा हेतु राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के पैरा 6(iv) के अनुसार निर्मित क्षेत्र फार्म हाऊस क्षेत्रफल का 10% या 500 वर्गमीटर जो भी कम है अनुज्ञेय है। प्रीमियम दर रु 300 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 315 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 331 तथा 01.04.2016 से रु. 348 मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है।

फार्म हाऊस एकल पट्टे के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 298.83X1.196X 383 प्र.व.ग.	136884
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 298.83X1.196X 383X4X2.5%X8	109507
3	कुल लेय राशि योग	246391
4	नियमन राशि जो ली गयी 298.83X 1.196 X348 प्र.व.ग.	124375
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 298.83X 1.196 X348 X 4 X 2.5 % X 8	99500
6	कुल ली गयी राशि	223875
7	अन्तर राशि (3-6)	22516

उपरोक्तानुसार फार्म हाऊस एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु. 22516/- कम लिया गया है।

संबंधित से नियमन शुल्क लीज राशि रु.22516/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk. 247

(86) फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ड्यून कन्सट्रक्शन प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम राजपुरा खाण्णा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 81 रकबा 0.31 हैक्टेयर नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 22203/- रु० -

247

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ड्यून कन्सट्रक्शन प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम राजपुरा खाण्णा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 120, 121 रकबा 0.33 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 150 दिनांक 12.02.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। फार्म हाऊस एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 10.03.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 28.3.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3370 दिनांक 20.7.16 क्षेत्रफल 2946.67 वर्गमीटर का जारी किया गया। जविप्रा के पत्रांक 7994/11.4.16 से मांग पत्र जारी किया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1(5) के अनुसार 300/-रु प्रतिवर्गगज निर्मित क्षेत्रफल पर फार्म हाऊस एकल पट्टा हेतु राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के पैरा 6(iv) के अनुसार निर्मित क्षेत्र फार्म हाऊस क्षेत्रफल का 10% या 500 वर्गमीटर जो भी कम है अनुज्ञेय है। प्रीमियम दर रु 300 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 315 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 331 तथा 01.04.2016 से रु. 348 मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। फार्म हाऊस एकल पट्टे के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 294.67X1.196X 383 प्र.व.ग.	134979
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 294.67X1.196X 383X4X2.5%X8	107983
3	कुल लेय राशि योग	242962
4	नियमन राशि जो ली गयी 294.67X 1.196 X348 प्र.व.ग.	122644
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 294.61X 1.196 X348 X 4 X 2.5 % X 8	98115
6	कुल ली गयी राशि	220759
7	अन्तर राशि (3-6)	22203

उपरोक्तानुसार फार्म हाऊस एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु. 22203/- कम लिया गया है। संबंधित से नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु.22203/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Ru.   


(87) फार्म हाउस एकल पट्टा आवेदक मै0 सैण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम रामपुरा खाण्डा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 117 रकबा 0.30 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 19141/- रु0 -

248

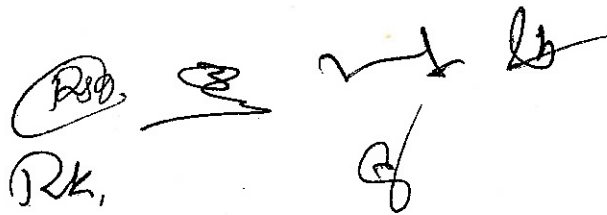
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान के उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा फार्म हाउस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स सैण्ड कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम रामपुरा खाण्डा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 117 रकबा 0.30 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 151 दिनांक 12.2.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। फार्म हाउस एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 14.3.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 18.3.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा फार्म हाउस एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3377 दिनांक 24.8.16 क्षेत्रफल 2539.36 वर्गमीटर का जारी किया गया। जविप्रा द्वारा मांग पत्र 7993 दिनांक 11.4.16 को जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1(5) के अनुसार 300/- प्रतिवर्ग गज निर्मित क्षेत्रफल पर फार्म हाउस एकल पट्टा हेतु राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के पैरा 6(iv) के अनुसार निर्मित क्षेत्र फार्म हाउस क्षेत्रफल का 10% या 500 वर्गमीटर जो भी कम है अनुज्ञेय है। प्रीमियम दर रु 300 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 315 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 331 तथा 01.04.2016 से रु. 348 मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है।

फार्म हाउस एकल पट्टे के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 253.94X1.196X 383 प्र.व.ग.	116322
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 253.94X1.196X 383X4X2.5%X8	93057
3	कुल लेय राशि योग	209379
4	नियमन राशि जो ली गयी 253.94X 1.196 X348 प्र.व.ग.	105688
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 253.93X 1.196 X348 X 4 X 2.5 % X 8	84550
6	कुल ली गयी राशि	190238
7	अन्तर राशि (3-6)	19141

उपरोक्तानुसार फार्म हाउस एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु. 19141/- कम लिया गया है। संबंधित से नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु19141/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।



(88) मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ए.के.जी अफोडेबल प्रा.लि. के जरिये निदेशक अनिल कुच्छल पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश कुच्छल ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जयपुर के खसरा नम्बर 690 क्षेत्रफल 5 बीघा के नियमन में लीज राशि की वसूली योग्य राशि 17614/- रु

249

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ए.के.जी अफोडेबल प्रा.लि. के जरिये निदेशक अनिल कुच्छल पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश कुच्छल ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जयपुर के खसरा नम्बर 690 क्षेत्रफल 5 बीघा की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 176 दिनांक 17.04.2017 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 26.04.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 27.04.2017 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3522 दिनांक 11.05.2017 क्षेत्रफल 9205.01 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीयप्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर यू-2 क्षेत्र में प्लेट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 60/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें निम्न 01.04.2014 से रु0 63/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 67/- तथा 01.04.2016 से 71/- रु0 तथा दिनांक 01.04.2017 से 75/-रु प्रतिवर्गगज मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशी (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं)	
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी है चाहिये 9205.01x1.196x83x4x2.5%x8	731010
3	कुल ले राशि योग	731010
4	नियमन राशी (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं)	
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 9205.01x1.196x81x4x2.5%x8	713396
6	कुल ली गयी राशि	713396
7	अन्तर राशि (3-6)	17614

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि 17614/- रु0 कम लिया गया है। संबंधित से लीज राशि 17614/- रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

289
Rk

(89) औद्योगिक एकल पट्टा आवेदक श्रीमति कविता कटियार पत्नी श्री विजय कटियार, श्रीमति सपना कटियार पत्नी श्री विमल कटियार एवं श्रीमति रीमा गोदिका पत्नी श्री संजय गोदिका ग्राम बगरु कला त0 सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 6448, 6450, 8323, 8324, 6514 रकबा 0.98 हैक्टेयर नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशिकी वसूली योग्य राशि 16943/- रु0

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-11 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक एकल पट्टा आवेदक श्रीमति कविता कटियार पत्नी श्री विजय कटियार, श्रीमति सपना कटियार पत्नी श्री विमल कटियार एवं श्रीमति रीमा गोदिका पत्नी श्री संजय गोदिका ग्राम बगरु कला त0 सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 6448, 6450, 8323, 8324, 6514 रकबा 0.98 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 2169 दिनांक 8.9.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। औद्योगिक एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 04.01.2017 को हुई। प्राधिकरण द्वारा एकल पट्टा विलेख क्रमांक 156 दिनांक 14.2.17 क्षेत्रफल 9290.80 वर्गमीटर (11111.80 वर्गगज) का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ नगर निगम सीमा को छोड़कर मास्टर प्लान के यू-1 औद्योगिक एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 80 प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें निम्न 01.04.2014 से रु0 84 प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 89 तथा 01.04.2016 से 94 रु0 मानी जायेगी। उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 6 के अनुसार औद्योगिक एकल पट्टे हेतु 5000 वर्गगज तक उसी क्षेत्र की न्यूनतम आवासीय दर के समान एवं इससे अधिक अतिरिक्त क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय नियमन दर 50 प्रतिशत है।

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशी जो ली जानी चाहिये 5000×94 प्र.व.ग. = 470000	757255
2	नियमन राशी जो ली जानी चाहिये $6111.80 \times 94 \times 50\%$ प्र.व.ग. = 287255	
3	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी है चाहिये $9290.80 \times 1.196 \times 94 \times 2.5\% \times 8$	835607
4	कुल लेय राशि योग	1592862
5	नियमन राशि जो ली गयी	749199
6	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी	826720
7	कुल ली गयी राशि	1575919
	अन्तर राशि (4-7)	16943

उपरोक्तानुसार औद्योगिक एकल पट्टा के नियमन शुल्क व लीज राशि 16943/- रु0 कम लिया गया है।

संबंधित से नियमन शुल्क व लीज राशि 16943/- रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

(Signature)
Rk

(90) मुख्यमंत्री जन आवास(आवासीय) एकल पट्टा आवेदक श्री विकास अग्रवाल जरिये निदेशक ब्रिजाशा रियल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. ग्राम कानोता, जयपुर के खसरा नम्बर 673/1 क्षेत्रफल 2.19 बीघा के नियमन में लीज राशिकी वसूली योग्य राशि 13054 /—

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-13 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा आवेदक श्री विकास अग्रवाल जरिये निदेशक ब्रिजाशा रियल इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. ग्राम कानोता, जयपुर के खसरा नम्बर 673/1 क्षेत्रफल 2.19 बीघाकी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 183 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 22.08.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 29.08.2017 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा विलेख क्रमांक 4025 दिनांक 04.10.2017 क्षेत्रफल 6821.56 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ नगर निगम सीमा के बाहर यू-1 क्षेत्र को छोड़कर जयपुर रीजन में मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 60/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु0 63/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 67/- तथा 01.04.2016 से 71/- रु0 तथा दिनांक 01.04.2017 से 75/-रु प्रतिवर्गगज मानी जायेगी।

योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशी जो ली जानी चाहिए (मुख्यमंत्री जन आवास में लेय नहीं)	
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी है चाहिये 6821.56X1.196X75X4X2.5%X8	4,89,515
3	कुल लेय राशि योग	4,89,515
4	नियमन राशी जो ली जानी चाहिए (मुख्यमंत्री जन आवास में लेय नहीं)	
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 6821.56X1.196X73X4X2.5%X8	476461
6	कुल ली गयी राशि	476461
7	अन्तर राशि (3-6)	13054

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि 13054 /— रु0 कम वसूल किया गया है।

संबंधित से लीज राशि 13054 /— रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk.    


(91) फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ड्यून कन्सट्रक्शन प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम राजपुरा खाण्वा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 114, 115 रकबा 0.35 हैक्टेयर के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 12967/- रु० -

52
N

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन- 13 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ड्यून कन्सट्रक्शन प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम राजपुरा खाण्वा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 114, 115 रकबा 0.35 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 149 दिनांक 27.1.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। फार्म हाऊस एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 30.3.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 31.3.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3379 दिनांक 20.7.16 क्षेत्रफल 3346.28 वर्गमीटर का जारी किया गया। जविप्रा द्वारा मांग पत्र 8340 दिनांक 9.6.16 को जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1(5) के अनुसार 300/- प्रतिवर्गगज निर्मित क्षेत्रफल पर फार्म हाऊस एकल पट्टा हेतु राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के पैरा 6(iv) के अनुसार निर्मित क्षेत्र फार्म हाऊस क्षेत्रफल का 10% या 500 वर्गमीटर जो भी कम है अनुज्ञेय है। प्रीमियम दर रु 300 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 315 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 331 तथा 01.04.2016 से रु. 348 मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है।

फार्म हाऊस एकल पट्टे के नियमन एवं लीज राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 334.62X1.196X 383 प्र.व.ग.	153279
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 334.62X1.196X 383X4X2.5%X8	122623
3	कुल लेय राशि योग	275902
4	नियमन राशि जो ली गयी 334.62X 1.196 X365 प्र.व.ग.	146075
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 334.62X 1.196 X365 X 4 X 2.5 % X 8	116860
6	कुल ली गयी राशि	262935
7	अन्तर राशि (3-6)	12967

उपरोक्तानुसार फार्म हाऊसग एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु. 12967/- कम लिया गया है। संबंधित से नियमन शुल्क लीज राशि रु. 12967/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

Rk. R89 253

(92) फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ड्यून कन्सट्रक्शन प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम राजपुरा खाण्डा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 120, 121 रकबा 0.33 हैक्टेयर नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि 12562/- रु० -

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन- 13 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा आवेदक मैसर्स ड्यून कन्सट्रक्शन प्रा० लि० जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता रवि माथुर ग्राम राजपुरा खाण्डा तहसील आमेर, जयपुरके खसरा नम्बर 120, 121 रकबा 0.33 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 148 दिनांक 27.1.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। फार्म हाऊस एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 29.3.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 4.4.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा फार्म हाऊस एकल पट्टा विलेख क्रमांक 3371 दिनांक 20.7.16 क्षेत्रफल 3242.18 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नविवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1(5) के अनुसार 300/- प्रतिवर्गगज निर्मित क्षेत्रफल पर फार्म हाऊस एकल पट्टा हेतु राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के पैरा 6(iv) के अनुसार निर्मित क्षेत्र फार्म हाऊस क्षेत्रफल का 10% या 500 वर्गमीटर जो भी कम है अनुज्ञेय है। प्रीमियम दर रु 300 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 315 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 331 तथा 01.04.2016 से रु. 348 मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। कार्यालय टिप्पणी संख्या 42 के अनुसार प्रशनगत भूमि Ecological area नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है। जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 1375 दिनांक 17.09.2015 के अनुसार योजना की आरक्षित दर 12000/-रु० प्रति वर्गमीटर है।

फार्म हाऊस एकल पट्टे के नियमन एवं लीज की एवं 5 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 324.21X1.196X 383 प्र.व.ग.	148510
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 324.21X1.196X 383X4X2.5%X8	118808
3	कुल लेय राशि योग	267318
4	नियमन राशि जो ली गयी 324.21X1.196 X365 प्र.व.ग.	141531
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 324.21X 1.196 X365 X 4 X 2.5 % X 8	113225
6	कुल ली गयी राशि	254756
7	अन्तर राशि (3-6)	12562

उपरोक्तानुसार फार्म हाऊस एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि रु. 12562/- कम लिया गया है।

संबंधित से नियमन शुल्क लीज राशि रु.12562/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk. 254

(93) श्री विजय लक्ष्मी रांका पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार रांका व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा में नियमन राशि 12000/-रु कम लिये जाने का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-12 के द्वारा उपलब्ध कराई गई पत्रावली की समीक्षा पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा श्री विजय लक्ष्मी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार रांका को ग्राम भांकरोटा कला तहसील सांगानेर के खसरा नं० 1123 किता 1 रकबा 1.06 है० भूमि का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा क्रमांक 376 दिनांक 28.03.2017 क्षेत्रफल 8481.86 वर्गमीटर का जारी किया गया जिसमें नियमन शुल्क निम्नानुसार लेय थी :-

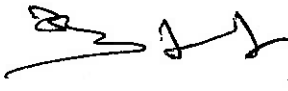
1. नियमन/शुल्क लिये जाने चाहिये थे 1,03,47,191
(8481.86X1.196X1020 प्र.व.ग.)

2 नियमन/शुल्क लिये गये 1,03,35,191
(1089290+5107025+4138876)

अन्तर राशि 12000

उपरोक्तानुसार व्यावसायिक एकल पट्टा के नियमन शुल्क राशि 10347191/- रु लेय थी। जबकि आवेदक द्वारा राशि 10335191/- रु. ही जमा कराये गये हैं। इस प्रकार राशि 12000/- राशि कम वसूल किये गये हैं।

संबंधित से नियमन शुल्क राशि रु 12000/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk.   
cf

(94) मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग (एकल पट्टा)/फ्लैट्स आवेदक मैसर्स अरावली बिल्डर्स, ग्राम मदादू, तहसील सांगानेर खसरा संख्या 36/8, 34, 59/550 रकबा 1.25 हैक्टेयर में लीज राशि की वसूली योग्य राशि 11260/-रु0

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन- 11 के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत (3ए के अन्तर्गत) आवासीय/ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा में अफोर्डेबल हाउसिंग (एकल पट्टा)/फ्लैट्स आवेदक मैसर्स अरावली बिल्डर्स, ग्राम मदादू, तहसील सांगानेर खसरा संख्या 36/8, 34, 59/550 रकबा 1.25 हैक्टेयर की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 2244 दिनांक 23.9.16 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 3ए के अन्तर्गत आवासीय (ग्रुप हाउसिंग/फ्लैट्स) अफोर्डेबल हाउसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 26.10.16 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 28.10.16 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा वी पी सी (एम.पी) की बैठक दिनांक 23.11.16 को अनुमोदन किया मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 3ए के अन्तर्गत आवासीय (ग्रुप हाउसिंग/फ्लैट्स) अफोर्डेबल हाउसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक 462 दिनांक 25.5.17 क्षेत्रफल 11768.20 वर्गमीटर का जारी किया गया।

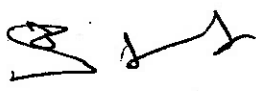
नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3 (50) नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर ग्रुप हाउसिंग/फ्लैट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु 80 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु 84 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु 89/- एवं 01.04.2016 से 94/- एवं 1.4.2017 से रु 99/- मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई की सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जायेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फिट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है।

योजना के लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं है)	
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 11768.20X1.196X 109X4X2.5%X8	1227320
3	कुल लेय राशि योग	1227320
4	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं है)	
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 11768.20x1.196x108x4x2.5% X8	1216060
6	कुल ली गयी राशि	1216060
7	अन्तर राशि (3-6)	11260

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि रु.11260/- कम लिया गया है।

संबंधित से लीज राशि रु.11260/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

Rk.   
256


(95) मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा आवेदक मैसर्स हाईथोट डवलपर्स जरिये पार्टनर सुखानन्द जैन पुत्र श्री मिलापचन्द जैन मथुरा वाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 314/462, 323/2, 324,314/463 रकबा 0.53 हैक्टेयर केनियमन में लीज राशिकी वसूली योग्य राशि 9676/- रु

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-14के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा आवेदक मैसर्स हाईथोट डवलपर्स जरिये पार्टनर सुखानन्द जैन पुत्र श्री मिलापचन्द जैन मथुरा वाला तहसील सांगानेर के खसरा नं. 314/462, 323/2, 324,314/463 रकबा 0.53 हैक्टेयरकी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 238 दिनांक 07.03.2017 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास योजना की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 21.06.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 07.07.2017 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा विलेख क्रमांक 1205 दिनांक 18.08.2017 क्षेत्रफल 5063.06 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर यू-1 क्षेत्र में गुप हाउसिंग/फ्लैट्स 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु0 80/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गंत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु0 84/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु0 89/- तथा 01.04.2016 से 94/- रु0 तथा दिनांक 01.04.2017 से 99/-रु प्रति वर्गगज मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई को सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं)	-
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये (5063.06X1.196X109X4X8X2.5%)	528033
3	कुल लेय राशि	528033
4	नियमन राशि जो ली गयी (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं)	-
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी (6055.57X107X4X8X2.5%X8)	518357
6	कुल ली गयी राशि	518357
	अन्तर राशि (3-6)	9676

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि 9676/- रु0 कम वसूल किया गया है।

संबंधित से लीज राशि 9676/- रु0 नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

(96) मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा आवेदक श्री कमलेश कुमार सेवालिया पुत्र स्व. श्री पूरणमल सेवालिया ग्राम बीलवाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं० 356, 357, 358, 370/1 कुल रकबा 0.5350 हैक्टेयर के नियमन में लीज राशिकी वसूली योग्य राशि 9651/- रु

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-14के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा आवेदक श्री कमलेश कुमार सेवालिया पुत्र स्व. श्री पूरणमल सेवालिया ग्राम बीलवाकला तहसील सांगानेर के खसरा नं० 356, 357, 358, 370/1 कुल रकबा 0.5350 हैक्टेयर के की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 245 दिनांक 20.06.2017 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 6.07.2017 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 19.07.2017 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना एकल पट्टा विलेख क्रमांक 1208 दिनांक 18.08.2017 क्षेत्रफल 5050 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.3(50)नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.2012 की तालिका 1 के अनुसार आवासीय प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर यू-1 ग्रुप हाउसिंग/फ्लैट्स के लिए 5000 वर्गगज या अधिक का एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु० 80/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु० 60/- प्रति वर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्षों की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रुपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.2014 से रु० 84/- प्रति वर्गगज एवं दिनांक 01.04.2015 से रु० 89/- तथा 01.04.2016 से 94/- रु० तथा दिनांक 01.04.2017 से 99/-रु० प्रति वर्गगज मानी जायेगी। यदि भूखण्ड किसी भी चौड़ाई को सड़क पर स्थित कॉर्नर का अथवा 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो कोई भी एक स्थिति होने पर अथवा दोनों तो निर्धारित प्रीमियम दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर गणना की जावेगी। प्रकरण में भूखण्ड 60 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है। अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी:-

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नियमन (मुख्यमंत्री जना आवास योजना में लेय नहीं)	-
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये (5050X1.196X109X4X8X2.5%)	526671
3	कुल लेय राशि	526671
4	नियमन राशि जो ली गयी (मुख्यमंत्री जन आवास योजना में लेय नहीं)	-
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी (5050X1.196X107X4X8X25%X8)	517020
6	कुल ली गयी राशि	517020
	अन्तर राशि (3-6)	9651

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टा के नियमन में लीज राशि 9651/- रु० कम वसूल किया गया है।

संबंधित से लीज राशि 9651/- रु० नियमानुसार मय ब्याज वसूल कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

258

(97) औद्योगिक एकल पट्टा आवेदक श्री शर्मा स्टील टेक (इण्डिया) प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर विकास शर्मा पुत्र श्री घासी लाल शर्मा के योजना औद्योगिक ग्राम बावडी तहसील जयपुर के खसरा न. 246/383, 246/387 कुल किता 2 एरिया 4129.58 व.मी. के नियमन में नियमन शुल्क एवं लीज राशि की वसूली योग्य राशि रु. 8890/—

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-12 के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अप्रस्तुत रिकॉर्ड की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक एकल पट्टा आवेदक श्री शर्मा स्टील टेक (इण्डिया) प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर विकास शर्मा पुत्र श्री घासी लाल शर्मा के योजना औद्योगिक ग्राम बावडी तहसील जयपुर के खसरा न. 246/383, 246/387 कुल किता 2 एरिया 4129.58 व.मी. की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 07 दिनांक 11.03.15 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। औद्योगिक एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 23.03.15 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 08.04.15 को हुआ। प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक एकल पट्टा विलेख क्रमांक 533 दिनांक 15.04.15 क्षेत्रफल 4129.58 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50) नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.12 की तालिका 1(6) के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के बाहर भू-उपयोग यू-1 क्षेत्र के लिए 5000 वर्गगज तक एकल पट्टा हेतु प्रीमियम दर रु. 80 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.14 तक प्रभावी रहेगी तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रूपये के अगले गुणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दर मानी जायेगी। इस क्रम में प्रीमियम दरें दिनांक 01.04.14 से रु. 84 प्रतिवर्गगज एवं दिनांक 01.04.15 से रु. 89 तथा 01.04.16 से रु. 94 मानी जायेगी।

अतः योजना के नियमन एवं लीज की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी :-

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नियमन राशि जो ली जानी चाहिये 4129.58x1.196x94 प्र.व.ग.	464264
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिये 4129.58x1.196x94x4x2.5%x8 प्र.व.ग.	371411
3	कुल लेय राशि	835675
4	नियमन राशि जो ली गयी 4129.58x1.196x93 प्र.व.ग.	459325
5	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी 4129.58x1.196x74.40 प्र.व.ग.	367460
6	कुल ली गयी राशि	826785
7	अन्तर राशि (3-6)	8890

उपरोक्तानुसार औद्योगिक एकल पट्टा के नियमन में नियमन शुल्क एवं शहरी जमाबंदी राशि रु. 8890/— कम लिया गया है।

संबंधित से नियमन शुल्क एवं शहरी जमाबंदी राशि रु. 8890/— मय ब्याज वसूल एवं संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावे।

259

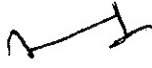
259

(98) आनन्द विहार आवासीय योजना में भूखण्ड सं० 445 की मांग राशि निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं कराने से ब्याज राशि 8815/-रु० कम वसूल करना।

आनन्द विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 445, श्री विजय सिंह मीणा पु० श्री राजूलाल मीणा के नाम आवंटित हुआ। उपायुक्त जोन-12 के पत्रांक 1118 दिनांक 28/5/14 द्वारा आवंटन का मांग पत्र राशि 4293700/रु० का जारी किया गया। आवंटी द्वारा दिनांक 4/7/14 को राशि 4293700/-रु० जमा कराये गये। आवंटन सह मांग पत्र की बिन्दु संख्या 2 के अनुसार मांग पत्र जारी होने के 30 दिवस में मांग राशि जमा करानी थी उक्त अवधि में जमा नहीं कराने पर आवंटन मय मांग पत्र जारी दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेय है।

उपरोक्तानुसार आवंटी के मांग राशि 37 दिवस विलम्ब से जमा करायी गई जिसका ब्याज $(37/365 \times 15/100 \times 4293700) = 65288/\text{रु०}$ वसूलनीय था। जबकि आवंटी ने 7/8/14 को ब्याज राशि 56743/-रु० ही जमा कराई गई है। इस प्रकार ब्याज राशि 8815/-रु० कम वसूल की गई है।

संबंधित आवंटी से ब्याज राशि 8815/रु० वसूल कराकर अंकक्षेप विभाग को अवगत करावें।

(Dsg)   
Rk 

(99) श्रीमती शीला गुप्ता पत्नि श्री रतनलाल गुप्ता अलवर को निलय कुजभूखण्ड संख्या 87 में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 04.01.2017 में राशि 6270/- रु वसूली का अभाव

उपायुक्त जोन 9 द्वारा प्रस्तुत पत्रावली श्रीमती शीला गुप्ता पत्नि श्री रतनलाल गुप्ता अलवर को जारी पट्टा निलय कुज भूखण्ड संख्या 87 की समीक्षा में पाया गया कि आवंटन पत्र संख्या 2176 दिनांक 21.03.2011 जारी किया गया जिसके अनुसार निम्नानुसार राशि जमा करानी थी।

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	नजराना राशि (भूमि लागत 225 वर्गमीटर दर 7360) 1656000/- (-) रजिस्ट्रेशन शुल्क 25000/-	1631000
2	शहरी जमाबन्दी (लीज) दिनांक 19.10.2010 आरक्षित राशि 6400 का 1.25 प्रतिशत (6400X1.25%X225) एक वषट्क	18000
3	साईड प्लान शुल्क	100
	कुल	1649100

आवंटन पत्र के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवसों में राशि जमा करानी थी एवं विलम्ब से राशि जमा कराने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से आवंटन आदेश से ब्याज देय होगा। 90 दिवस तक राशि जमा नहीं कराने पर आवंटन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

आवंटी द्वारा निम्नानुसार राशि जमा कराई गई :-

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	राशि
1.	आवंटन राशि दिनांक	15.04.2011	200000
2.	आवंटन राशि दिनांक	18.04.2011	250000
3.	आवंटन राशि दिनांक	10.05.2011	60000
4.	आवंटन राशि दिनांक	19.05.2011	580000
5.	आवंटन राशि दिनांक	14.06.2011	100000
6.	आवंटन राशि दिनांक	17.06.2011	459100
	योग		1649100

आवंटी द्वारा निम्नानुसार राशि विलम्ब से जमा करने पर ब्याज देय होता है।

क्र.सं.	जमा दिनांक	30 दिवस के दिनांक जमा राशि	विलम्ब दिवस	ब्याज
1.	10.05.2011	60000	50	1233
2.	19.05.2011	280000+300000	59	14063
3.	14.06.2011	100000	85	3493
4.	17.06.2011	350000+109100	88	16603
	योग			35392

आवंटी द्वारा विलम्ब से राशि जमा कराने पर राशि 35392/- रु ब्याज वसूल करना चाहिये था। जबकि ब्याज राशि 29122/- रु ही वसूल किये गये हैं। इस प्रकार (35392-29122) 6270/- रु ब्याज कम वसूल किया गया।

सम्बन्धित से राशि 6270/- वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

261
Rk. 289

(100) आवासीय योजना मैसर्स जॉय कन्सोली डेटेड प्रा.लि. एवं गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के राजस्व ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के खसरा न. 19, 20, 21, 22, 22/105 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा के नियमन में नियमन शुल्क राशि की वसूली योग्य राशि रु. 5600/-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त जोन-12 विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अप्रस्तुत रिकॉर्ड की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना आवेदक मैसर्स जॉय कन्सोली डेटेड प्रा.लि. एवं गोकुल कृपा कॉलोनाईजर्स एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के राजस्व ग्राम महाराजपुरा तहसील जयपुर के खसरा न. 19, 20, 21, 22, 22/105 कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 207 दिनांक 03.12.13 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय योजना की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 09.12.13 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 25.12.13 को हुआ। जिसका क्षेत्रफल 7820.70 वर्गगज का है।

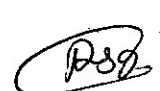
नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.3(50) नवि/03/2012 जयपुर, दिनांक 21.09.12 की तालिका 1 के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु नगर निगम सीमा के भीतर यू-1 क्षेत्र के लिए 200 वर्गगज तक का योजना हेतु प्रीमियम दर रु. 600 प्रतिवर्गगज निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 31.03.14 तक प्रभावी रहेगी।

अतः योजना के नियमन की राशि निम्नानुसार ली जानी चाहिये थी :-

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	नियमन/रूपान्तरण शुल्क लेय राशि है -	
(अ)	60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड	849945
	(i) 200.00 वर्गगज तक के सामान्य आवासीय (5666.30x150 प्र.व.ग.)	
	(ii) 200.00 वर्गगज तक के कॉर्नर आवासीय (1917.45x165 प्र.व.ग.)	316379
	(iii) 200.00 वर्गगज से अधिक के कॉर्नर आवासीय (208.95x220 प्र.व.ग.)	45969
	(iv) रिटेल व्यावसायिक (28.00x600 प्र.व.ग.)	16800
	योग	1229093
2	नियमन/रूपान्तरण शुल्क जो लिया गया है -	
(अ)	60 फीट से कम चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड	849945
	(i) 200.00 वर्गगज तक के सामान्य आवासीय (5666.30x150 प्र.व.ग.)	
	(ii) 200.00 वर्गगज तक के कॉर्नर आवासीय (1917.45x165 प्र.व.ग.)	316379
	(iii) 200.00 वर्गगज से अधिक के कॉर्नर आवासीय (208.95x220 प्र.व.ग.)	45969
	(iv) रिटेल व्यावसायिक (28.00x400 प्र.व.ग.)	11200
	योग	1223493
	अन्तर राशि (1-2)	5600

उपरोक्तानुसार आवासीय योजना के नियमन में नियमन शुल्क राशि रु. 5600/- कम लिया गया है।

संबंधित से नियमन शुल्क राशि रु. 5600/- नियमानुसार मय ब्याज वसूल एवं संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk.    
262

(101) आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्री आलोक शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा के आवंटन शुल्क, लीज व अन्य वसूली योग्य शुल्क राशि रु 2350/-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान उपायुक्त जोन 18 (PRN) के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्री आलोक शर्मा पुत्र श्री कैलाश शर्मा को प्लॉट नं. ए-71, कृष्णपुरी, बादरवास हेतु एकल पट्टा विलेख 2145 दिनांक 06.10.2017 क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज का जारी किया गया।

उक्त पट्टे हेतु नियमन व अन्य शुल्क 138.88 वर्गगज के स्थान पर 136.80 वर्गगज के अनुसार कम लिये गये हैं। जो वसूली हेतु शुल्क की गणना निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	विवरण	राशि
1	आवंटन शुल्क जो ली जानी चाहिये (100 वर्गगज तक 250, 100-300 तक 400 व 301-1000 तक 600) (i) 100 व.ग. X 250 (ii) 38.88 व.ग. X 400	40552
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली जानी चाहिए 40552 X 2.5% X 8	8110
3	प्रशासनिक शुल्क 138.88 व.ग. X 30	4166
4	B.S.U.P. 138.88 व.ग. X 21	2916
5	विकास शुल्क 138.88 व.ग. X 550	76384
6	शास्ति (250 वर्गगज तक 25, तथा 500 वर्गगज तक 50) 138.88 X 25	3472
7	सर्वे शुल्क 17 रु प्रति गज	2361
8	भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क 1. जॉच फीस 138.88 व.ग. X 8.37 2. B.S.U.P.(Shelon) 138.88 व.ग. X 8.37	1162 1162
	कुल लेय राशि	140285

राशि जो ली गई :-

1	आवंटन राशि जो ली गयी	39720
2	एक मुश्त लीज राशि जो ली गयी	7944
3	प्रशासनिक शुल्क जो लिया गया	4110
4	B.S.U.P. शुल्क राशि	2877
5	विकास शुल्क	75240
6	शास्ति शुल्क राशि	3425

7	सर्वे शुल्क राशि	2329
8	भवन शुल्क राशि	
	भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क	
	1. जॉच फीस 8.37 प्रति वर्गगज	1145
	2. B.S.U.P. 8.37 प्रति वर्गगज	1145
कुल ली गई राशि		137935
अन्तर राशि		2350 (140285-137935)

उपरोक्तानुसार आवासीय एकल पट्टे के आवंटन शुल्क व अन्य शुल्क राशि 2350/-रु कम वसूल किये गये हैं। संबंधित से राशि 2350/- वसूल कराने हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।









(102) आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री नवनीत बगरोदी के नियमन में हस्तान्तरण शुल्क की वसूली योग्य राशि रु 1540/-

24

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-18 (PRN) के द्वारा उपलब्ध करवायी गई पत्रावली की समीक्षा करने के दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय एकल पट्टा आवेदक श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री नवनीत बगरोदी को प्लॉट संख्या 436, वर्धमान नगर हेतु एकल पट्टा विलेख 5965 दिनांक 23.05.2016 क्षेत्रफल 154.44 वर्गगज का जारी किया गया।

उक्त पट्टे हेतु नियमन के दौरान लिये जाने वाले हस्तान्तरण शुल्क राशि की वसूली का अभाव पाया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

उक्त भूखण्ड गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटन संख्या 11524 दिनांक 14.10.1995 को रामदयाल कुमावत पुत्र श्री एम.आर. कुमावत को आवंटित किया गया था जिसे दिनांक 21.03.2005 में विक्रय विलेख द्वारा राजेश अग्रवाल पुत्र श्री दौदास अग्रवाल को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसके पश्चात राजेश अग्रवाल द्वारा दिनांक 17.05.2006 को इसे विक्रय कर ध्वज किर्ति शर्मा पुत्र श्री प्यार चन्द शर्मा को हस्तान्तरित कर दिया गया तत्पश्चात इसे दिनांक 18.11.2013 को ध्वज कीर्ति शर्मा द्वारा तुषार अग्रवाल पुत्र श्री नवनीत कुमार अग्रवाल को विक्रय कर दिया गया तथा इसके पश्चात् श्री तुषार अग्रवाल द्वारा इसे दिनांक 20.01.2014 को हेमन्त कुमार पुत्र श्री नवनीत बगरोदी को हस्तान्तरित कर दिया गया।

उक्त हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण शुल्क की वसूली का अभाव पाया गया (10 रु प्रति वर्गगज) कुल क्षेत्रफल 154.44 वर्गगज X 10 रु प्रति वर्गगज = 1544/-रु संबंधित से राशि वसूली हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Rk.

265

(103) आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक डा. बी.आर. सोनी राजस्व ग्राम माचवा तहसील जयपुर के खसरा नं० 456/14 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा के एकल पट्टा जारी करते समय 5 प्रतिशत समर्पित भूमि का कब्जा नहीं लेने का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण दौरान उपायुक्त जोन-12 के द्वारा उपलब्ध करवायी पत्रावली की समीक्षा दौरान पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा आवेदक डा. बी.आर. सोनी राजस्व ग्राम माचवा तहसील जयपुर के खसरा नं० 456/14 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु आदेश क्रमांक 04 दिनांक 14.11.2014 द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई। आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा की जेडएलसी की कार्यवाही दिनांक 16.02.2015 को हुई। योजना का अनुमोदन दिनांक 19.03.2015 को हुआ है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा विलेख क्रमांक 1018 दिनांक 09.09.2016 क्षेत्रफल 30660.96 वर्गमीटर का जारी किया गया।

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(60)नवि/2015 जयपुर, दिनांक 14.07.2015 के अनुसार भूमि में से 18 मीटर सड़क सीमा में निहित होने वाली 700.99 वर्गमीटर एवं 5 प्रतिशत जनसुविधाएँ हेतु भूमि 1640.33 वर्गमीटर भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण को निःशुल्क समर्पित की जावेगी। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 700.99 वर्गमीटर भूमि का ही कब्जा लिया गया तथा 1640.33 वर्गमीटर भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

उक्त भूमि का भौतिक कब्जा लिया जाकर आगामी जांच के वक्त सत्यापन कराते हेतु संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(289)   
Rk. 

(104) श्री शान्तुन भसीन पुत्र श्री प्रमोद भसीन द्वारा राजभवन योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या A-75(C) की शहरी जमाबन्दी राशि 57745/- रु. वसूली का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के उपायुक्त-13 द्वारा राजभवन आवासीय योजना में उक्त भूखण्ड को नीलामी के माध्यम से श्री शान्तुन भसीन पुत्र श्री प्रमोद भसीन को आवंटित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा श्री शान्तुन भसीन पुत्र श्री प्रमोद भसीन राजभवन योजना में आवासीय भू-खण्ड संख्या A-75(C) क्षेत्रफल 195.50 वर्गमीटर का मांग पत्र क्रमांक डी-458 दिनांक 22.03.10 को जारी किया गया। श्री शान्तुन भसीन द्वारा मांग पत्र की राशि निर्धारित समय में जमा कराने से जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक डी-716 दिनांक 05.05.10 द्वारा कब्जा पत्र जारी किया गया। कब्जा पत्र के बिन्दु संख्या-2 इस भूखण्ड की शहरी जमाबन्दी राशि रुपये 50 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष है जो प्रथम पांच वर्ष तक 25/-रु. प्रति वर्गमीटर की दर से देय है। इसके पश्चात् प्रत्येक 15 वर्षों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। शहरी जमाबन्दी कब्जा पत्र के जारी होने की तिथि से देय है। जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व अग्रिम वर्ष के लिये जमा करा दी जानी चाहिये।

राजस्थान नगर विकास न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) 1974 के नियम 7(2) के अनुसार प्रत्येक 15 वर्ष के बाद शहरी जमाबन्दी में 25% वृद्धि की जायेगी तथा लीज डीड के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार प्रत्येक हस्तान्तरण के साथ शहरी जमाबन्दी की राशि में 25% की वृद्धि की जायेगी।

क्र. सं.	अवधि	शहरी जमाबन्दी लेय
1	05.05.10 से 04.05.11	195.50x25 = 4888 (अग्रिम जमा)
2	05.05.11 से 31.03.12	195.50x25x332/366 = 4434
3	01.04.12 से 31.03.15	195.50x25x3 = 14664
4	01.04.15 से 04.05.15	195.50x25x34/365 = 455
5	05.05.15 से 31.03.16	195.50x50x332/366 = 8867
6	01.04.16 से 31.03.19	195.50x50x3 = 29325
	कुल बकाया शहरी जमाबन्दी	57745

श्री शान्तुन भसीन पुत्र श्री प्रमोद भसीन से शहरी जमाबन्दी की राशि 57745/- रु. मय ब्याज वसूल कराने हेतु प्रकरण संस्था प्रधान का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

267

(105) अभिलेख प्रस्तुतीकरण का अभाव :-

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के आलौच्य वर्ष 2016-18 के अंकेक्षण के दौरान विगत अंकेक्षण वर्ष 2009-10, 2010-13 के अप्रस्तुत रिकॉर्ड/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु जाँचदल द्वारा मीमो संख्या 273/दिनांक 06.07.2018, 279/दिनांक 20.07.2018, 281/ दिनांक 27.07.2018, 283/ दिनांक 03.08.2018, 288/ दिनांक 10.08.2018, 295/ दिनांक 21.08.2018, 297/ दिनांक 24.08.2018, 302/ दिनांक 04.09.2018, 313/दिनांक 25.09.2018, 315/ दिनांक 01.10.2018, 322/ दिनांक 16.10.2018, 325/ दिनांक 23.10.2018, 327/दिनांक 29.10.2018, 329/ दिनांक 13.11.2018, 332/ दिनांक 19.11.2018, 336/दिनांक 14.12.2018, 339/दिनांक 28.12.2018, 389/दिनांक 11.01.2019 एवं 397/दिनांक 17.01.2019 जारी किया गया जिसके पश्चात् भी अंकेक्षण समाप्ति तक संस्था द्वारा निम्न अभिलेखों/पत्रावलियों पंजिकाएँ जाँचदल को उपलब्ध कराने का अभाव रहा है।

उक्त अभिलेख आगामी जांच में प्रस्तुत कराकर, अंकेक्षण कराये जाकर पालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करावें।

Rk. (Rse) [Signature] [Signature] [Signature]

क्र. सं.	नाम संस्था	अंकेक्षित वर्ष	आक्षेप संख्या	अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये रिकॉर्ड का विवरण
1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	2009-10	69 पार्ट-ए	प्राधिकरण परिसर में ICICI बैंक के किराया/लीज एवं अनुबन्ध पत्रावली करने का अभाव
		2009-10	71	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर के अन्तर्गत रिंग रोड में प्रभावित व स्ट्रक्चर एवं भूमि आवाप्ति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने का अभाव
		2009-10	151	उपायुक्त जोन 1 1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़कों में से जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायी जारी किए गए प्रकरणों की समस्त पत्रावली 2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया। 3. वर्ष 2009-10 के जोन में संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रो की छाया प्रति। 4. वर्ष 09-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण। 5. श्रीमती सुधारामावत भू 80 16 बरवाडा हउस सिविल लाईन्य की पत्रावली। 6. श्री योगेश कमठान सी 4 मालवीय नगर की पत्रावली उपायुक्त जोन 2 1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़कों में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक प्रकरणों की समस्त पत्रावली 2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया। 3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रो की छाया प्रति। 4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण। उपायुक्त जोन 3 1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़कों में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली। 2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया। 3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रो की छाया प्रति। 4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण। उपायुक्त जोन 4

269
 Rk.    


				1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली। 2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया। 3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रों की छाया प्रति। 4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण। उपायुक्त जोन 5 1. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण 2. अनिला चौधरी 36 पदभावती कॉलोनी की पत्रावली 3. सिन्धी कुमार 359 विवेक विहार की पत्रावली 4. चन्द्र प्रकाश 11 तेजाजी नगर की पत्रावली 5. मनोरमा जोशी 49-50 ए0बी0 विहार की पत्रावली 6. शशी जोशी 52 ए0बी0 विहार की पत्रावली 7. मै सिद्धा बिडटैक प्रा0 लि0 57 विश्वकर्मा नगर II की पत्रावली 8. वासुदेव सिंह निजी खातेदारी. ग्राम सुरदर्शनपुरा की पत्रावली उपायुक्त जोन 6 1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली 2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलियाँ। 3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रों की छाया प्रति। 4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण उपायुक्त जोन 7 1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली 2. घासी लाल चौधरी ख0 न0 125/2 पाच्यावाला क्षेत्रफल 3468.58 की पत्रावली 3. आशा पूर्णा अम्पायर वैशाली नगर की पत्रावली उपायुक्त जोन 8 1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली 2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया। 3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रों की छाया प्रति। 4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण
--	--	--	--	--

उपायुक्त जोन 9

1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली
2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया।
3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रों की छाया प्रति।
4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण
5. आनन्द बिहार के भू खण्ड संख्या ए 239 की पत्रावली
6. राम नगरीया योजना के भूखण्ड संख्या सी 106, डी 186, डी 3, सी 25, सी 176, सी 94, बी 391, सी 59, बी 360, बी 206, सी 146 की 16 पत्रावली
7. शिक्षा विहार जगतपुरा की मूल पत्रावली
8. राम नगर जगतपुरा की मूल पत्रावली

उपायुक्त जोन 10

1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली
2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया।
3. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण

उपायुक्त जोन 11

1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली
2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया।
3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रों की छाया प्रति।
4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के समस्त प्रकरण
5. मुकेश अग्रवाल ग्राम नेवटा आवासीय से व्यवसाय क्षेत्र. 20318 की पत्रावली
6. बालाजी ऐनक्लेब एकल पट्टा क्षे0 14302 की पत्रावली
7. मरुगन्धा फार्मस आवासीय से व्यवसायिक श्री राम पुरा वास क्षे0 20800 की पत्रावली

उपायुक्त जोन 12

1. मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली
2. अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलिया।
3. वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्रों की छाया प्रति।
4. वर्ष 2009-10 में आवासीय से व्यवसायिक एवं अन्य भू उपयोग उपान्तरण के

			समस्त प्रकरण 5.ओरिजन बिल्ड बैंक ग्रुप हाउसिंग की 11 की मूल पत्रावली उपायुक्त जोन 14 1.मास्टर विकास योजना 2011 में व्यवसायिक की गई 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यवसायिक सड़क पर आवासीय से व्यवसायिक जारी किये गये प्रकरणों की समस्त पत्रावली 2.अतिरिक्त निदेशक राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2009-10 में नीलाम की गई सम्पत्तियों (सूची संलग्न) में से आपके जोन की नीलाम की गई सम्पत्तियों की पत्रावलियां। 3.वर्ष 2009-10 के जोन संधारित समस्त पट्टा रजिस्ट्ररों की छाया प्रति। 4.एधुनंदन एनक्लेव इ ब्लॉक ग्रुप हाउसिंग की पत्रावली।
	2009-10	25	जोन-2 1. नमूना जांच हेतु पत्रावली/योजना को चिह्नित करने के लिए जोन का पट्टा रजिस्टर। 2. राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा नीलामी में निस्तारित भू-खण्ड, जिसका जोन से पट्टा जारी किया गया है, की पत्रावलियां 3. निजी खातेदारी आवासीय, संस्थानिक, व्यावसायिक/ग्रुपहाउसिंग /एकल पट्टों संबंधित मूल पत्रावली एवं पट्टा पत्रावलियां 4. आवासीय से व्यावसायिक/संस्थानिक भू-उपयोग परिवर्तन एवं इसके विपरीत भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी पत्रावलियां 5. मास्टर विकास योजना-2011 में व्यावसायिक घोषित 19 सड़को में से आपके जोन क्षेत्र की व्यावसायिक सड़क पर आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तन संबंधी प्रकरणों की सूची एवं पत्रावलियां जोन-3 1. सी.एस. कन्सट्रक्शन भूखण्ड संख्या 1, लाल कोठी क्षेत्रफल 936.90 की पत्रावली 2. नन्द किशोर गुप्ता, शॉपिंग सेन्टर, क्षेत्रफल 3218.23 की पत्रावली जोन-4 1. मदर टेरेसा नगर की मूल पत्रावली एवं पट्टा पत्रावली। 2. श्री विमल सुराणा सुबाको डवलपर्स प्रा.लि. खसरा नं. 206-11, ग्राम चैनपुरा तह, सांगानेर 3. राजन कुमार सांघी एवं अजय कुमार सांघी, निजी खातेदारी दुर्गापुरा, ख. नं. 17 व 22 4. श्री राकेश मीणा पुत्र श्री हरकेश मीणा निजी खातेदारी ग्राम- सवाई गैटोर ख. नं. 244/2 5. मै. अग्रवाल प्रीमियम प्रा.लि. निदेशक, नितेश अग्रवाल ग्रा. सूरजपुरा निजी खातेदारी ख.नं. 174-178 6. एयरपोर्ट एनक्लेव की पत्रावली जोन-7 1. नीलकण्ठ आवासीय योजना की मूल पत्रावली जोन-9 1. श्री बाबू लाल गुप्ता 173 अशोक विहार 2. अरिहन्त डवलपर्स पार्टनर महेन्द्र 25.26 गंगा एन्क्लेव की पट्टा पत्रावली 3. अशोक अग्रवाल 94 गंगा एन्क्लेव की पट्टा पत्रावली 4. मधुसूदन अग्रवाल 72,73,76 गंगा एन्क्लेव की पट्टा पत्रावली जोन-12

272

				1. ओरिजन गिल्डटेक ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा की मूल पत्रावली 2. मंगलम टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये राम बाबू अग्रवाल 3. प्रमोद ढाका खसरा नं. 564/1 4. श्रीमती किरण साहू पत्नी जगदीश साहू क्षेत्रफल 3286.12 वर्ग मीटर 5. मै. गंगाबैक्स प्रा.लि. नई दिल्ली, क्षेत्रफल 7547 वर्ग मीटर 6. श्रीमती संजू देवी पत्नी नारुराम मीणा क्षेत्रफल 5220 वर्ग मीटर 7. श्रीमती संजू देवी एवं सुरजी देवी क्षेत्रफल 32464 वर्ग मीटर 8. मै0 ग्रैनिस होटल जरिये अमिल क्षेत्रफल 30690 वर्ग मीटर 9. मै0 ड्राइव होटल एण्ड रिसोर्ट्स जरिये श्री जोतला क्षेत्रफल 9638 वर्ग मीटर 10. गणेश विहार विस्तार की मूल पत्रावली 11. गरिमा इन्फोटेक सिटी की मूल पत्रावली																																																						
2	जयपुर विकास प्राधिकरण	2010-13	206	जोन उपायुक्त-1 1. पट्टा रजिस्टर 01.04.10 से 31.03.13 तक 2. आवासीय से व्यवसायिक किये गये प्रकरण 01.04.10 से 31.03.13 जोन उपायुक्त-2 1. आवासीय से व्यवसायिक किये गये प्रकरण 01.04.10 से 31.03.13 2. शब्बीर खान भू.स. 1,2,3 स्कीम 12A बोहराजी का बाग 951 गज 3. आनन्द कुमार 26,26 A गोविन्द नगर विस्तार 758.27 व.ग. 4. मनोहर कवर A-18 हरिनगर 700 व.ग. 5. राजेश्वरी सिंह b-22 स्थायी नं. 4 किशनबना 596 व.ग. 6. आदित्य डिस्ट्रीब्यूटर्स लालपुरा कालोनी मोती लाल अटल रोड 521 व.ग. जोन उपायुक्त-3 1. आवासीय से व्यवसायिक किये गये समस्त प्रकरण जोन उपायुक्त-4 1. आवासीय से व्यवसायिक किये गये समस्त प्रकरण 2. जांचदल द्वारा पत्र क्रमांक 408 दिनांक 05.09.14 द्वारा मांगी गयी 70 पट्टा पत्रावलिया (पत्र की फोटो प्रति संलग्न है) अवधि 01.04.10 से 31.03.13 में से 26 पत्रावलियां अंकेक्षण 2016-18 में प्राप्त हो गई है। शेष पत्रावलियों की सूची निम्नानुसार है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>पट्टा सं./दिनांक</th><th>नाम</th><th>भूखण्ड संख्या</th><th>योजना का नाम</th><th>कुल क्षेत्रफल</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>380/4.8.10</td><td>गोतम अग्रवाल सुनीता अग्रवाल</td><td>5, 9-A</td><td>कल्याण नगर iv</td><td>1404.66 व.ग.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>381/4.8.10</td><td>गोतम अग्रवाल</td><td>1, 2</td><td>कल्याण नगर iv</td><td>842.59 व.ग.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>918/11.2.11</td><td>सुनीता विजय वर्गीय</td><td>3</td><td>चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य</td><td>438.95</td></tr> <tr> <td>4</td><td>919/11.2.11</td><td></td><td>4</td><td>चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य</td><td>437.55</td></tr> <tr> <td>5</td><td>920/11.2.11</td><td>विवेक गोयल</td><td>6</td><td>चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य</td><td>438.28</td></tr> <tr> <td>6</td><td>921/11.2.11</td><td>दीना नाथ</td><td>2</td><td>चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य</td><td>437.40</td></tr> <tr> <td>7</td><td>922/11.2.11</td><td>रमेश चन्द्र माहेश्वरी</td><td>5</td><td>चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य</td><td>437.41</td></tr> <tr> <td>8</td><td>923/11.2.11</td><td>श्रीमती जतन देवी</td><td>1</td><td>चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य</td><td>437.55</td></tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	पट्टा सं./दिनांक	नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	कुल क्षेत्रफल	1	380/4.8.10	गोतम अग्रवाल सुनीता अग्रवाल	5, 9-A	कल्याण नगर iv	1404.66 व.ग.	2	381/4.8.10	गोतम अग्रवाल	1, 2	कल्याण नगर iv	842.59 व.ग.	3	918/11.2.11	सुनीता विजय वर्गीय	3	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	438.95	4	919/11.2.11		4	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.55	5	920/11.2.11	विवेक गोयल	6	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	438.28	6	921/11.2.11	दीना नाथ	2	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.40	7	922/11.2.11	रमेश चन्द्र माहेश्वरी	5	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.41	8	923/11.2.11	श्रीमती जतन देवी	1	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.55
क्र. सं.	पट्टा सं./दिनांक	नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	कुल क्षेत्रफल																																																					
1	380/4.8.10	गोतम अग्रवाल सुनीता अग्रवाल	5, 9-A	कल्याण नगर iv	1404.66 व.ग.																																																					
2	381/4.8.10	गोतम अग्रवाल	1, 2	कल्याण नगर iv	842.59 व.ग.																																																					
3	918/11.2.11	सुनीता विजय वर्गीय	3	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	438.95																																																					
4	919/11.2.11		4	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.55																																																					
5	920/11.2.11	विवेक गोयल	6	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	438.28																																																					
6	921/11.2.11	दीना नाथ	2	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.40																																																					
7	922/11.2.11	रमेश चन्द्र माहेश्वरी	5	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.41																																																					
8	923/11.2.11	श्रीमती जतन देवी	1	चन्द्रकाला बाल चन्द वैद्य	437.55																																																					

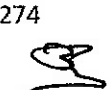
Rk. 282

8

273

9	975 / 18.2.11	गुरुमूर्ति	2	नन्द विहार	462.55
10	976 / 18.2.11	तरुण	1	नन्द विहार	425.60
11	1201 / 21.4.11	पुष्पा आर्य	1-A	स्कीम न. 6 नेशनल कॉलोनी	627.77
12	1272 / 16.6.11	मृदुला अग्रवाल	824	महावीर नगर- I	400
13	1273 / 16.6.11	मृदुला अग्रवाल	825	महावीर नगर- I	400
14	1316 / 19.8.11	मृदुला अग्रवाल	824	महावीर नगर- I	444.44
15	1318 / 26.8.11	विमल चन्द सुराना नि. सुबाको डवलपर्स	ख.न. 206 से 211 तक	ग्राम चैनपुरा	8384.26 व.मी.
16	1364 / 21.11.11	गुल्ली देवी	116	-	479.47
17	1372 / 29.11.11	संजय कपूर	11 A	स्कीम न. 15 A	500
18	1423 / 9.5.12	कानाराम	A-6	कैलाश पुरी	494.6
19	1485 / 14.9.12	विमला देवी	56 A	लादोन नगर-B	408.22
20	1495 / 11.10.12	रीना हरकामा	323	सिद्धार्थ नगर-H	406.25
21	1630 / 8.12.12	शान्ती रानौरिया	112	माइल टाऊन-A	422.37
22	1731 / 14.12.12	राजन कुमार सांघी	ख.न. 17, 22	निजि खातेदारी दुर्गापुरा	4823.28
23	1794 / 21.12.12	कमला देवी	B-77, 25	अशोक वाटिका	843.92
24	1814 / 28.12.12	शान्ति देवी शर्मा	282	निजि खातेदारी	1878.90
25	1916 / 9.1.13	सर्वआल लैटड डवलपर्स हरिमोहन डगायय	02	ग्रुप हाऊसिंग आश्रम मार्ग	5593.6
26	1917 / 9.1.13	सर्वआल लैटड डवलपर्स हरिमोहन डगायय	01	ग्रुप हाऊसिंग आश्रम मार्ग	6059
27	2009 / 28.1.13	चन्दा कल्याणी	12	आदेश मॉडल टाऊन	
28	2037 / 31.1.13	मै. अग्रवाल प्रा.लि.	ख.न. 174, 178	निजि खातेदारी ग्रा. सूरजपुरा	
29	2063 / 6.2.13	मुरलीधर मोरानी	72	जैन विहार	700 व.ग.
30	2076 / 8.2.13	विपिन कुमार बिन्दल	18	सूर्य विहार	487.36
31	2077 / 8.2.13	विपिन कुमार बिन्दल	19	सूर्य विहार	487.36
32	2078 / 8.2.13	विपिन कुमार बिन्दल	11	सूर्य विहार	465.97
33	2080 / 8.2.13	विपिन कुमार बिन्दल	16	सूर्य विहार	487.36

274

Rk    



274

34	2081/ 8.2.13	विपिन कुमार बिन्दल	17	सूर्य विहार	487.36
35	2210/ 20.2.13	अमर पाल सिंह	182	हनुमान कॉलोनी	764.34
36	2245/ 21.2.13	निशा कुमारी	233	सिद्धार्थ नगर-C	421.94
37	2246/ 21.2.13	चन्दी/भेरू	238	सिद्धार्थ नगर-C	501.28
38	2263/ 26.2.13	विजय पाल आर्य	ख.न. 2, 5,	दुर्गापुरा	1145.06
39	2264/ 26.2.13	सुमित्रा आर्य	ख.न. 2, 5,	दुर्गापुरा	657.08
40	2265/ 26.2.13	अनुष्का आर्य	ख.न. 2, 5,	दुर्गापुरा	1110-12
41	2274/ 20.3.13	सन्तोष शर्मा	210	शिव शक्ति नगर- A	844.62
42	2313/ 25.3.13	श्यामा देवी	44	चन्द्रकला कॉलोनी	567.58
43	2312/ 25.3.13	मुरली देवी	43	चन्द्रकला कॉलोनी	569.62

जोन उपायुक्त-5

क्र. सं.	पट्टा रजिस्टर क्रमांक	विवरण	क्षेत्रफल
1	4208/16.12.11	मै. मॉडर्न लैण्ड को. प्रा.लि.	1018
2	4282/22.3.12	मै. सालासर बालाजी बिल्डर्स	537.67
3	4861/11.12.12	मै. कनक वृन्दावन रिसोर्ट्स	2640
4	5794/28.01.13	महावीर कुमार जैन	663.88
5	6422/27.02.13	गणेश नारायण शर्मा	2081.87
6	6649/22.03.13	अरिहंत फिलिंग स्टेशन	पेट्रोलपम्प
7	6649/22.03.13	कोको पेट्रोलपम्प	सहकार मार्ग
8	6649/22.03.13	मै. स्वप्नलोक रिसोर्ट्स	वाणिज्यिक
		ग्राम- बृजलालपुरम,	
		एकल पट्टा	
9		सचिवालय कोलोनी	
		ग्राम-समपुरा	
10		सुशीलपुरा खसरा नंबर -175	

जोन उपायुक्त-7

1	467/11.09.12	मै. चौराडिया बिल्डकाम प्रा.लि	GH-1 4158
2		ग्राम- खातीपुरा ख.न. 67 एकलपट्टा	
3		ग्राम- झोटवाड़ा ख.न. 305/1287 एकल पट्टा	होटल

Rk 275

- | | |
|----|--|
| 4 | ग्राम— हरनालपुरा मुप हाउसिंग |
| 5 | ग्राम— धाबास ख.न. 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147,
148/2, 153, 153/3, 148 |
| 6 | कृष्णकुंज,, करणी कृपा विलास मूल पत्रावली |
| 7 | मॉ हिंग्लज नगर की मूल पत्रावली |
| 8 | ओ.के. विस्तार की मूल पत्रावली |
| 9 | भैरव नगर की मूल पत्रावली |
| 10 | सुखीजा विहार की मूल पत्रावली |

जोन उपायुक्त-9

- (1) आवासीय से व्यवसायिक किये गये समस्त प्रकरण पत्रावलिियां
(2) जांच दल के पत्र सं. 410 दिनांक 05.09.14 द्वारा मांगी गई 22 पट्टा पत्रावजियां सूची निम्नानुसार :-

क्र. सं.	पट्टा रजिस्टर	नाम
1	11804/28.12.10	शाशित सिंह ख.न. 357 / 186, 358 / 186, 307 टोडी रमजानीपुरा
2	12358/03.03.11	कृष्णा लैण्ड कॉन प्रा०लि० भू. सं. 17 प्रभात पालीवाल
3	14271/12.08.11	अजय रस्तोगी मधुलिका रस्तोगी भू. दृस. A-8 रामनगरिया सडवा
4	15307/14.03.12	मोहित सिंघल एवं शान्तिदेवी ख.न. 2371 सिरौली पलैदस 3766.01 व.ग.
5	15961/20.07.12	लक्ष्म पोषकोन्स प्रा०लि० D-108 सेन्ल स्पकिन योजना
6	16243/18.10.12	श्रीनारायण मिल ख.न. 669,670, श्री किशनपुरा
7	17512/31.12.12	मरुधर एजूकोेशन सोसयटी SC-17, 160 सेक्टर रोड सिसयावात
8	17266/21.12.12	अनुज शर्मा ख.न. 2371 / 1 सिरौली कामशियल

जोन उपायुक्त-10

1	53/21.05.10	ख.नं. 165 लीज डीड (448 जामडोली) Genpact PVT. LTD.
2	70/15.04.11	प्रिय वृन्दावन डी-32 निदेशक निवेश
3	174/22.07.11	कायम ऐज्यूकेशन फाउन्डेशन ख.न. 68,69,70
4	175/25.07.11	भू.सं. 171 प्रिय स्टेट श्रीमती पिंकी वर्मा w/o प्रवीण
5	198/13.09.11	ख.नं. 28 से 34 एवं 130 से 135 ग्रा-नांगल सुसावत वेदाज हॉटल्स एवं एस्टेट प्रा.लि. 22489.28 व.सी.
6	279/05.12.11	ख.नं. 3308 एवं 4711/3307, 2630 व.सी. मै. पीजस मेहन ट्रेडिंग कं.
7	346/05.03.12	ख.नं. 3305, 4703/330 (एकलपट्टा) ग्रा- खो-नागोसियान आवासीय फ्लैट्स
8	361/14.03.12	प्रिय स्टेट भू.सं. पी-1 होरीजन बिल्डिंग्स प्रा.लि.
9	393/10.04.12	बी-8 वाणिज्यिक (भरदपुरा) सौरभ अग्रवाल
10	नारायण हॉस्पिटल, हैल्थ सिटी (एकलपट्टा), पेट्रोलपम्प (भी) सर्विस सेन्टर ख.नं. 578 देहली हाइवेयर ऋषि जाटव	मूल पत्रावलियां

276

- 11 प्रेम वृन्दावन (A,B,C,D,S)
- 12 बजरंग विहार
- 13 फ्रेण्ड्स कोलोनी
- 14 सूर्य विहार
- 15 डिफेन्स कोलोनी गोनेर रोड
- 16 बाबा नाहर सिंह गोनेर रोड
- 17 कशीम नगर खो नागोरियान
- 18 सावित्री रेजीडेन्सी निजी खातेदारी
- 19 ऑफिसर्स एनक्लेव
- 20 शंकर विहार (पहाड गंज यू.नि.स.स.लि.)
- 21 सेग्विन फोर्ट निजी खातेदारी
- 22 दी फेरेस्ट हिलव्यू योजना
- 23 जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च सेन्टर जरिये संदीप बक्शी संस्थान

जोन उपायुक्त-11

क्र. सं.	पट्टा रजिस्टर क्रमांक	विवरण
1	3935	कौशल्या देवी- शिव विहार
2	3990	सीमा मिश्रा - बालाजी एनक्लेव
3	4089	मुकेश अग्रवाल GH ग्रा- नेवटा
5	5952	महेन्द्र कुमार कौशिक मेडिकल रेजीडेस
6	6011 से 6015	मै. मंगलम बिल्ड डवलपर्स प्रा.लि.
7	85	मै. ओ.के. प्लस लैण्ड डवलपर्स GH ग्रा- महापुरा
8	389	अजय अग्रवाल ग्रा- महापुरा रिसोर्ट प्रयोजनार्थ
9	524	मै. सालाराज प्रोपर्टीज GH जयसिंहपुरावास, भाकरोटा (सांगानेर)
10	699	गंगाराम चौधरी GH ग्रा- महापुरा
11	700	राजेश चौधरी GH ग्रा- महापुरा

जोन उपायुक्त-12

क्र. सं.	पट्टा रजिस्टर क्रमांक/दिनांक	विवरण	क्षेत्रफल
1	804/11.05.10	स्वरूप गोविन्द पारीक स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षण संस्थान (संस्थानिक)	1064

277.

Rk

277. 289

8

289

277

2	819/25.05.10	सुनील शर्मा S/O गिरधारीलाल शर्मा ख.न. 7531/1जरिये अध्यक्ष शिवाजी ग्रामीण विकास संस्थान	1095.75
3	834 से 838/13.07.10	मंगलम् बिल्ड डवलपर्स जरिये निदेशक रामबाबू अग्रवाल	J- 4,1,3,5 1406 व. मी.
4	---	मै.सिद्ध होम्स जरिये साझेदार भूपेन्द्र अग्रवाल ग्रीन त्रिवेणी फेज-II	
5	2233/24.03.11	मै0 कुक्कु कंसल्टेंट प्रा0 लि0 निदेशक कुसुम	1093
6	2697/31.03.11	मै0 चौपडा काकोनाइजर्स जरिये श्याम वाटिका साझेदार सुमित चौपडा	18540
7	390-391/16.06.11	रविन्द्र गोयल	933,177 वर्ग मी
8	397/21.06.11	श्रीमती गीता सेरिया ख.न. 29/2	9800
9	814/13.12.11	शेरूलाल बेनीवाल	1570
10	918/06.01.12	मै0 पैराडाइज इन्फ्रा जरिये पंकज साकू	4169.22
11	424/06.07.12	मोहन सिंह S/O श्रीरामनाथ सिंह रिसोर्टयस	26152
12	440/20.07.12	शांतिलाल जैन एवं श्री सुशील जैन S/O अमोलक	803
13	450/23.08.12	मै0 सत्यम बिल्डकोन प्रा0लि0 जरिये निदेशक महेन्द्र सराफ	12561
14	692-696/29.11.12	विनायक 55 जरिये साझेदार राजेश अग्रवाल S/O बाबूलाल मूल पत्रावली	
15	गौतम एनक्लेव		
16	बलाजी		
17	बजरंग विस्तार जैतपुरा		
18	गरिमा इन्फोटेक सिटी		
19	सनसिटी इन्फ्रा II		
20	मंगलम सिटी विस्तार(A to I)		
जोन उपायुक्त-14			
क्र.	पट्टा	विवरण	
सं.	रजिस्टर		
	क्रमांक		
1	6	भास्कर एन्क्लेव (पुसाराम किशनाराम)	
2	2126	ओमप्रकाश विजय S/O नाथूलाल ग्राम मानपुर	
3	2465-2467	भास्कर एन्क्लेव श्रीराम स्थायी लाईन डवलपर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक अशोक अग्रवाल	
4	2678	बाटरमजानीपुरा अशोक अग्रवाल S/O सूरजमल	

Rk. 289

278

5	3612	कस्टम आफिसर्स एन्कलेव I जसवंत / जगदीश
6	3624	कस्टम आफिसर्स एन्कलेव I जगदीश प्रसाद / बही नारायण
7	4	तलिगरामपुरा राजीव कुमार / रमेश चन्द शर्मा
8	7	श्री राम एन्कलेव ब अशोक अग्रवाल / सूरजमल
9	8	श्री राम एन्कलेव ब अशोक अग्रवाल / सूरजमल
10	635	GH. मै. प्रिंसडील सस्टेट प्रा.लि. योजना की नंद किशोर गोयल फाईल
11	660	GH. खेडा जगन्नाथ पुष्पा जोशी योजना की w/o रमेश फाईल
12	667	ब्लद रामजानीपुरा निजी खातेदारी योजना की की GH. बाटरामजानीपुरा फाईल

जोन उपायुक्त 15

1. मै. पार्श्वनाथ शिमल होम जरिये अजय कुमार S/O मूलचन्द
2. मै. शिव शाक्ति बिल्ड विजन प्रा.लि.
3. शाक्ति गोयल
4. अंकित बसंल
5. ओमेक्स सिटी की मूल पत्रावली
6. कुनाल बिल्डहोम प्रा.लि. की मूल पत्रावली

Rk

Rk

Rk

Rk

Rk

Rk

279

उपसंहार

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की अंकेक्षण अवधि 2016-2018 में लेखा प्रणाली सामान्य पायी गयी। आलौच्य अवधि में निम्नांकित बिन्दुओं की ओर आयुक्त महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है:-

1. प्राधिकरण द्वारा अग्रिम, अमानत, लीज एवं परिसम्पत्ति पंजिकाओं का भविष्य में संधारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. संस्था के स्थाई भण्डार सामग्री का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवाया जावें।
3. निजी खातेदार/ विकासकर्ता द्वारा आवासीय योजनाओं एवं ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टे के नियमन से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 500 मीटर रेडियस में 18 मीटर चौड़ी सड़क एवं पावर लाईन उपलब्ध होने के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी नहीं की जाती, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित करने एवं इसी प्रकार सहायक नगर नियोजक द्वारा नगर निगम सीमा के भीतर, नगर निगम सीमा को छोड़कर मास्टर प्लान में वर्णित यू-1 क्षेत्र एवं नगर निगम तथा यू-1 क्षेत्र को छोड़कर शेष रीजन के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है। इसके कारण उपायुक्त कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों के द्वारा नियमन, रूपान्तरण, शहरी जमाबन्दी, बाह्य विकास शुल्क एवं बी.एस.यू.पी. आदि के सम्बन्ध में की गई गणना में त्रुटि रह जाती है,

इस सम्बन्ध में सुझाव है कि कनिष्ठ अभियन्ता/ सहायक नगर नियोजक को स्पष्ट टिप्पणी किये जाने हेतु निर्देशित किया जावें एवं उपायुक्त कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों के द्वारा की गई गणना का वरिष्ठ लेखाकर्मियों के द्वारा पुनः परीक्षण किया जावे ताकि संस्था को राजस्व की हानि नहीं हो एवं समय पर राजस्व की प्राप्ति हो सकें।

आक्षेप संख्या 10(अ,स.), 13(अ,ब), 14(अ,ब,व,स,ष), 15(अ,१,॥ ब,स, द,य,र,ल,व,श.), 16, 17, 18(अ,ब,स,द,य,र,ल,व), 19(अ,ब,स,), 20, 23(अ,द), 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33(अ,ब,स,द), 47, शून्य प्रकृति के होने से पालना अपेक्षित नहीं है।

जांच प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं/ गलतियों की पुनरावृत्ति न हों, इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु आयुक्त महोदय का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

(राजवीर सिंह गुर्जर)
कनिष्ठ लेखाकार

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
सहा. लेखा. ग्रेड-1

(मिटटू लाल बुनकर)
सहा. लेखा. ग्रेड-1

(शूरज कुमार सिंगोदिया)
सहा. कार्या. अधि.
लेखाकार

(रामकिशन यादव)
कनिष्ठ लेखाकार

(मधुसूदन शर्मा)
कनिष्ठ लेखाकार

मैं हृदयेश कुमार गुर्जर पद निदेशक, वित्त, जयपुर ने वर्ष 2016-2018 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के तथ्यों पर विचार-विमर्श कर लिया है एवं मैं प्रस्तुत तथ्यों से सहमत हूँ।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
निदेशक (वित्त)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

280
आतिरिक्त निदेशक
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर प्रजन

